एकादश माला, खंड 6, अंक 7

शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1996
8 अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रूपये

शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (1)	10	एक समय	समय
34	19	(ग)	(ग) और (घ)
98	नीचे से 12	(ख) और (घ)	(ग) और (घ)
117	नीचे से 17	(ख) से (छ)	(ख) से (घ)
176	5	1295	1296

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 6, तीसरा 1996/1918 (शक)
अंक 7, शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1996/8 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्न		
मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	121, 124, 125, 130, 131, 133, 134, और 136	1—30
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	122, 123, 126 से 129, 132, 135 और 137 से 140	31—41
अतारांकित प्रश्न संख्या	1150 से 1297	41—177
सभा पटल पर रखे गए पत्र		177—180
सभा का कार्य		180—183
समितियों के लिए निर्वाचन		183—184
विधेयक-पुरःस्थापित		
आय-कर (संशोधन) विधेयक		209
अध्यादेश के बारे में व्याख्यात्मक विवरण—सभापटल पर रखा गया		210
नियम 193 के अधीन चर्चा		210—230
उड़ीसा में सूखे की स्थिति		
श्री नीतिश कुमार		211—216
श्री संतोष मोहन देव		217—219
श्री एच.डी. देवेगौड़ा		219—229
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत		230
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के लिए एक समय के आवंटन के बारे में उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		231—232
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—वापस लिया गया		
बेरोजगारी		233—248
श्री मुरासोली मारन		233—240
श्री प्रभु दयाल कठेरिया		240—248
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प		
नई कृषि नीति		248—266
श्री अनिल बसु		249—257

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
श्री छत्रपाल सिंह		258--262
श्री रमेश चेन्नित्तला		262--266

लोक सभा

शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1996/8, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कोयला धोवनशाला

+

*121. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय कोयला धोवनशाला संगठन के अंतर्गत कोयला धोवनशालाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के लिए श्री के.एस.आर. चारी भूतपूर्व सचिव कोयला, की अध्यक्षता में "समेकित कोयला नीति" नामक एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति की संरचना और उसके विचारार्थ विषय क्या है; और

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). योजना आयोग द्वारा श्री के.एस.आर. चारी की अध्यक्षता में, एक एकीकृत कोयला नीति का निष्पादन किए जाने हेतु, एक समिति का गठन किया गया था। इस समित के गठन तथा इसके विचारार्थ विषय अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ). इस समिति ने अब अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है। समिति की यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। इस समिति की मुख्य सिफारिशें अनुबंध-II में दी गई हैं।

अनुबंध-I

1. श्री के.एस.आर. चारी, भूतपूर्व सचिव (कोयला) - अध्यक्ष
2. सचिव, विद्युत मंत्रालय - सदस्य
3. सचिव, कोयला मंत्रालय - सदस्य
4. सचिव, इस्पात मंत्रालय - सदस्य
5. सदस्य (परिवहन) रेलवे बोर्ड - सदस्य
6. अध्यक्ष, कोल इंडिया लि. - सदस्य
7. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम - सदस्य
8. श्री आर. जी. महेंद्रु, भूतपूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. - सदस्य
9. सलाहकार (ऊर्जा) योजना आयोग - सदस्य-सचिव

इस समिति द्वारा नौवीं तथा दसवीं योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा अंगीकृत की जाने वाली एक एकीकृत कोयला नीति से संबंधित मामलों पर विचार किया जाना था। इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :-

अ. कोयले के लिए (कोककर तथा अकोककर) और लिग्नाइट के लिए 9वीं तथा 10वीं योजना अवधि (1997-2007) के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत रूप में मूल्यांकन किया जाना।

(i) विद्युत क्षेत्र

(क) 9वीं तथा 10वीं योजनाओं (1997-2007) के लिए विद्युत क्षेत्र में विभिन्न ईंधनों की अतिरिक्तयों की क्षमता के साथ विद्युत मंत्रालय का अनुमान।

(ख) तापीय विद्युत उत्पादन किए जाने के लिए संगत लागतों का मूल्यांकन, जो कि विभिन्न प्रतिनिध्यात्मक स्थलों पर विभिन्न ईंधनों से संबंधित है, जिसमें पिटहैड तथा लोड केन्द्र शामिल हैं।

(ग) देशीय डीशेल्ड/परिष्कृत कोयले की तुलना में आयातित कोयले/प्राकृतिक गैस/विद्युत उत्पादन के लिए अन्य ईंधन के चयन में न्यूनतम लागत विकल्प का तकनीकी-आर्थिक रूप में प्रयोग किया जाना, जोकि प्रति ताप यूनिट की सुपुर्दगी कीमत पर आधारित है और इसकी संयंत्र के कार्य-निष्पादन पर तथा उत्पादन करने की लागत पर प्रभावकारिता, जो कि आपूर्तियों की सुरक्षा तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण को छोड़कर है।

(घ) विद्युत उत्पादन के लिए नई तथा उभरती कोयले की सफाई प्रौद्योगिकियों और 9वीं तथा 10वीं योजनाओं में उन्हें अंगीकृत किए जाने के अवसर।

(ii) इस्पात क्षेत्र

(क) इस्पात बनाए जाने के लिए क्या नई तथा उभरती प्रौद्योगिकियां क्रियान्वयनाधीन हैं - कोयला धूल इंजेक्शन, आंशिक ब्रिकेट का तथा निर्मित कोक की शुरूआत किया जाना आदि। अकोककर कोयले का प्रयोग करना ताकि कोककर कोयले की निर्भरता कम की जा सके। 9वीं तथा 10वीं योजनाओं की अवधि में उनको अंगीकृत किए जाने के कितने अवसर हैं?

(ख) इस्पात क्षेत्र का कोककर कोयले की बाशरियों के कार्य-निष्पादन पर क्या दृष्टिकोण है, विशेषकर इस्पात संयंत्रों को धुले कोयले की, की गई आपूर्ति की मात्रा तथा गुणवत्ता के संदर्भ में? क्या

इस्पात संयंत्रों द्वारा सभी संभावित प्रौद्योगिकी के नवीकरण की सुविधा को प्रयोग में ले लिया गया है, जिसमें कोयले को छोड़कर कच्चे माल की आगत की गुणवत्ता में सुधार भी शामिल हैं।

(ग) क्या ग्रहीत कोलियरियों (टिस्को) के कार्य-निष्पादन अधिकतम हैं, जिसे उनके पास रखे भंडारों के संदर्भ में देखा जाए?

(घ) इस्पात बनाने के लिए देशीय कोयले की तुलना में आयातित कोयले के प्रयोग के क्या गुण-दोष हैं और कोयला/इस्पात उत्पादकों के आयातों पर प्रभावकारिता, जिसमें उनके वाणिज्यिक हित तथा देश का हित शामिल है।

आ. कोयला तथा लिग्नाइट की उपलब्धता और संसाधनों तथा मांग को पूरा किए जाने के लिए उक्त की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता की समीक्षा, जोकि 9वीं तथा 10वीं योजनाओं (1997-2007) की अवधि के लिए सी.एम.बी. डी.आई.एल./एन.एल.सी. आदि द्वारा की गई है।

(क) संभावित मांग को पूरा किए जाने के लिए ओपनकास्ट तथा भूमिगत खानों के जरिए कोयले का उत्खनन किए जाने हेतु अधिकतम मिश्रण का सुनिश्चय करने के लिए अपेक्षित संकल्पना।

(ख) अधिकतम परिवहन यातायातों (रेलवे, सड़कें, अन्तर्राज्यीय जल-परिवहन आदि) का विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति तथा उपलब्ध कराए जाने के लिए और संरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकताओं में वृद्धि किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाना; अधिकतम मिश्रण को प्रोत्साहित किए जाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई।

(ग) कोयले के उत्पादन तथा उपयोगिता से संबंधित पर्यावरणीय मामले।

इ. निवेश तथा इससे संबंधित मामले

(क) वर्ष 2006-2007 तक कोयले की प्रक्षिप्त मांग को पूरा किए जाने के लिए कोयले, लिग्नाइट, परिष्करण तथा संरचनात्मक/परिवहन सुविधाओं में उत्पादन की दृष्टि से वृद्धि किए जाने के लिए अपेक्षित निवेशों का स्थूल अनुमान; एक उपयुक्त नीति पैकेज का अंगीकरण ताकि निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के विद्यमान तथा संभावित ग्राहक शामिल है।

(ख) कोयला उपभोक्ताओं के लिए तेजी से लागतों के बढ़ने के मामले में जिम्मेदार मुद्दों का विनिर्दिष्टीकरण किया जाना और यह कार्य पिटहैड कीमतों में निरन्तर वृद्धि के जरिए किया जाना, जो कि रायल्टी, रेलवे भाड़ा आदि में हुई वृद्धि के अलावा किया जाना, निम्न उत्पादकता उच्च उत्पादन लागत, बिक्री-वसूली में विलंब, घाटों को एकत्रित होना तथा उपभोक्ता संतोषप्रदता में कमी होने जैसे सामरिक मामलों पर काबू पाना, कोयला उद्योग का पुनर्गठन किए जाने संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाना, जिसमें अधिक स्वायत्तता, विद्यमान कीमतों तथा अन्य नियंत्रणों को हटाया जाना, सी.पी.आर. ए. के माध्यम से विभेदी-निर्वाह को प्रतिबंधित करना और संपूर्ण संगठन को बाजार आधारित प्रतिस्पर्धा के लिए उन्मुख करने से संबंधित मामले शामिल हैं।

(ग) उपयुक्त खनन क्रियाकलापों को प्रोत्साहित किए जाने, अपेक्षित पर्यावरणीय प्रबंधन उपायों को अंगीकृत किए जाने और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा किए जाने के लिए अपेक्षित विनियमन उपाय किया जाना।

ई. उपर्युक्त के संबंध में अन्य कोई मामला।

अनुबन्ध-II

समिति की मुख्य सिफारिशें

(1) कोयले तथा लिग्नाइट के संसाधनों के अन्वेषण में वृद्धि किए जाने हेतु केन्द्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र अभिकरण स्थापित किया जाए। इस अभिकरण को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, जो कि देश में उत्पादित कायेले तथा लिग्नाइट पर अधिभार लगाकर उत्पन्न किए जाएं। अन्वेषण के क्रियाकलाप निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा, जिसमें भारतीय तथा विदेशी दोनों ही शामिल हों, संविदा के आधार पर किए जाएं।

(2) सभी नये कोयले तथा लिग्नाइट ब्लॉकों की प्रतियोगी निविदाओं के आधार पर पेशकश की जाए, जिसमें राष्ट्रीय कोयला कंपनियां तथा निजी क्षेत्र भी भाग ले सकती हैं। इनका आबंटन न्यूनतम स्थानान्तरण कीमत, न्यूनतम वसूली प्रतिशतता आदि जैसे मानदंडों के आधार पर लिया जा सकता है तथा उन्हें विकसित किया जाना अपेक्षित है। खान का विकास करने वाले प्रशासकीय कीमतों को संदर्भगत किए बिना समझौते के आधार पर उपभोक्ता से कोई भी कीमत प्रभारित करने की स्वतंत्र होनी चाहिए।

(3) कोयले की बाकी कीमतों का विनियंत्रण चरणबद्ध रूप में किया जाए।

(4) उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच कीमत संबंधी विवादों को निपटारा करने हेतु एक स्वायत्त विनियमन निकाय का गठन किया जाए।

(5) धारक कंपनी की संकल्पना पर नए सिरे से विचार किया जाए तथा कीमत विनियंत्रण एवं अन्य सुधार किए जाने के बाद कोल इंडिया लि. की प्रत्येक सहायक कंपनी को एक स्वतंत्र कंपनी का दर्जा दिया जाये।

(6) संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना से कोयला उद्योग को कुछ छूट दी जाए जिससे कि उसे अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके तथा निवेश की आवश्यकताओं में कमी की जा सके।

(7) वाशरी क्षमता का बेहतर उपयोग किया जाए।

(8) कोककर कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि की जाए तथा निम्न वाष्पशील मध्यमवर्ती कोककर कोयलों की धुलाई की जाए।

(9) कोयला परियोजना के लिए वन भूमि संबंधी अनुमोदन हेतु प्रक्रिया को सुचारू बनाया जाना।

(10) विद्युत तथा इस्पात क्षेत्र द्वारा कोयले की अधिक दक्षता के साथ उपयोगिता तथा नई प्रौद्योगिकी को अंगीकृत किया जाना।

(11) पिटहैंड पर नए विद्युत गृहों को स्थापित किया जाना, देश में लिग्नाइट के संसाधनों का बेहतर दोहन किया जाना।

(12) कोयले के आयात पर शुल्क में कमी किया जाना।

(13) रेल तथा पत्तन संबंधी अतिरिक्त क्षमता को उत्पन्न किया जाना ताकि परिवहन तथा कोयले के आयात को सुविधाजनक बनाया जा सके।

(14) अकोकर कायेले की धुलाई में वृद्धि किया जाना।

(15) कोयला-धारी क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत किए गए संशोधनों को ध्यान में रखा जाना, जो कि ऐसे स्थान जहां कि भूमिगत खनन किया जाता है अथवा किया जा रहा है, वहां भूमिगत अधिकारों का अर्जन किए जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि समिति की यह जो रिपोर्ट है यह सरकार के विचाराधीन है। यह रिपोर्ट कब से सरकार के विचाराधीन है और इसके विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या सरकार इस रिपोर्ट को चालू सत्र में सभापटल पर रखने का इरादा रखती है।

श्रीमती कान्ति सिंह : यह जो चारी कमेटी की रिपोर्ट बनी है यह हमारे मंत्रालय के द्वारा नहीं बनी है बल्कि यह प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनी है और इसे पार्लियामेंट में रखा गया है। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। जहां तक चालू करने का सवाल है तो इसकी सिफारिशों का कोयला उद्योग पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह अभी मंत्रालय में विचाराधीन है।

श्रीमती शीला गौतम : यह कब तक पूरी हो जाएगी? यह विचाराधीन तो है लेकिन क्या इसे सभापटल पर रखने का इरादा है?

श्रीमती कान्ति सिंह : इसको समय-सीमा पर निर्धारित न किया जाए, क्योंकि इससे कायेले के क्षेत्र पर असर पड़ सकता है। यह विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित है इसलिए अभी कहना मुश्किल है।

श्रीमती शीला गौतम : मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि इस प्रश्न के उत्तर में जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है वह संतोषजनक नहीं रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी जो मुख्य सिफारिशें हैं उसके अनुबंध दो में कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों को, जिनको भूमिगत होकर खानों में काम करने के लिए जाना पड़ता है, उनके इंश्योरेंस के लिए आपने क्या प्रावधान रखा है और समिति की रिपोर्ट जो आप बनाने जा रहे हैं उसमें इसको भी रखा है या नहीं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कोयला धोबन की मशीनें जहां-जहां लगी हुई हैं उनमें कितनी खराब पड़ी हुई हैं और उनको सरकार कब तक ठीक कराने की कोशिश करेगी।

श्रीमती कांति सिंह : अभी तक कोयला वाशरीज 19 हैं, जोकि बी.सी.सी.एल. में हैं, सी.सी.एल में हैं, सी.आई.एल की 15 वाशरीज हैं तथा सेल और टिस्को की 4 वाशरीज हैं। भारत कुकिंग कोल की बुझुडीह, दुग्धा-1, दुग्धा-2 मोनीडीह, सुदामाडीह, पाथरछडीह इत्यादि में, सेंट्रल कोल फील्ड लि. की कारगली में, काथरा में गिडी और स्वांग इत्यादि में है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर दे सकते हैं क्योंकि आपको विषय की जानकारी है।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : सी.आई.एल.की कोकिंग कोल की दो वाशरीज मधुबंध और केदला में निर्माणाधीन हैं जिनकी क्षमता 2.33 मि. टन प्रति वर्ष होगी और इसके अगले वर्ष पूरा होने की संभावना है। इंश्योरेंस के लिए जो कहा जा रहा है तो इसमें इंश्योरेंस का प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वह प्रत्येक दिन भाग ले रहे हैं और एक बार से ज्यादा बार बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक बार से ज्यादा नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, अगर वह इतने नाखुश हैं, तो मैं बैठ जाता हूं। क्या मैं...(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मुझे लगता है कि थोड़ी देर में आप स्वयं ही प्रश्न पूछेंगे और उत्तर भी देंगे...(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : ठीक है। महोदय, इस्पात मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और रेल मंत्रालय को घटिया कोयला होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि अधिकतर कोयला खानों में धोवनशालाएं नहीं हैं। उनमें से दो या तीन में धोवनशालाएं हैं, परंतु उनकी स्थिति बहुत बदतर है। परंतु इसके

अलावा समिति के प्रतिवेदन में और क्या है? पूर्व और विद्यमान सरकारों द्वारा खनन नीति में किए गए परिवर्तन और अन्य कार्यों को देखते हुए, आप कोयला खानों और इस्पात मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और अन्य के अन्तर्गत के आने वाली कोयला खानों और कैप्टिव खानों को धोवनशालाएं उपलब्ध करा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय इस पहलू पर विचार कर हा है। आपके मंत्रालय के एक गुट है जो ऐसा नहीं चाहता है। इसके परिणामस्वरूप कोयले के साथ बाह्य वस्तुएं आ रही हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से एक साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हाल में मंत्रालय ने सरकार की नीति का अनुसरण करने का विचार किया है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का विचार कर रहा है कि निजी निवेश द्वारा या कोयला मंत्रालय द्वारा किए गए निवेश से धोवनशालाओं को नवीनतम बनाया जाए तथा अच्छे प्रबंधन के साथ बेहतर किस्म के कोयले की आपूर्ति की जाए।

इस्पात मंत्रालय इस मामले को उठाना चाहता है, परंतु कोयला मंत्रालय देना नहीं चाहता है। मैं नहीं जानती कि धोवनशालाओं की संख्या में क्यों वृद्धि नहीं हो रही है। श्री चिदम्बरम अभी-अभी जापान से आए हैं। वह जानते हैं कि जापान को ऑस्ट्रेलिया से किस किस्म का कोयला प्राप्त हो रहा है। परन्तु हम उनके साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : आप इस्पात मंत्री थे और वर्तमान अध्यक्ष कोयला मंत्री थे...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : इस बार भी उन्होंने प्रयास किया था, परंतु असफल रहे।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : माननीय सदस्य ने वाशरीज के बारे में कहा। अगर स्टील मिनिस्टर चाहते हैं कि हम उन्हें दे दें तो वह इन्हें ले सकते हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होता।

श्रीमती कांति सिंह : वास्तव में पहले ऐसी स्थिति थी। फिर नेशनलाइजेशन के समय ले लिया गया था। अगर स्टील मिनिस्टर चाहते हैं...**(व्यवधान)**

अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : जो भी हो, मुझे खुशी है कि आपने ऐसा विचार किया है। जब मंत्री महोदय चाहते हैं, तो ऐसा किया जा सकता

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उस समय भी जबकि वह इस्पात मंत्री नहीं हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है?

श्री संतोष मोहन देव : अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : *माननीय अध्यक्ष महोदय, चारी समिति का गठन किया गया था। उसे नौवीं और दसवीं योजना के लिए एकीकृत कोयला नीति के निष्पादन के लिए सिफारिश करने का काम दिया गया था। उन्होंने सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत कर दीं। जो सिफारिशें चारी कमेटी ने उसकी कार्य योजना हेतु प्रस्तुत की हैं, उसको नौवीं और दसवीं योजना के अन्तर्गत कैसे पूरा करेंगे? क्या उस पर कोई विचार किया गया है? क्या आपकी योजना आयोग के साथ कोई मीटिंग हुई है? इसके बारे में आप हमें जानकारी दें।*

श्रीमती कांति सिंह : चारी कमेटी ने 14 मई को प्लानिंग कमीशन को अपनी रिपोर्ट दर्ज की। अभी सितम्बर में यह हमारी मिनिस्ट्री में आई है। हमारी प्लानिंग कमीशन के साथ कोई बैठक नहीं हुई है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : अप्रैल 1997 से नौवीं योजना प्रारम्भ हो जाएगी। बहुत कम समय बाकी है। आप इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं क्योंकि नौवीं और दसवीं योजना में इन सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा।

श्रीमती कांति सिंह : जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं, इस रिपोर्ट पर हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। और कुछ इस बारे में मैं अभी बता नहीं सकती।

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, चारी कमेटी की रिपोर्ट काफी कॉम्प्रीहैंसिव है। कॉम्प्रीहैंसिव कोल पालिसी बनाने की बात भी हो रही है। मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मैंने पाया कि इसमें एनवायरनमैंटल इशु पर ध्यान दिया गया। मेरे क्षेत्र धनबाद के लिए एंनवायरनमैंटल इशू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि झरिया में सबसाइडैंस का बहुत की ज्यादा खतरा झरियावासियों के लिए मौजूद हो गया है। इसमें एनवायरनमैंटल एस्पैक्ट के बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं है। यह समझने की बात है कि अगर कोल माइनिंग करने हैं और अंडर ग्राउंड माइन्स हैं तो फिर शर्तों के हिसाब से स्टोरिंग करने के बाद जैसा था, वैसा ही कोल कम्पनियों को छोड़ कर जाना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं। झरिया में जब सबसाइडैंस का खतरा हो गया और लोग घर छोड़ कर भागने लगे तब वहां आपके लोग बांस-बल्ली लगाकर खाना पूरी कर रहे थे। उन्होंने उसका पहले से पूरा इतंजाम किया हुआ था। ये लोग यह भी स्टेटमैंट दे रहे हैं कि खतरे वाली जगह इसलिए माइनिंग नहीं कर रहे हैं कि ऐसा बी.सी.सी.एल. के लोग कह रहे थे लेकिन जहां पर सबसाइडैंस सबसे ज्यादा है, उसी घर क नीचे एक एस.डी. एल. मशीन पायी गई जो कि फंस गई थी, जो इस बात का प्रूफ है कि आप वहां पर माइनिंग करा रहे थे। क्या इस बात की जांच करायी जाएगी और क्या इस बात की कॉम्प्रीहैंसिव जांच करायी जाएगी कि कोल कम्पनियां एनवायरनमैंटल कंट्रोल और सबसाइडैंस के मामले में घोषित आपकी नीति का कितना पालन करती हैं और कितनी गलत बातें कहती हैं?

श्रीमती कांति सिंह : माननीय सदस्या ने इस मामले की जांच कराने की मांग की है। मैं इसकी जांच करवाऊंगी।

[अनुवाद]

घाटे का पूरा करना

+

*124. **श्री विजय पटेल :**

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्षिक वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को रिजर्व बैंक से वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुद्रा आपूर्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक का बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उक्त वित्तीय सहायता की सीमा निर्धारित करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ मिलेगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

भारत सरकार अपने बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ राजकोषीय हुण्डियों के निर्गम के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती रही है। 1993-94 तक ऐसे उधारों की कोई सीमा नहीं थी। चालू वित्तीय वर्ष में ऐसे तदर्थ राजकोषीय हुण्डियों के निर्गम के लिए वर्षांत सीमा 5000 करोड़ रुपए है।

वित्तीय अनुशासन के एक साधन में रूप में तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित मौद्रिक नीति में लोचशीलता बढ़ाने के लिए 1996-1997 तक इस व्यवस्था को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए सितम्बर, 1994 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। समझौते के क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना विचाराधीन है।

श्री विजय पटेल : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक से कितनी राशि का ऋण लिया है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, अंतिम आंकड़ा तो वर्ष के अंत में संशोधित अनुमान तैयार किये जाने के बाद ही बताया जा सकता है। तदर्थ राजकोषीय हुंडियों और 91 दिनों के लिये हुंडी हेतु बजट अनुमान 6578 करोड़ रु. का है। हम इस सीमा के भीतर रहने की उम्मीद करते हैं।

श्री विजय पटेल : उत्तर में यह बताया गया है कि यह सीमा 5000 करोड़ रुपये तक बनी रहेगी। इसके क्या कारण हैं? हमारी जानकारी के अनुसार, केन्द्र सरकार के कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के कारण यह बजट घाटा बढ़ा है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, एक शीर्ष के अन्तर्गत हुए व्यय को बजट घाटे से सीधा नहीं जोड़ा जा सकता। व्यय उनके शीर्षों के अन्तर्गत होता है।

अब समूह 'ग' और समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए बोनस के मामले में अधिकतम सीमा समाप्त किये जाने से लगभग 220 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का अनुमान है। परन्तु अधिकांश विभागों को यह धनराशि अपने बजट आबंटनों से ही जुटानी पड़ी है। 220 करोड़ रुपये की राशि तो सचमुच अतिरिक्त राशि है। इसका बजट घाटे पर प्रभाव पड़ेगा। परन्तु यदि किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय नियंत्रित होता है, तो हम वर्ष 1996-97 हेतु बजट अनुमान जो कि 6.578 करोड़ रुपये है, की सीमा में बने रहने की आशा कर सकते हैं।

श्री सनत मेहता : महोदय, वर्ष 1993-94 तक ऐसे ऋणों के संबंध में कोई सीमा नहीं थी। क्या मैं वित्त मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि सीमा निर्धारित किये जाने के बाद संबंधित वर्षों अर्थात् 1994-95 और 1995-96 में कितना ऋण लिया गया था?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं वर्ष 1996-97 तक तदर्थ राजकोषीय हुंडियों हेतु प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के बीच 9 सितम्बर, 1994 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष के अंत तक निवल तदर्थ राजकोषीय हुंडी 5000 करोड़ रुपये के होने का अनुमान था और इस वर्ष के अन्तर्गत यह सीमा 9000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। गत दो वर्षों के दौरान जारी की गई निवल तदर्थ राजकोषीय हुंडियों की वर्ष के अंत में स्थिति इस प्रकार थी :—

1994-95	6000 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान)	1,750 करोड़ रु. (वास्तविक)
1995-96	5000 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान)	5,965 करोड़ रु. (वास्तविक)

वर्ष के अंत में वर्ष 1996-97 हेतु भी सीमा 5000 करोड़ रुपये है तथा वर्ष के भीतर यह सीमा 9000 करोड़ रुपये की है।

26.11.1996 की स्थिति के अनुसार निवल तदर्थ राजकोषीय हुंडी 8415 करोड़ रुपए है, जोकि सीमा के भीतर है।

[हिन्दी]

श्री भेरुलाल मीणा : मेरा एक ही प्रश्न है कि जो ऋण लिया जाता है उसके ऊपर सरकार को कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ऋण पर आप कितना ब्याज देते हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, बाजार ऋण पर, पिछली बार लिए गए 2000 करोड़ रुपये पर 13.55 प्रतिशत ब्याज काटा गया।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए जो पांच हजार करोड़ रुपये रिजर्व बैंक देता है, लेकिन हमारे देश में ब्लैक मनी बहुत पड़ा है। उसको बाहर निकालने की कोई योजना है जिससे आपको रिजर्व बैंक से ज्यादा पैसा निकालने की जरूरत न पड़े? हमारे वित्त मंत्री ब्लैक मनी निकालने के लिए नयी स्कीम लेकर ब्लैक मनी खत्म करें और रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट न लें, इसके लिए क्या कोई स्कीम है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : समय-समय पर एक के बाद दूसरी जो-जो सरकारें आयी हैं वे काले धन को निवेश में लगाने तथा इसमें दंड-मुक्ति तथा क्षमादान करने हेतु कई योजनायें लायी हैं। यह मेरा अपना विचार नहीं है, अपितु जिन प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों से मैंने बात की है, उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि आप काले धन को विधि मान्य बनाते हैं तो इससे भविष्य में काले धन और बढ़ेगा। अतः काले धन को विधिमान्य बनाने की बात तो आकर्षक लग सकती है, परन्तु कई अर्थशास्त्रियों ने मुझे बताया है कि जब तक लोगों के लिये काले धन को विधिमान्य बनाने का अवसर दीखेगा, तबतक काले धन के अर्जन को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका क्या विचार है?

अध्यक्ष महोदय : उनका विचार आरक्षित है।

श्री सुरेश प्रभु : क्या सरकार उसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से जुटाए जाने वाले अशोध्य ऋण के संबंध में अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में विचार कर रही है। संविधान में यह प्रावधान है कि वह सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋण के संबंध में अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है क्योंकि इस समय जैसा कि वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि सरकार की एक चिन्ता बढ़ता हुआ ब्याज है जो कि अभी 60,000 करोड़ रुपये है। यह सरकार की वर्तमान आय का लगभग 46 प्रतिशत है। क्या सरकार न सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक से तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के संबंध में, बल्कि सामान्य रूप से भी सरकार द्वारा लिए जाने वाले मामले में अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है? क्या सरकार इस वर्ष अपने कुछ घरेलू ऋण को जो कि इस समय लगभग 3 लाख करोड़ रुपये है, तथा लगभग 94 बिलियन रु. के विदेशी ऋण को चुकाने पर विचार कर रही है?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परन्तु, ये दोनों प्रश्न वास्तव में इस प्रश्न के पूरक प्रश्न नहीं है। वस्तुतः ये दो अलग-अलग प्रश्न भी हैं।

सरकार द्वारा ऋण लिये जाने पर अंकुश लगाने हेतु एक प्रस्ताव है और मैंने संकेत दिया है कि हम इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है। सरकारी ऋण को चुकाने की बात करना सरल है परन्तु ऐसा करना कठिन है। आप सरकार द्वारा लिये गये कर्ज का तभी भुगतान कर सकते हैं जब आप संसाधन जुटायें। इन संसाधनों से चालू खपत को पूरा करना पड़ता है। पैसा तो चिरभोग्य वस्तु है। संसाधनों का उपयोग चाहे तो आप पुराने ऋण को चुकाने के लिए कर लें या फिर चालू खपत के लिए और चालू ऋण का भुगतान करने के लिए कर लें। जब तक आप राजस्व घाटे से नहीं उबरते और राजस्व बचत नहीं दर्शाते, सरकार द्वारा लिये गये ऋण को चुकाने का प्रश्न ही नही उठता।

सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन

***125. श्री के.डी. सुल्तानपुरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) उनसे कितनी मात्रा में नशीले पदार्थ, सोना, चांदी, नकदी और विदेशी वस्तुएं जब्त की गई तथा उनका सीमा शुल्क जोन-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् 1993-94 और 1995-96 के बीच सीमाशुल्क कानूनों के उल्लंघन के मामले में सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों द्वारा 9702 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

नशीले औषध द्रव्यों, सोने, चांदी, मुद्रा और अन्य वस्तुओं के अभिगहण के बारे में सूचना का क्षेत्र-वार संकलन नहीं किया जाता है। तथापि, उपरोक्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए ऐसे व्यक्तियों से पकड़े गए नशीले औषध-द्रव्यों, सोने और चांदी की अनुमानित मात्राओं और मुद्रा एवं अन्य विदेशी वस्तुओं के मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया जाता है:-

नशीले औषध द्रव्यों की मात्रा (किलोग्राम में)	सोने की मात्रा (किलोग्राम में)	चांदी की मात्रा (किलोग्राम में)	मुद्रा (भारतीय और विदेशी) का मूल्य (लाख रु. में)	अन्य वस्तुओं का मूल्य (लाख रु. में)
30751.54 +5298 लिटर एसटिक एणहाईड्राइड	2289.44	12731.354	5509.462	181.27.71

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो सीमा शुल्क के द्वारा और सीमा का उल्लंघन करके सरकार ने रुपया प्राप्त किया है वह कितने करोड़ में है और यह भी जानना चाहता हूं कि इस तरह का कितना माल पड़ा हुआ है जिसको आपने सीमा शुल्क के द्वारा वसूल करना था और अभी तक उसका निर्णय नहीं कर पाये हैं, कृपया विस्तार से बतायें।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे खेद है, शायद मैं यह अच्छी तरह नहीं समझ पाया कि वह क्या कह रहे हैं। वह यह जानना चाहते थे कि सीमा-शुल्क जोनवार कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये हैं, कितनी मात्रा में नशीली औषधियां, सोना, चांदी, नकदी जब्त की गई है। मैंने उत्तर में यह बता दिया है। मैंने यह भी बता दिया है कि तीन वर्षों में कितनी मात्रा में सोना जब्त किया गया है, कितनी मात्रा में चांदी जब्त की गई है, कितने मूल्य की मुद्रा जब्त की गई है और कितने मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई हैं। इससे अधिक वह क्या पूछना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बताया कि गिरफ्तारियां हुई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी केस डिस्पोजल की क्या पोजीशन है। कितने केसिज आपने फाइनल करवाये हैं और कितने केसिज पैंडिंग हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, गत तीन वर्षों के दौरान 3702 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मुझे लम्बित मामलों के बारे में जानकारी नहीं है। मैं यह सूचना बाद में दे दूंगा। गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या 3702 है। मैं इनका अलग-अलग ब्यौरा प्राप्त करके जानकारी दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी : मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि ब्यौरावार विवरण भेज देंगे लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में जितने मामले पकड़े गए, उनकी डिटेल्स नहीं आई कि कितने मामले कोर्ट में लम्बित हैं, कितने मामलों में चालान पेश करने शेष हैं और जिन मामलों में चालान पेश कर दिए गए हैं, एफ.आई.आर. पुलिस में पेश कर दी गई है लेकिन वे मामले अभी भी पुलिस के पास पैंडिंग हैं, उन सबका विवरण आना चाहिए क्योंकि मंत्री जी ने जो जानकारी दी है उससे कोई पता नहीं लग पाएगा कि कितने मामले किस स्टेज में हैं। यह जानकारी भी दी जाए कि कितने राजनैतिक लोग ऐसे मामलों में पकड़े गए?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मेरे पास कुछ जानकारी है। मुझे न्यायालयों में लम्बित मामलों और वे किस वर्ष से लम्बित हैं, की जानकारी नहीं है। मेरे पास अभी जो भी जानकारी है, वह मैं आपको दूंगा और शेष जानकारी बाद में दे दूंगा। 1995-96 में 1051 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 259 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, 153 व्यक्ति दोषी पाये गये, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 313 आदेश जारी किए गये और 290 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया। 1994-95 में 1095 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 760 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, 334 व्यक्तियों को दोषी पाया गया, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 398 आदेश जारी किए गये और 385 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया। 1993-94 में, 1214 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 363 व्यक्ति दोषी पाये गये, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 519 आदेश जारी किए गये और 383 व्यक्तियों को नजरबंद किया गया। वर्षवार न्यायालयों में लम्बित मामलों के बारे में उन्हें बाद में जानकारी दे दी जायेगी।

श्री वी.एम. सुधीरन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सीमा शुल्क अधिकारियों के सराहनीय कार्य के लिए उन्हें और अधिक प्रोत्साहन देने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, आज कई प्रोत्साहन दिए जा रहे है। अधिकारियों और मुखबिरों को जब्त किए गये माल के मूल्य का अथवा पकड़ी गई शुल्क चोरी का 20 प्रतिशत तक पुरस्कार राशि दी जाती है। 20 प्रतिशत की राशि पर्याप्त प्रोत्साहन है। हम सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को राष्ट्रपति के पुरस्कार भी देते हैं। सराहनीय कार्यों के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र देने की दूसरी योजना भी है। यदि माननीय सदस्य के पास किसी अन्य प्रोत्साहन के बारे में कोई सुझाव हैं तो मैं उस पर विचार करने के लिए तैयार हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, दूसरे माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। किन्तु मेरा प्रश्न यह है कि कितने विशिष्ट व्यक्तियों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

दूसरी बात, मैं सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों की भूमिका के बारे में जानना चाहता हूं। उनमें से कितने अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया है और उनसे कितना कर वसूल किया गया है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि इन मामलों में जब बैंक अधिकारी लिप्त होते हैं तो आयकर विभाग के अधिकारी उनके घर पर नहीं जाते, तलाशी नहीं लेते और राजस्व वसूल नहीं करते। किसी को भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। सीमा शुल्क के कितने अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया है अथवा उन्हें दोषसिद्ध किया गया है और उनसे आयकर की कितनी राशि वसूल की गई है? मेरा प्रश्न यह है।

श्री पी. चिदम्बरम : अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी चाहने हेतु अलग से नोटिस दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह मामला अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : ड्रग्स आदि जिन्होंने इम्पोर्ट की है और इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं चुकाई, यह प्रश्न उनको सीज करने से संबंधित है परन्तु दूसरी तरह के ऐसे काम हो रहे हैं कि कोई इम्पोर्ट करता ही नहीं, बोगस डाक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बोगस डाक्यूमेंट तैयार करके फारेन एक्सचेंज रिजर्व बैंक के थ्रू रैमिट होती है और यह कोई मामूली मामला नहीं है बल्कि 700 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। 542 करोड़ रुपए के घोटाले की फिगर तो मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक्सेप्ट की है, लेकिन मेरी जानकारी में है कि बाद में यह 700 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। कौन लोग इसमें इनवाल्व्ड हैं, इसमें क्या है? मैंने इस बारे में चार चिट्ठियां लिखी हैं। कौन लोग इसमें हैं, यह बताने के लिए ये तैयार नहीं है। जो लोग इसमें इन्वाल्व्ड हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया है, यह भी बताने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों इनके नाम आप नहीं बताना चाहते हैं? क्यों हाउस को विश्वास में नहीं लिया जाता है? यह 700 करोड़ रुपये का घोटाला है। यहां का 700 करोड़ रुपया विदेशों में चला गया। इन लुटेरों ने लूट लिया। इस सदन को जानने का अधिकार है कि यह धन कैसे और कहां गया तथा इसमें कौन लोग लिप्त हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में मंत्री जी को तीन पत्र लिखे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने इसके बारे में हाफ एन आवर डिस्कशन भी मांगा लेकिन वह भी नहीं मिला। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम आज तो मुझे न्याय दिला दीजिए और मंत्री महोदय को इसके बारे में सदन को जानकारी देने के लिए निर्देश दीजिए। यह 700 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। इसमें कौन लोग इन्वाल्व्ड हैं? बैंक के कौन अधिकारी इन्वाल्व्ड हैं और कौन-कौन से बी.आई.पी. इन्वाल्व्ड हैं, जिनको सरकार बचा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह मामला इस प्रश्न से सम्बंधित है। यह प्रश्न सीमा-शुल्क के नियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित है और आप बैंकों के बारे में बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, यह फेरा का और कस्टम का मामला है। इम्पोर्ट आफ गुड्स का सवाल है और यह इसी प्रश्न के अंतर्गत आता है। इसका इसी प्रश्न से ताल्लुक है। इसलिए मेरा यह प्रश्न रैलेवेंट है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मेरे ख्याल से यह प्रश्न इसके अंदर नहीं आता है। मंत्री जी, यदि आप जवाब देना चाहें तो, दे सकते हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, यह 700 करोड़ रुपये के घोटाले का सवाल है और यह इस सेंचुरी का सबसे बड़ा घोटाला है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें उस मामले के बारे में मुझे सूचना देनी चाहिये और मैं उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि उन्होंने आपको तीन पत्र लिखे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह उन पत्रों का पता लगाने की कोशिश करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : यदि वह मुझे यह बतायें कि वह किस मामले की बात कर रहे हैं, तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। उन्होंने मुझे दर्जनों पत्र लिखे हैं। यदि वह मुझे यह बतायें कि वह अब किस मामले का उल्लेख कर रहे हैं, तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा की जब्तियों के सम्बन्ध में हमने अब तक 1994, 1995 और 1996 में क्रमशः 1540, 1175 और 803 तलाशियां ली हैं। जब्त की गई भारतीय मुद्रा क्रमशः 974 लाख रुपये, 1021 लाख रुपये और 802 लाख रुपये है और जब्त की गई विदेशी मुद्रा का रुपयों में मूल्य क्रमशः 814 लाख रुपये, 541 लाख रुपये और 301 लाख रुपये है। गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 365, 228 और 172 है। यदि माननीय सदस्य के मन में कोई विशेष मामला है और वह प्रश्न पूछते हैं तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा।

काला धन

+

*130. **श्री मोहन रावले :**

श्री अमर पाल सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार काले धन की तलाशी और जब्ती से सम्बन्धित कानूनों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) संसद के चालू सत्र में एक विधेयक पेश किए जाने का प्रस्ताव है। संशोधनों के ब्यौरों के बारे में विधेयक पेश होने के समय जानकारी मिल जाएगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कितनी ब्लैक मनी है और अब तक इस बारे में कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और कितने लोगों को सजा दी है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : यह प्रश्न काले धन से सम्बंधित एक संशोधन के बारे में है। यह प्रश्न आप मुझसे अचानक पूछ रहे हैं कि कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। आप मुझसे अलग से प्रश्न पूछिए मैं आपको उत्तर दूंगा।

श्री मधुकर सर्पोतदार : उन्होंने इसका ब्यौरा मांगा है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं कानून के ब्यौरों के बारे में बात कर रहा हूं जिसे मैं संसद के चालू सत्र में पेश करने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री मधुकर सर्पोतदार : वह काले धन में शामिल व्यक्तियों से अधिक सम्बंधित हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले को यह उम्मीद नहीं कि थी उनका प्रश्न आज पूछ लिया जाएगा। इसलिए वह तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस देश में काला धन व्यापारियों और उद्योग-पतियों से अधिक बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए 80 परसेंट आई.ए.एस. अधिकारियों के पास हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन आई.ए.एस. अधिकारियों के काला धन व उनकी अवैध सम्पत्ति, जो बड़े-बड़े महानगरों में उनके पास है, उसे जब्त करने के लिए इस विधेयक में कोई प्रावधान है?

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, अब मंत्री जी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि प्रश्न का उत्तर आज दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, उन्हें अभी इसके अनुवाद का इंतजार करना पड़ेगा।

श्री पी. चिदम्बरम : किसी संगठन या किसी दल अथवा किसी संस्था में तो कपटी मिल जाते हैं किन्तु मैं निश्चित रूप से इससे सहमत नहीं होऊंगा कि एक श्रेणी के रूप में आई.ए.एस. अधिकारी भ्रष्ट हैं और यह कि उनके पास काला धन है, मैं समझता, हूं, यह गलत है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : मैं 80 परसेंट लोगों के बारे में कह रहा हूं। सिर्फ 20 परसेंट लोग ही ईमानदार हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : हांलाकि मैं माननीय सदस्य के विचारों का सम्मान करता हूं, मेरा निवेदन है कि मैं इससे पूर्णतः असंहमत हूं। मैंने अनेक अधिकारियों के साथ कार्य किया है। मैं समझता हूं कि उनमें से अधिकांश अत्यधिक ईमानदार हैं और वे अपनी प्रतिष्ठा और ईमानदारी कायम रखते हुए सेवानिवृत्त होते हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

लेकिन, हां कुछ मामलों में आई.ए.एस. अधिकारी अवश्य शामिल होते हैं। हम उनके बारे में समाचार पत्रों में पढते हैं। व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं, व्यक्तियों की तलाशी ली जाती है। मैं आपको जारी लिए गए वारंटों की कुल संख्या और इस संबंध में की गई कुल जब्तियां की संख्या बता सकता हूं। लेकिन मैं किसी आई.ए.एस. अधिकारी का नाम नहीं बता सकता। जैसाकि मैंने कहा यह प्रश्न उस कानून से सम्बंधित है जिसे मैं पेश करूंगा। मैं कानून की बात करना चाहता हूं। यह इस सत्र में लाया जाने वाला एक बड़ा संशोधन है।

1994-95 में 5026 वारंट जारी किए गए और 396.45 करोड़ रुपये जब्त किए गए। प्रति वारंट औसत जब्ती 7.88 लाख रुपए थी। 1994-95 में, 4830 वारंट जारी किए गए और 381 करोड रुपए जब्त किए गए। प्रति वारंट औसत जब्ती 7.89 लाख रुपए थी। 1995-96 में, 4612 वारंट जारी किए गए और 458 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। प्रति वारंट औसत जब्ती 9.93 लाख रुपए थी। अप्रैल 1996 से अक्तूबर, 1996 के दौरान 1780 वारंट जारी किए गए और 178 करोड़ रुपए जब्त किए गए। प्रति वारंट औसत जब्ती 9.95 लाख रुपए थी।

अतः, इससे स्पष्ट है कि ये वे मामले हैं जिनके बारे में हमारे पास पूरी सूचना है। वारंट जारी करने से पहले वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मामले पर पूरी तरह सोच विचार किया जाता है और तलाशी के दौरान बिना हिसाब किताब की धनराशि जब्त की जाती है। इसके साथ ही, मैं इस भ्रम को भी दूर करना चाहता हूं कि हम प्रत्येक व्यक्ति के यहां छापा मारेंगे, और 'रेड-राज' स्थापित करेंगे। इस सरकार की ऐसी नीति नहीं है। हम यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि यदि किसी व्यक्ति के पास काला धन है और वह धनराशि बिना किसी हिसाब-किताब की है तथा इसके बारे में सूचना मिलती है तो कानून की दृष्टि में कोई पदवी अथवा पद अथवा कोई दर्जा विशेष कोई महत्व नहीं रखता।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पूरे देश में काले धन की समानान्तर व्यवस्था चल रही है इसलिए अभी काले धन के संबंध में जो कानून है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : जी, नहीं। यह कानून आयकर अधिनियम के अध्याय 14 (ख) से सम्बंधित है। आय-कर अधिनियम का अध्याय 14(ख) । जुलाई, 1995 को संशोधित किया गया था।

अब मैंने इसे मामले पर मुख्य आयुक्तों और आयुक्तों के साथ चर्चा कर ली है। मैं संतुष्ट हूं कि । जुलाई, 1995 का संशोधन कर अपवंचकों के पक्ष में हुआ है।

अतः मैं इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक संशोधन पेश कर रहा हूं ताकि कर अपवंचन के लिए प्रीमियम न हो; कर अपवंचन में कोई लाभ न हो और जहां तलाशियां और जब्ती की जाती हैं और धन जब्त किया जाता है, इस संशोधन से उस व्यक्ति पर, जिससे धन जब्त किया गया है; विवरणी दाखिल करने का दायित्व होगा और कर तथा उस पर देय ब्याज के अतिरिक्त उस पर जुर्माने का भी प्रावधान होगा। यह संशोधन इस सत्र में पुरःस्थापित किया जाएगा। निःसंदेह इस संशोधन का सम्पूर्ण सभा समर्थन करेंगी।

श्री एस. बंगारप्पा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न काले धन से सम्बधित है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह देश में कई दशकों से समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहा है। हमें यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने कम से कम एक संशोधन के बारे में तो सोचा है और वित्त मंत्री का प्रस्ताव संसद के इस सत्र में विद्यमान कानूनों में संशोधन लाने का है।

महोदय, काफी समय पहले, शायद कुछ दशक पहले एक समिति बनाई गई थी और उस समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी, वह रिपोर्ट सरकार के पास अभी तक लम्बित पड़ी है। वित्त मंत्री से मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि क्या वे विद्यमान कानूनों में अपना प्रस्तावित संशोधन उस समिति की सिफारिशों के आधार पर, जिसने कुछ दशकों पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, करने जा रहे हैं अथवा वे कुछ अन्य भिन्न बातों पर विचार कर रहे हैं? मेरा पहला प्रश्न यह है।

निःसंदेह आप इस देश से काले धन को समाप्त करने के बारे में गंभीर हैं। अब, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वर्तमान कानूनों में ऐसा संशोधन करके तुम इस देश से काले धन को समाप्त कर सकोगे, जो कि एक समानातर अर्थव्यवस्था चला रहा है?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, अनुपूरक प्रश्न के प्रथम भाग का मेरा उत्तर यह है कि यह संशोधन आयकर अधिनियम के केवल अध्याय 14 ख से संबद्ध है। इस कानून को इतना व्यापक नहीं बनाया गया है कि यह काले धन के सभी पहलुओं पर गौर करे। अध्याय 14 ख तलाशी और जब्ती के मामलों से संबद्ध है, जहां तलाशी और जब्ती के दौरान बेहिसाब धन जब्त किया जाता है। इसी अध्याय को संशोधित किया जा रहा है। जब संशोधन किया जाता है, तो माननीय सदस्यों को इस पर टिप्पणी करने का अवसर दिया जाता है और इसमें मुझे कोई शक नहीं कि वे मुझे समर्थन देंगे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : विधेयक कब पुरःस्थापित किया जायेगा?

श्री पी. चिदम्बरम : इसे इस सत्र के दौरान लाया जाऐगा।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव, में, विधेयक आज पुरःस्थापित किया जा रहा है।

श्री पी. चिदम्बरम : जी, नहीं, महोदय, वह अन्य विधेयक है। वह आंध्र प्रदेश के संबंध में हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा है?

श्री पी. चिदम्बरम : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, ठीक है।

श्री पी. चिदम्बरम : प्रश्न के भाग ख के उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि मैं इस गलतफहमी में नहीं हूं कि इस संशोधन से हम काले धन को दूर कर पायेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह : यह क्यों पैदा होता है?

श्री पी. चिदम्बरम : काला धन विभिन्न कारणों से पैदा होता है। मैं नहीं समझता कि हमें इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि यह काला धन क्यों पैदा होता है। अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के दौरान इस पर चर्चा करना संभव नहीं है। मैं समझता हूं कि काला धन पैदा होने के कई कारण हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, हमें इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक में ही चर्चा की जानी चाहिए। आप आधे घंटे की चर्चा के लिए क्यों कह रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब आप संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं, अब आप इस बारे में विस्तार में नहीं जा सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जब ब्लैक मनी के सर्च और सीजर के बारे में केवल विधेयक लाना तय किया है तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह पता है कि इस समय देश में कुल मिलाकर कितनी ब्लैक मनी है? साथ ही केवल अमेंडमेंट के साथ बाकी की और जो बातें करनी पड़ेंगी, उसके संबंध में सरकार की क्या नीति है?

[अनुवाद]

क्या मैं इसे अंग्रेजी में दोहराऊं?

श्री पी. चिदम्बरम : नहीं, मैं समझ गया।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, उन्होंने आपका प्रश्न समझ लिया है।

श्री पी. चिदम्बरम : जैसा कि मैंने कहा है कि यह संशोधन केवल आयकर अधिनियम के अध्याय 14 ख तक सीमित है। मेरा इस संशोधन के क्षेत्र का विस्तार करने का विचार नहीं है। इस सत्र में इस संशोधन को पारित करना अनिवार्य है। यदि मैं इस विधेयक के क्षेत्र का विस्तार करता हूं, तो इस सत्र में इसे पारित करना संभव नहीं होगा।

श्री राम नाईक : मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : अतः यह संशोधन आयकर अधिनियम के अध्याय 14 ख तक सीमित है, मैं आपसे इसको देखने और अध्ययन करने के बाद इस संशोधन को पारित करने में आपके समर्थन का अनुरोध करूंगा।

श्री राम नाईक : हमें इसे गुण-दोषों के आधार पर पारित करना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : निःसंदेह गुण-दोषों के आधार पर काले धन के अनुमानों के बारे में मुझे काफी शंका है। एक आकलन वर्ष 1983-84 में किया गया था। कभी कभी ये आकड़े मुझे हास्यास्पद लगते हैं। काले धन का 31584 करोड़ रुपये से 36786 करोड़ रुपये के बीच का अनुमान लगाया गया था।

श्री राम नाईक : इसका अर्थ यह है कि 1984 के बाद कोई आकलन नहीं लगाया गया।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह अन्य आंकडों का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : आपको पहले सूचना देने वाले को गिरफ्तार करना चाहिए। वह आपसे बेहतर जानता है। वह आपको और अधिक जानकारी देगा। वह सारी बातें जानता है।

श्री पी. चिदम्बरम : हम सब जानते हैं कि काला धन काफी मात्रा में है। कुछ सदस्य इससे सहमत होंगे और कुछ नहीं होंगे-मुझे विश्वास है कि आप सहमत होंगे कि काले धन की अधिकता उच्च कराधान की व्यवस्था संपत्ति के लेन देन में ऊंचे स्टाम्प शुल्कों और लालच भी इसके कारण है। कई प्रकार के कारण हैं, जिनके कारण काला धन पैदा होता है। हम कालेधन के जैसे बड़े मुद्दे पर अलग से बहस कर सकते हैं और यदि कोई कानून बनाया जाता है, तो हम इसकी छानबीन कर सकते हैं। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर में, इस विधेयक के अलावा, मैं काले धन को सफेद धन में बदलने संबंधी एक विधेयक संसद के अगले सत्र में पुरःस्थापित करूंगा।

कर्नल राव राम सिंह : यह प्रश्न काले धन के बारे में है। वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि काला धन सम्पत्ति के हस्तांतरण पर पैदा होता है। उच्च कराधान और स्टाम्प शुल्कों के कारण पैदा होता है। क्या सरकार इन कारणों से जिनसे काला धन उत्पन्न होता है को दूर करने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है? दूसरे, अपने पहले के उत्तरों में एक में वित्त मंत्री ने कहा है कि कालेधन के वैधीकरण की किसी अर्थशास्त्री ने सिफारिश नहीं की है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जहां बड़ी मात्रा में काला धन उपलब्ध होता है। इसे राजनैतिक दलों के फंड में दिया जा सकता है, विशेषकर जब लोग धन यह कह कर रखते हैं कि यह एक राजनैतिक दल का धन है? इसकी अनुमति नहीं है। इन दिनों चुनावों में रुपया लगाना एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। मेरे विचार से सरकार अगर एक बार भी काले धन को किसी एक राजनैतिक दल के कोष में देने की अनुमति देती है, तो उसको काफी मात्रा में बचत हो सकती है। यदि मंत्री कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो मैं इस बात को समझ सकता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : क्या मेरे प्रतिष्ठित विद्वान मित्र संभावित दाता है या संभावित प्राप्तकर्ता?

कोयला खनन क्षेत्र में विदेशी साम्या पूंजी (इक्विटी)

***131. श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खनन क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी साम्या पूंजी की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला विभाग से भावी लाइसेंसीकरण के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का आग्रह किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कोयला खनन क्षेत्र में विदेशी साम्या पूंजी की अनुमति कब तक दे दी जायेगी?

[हिन्दी]

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) विदेशी कंपनियों की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के औद्योगिक प्रस्तावों को सामान्यतः कुछ पात्रता की शर्तों के अधीन समर्थन दिया जाता है। सभी संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कंपनियों के माध्यम से विदेशी धारक कंपनियों के सभी अनु-प्रवाह (डाउन स्ट्रीम) निवेशों को किए जाने के लिए विदेशी निवेश प्रोन्नत बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) से सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। सरकार द्वारा कोयला खनन क्षेत्र में 100 प्रतिशत की विदेशी इक्विटी की अनुमति दिए जाने हेतु कोई अलग से नीति निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में कोयले का खनन किए जाने हेतु पट्टेदारी के लिए भावी लाइसेंसों को दिए जाने संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) ग्रहीत उपभोग के लिए विद्युत का उत्पादन, लौह तथा इस्पात का उत्पादन तथा सीमेंट का उत्पादन किए जाने हेतु कोयले का खनन किए जाने के लिए निजी क्षेत्र की योजना कंपनियों में विदेशी इक्विटी की भागीदारी की अनुमति प्रदान की गई है, जोकि प्रत्येक मामले के आधार पर एफ.आई.पी.बी. के पूर्व अनुमोदन के अधीन दी जाती है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : सर्वप्रथम, मैं प्रश्न पूछने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि प्रश्न संख्या ।। की बारी आज ही आएगी। इसीलिए मैंने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी का कोई नीतिगत प्रावधान नहीं है, किन्तु एफ.आई.पी. बोर्ड इसकी मंजूरी दे सकता है। क्या यह सच है कि इस संबंध में कुछ आवेदन प्राप्त हुए थे और विदेशी निवेश प्रोन्नत बोर्ड ने अन्ततः उन्हें नामंजूर कर दिया था; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : माननीय सदस्य यह सही है, जैसे कि अभी कोल कम्पनी ने 100 एस्टेट पूंजी निवेश करने के लिए अनुमति नहीं दी है, लेकिन एफ.आई.पी.बी. से ही पास होकर के आता है, उस पर हम लोग निर्णय करते हैं। लेकिन 100 परसेंट नहीं है और इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर के भाग (घ) में यह कहा गया है :—

> "ग्रहीत उपभोग के लिए विद्युत का उत्पादन, लौह तथा इस्पात का उत्पादन तथा सीमेंट का उत्पादन किए जाने हेतु कोयले का खनन किए जाने के लिए निजी क्षेत्र की कोयला कंपनियों में विदेशी इक्विटी की भागीदारी की अनुमति प्रदान की गई है, जोकि प्रत्येक मामले के आधार पर एफ.आई.पी.बी. के पूर्व अनुमोदन के अधीन दी जाती है।"

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत ऐसे कितने मामलों को स्वीकृति दी गई है।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : निजी क्षेत्र में केवल एक ही पार्टी, निप्पोन डेनरो को एप्रूवल मिला है।

श्री हाराधन राय : इस सदन में कई बार भूतपूर्व कोयला मंत्री, वर्तमान अध्यक्ष श्री संगमा, श्री अजित पांजा, श्री जगदीश टाइटलर द्वारा बताया गया कि मौजूदा सरकारी कोयला खदानों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। क्या इस नीति में परिवर्तन किया गया है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या किसी सरकारी माइन को निजी क्षेत्र, जाइंट सेक्टर या राज्य सरकार के किसी सेक्टर में दिया गया है? जहां तक आयरन स्टील के बारे में मुझे मालूम है, सभी खदानों में एक ही टैगिंग पालिसी है। जब टैगन सिस्टम है तो उसका निजीकरण करने का क्या अर्थ है?

श्रीमती कांति सिंह : हमारे यहां अभी ऐसी कोई नीति तैयार नहीं हुई कि निजी क्षेत्र को दिया जाए। केवल केपटिव माईन और वाशरीज लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। निजीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रमेन्द्र कुमार : कोयला उद्योग पहले निजी क्षेत्र में था। बाद में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उसने इस उद्योग का दो चरणों कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल में राष्ट्रीयकरण किया। अब सरकार की नीति बनी है कि चाहे वह केपटिव माइंस के नाम पर हो, चाहे आयरन स्टील के नाम पर हो, चाहे सीमेंट के नाम पर हो, चाहे पावर के नाम पर हो, हम प्राइवेट पार्टी को कोल पैच देंगे। अभी सरकार की ओर से कहा गया है कि एक कम्पनी को दिया गया है। सरकार की जो पहले कोयला उद्योग के बारे में नीति थी, क्या उसमें परिवर्तन किया गया है? जिस प्राइवेट पार्टी को केपटिव पावर प्लांट के लिए कोयला खदान दी गई है, क्या उसने उत्पादन किया है, यदि किया है तो क्या जो पावर प्लांट है उसमें जेनरेशन शुरू हुआ है या नहीं?

श्रीमती कांति सिंह : केपटिव पावर प्लांट बिठाए गए हैं। उनमें पावर प्लांट में कुछ काम भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई नई नीति तैयार की है।

[अनुवाद]

इण्डोनेशिया से सहयोग

+

*133. **श्री अजमीरा चन्दूलाल** :
श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में चल रहे लघु उद्योगों की इण्डोनेशिया के सहयोग से तकनीक उन्नयन हेतु कोई विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लघु उद्योगों के तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जायेंगे?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) इन्डोनेशियाई लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्यमों तथा भारतीय लघु उद्योग के बीच प्रौद्योगिकी के परस्पर हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिये "अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन" के अंतर्गत सहायता के लिये आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्श संगठन द्वारा तैयार किया गया एक परियोजना प्रस्ताव विकास आयुक्त का कार्यालय, लघु उद्योग, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया था।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग वर्ष 1995-96 से "योजना" के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन की योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र में आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य अभिकरणों, उद्योग संघों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

श्री अंजनीरा चन्दूलाल : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में महिलाएं लघु उद्योग शुरू करने के लिए आगे आ रही हैं। उन्हें अपनी प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता तथा अपने उत्पाद की बिक्री हेतु उपयुक्त बाजार की आवश्यकता है। इसलिए, क्या मैं निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं?

ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में कारोबार कौशल के विकास के माध्यम से पिछड़ी महिलाओं की सहायता के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं तथा इन्हें कब लागू किया जाएगा?

बिचौलियों की सहायता लिए बिना अपने उत्पादों की बिक्री हेतु महिला उद्यमियों के लिए प्रमुख स्थानों पर समुचित बाजार-जोकि सूचना केन्द्र के रूप में भी कार्य कर सकें—उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री मुरासोली मारान : मैं माननीय सदस्य की इस चिन्ता से सहमत हूं कि लघु उद्योग विभाग को महिलाओं के विकास हेतु कार्य करना चाहिए।

महोदय, इस मंत्रालय के पास इस वर्ष गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से एक लाख महिलाओं को उद्यमों के प्रति प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम है। हाल ही में, 'सेवा' नामक एक विख्यात संगठन के माध्यम से अहमदाबाद में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम जारी रहेगा।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कम है, इसलिए मैं संक्षेप में कहूंगा। इसमें किस तरह की विसंगतियां हैं, इसका एक उदाहरण देता हूं। इस देश के अंदर रिफाइंड ऑयल के सैकड़ों यूनिट्स हैं और हाइड्रो-जेनेटेड ऑयल के भी यूनिट्स हैं। हाइड्रो-जेनेटेड ऑयल पर आपने ड्यूटी हटा दी है। रिफाइंड ऑयल से भी प्रोडक्ट सोप स्टॉक होता है।

[अनुवाद]

उत्पाद शुल्क संरचना

*134. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मौजूदा उत्पाद शुल्क संरचना में विद्यमान किन्हीं बाधाओं की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उत्पाद शुल्क संरचना को पुनर्गठित करने के लिये प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मौजूदा ढांचे में अभी भी कर की दरों की बहुलता है। इनमें मूल्यानुसार और मात्रानुसार शुल्क की दरें, विभिन्न मानदण्डों पर आधारित विविध प्रकार की छूटें मूल उत्पाद शुल्क के रूप में वसूल किए गए वस्तु करों के विविध स्वरूप, विनिर्दिष्ट उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और विभिन्न अधिनियमों के तहत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में वूसल किए गए विभिन्न प्रकार के उपकर आदि शामिल हैं।

(ग) कर ढांचे में सुधार करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। उत्पाद शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत और सरल तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए हाल ही में बहुत से उपाय किए गए हैं। इनमें दरों की संख्या में कमी करना, बहुत सी वस्तुओं के मामले में मात्रानुसार शुल्क दरों के स्थान पर मूल्यानुसार शुल्क दर लागू करना, बड़ी संख्या में अन्त्य प्रयोग आधारित छूटों को समाप्त करना, पैट्रोलियम उत्पादों, पूंजीगत माल और संशोधित टेक्सटाइल फैब्रिकों के लिए मॉडवेट योजना लागू करना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है। सुधार की इस प्रक्रिया को आगे जारी रखने के लिए सरकार वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : हाइड्रो-जेनेटेड ऑयल जब बनता है तो सेम क्वॉलिटी के रिफाइंड ऑयल पर ड्यूटी ऐग्जेम्पटेड है। हाइड्रो-जेनेटेड ऑयल के यूनिट पर सोप स्टॉक पर सेम प्रोडक्ट पर आपने हैवी ड्यूटी लगाई है। ये इस तरह की एक विसंगति नहीं है बल्कि कई विसंगतियां हैं। इस तरह के रिप्रेजेन्टेशन आपके पास आए हैं, तो क्या आप इस तरह की विसंगतियां दूर करेंगे? दूसरे, एक्साइज ड्यूटी में इतने कॉम्प्लीकेशन्स हैं कि जितने भी कलैक्टर होते हैं, सबके डिसीजन अलग होते हैं, क्रिमिनल के अलग होते हैं।

ऐसा तेल-शोधन की अवस्था में होता है। इसको सिम्पलीफाई करने के लिए क्या करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : (क) और (ख) दो प्रश्न हैं। एक ही उत्पाद पर कर की दो दरें हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : श्री बनवारी लाल मेरे अच्छे मित्र हैं।

अब, जबकि प्रश्न उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित है, तो मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूं। प्रश्न उत्पाद शुल्क के ढ़ांचे से सम्बन्धित है। **(व्यवधान)** हां, हाईड्रोजनीकृत तेल एवं परिशोधित तेल सहित हजारों उत्पाद हैं। मैं इस मामले को देखूंगा तथा बाद में आपको बताऊंगा। **(व्यवधान)**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : महोदय, मैंने एक उदाहरण दिया है। **(व्यवधान)** मैं ऐसे सैंकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। यह तो मात्र एक उदाहरण है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बनवारी जी, उत्तर सुनिए।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : आपके अनुसार यदि एक ही उत्पाद पर शुल्क की दो दरें हैं, तो यह निश्चित रूप से एक विसंगति है और इसे दूर करना होगा। लेकिन मैं इस बात की जांच करूंगा कि आप जिन उत्पादों का उल्लेख कर रहे हैं वे एक ही हैं अथवा दो अलग-अलग उत्पाद हैं तथा आपको बताऊंगा कि शुल्क एवं करों की दरें दो क्यों हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें कई कठिनाइयां हैं। सरकार उत्पाद शुल्क अधिनियम के सरलीकरण हेतु क्या कदम उठाने जा रही है। यही मुख्य प्रश्न है। यह एक अत्यंत जटिल अधिनियम है।

श्री पी. चिदम्बरम : अपने बजट भाषण में, मैंने यह कहा है कि उत्पाद-शुल्क प्रावधानों में सुधार करना हमारी कार्यसूची में प्रमुख मुद्दा है। हमने शुल्कों तथा इनकी दरों की संख्या कम कर दी हैं। हम दरों की संख्या फिर कम करेंगे। लेकिन उत्पाद शुल्क अधिनियम के उपबंधों को नहीं लिया गया है। हमने केवल आयकर अधिनियम और कम्पनी कानून को लिया है। यह कार्य पूरा हो जाने दीजिए, तत्पश्चात् मैं उत्पाद शुल्क अधिनियम की तरफ ध्यान दूंगा।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष जी, कृपया बनवारी लाल जी के प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए।

[अनुवाद]

कृषि आधारित उद्योग

***136. श्री दत्ता मेघे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में विदेशी निवेश से कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के संबंध में सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने प्रस्ताव अब तक क्रियान्वित किए गए हैं; और

(ग) अनुमोदित प्रस्तावों के क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल 461 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है जिनमें चीनी, कागज एवं लुगदी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वनस्पति तेल एवं वनस्पति और बागवानी/कृषि/पुष्पकृषि और खमीर उद्योग जैसे कृषि आधारित उद्योगों में 6536.50 करोड़ रु. के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिकल्पना की गयी है। पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1994, 1995 और 1996 (30.9.96 तक) के दौरान अनुमोदित इन प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) और (ग). विदेशी निवेश संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। परियोजना की निगरानी मुख्यतया राज्य सरकार द्वारा की जाती है क्योंकि अधिकांश परियोजनाओं का आरंभ होना भूमि, बिजली आदि सहित राज्य स्तर की विभिन्न स्वीकृतियों और फलन अवधि जो हर परियोजना के मामले में अलग-अलग होती है, पर निर्भर करता है।

अनुबंध

वर्ष 1994, 1995 और 1996 (सितंबर तक) की अवधि के दौरान कृषि आधारित उद्योगों के लिए अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामलों की राज्यवार रिपोर्ट

(रु. करोड़ में)

राज्य	1994		1995		1996	
	संख्या	निवेश	संख्या	निवेश	संख्या	निवेश
अन्य (स्थापना-स्थल का उल्लेख नहीं है)	8	366.20	15	558.94	18	3023.69
महाराष्ट्र	29	279.54	28	61.04	13	30.14
दिल्ली	5	99.53	7	52.32	1	1.40
मध्य प्रदेश	6	80.74	4	15.79	5	465.83
आंध्र प्रदेश	16	30.22	35	135.26	12	462.81
कर्नाटक	14	23.11	23	31.01	12	13.22
उत्तर प्रदेश	10	28.38	11	57.08	12	139.89
हरियाणा	15	17.82	23	39.50	8	35.42
चंडीगढ़	2	9.02	–	–	–	–
गुजरात	6	8.03	9	95.36	7	159.40
पंजाब	4	7.42	2	4.26	3	2.72
तमिलनाडु	14	9.81	25	24.28	14	34.57
पश्चिम बंगाल	3	3.02	6	8.67	4	59.22
राजस्थान	4	1.96	7	18.58	2	5.47
हिमाचल प्रदेश	3	9.40	1	1.20	–	–
दादर व नगर हवेली	1	1.07	–	–	–	–
त्रिपुरा	1	0.68	–	–	–	–
उड़ीसा	2	0.35	1	0.50	–	–
केरल	1	0.30	1	0.55	4	7.41
असम	–	–	1	0.57	–	–
बिहार	–	–	1	1.15	–	–
पांडिचेरी	–	–	–	–	1	4.65
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	1	8.01
	144	976.58	200	1106.07	117	4453.85

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के अन्दर बहुत सी परियोजनायें इसमें आती हैं, लेकिन जो फाइनेंस कमेटीज हैं, वे फाइनेंस नहीं कर रही हैं। इतना जो निवेश आया है, उसको पूरा करने की दृष्टि से खास तौर से महाराष्ट्र में चीनी मिलें हैं, कागज है और वहां स्पिनिंग मिल हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेन्स का दुरूपयोग

*122. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेन्स और मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेन्स योजनाओं का भारी मात्रा में दुरूपयोग किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का दुरूपयोग किए जाने से सरकार को आज तक कुल कितनी हानि हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इन खामियों को दूर करने के लिए क्या निवारक उपाय किए गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस (मू.आ.अ.ला.) तथा मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस (मा.आ.अ.ला.) के दुरूपयोग के मामलों का पता चला है। ये मामले, अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के तहत मॉडवेट का गलत लाभ उठाने, ऐसे माल का आयात करने जो संगत सीमा शुल्क अधिसूचनाओं के अंतर्गत नहीं आता है, निर्यात और आयात माल के मूल्य की गलत घोषणा करना, घटिया अथवा बेकार सामग्रियों का निर्यात करना तथा स्कीम की शर्तों के विपरीत आयातित माल के घरेलू बाजार के लिए अपवर्तन से संबंधित हैं। चूंकि कई मामले अभी भी जांच-पड़ताल/न्यायनिर्णयन के विभिन्न स्तरों पर हैं, इसलिए निवल हानि की मात्रा नहीं बताई जा सकती।

(ग) खामियों को दूर करने तथा इन स्कीमों के दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातकों को मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के तहत निर्यात उत्पाद की मूल्य और मात्रा दोनों के अनुसार अपने निर्यात दायित्व का निर्वहन करना होता है; उक्त सूची में कुछ मदों को रखकर संवेदी सूची में संशोधन करना जिन पर 0 से 10 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है, तथा जो निर्यात उत्पाद के भार या मात्रा के 2 प्रतिशत तक होती हैं; मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस और मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस स्कीमों के तहत आयातित इनपुट पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क लगाना, उन वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के संदर्भ में इनपुट के सी आई एफ मूल्य की गणना के लिए स्पष्ट रूप से व्यवस्था करना शामिल है। निर्यात उत्पाद के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली इनपुट के संबंध में माडवेट का लाभ लेने की सत्यापन प्रक्रिया को भी सरल और कारगर बनाया गया है।

बैंकों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

*123. **श्री जय प्रकाश** (हरदोई) : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अगस्त, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में आर.बी.आई. अर्जेंज बैंक्स टु बीफ अप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक शुरू किए गए उपायों से क्या प्रगति हुई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर ने भारतीय बैंक संघ की वार्षिक आम बैठक में उल्लेख किया था कि बैंकों की आन्तरिक प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत से उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, समवर्ती लेखा-परीक्षा की प्रणाली लागू करना, निवेश और विदेशी विनिमय परिचालनों की शत-प्रतिशत लेखा-परीक्षा, बैंकों के निदेशक मण्डलों की लेखा-परीक्षा समितियों विशेष रूप से धोखाधड़ी बहुल खातों में समाधान न की गई प्रविष्टियों की संख्या में कमी, स्टाफ की जवाबदेही आदि सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र के लिए छूट/रियायत

*126. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बुनकरों की सहकारी समितियों और अन्य संगठनों से हथकरघा बुनकरों को और अधिक छूट/रियायतें देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस समय हथकरघा बुनकरों को दी जा रही छूट/रियायतों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). जी हां। केन्द्र सरकार को केन्द्र द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और अन्य मामलों के संबंध में बुनकरों की सहकारी समितियों और अन्य संगठनों से हथकरघा बुनकरों को और अधिक छूट/रियायतें देने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। इन सभी अभ्यावेदनों पर विचार किया जाता है और अनुमोदित मार्गदर्शिका के अनुसार उन पर कार्यवाही की जाती है। अभ्यावेदन में उठाये गये मुद्दों के महत्व को देखते हुए आवश्यक संशोधन/परिवर्तन/संयोजन किया जाता है।

(ग) हथकरघा बुनकरों को दी जाने वाली अधिक छूट/रियायतों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :-

(1) जनता कपड़ा योजना के अतर्गत सहायता।

(2) मिल गेट मूल्य योजना के अंतर्गत सहायता।

(3) नाबार्ड पुनर्वित्त के अंतर्गत सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से केश क्रेडिट सुविधाएं।

(4) विपणन विकास सहायता।

(5) राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो और लघु स्तरीय हथकरघा एक्सपो में भाग लेने के लिए सहायता।

(6) हथकरघा क्षेत्र को वित्तीय रियायतें।

(7) विभिन्न बुनकर सेवा केन्द्रों के माध्यम से सहायता।

(8) विभिन्न वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत सहायता जैसे-हथकरघा विकास केन्द्र और उत्कर्ष रंगाई इकाईयां, प्रोजैक्ट पैकेज योजना, एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना, कार्यशाला-सह-आवास योजना, थ्रिफ्ट फंड योजना, समूह बीमा योजना, स्वास्थ्य पैकेज योजना, निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी इत्यादि।

पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

*127. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत देश के पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेत वहां उद्योगों की स्थापना के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना को कार्यरूप देने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों में किस-किस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाएंगे?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). भारत सरकार उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारों की क्षेत्र विशेष संबंधी नीतिगत पहल का कार्यान्वयन करने में एक सहायक एवं सक्रिय भूमिका निभाती है। इस समय; इस दिशा में देश के विशेषतया पहाड़ी, पिछड़े और अगम्य क्षेत्रों के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा परिवहन राजसहायता योजना, विकास केन्द्र योजना और एकीकृत आधारभूत संरचना विकास योजना जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। धारा 80 आई ए के अधीन कर छूट की मंजूरी के लिए तालुक/जिले को एक सूचक के रूप में लेने पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समीक्षा दल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

अमुद्रित (ब्लैंक) सिक्कों का आयात

*128. **श्री आई.डी. स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिक्कों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो सिक्कों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अमुद्रित (ब्लैंक) सिक्कों का आयात करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) 2 रुपए और 5 रुपए के करेंसी नोटों का पूरी तरह से सिक्काकरण करने से सिक्कों की मांग में वृद्धि हुई है जिससे सिक्कों की अस्थायी कमी हो गई है।

(ख) सरकार कलकत्ता, हैदराबाद और मुम्बई की भारत सरकार टकसालों में टकसालों की आधुनिकीकरण परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। नए संयंत्रों और मशीनरी के जून, 1997 तक चालू हो जाने की संभावना है। इसके बाद सिक्कों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए टकसालों की क्षमता पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगी।

(ग) सिक्कों के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से, सरकार स्वदेशी और विदेशी दोनों स्रोतों से अमुद्रित सिक्कों की अधिप्राप्ति करती है। 4000 मीटरी टन स्टेनलैस स्टील के अमुद्रित सिक्कों और 3000 मी.टन कूपरो-निकल के अमुद्रित सिक्कों की अधिप्राप्ति के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विद्युत क्षेत्र को विश्व बैंक से ऋण

*129. **श्री डी.पी. यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक ने भारत की कितनी विद्युत परियोजनाओं को हाल ही में ऋण मंजूर किया है;

(ख) उत्तर प्रदेश में कितनी विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) एशियाई विकास बैंक द्वारा इन ऋणों पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन ऋणों की अदायगी किस प्रकार की जायेगी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) एशियाई विकास बैंक ने विद्युत सम्प्रेषण (क्षेत्र) परियोजना के लिए पावर ग्रिड कारपोरेशन को वर्ष 1996-97 के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए एक ऋण स्वीकृत किया है।

(ख) इस अवस्था में उत्तर प्रदेश में एशियाई विकास बैंक की सहायता से किसी नई परियोजना को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है। एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त ऊंचाहार परियोजना इस समय एन.टी.पी.सी. द्वारा कार्यान्वयनाधीन है।

(ग) और (घ). एशियाई विकास बैंक द्वारा उनकी बाजार उधारों की निर्भरता के अनुरूप 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष. के बीच परिवर्तनीय छमाही ब्याज दरें वसूल की जाती हैं। उनकी वापसी ऊदायगियां वित्तीय वर्ष के बजटीय प्रावधानों से की जाती है।

कॉफी का उत्पादन

*132. **श्री के.एच. मुनियप्पा :**

श्री के.पी. सिंह देव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में राज्यवार कुल कितनी कॉफी का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉफी की अत्यधिक मांग है; और

(ग) यदि हां, तो कॉफी का उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉफी उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(टनों में)

राज्य	1993-94 उत्पादन	1994-95 उत्पादन	1995-96 उत्पादन
कर्नाटक	1,44,860	1,23,050	1,58,900
केरल	46,240	39,000	45,000
तमिलनाडु	15,840	15,870	17,500
अन्य	1,060	2,180	1,600
सम्पूर्ण भारत	2,08,000	1,80,100	2,23,000

(ख) जी, हां।

(ग) कॉफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए, कॉफी बोर्ड गहन खेती, पुनर्रोपण एवं गुणवत्ता सुधार के लिए अनेक योजनाएं चलाता है। इसके लिए अनुसंधान, विस्तारण, ऋण एवं वित्त की व्यवस्था तथा अन्य सहायता जैसे रोपण के लिए कॉफी बीज की आपूर्ति के रूप में सहायता दी जाती है।

कॉफी का निर्यात बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें हैं :-

(1) विदेशों में महत्वपूर्ण कॉफी मेलों में नियमित भागीदारी;

(2) भारतीय कॉफी को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार अभियान चलाना;

(3) नियमित बाजार सर्वेक्षण एवं विदेशी बाजारों में व्यापक वार्ता/शिष्टमण्डल भेजना; और

(4) भारतीय कॉफी को लोकप्रिय बनाने के लिए देश में विदेशी बाजार दलों को आमंत्रित करना।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा भारत में निवेश

*135. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1996 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.) द्वारा किये गये कुल निवेश में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1996-97 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निवेश में वृद्धि लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1995-96 के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आई एफ सी आई) द्वारा संवितरित राशि 4563.26 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 1994-95 के दौरान संवितरित 2838.73 करोड़ रुपए की राशि से 60.8 प्रतिशत अधिक थी, वर्ष 19956-96 में किए गये संवितरणों में शेयरों/डिबेंचरों में 461.38 करोड़ रुपए के निवेश शामिल हैं, जो वर्ष 1994-95 के दौरान किए गये 324.19 करोड़ रुपए के संवितरणों से 42.3 प्रतिशत अधिक थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आई एफ सी आई ने सूचित किया है कि शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित मंजूरियों एवं संवितरणों में उसका कार्य-निष्पादन मुख्यतः स्वीकार्य प्रस्तावों के प्रवाह पर निर्भर करता है, जो देश में सामान्य निवेश वातावरण तथा विशेषतः पूंजी बाजार की दशा और साथ ही अर्थव्यवस्था में अनुमानित एवं वास्तविक ब्याज दरों पर निर्भर करता है।

सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियां

*137. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990 से सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों को दी जाने वाली बजटीय सहायता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस वित्तीय संकट पर काबू पाने के लिए सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों की सहायतार्थ सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत, जिसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्व-निर्भरता की व्यवस्था की गई है, इसके अंतर्गत कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) के वर्ष 1996-97 के क्रमशः 4.66 प्रतिशत तथा 22.06 प्रतिशत की कुल पूंजीगत व्यय की तुलना में बजटीय सहायता 1990-91 के स्तर से क्रमशः 36.25 प्रतिशत तथा 77.56 प्रतिशत तक कम कर दी गई है।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बजटीय सहायता कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) के संपूर्ण घाटों को पूरा करने के लिए नहीं होती है। बजटीय सहायता में कमी किए जाने के बावजूद को.इं.लि., जिसे वर्ष 1990-91 में 253.17 करोड़ रु. की राशि का घाटा हुआ था, ने वर्ष 1995-96 में 611.44 करोड़ रु. की राशि का लाभ अर्जित किया है। किन्तु, 1995-96 में सिं.को.कं.लि. का घाटा, जोकि वर्ष 1990-91 में 165.73 करोड़ रु. की राशि के स्तर तक था, उक्त घाटे में 191 करोड रु. तक की वृद्धि हो गई है।

सरकार की ओर को.इं.लि. की बकाया देनदारी की पुनर्संरचना किए जाने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं- 891.75 करोड़ रु. की राशि तक के ब्याजों की देय राशियों का अधित्याग किया जाना, प्रतिसंदाय ऋण की देय बकाया 904.30 करोड़ रु. की राशि को अधिमान इक्विटी में परिवर्तित किया जाना तथा गैर-योजना संबंधी ऋण की 432.64 करोड़ रु. की प्रतिसंदाय की देय बकाया राशि को तीन वर्ष की अवधि के परिशोधन की और अनुमति प्रदान किया जाना।

जहां तक सिं.को.कं.लि. का संबंध है, एक त्रिपक्षीय करार पर भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. के बीच दिनांक 24.9.1994 को हस्ताक्षर किए गए। इस करार में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित के संबंध में उल्लेख किया गया है-1990-91 तथा 1991-92 की वार्षिक योजनाओं तथा आठवीं योजना अवधि के दौरान भारत सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कंपनी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, उक्त दोनों सरकारों के बीच धारण की जाने वाली इक्विटी का अनुपात, प्रबंधन संरचना की व्यवस्था करने तथा 8वीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा 28.27 मिलियन टन कोयले के उत्पादन किए जाने संबंधी वचनबद्धता की गई है।

यह करार क्रियान्वयन के अधीन है तथा 1993-94 तक की अवधि के लिए की गई वचनबद्धताओं को सम्बद्ध पक्षों द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है।

[हिन्दी]

मशीनों का आयात

***138. प्रो. रीता वर्मा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा विदेशी तकनीकों और उपकरणों का आयात करके कोयला खानों के मशीनरीकरण और आधुनिकीकरण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) भारत कोकिंग कोल लि. की जिन परियोजनाओं में आयातित तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत कोकिंग कोल लि. की उन कोयला खानों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए तकनीकी और उपकरणों का आयात किया गया है;

(घ) क्या ये सभी आयातित तकनीक भारत में सफल रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) द्वारा, आयातित विदेशी प्रौद्योगिकी और उपकरणों पर बहुपक्षीय सहायता के रूप में 57.02 मिलियन अमरीकी डालर की राशि व्यय किए जाने के अलावा, लगभग 185 करोड़ रु. की राशि व्यय की गई है।

(ख) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत कोकिंग कोल लि. (को.को.को.लि.) की उन कोलियरियों तथा परियोजनाओं के नाम, जहां कि आयातित प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों को उपयोग में लाया गया है :-

क्र.सं.	कोलियरियों के नाम	परियोजना का विवरण
1	2	3
1.	नार्थ अमलाबाद	गैस निकासी संयंत्रों की स्थापना।
2.	मूनीडीह	लांगवाल उपकरणों, रोड हेडर्स तथा पम्प पैक पद्धति का आयात।

1	2	3
3.	पुटकी बलिहारी	पुटकी बलिहारी परियोजना में डेकिंग उपकरण का आयात।
4.	ब्लाक-II ओ.का.प. (कोककर)	विश्व बैंक ऋण के अंतर्गत ब्लाक-II ओ.का.प. हेतु "हेम" (एच.ई.एम.एच.) की अधिप्राप्ति किया जाना।
5.	गोपालीचक कोलियरी	भारतीय कोयला सीमों में जलीय-खनन हेतु प्रौद्योगिकी स्थापित किए जाने के लिए संघीय जर्मन गणराज्य (एफ.आर.जी.) की सहायता से विज्ञान एवं तकनीकी परियोजना।
6.	कटरास	सब-लेवल केविंग के लिए लांगवाल उपकरण तथा प्रौद्योगिकी की आयात तथा ब्लास्टिंग गैलरी पद्धति हेतु उपकरणों एवं तकनीक का आयात किया जाना।
7.	ईस्ट कटरास	पलो का नवीनीकरण किए जाने हेतु कल-पुर्जों का आयात किया जाना।
8.	मुकुन्दा ओ.का.प.	मुकुंदा ब्लाक की आगों से निपटने के लिए एक रूसी ड्रैगलाइन का आयात किया जाना।

देश की कोयला खानों में अनेक आयातित प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाया गया है। इनमें से, पावर सपोर्ट लांगवाल, ब्लास्टिंग गैलरी, शील्ड माइनिंग जैसी प्रौद्योगिकी अधिकांशतः सफल रही हैं।

किन्तु, सब-लेवल केविंग, हाइड्रोलिक उत्खनन, मीटर ड्रेनेज, आदि जैसी प्रौद्योगिकियों का भारतीय भू-खनन परिस्थितियों में बहुत सीमित मात्रा में प्रयोग किया गया था, किन्तु ये प्रौद्योगिकी उपयुक्त नहीं पाई गई है।

[अनुवाद]

भारत विकास मंच द्वारा भारत को सहायता

***139. श्री माधवराव सिंधिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विकास मंच ने टोक्यो में हुई अपनी बैठक में भारत को सात बिलियन डालर राशि की मदद देने का वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रदान की जा रही सहायता की शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। भारत विकास मंच की देश में सहायता आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए टोक्यो में 19 और 20 सितम्बर, 1996 को बैठक हुई थी। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाता देशों की बैठक 19 सितम्बर, 1996 को हुई, जिसमें भारत के विकास साझेदारों ने वर्ष 1996-97 के लिए 7 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक राशि की सहायता देने की वचनबद्धता दी (6.7 बिलियन अमरीकी डालर सरकारी विकास सहायता के रूप में तथा 0.4 बिलियन अमरीकी डालर दीर्घावधिक वित्तपोषण के रूप में बाजार दरों पर द्विपक्षीय आधार पर देने का वायदा किया)। इसमें से 2.2 बिलियन अमरीकी डालर रियायती सहायता के रूप में होंगे।

(ग) वापसी अदायगी की अवधि तथा ब्याज दर जैसी शर्तों का पता केवल दाता देशों/संस्थाओं के साथ सहायता संबंधी बातचीत करारों के पूरा होने के बाद ही लगेगा।

टकसालों का आधुनिकीकरण

***140. श्री जी. वेंकट स्वामी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई, कलकत्ता तथा हैदराबाद स्थित भारत सरकार की टकसालों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्य, जिसे मार्च, 1992 तक पूरा किया जाना था, को अब तक पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो टकसाल-वार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सिक्कों की हमारी आवश्यकता पूरी करने में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से मुम्बई/कलकत्ता/हैदराबाद में स्थित भारत सरकार टकसालों को 1996 के मूल्य स्तर पर 118.28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आधुनिक बनाने का निर्णय किया गया। तत्पश्चात् 2 रुपए और 5 रुपए का सिक्काकरण करने का निर्णय किया गया। तदनुसार आधुनिकीकरण परियोजना की समीक्षा की गई थी। सरकार ने जून, 1994 में 301.82 करोड़ रुपए की कुल लागत और नवम्बर, 1996 तक पूरा कर लिए जाने के लिए इस परियोजना को अनुमोदित किया।

परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति समय-अनुसूची के अनुसार नहीं हुई है क्योंकि कुछ निष्पादक एजेंसियां समय पर कार्य पूरा नहीं कर पाई हैं। मुम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद टकसालों में सिविल निर्माण कार्य में सिविल निर्माणकर्ता एजेंसियों द्वारा विलम्ब किया गया। इसलिए शेष निर्माण कार्य नई एजेंसियों को सौंप दिया गया है। तथापि, मुख्य संयंत्र और मशीनरी प्राप्त की जा चुकी है और वे संस्थापित की जा चुकी हैं और उन्हें चालू करने की कार्रवाई चल रही है।

फेरिटीक स्टेनलेस स्टील स्ट्रीम से संबंधित उपस्करों को संस्थापित किया जा चुका है और वे चालू किए जाने वाले हैं तथा वे मार्च, 1997 तक प्रचालनात्मक हो जाएंगे। क्यूप्रो-निकेल स्ट्रीम से संबंधित उपस्कर भी संस्थापित किए जा चुके हैं और वे चालू किए जाने वाले हैं तथा ये भी जून 1997 तक प्रचालनात्मक हो जाएंगे।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के शेयर

1150. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अक्टूबर, 1996 के "बिजनेस स्टेंडर्ड" में "प्रोब इन टू सेल टू वी एस एन एल शेयर्स बाय यू.टी.आई. एहेड ऑफ सेल ऑफर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकाशित समाचार में क्या सच्चाई है; और

(ग) इस संबंध में जांच के निष्कर्ष क्या हैं और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार एक ह्रासमान बाजार में भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा वी.एस.एन.एल. शेयरों की बिक्री से संबंधित है, जिससे स्क्रिप की कीमत में और कमी हुई है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने यह सूचित किया है कि नवम्बर, 1995 से अक्तूबर, 1996 की अवधि के दौरान इसने वी.एस.एन.एल. के 21,45,200 शेयरों को बेचा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बाजार संबंधी प्रचालन कार्य यू.टी.आई. की योजनाओं के प्रतिदान तथा लाभांश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए थे।

(ग) सरकार ने मामले की जांच नहीं करवाई है क्योंकि वित्तीय संस्थाएं अपनी वाणिज्यिक जानकारी एवं आंतरिक मानकों पर आधारित अपने संविभाग का प्रबन्ध करती हैं।

कालीकट हवाई अड्डे से लाया गया सोना

1151. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण आयात योजना में ढील देने के बाद खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों द्वारा कालीकट हवाई अड्डे से कितना सोना लाया गया; और

(ख) कालीकट हवाई अड्डे पर गत तीन वर्षों के दौरान कितना और कितने मूल्य का प्रतिबन्धित सोना पकड़ा गया?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) स्वर्ण आयात योजना के उदारीकरण के समय से अर्थात 1992 से लेकर अब तक कालीकट हवाई अड्डे के माध्यम से खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा लाए गए सोने की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1992-93	17.143	38.02
1993-94	29.786	65.53
1994-95	59.908	131.80
1995-96	67.273	148.00
1996-97 (31.10.96 तक)	45.21	99.45

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कालीकट हवाई अड्डे पर पकड़े गए निषिद्ध सोने की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	मात्रा (कि.ग्रा. में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1993-94	51.53	229
1994-95	30	131
1995-96	67	339
1996-97 (31.10.96 तक)	53.13	268.24

रूग्ण सार्वजनिक उपक्रमों हेतु मजदूरी और वेतन

1152. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के कर्मचारियों के मजदूरी और वेतन पर 1 जनवरी, 1992 को लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों, जहां 1.1.1992 से संशोधन देय है, के उन पर्यवेक्षकों और अधिकारियों का जो कि औद्योगिक महंगाई भत्ता ले रहे हैं, वेतन भी संशोधित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के कर्मचारियों के मजदूरी और वेतन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे उद्यमों में औद्योगिक महंगाई भत्ता अपनाने वाले कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन में संशोधन की अनुमति प्रदान की जाती है, बशर्ते कि वे सरकारी मार्ग-निर्देशों में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करते हों।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशी वित्तीय संस्थाएं

1153. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पंजीकृत विदेशी वित्तीय संस्थाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उनके द्वारा भारत में कितनी राशि लाई गई है; और

(ग) भारत में इन कम्पनियों द्वारा कितनी राशि का प्रत्यक्ष निवेश किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) 20.11.96 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल संख्या 419 है।

(ख) और (ग). विदेशी संस्थागत निवेशकों के अभिरक्षकों द्वारा सेबी के पास दर्ज की गई आवधिक रिपोर्टों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में 20 नवम्बर, 1996 तक संचयी निवल निवेश 7092.6 मिलियन अमरीकी डालर के थे।

[हिन्दी]

"नाबार्ड" द्वारा राज्यों को ऋण

1154. **श्री रासा सिंह रावत :**
श्री जी.ए. चरण रेड्डी :
श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :
श्री ओ.पी. जिन्दल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्यवार और योजनावार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस वित्तीय सहायता की शर्तों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हथकरघा क्षेत्र का विकास

1155. **श्री अशोक प्रधान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हथकरघा उद्योग के संवर्धन एवं इस क्षेत्र का और अधिक विकास करने हेतु अधिक आवंटन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है अथवा की जा रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग). हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए राशि का आबंटन सामान्य रूप से राज्यवार नहीं, अपितु योजनावार किया जाता है। सरकार की वर्तमान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र सहायता ले सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर गत 4 वर्षों के दौरान राज्य सरकार को 110.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश/ऋण

1156. **श्री हाराधन राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1996 से देश में जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितना निवेश किया गया तथा ऋण दिया गया;

(ख) उपरोक्त कुल निवेश तथा ऋण में से कितना धन केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं/सरकारी एजेन्सियों को दिया गया है; और

(ग) शेष निवेश तथा ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश के उद्यमियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता

1157. **श्री जी.ए. चरण रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आन्ध्र प्रदेश के उद्यमियों से कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने आवेदन स्वीकृत और कितने अस्वीकृत किए गए; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आन्ध्र प्रदेश के उद्योगों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्रत्यक्ष वित्त योजना के अंतर्गत प्राप्त स्वीकृत और रद्द आवेदनपत्रों के विवरण नीचे दिए गए हैं :-

	1993-94	1994-95	1995-96
प्राप्त आवेदनपत्र	151	178	180
स्वीकृत आवेदनपत्र	124	150	123
रद्द किए गए आवेदनपत्र	2	2	3

(ग) वर्ष 1993-94, 1994-95, और 1995-96 के दौरान आई डी बी आई की प्रत्यक्ष वित्त योजना के अधीन आन्ध्र प्रदेश की औद्योगिक यूनिटों को आई डी बी आई द्वारा स्वीकृत और संवितरित सहायता राशि के विवरण नीचे दिए गए हैं :-

(करोड़ रुपयों में)

	स्वीकृतियां	संवितरण
1993-94	690.83	304.26
1994-95	1007.31	692.37
1995-96	1318.97	771.12

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों को सुविधाएं

1158. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात हेतु औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मुरादाबाद तथा आगरा शहरों को अबाधित विद्युत की आपूर्ति तथा अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश के आगरा तथा मुरादाबाद जिलों के उद्योगपतियों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ). उ. प्र. विद्युत बोर्ड का मुरादाबाद में विद्युत व्यवस्था को सुधारने का प्रस्ताव "निर्णायक संतुलन निवेश योजना (सी बी आई)" के तहत अनुमोदित किया गया है जिसमें केन्द्र सरकार का योगदान 8 करोड़ रु. का है। उ.प्र. सरकार की ओर से सी बी आई योजना के तहत आगरा के लिए कोई प्रस्ताव विचारार्थ प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

विद्युत-करघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण

1159. **श्री नारायण अठावले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने कार्यकारी पूंजी उपलब्ध कराने तथा विद्युत-करघा क्षेत्र में आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर 1000 करोड़ रुपये तक की राशि देने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत विशेषकर महाराष्ट्र में कितने बुनकरों को लाभ मिलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) नाबार्ड तथा सिडबी ने विद्युत करघा एककों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए पुनर्वित्तपोषण योजना तैयार की है। योजना में नए एककों की स्थापना करने का भी प्रावधान है। वित्त पोषण वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान किया जायेगा। वित्त की कोई विशिष्ट राशि प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान की गई विभिन्न पुनर्वित्त पोषण सुविधाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

राज्य सहकारी बैंकों/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों

— प्राथमिक हथकरघा/विद्युतकरघा बुनकर समितियों के उत्पादन तथा क्रियाकलाप।

— शीर्ष बुनकर सहकारी समितियों के अधिप्राप्ति तथा विपणन क्रियाकलाप।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :-

शिल्पकारों (हथकरघा तथा विद्युतकरघा बुनकरों सहित) के उत्पादन तथा विपणन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अल्पावधि (क्रियाशल पूंजी सीमाएं।

वाणिज्यिक बैंकों : —

कुछ निश्चित क्षेत्रों में प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड अल्पावधि (कार्यशील पूंजी) सीमाएं निर्धारित करता है।

(II) निवेश ऋण :

विद्युतकरघों के अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण के लिए बैंकों का पुनर्वित्त पोषण बुनकर समितियों तथा प्राथमिक हथकरघा/विद्युतकरघा बुनकर समितियों के निजी बुनकर सदस्यों द्वारा विद्युतकरधों के अधिग्रहण के वित्तपोषण के राज्य सहकारी बैंकों का पुनर्वित्त पोषण।

- विद्यमान विद्युतकरघा एककों के आधुनिकीकरण/नवीकरण/विस्तार/विविधीकरण के वित्तपोषण के लिए को बैंकों पुनर्वित' पोषण।
- मैनमैड टैक्स्टाइल रिसर्च एसोसिएशन (मंतरा) द्वारा तैयार योजना के अन्तर्गत विद्युतकरघों के आधुनिकीकरण के लिए लिए बैंकों को पुनर्वित्त पोषण।

- शीर्ष बुनकर समितियों द्वारा शोरूम/बिक्री केन्द्रों के स्थापना/नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्तपोषण।

विद्युतकरघा एककों के पुनर्वित्त पोषण के लिए सिडबी की विशेष योजना :

लघु क्षेत्र में आने वाले ऐसे नए निचले स्तर के विद्युतकरघा एककों को सभी पात्र संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, जिसमें हथकरघा बनुकरों के लिए आरक्षित मदों का उत्पादन शामिल नहीं है, वे सिडबी से पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र हैं जोकि इस शर्त पर है कि प्रस्ताव सिडबी की पुनर्वित्त पोषण योजना के सामान्य मानदण्डों तथा प्राचलों के अनुरूप हों। सहायता विद्यमान विद्युतकरघा एककों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाओं के लिए भी उपलब्ध होगी।

सिडबी ने नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (एनटीसी) के ऐसे कामगारों जोकि स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को ग्रहण करते हैं, की पात्र संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सहायता के संबंध में एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत एनटीसी के ऐसे कामगारों जो कामगारों के एक समूह के द्वारा सहकारी समितियों के रूप में रीलिंग एककों की स्थापना के लिए 2 अथवा 4 नए करघों की स्थापना के लिए प्राथमिक ऋण संस्थाओं नामतः राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों/राज्य औद्योगिक निवेश निगमों तथा बैंकों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। इस पैकेज द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, एनटीसी से इसके कामगारों द्वारा पुराने विद्युतकरघों के भी सिडबी से विनिर्वित्त अधिग्रहण पोषण सहायता के लिए पात्र बनाया गया है।

विद्युतकरघा क्षेत्र में एककों को प्राथमिक ऋण संस्थाओं के माध्यम से सिडबी की योजना के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त करनी होगी। प्राथमिक ऋण संस्थानोय को विद्युतकरघा एककों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने तथा सिडबी से उनके अवधि ऋणों के प्रति उनको उपलब्ध पुनर्वित्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए सलाह दी गई है।

कांडला में शुष्क पत्तन की स्थापना

1160. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब तथा अन्य उत्तरी राज्यों से कृषि तथा बागवानी उत्पाद के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कांडला (गुजरात) में शुष्क पत्तन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कांडला पत्तन से इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). शुष्क पत्तनों (अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो/ कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (आई सी डी/सी एफ एस) की स्थापना के लिए प्रस्तावों को एक ही खिड़की से स्वीकृति प्रदान करने हेतु वाणिज्य मंत्रालय में एक अन्तर मंत्रालयी समिति (आई एम सी) कार्यरत है। इस समिति के केन्द्रीय भण्डारण निगम के काण्डला में एक सी एफ एस स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी। काण्डला में यह सी एफ एस मार्च, 1996 से प्रचालन में हैं। इस पूरे क्षेत्र का इस्तेमाल उन कृषिजन्य एवं उद्योनोत्पाद निर्यात वस्तुओं तथा विभिन्न अन्य वस्तुओं की भराई के लिए किया जा सकता है जो दिल्ली तथा राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा के दूरवर्ती प्रदेशों से आते हैं।

रूस को काजू का निर्यात

1161. श्री पी.सी. थामस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस भारत से काजू का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रूस को कुल कितनी मात्रा में काजू का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार को केरल राज्य काजू विकास निगम से रूस को काजू निर्यात करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रूस को और अधिक काजू निर्यात करने की कोई संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष रूस को निर्यात की गई काजू गिरी की कुल मात्रा नीचे दी गयी है :-

वर्ष	मात्रा (टन)	कीमत (लाख रु. में)
1993-94	5533	9231.73
1994-95	5516	9183.49
1995-96	13860	26205.35

(स्रोत : डीजीसीआईएण्डएस, कलकत्ता)

(ग).से (घ). केरल सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 1996-97 के दौरान भारत से आयात की जाने वाली काजू गिरी के लिए रूसी आदेशों का एक हिस्सा आपसी रूस से सहमत शर्तों के आधार पर केरल राज्य काजू विकास निगम को दिया जाए।

(ङ) से (छ). काजू गिरी का निर्यात रूस समेत सभी देशों को परिवर्तनीय मुद्राओं में मुक्त रूप से किया जा सकता है। तथापि, कुछ शिकायतों के उपरान्त अब एस्क्रो एकाउण्ट/रुपया ऋण पुनर्भुगतान तंत्र के अंतर्गत रूस को होने वाले काजू गिरी के निर्यात के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। इस मुद्दे को रूसी सरकार के साथ विचारार्थ उठाया जायेगा।

इंग्लैण्ड और यूरोपीय बाजारों को निर्यात में कमी

1162. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैण्ड और यूरोपीय बाजारों को भारतीय माल के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विदेशी बाजारों में भारतीय माल के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विशेष निर्यात संवर्धन प्रयासों के लिए पन्द्रह उत्पादों को अभिज्ञात किया गया है ताकि विदेशी बाजारों को भारतीय सामानों का निर्यात बढ़ाया जा सके। इस दिशा में जो अन्य कुछ सहायक उपाय किए गए हैं, उनमें शामिल हैं-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, व्यापार शिष्टमण्डलों का अधिक आदान-प्रदान, वाणिज्यिक संगठनों को आवश्यक सूचना मुहैया करना और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, भण्डारण सुविधाओं की स्थापना, संयुक्त उद्यमों आदि का संवर्धन करना।

बंगलादेश को निर्यात हेतु नये मार्ग खोलना

1163. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को भारतीय वस्तुओं का बंगलादेश को निर्यात करने हेतु हल्दिबारी होते हुए नए मार्ग खोले जाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध मे क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भारतीय वस्तुओं का बंगलादेश को निर्यात किए जाने हेतु प्रस्तावित नए मार्ग को कब तक खोले जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). हल्दिबारी रेलवे स्टेशन स्थित भू-सीमा-शुल्क स्टेशन क्रियाशील नहीं है क्योंकि भारत की ओर से लगभग 1/2 कि. मी. और बांग्लादेश की ओर से लगभग 5 कि.मी. तक रेलवे मार्ग न होने के कारण हल्दीबारी-चिलहाटी मार्ग पर कोई रेल-यातायात नहीं है। समाप्त कर दिए गए इस रेल लिंक को फिर से बहाल करने के प्रस्ताव के लाभों पर सरकार विचार कर रही है। रोड़ से हल्दीबारी चिलहाटी मार्ग के जरिए सड़क के रास्ते बांग्लादेश के साथ व्यापार की अनुमति देने के प्रस्ताव के लाभों की भी सरकार जांच कर रही है। तथापि, रेल तथा सड़क मार्गों को खोलने के सम्बन्ध में इस समय कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

बैंकों में चेयरमैन-प्रबंध निदेशकों के रिक्त पद

1164. **श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल** :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश बैंकों में चेयरमैन-प्रबंध निदेशक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बैंक-वार यह पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) इन बैंकों में चेयरमैन-प्रबंध निदेशकों को नियुक्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह पद कब तक भरे जाने हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). दो राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद रिक्त हैं जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	बैंक का नाम	तारीख, जब से रिक्त हैं
1.	केनकार बैंक	1.9.1996
2.	यूको बैंक	23.10.1996

इन रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक उपाय शुरू किए गए हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए बीमा

1165. **श्री दिनशा पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब लोगों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प आदि के कारण उनके मकान जल जाने अथवा बह जाने पर उसके पुनर्निर्माण के लिए बीमा सुरक्षा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का गरीब लोगों के लाभार्थ इस प्रकार की योजना बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). "झोंपड़ी बीमा योजना" ग्रामीण क्षेत्रों में उन गरीब परिवारों को, तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए है, जिनकी सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 4800/-रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है और जब उनकी झोंपड़ियां और सामान आग से नष्ट हो जाते हैं। साधारण बीमा उद्योग द्वारा पूरे देश में सभी योग्य व्यक्तियों को शामिल करने के लिए एक मास्टर पालिसी जारी की गई है जिसके लिए सम्पूर्ण प्रीमियम केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में बाढ़, चक्रवात, भूकंप इत्यादि जैसे जोखिमों को कवर करने का विचार नहीं है क्योंकि इनके लिए राज्यों में पहले ही एक अलग "आपदा राहत निधि योजना" विद्यमान है। इसलिए, "झोंपड़ी बीमा योजना" के अन्तर्गत इन जोखिमों को कवर करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

[हिन्दी]

हरियाणा में बैंकों का कार्यनिष्पादन

1166. **श्री ओ.पी. जिन्दल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंकों के जमाखाता ऋण वितरण आदि के संबंध में उनके कार्यनिष्पादन की स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक बैंक द्वारा कृषि तथा उद्योग क्षेत्रों तथा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने ऋण दिये गये हैं तथा क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अमरीकी व्यापार प्रतिनिधियों का दौरा

1167. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी व्यापार प्रतिनिधियों ने हाल ही में अपने दिल्ली दौरे के दौरान दूरसंचार, हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर वस्तुओं पर टैरिफ शुल्क कम करने अथवा समाप्त करने के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). जी, हां। *संयुक्त राज्य अमरीका ने सन् 2000 तक सूचना तकनीकी से संबंधित वस्तुओं पर प्रशुल्क घटाने/समाप्त करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत एक करार का सुझाव दिया है। सरकार प्रस्ताव की जांच कर रही है।*

बाल विवाह

1168. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में केन्द्र सरकार को यह सिफारिश की है कि अल्पायु विवाहों के लिए दोषी व्यक्तियों को सजा देने हेतु निर्धारित जुर्माने में भारी वृद्धि की जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) ऐसी कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूरोपीय संघ द्वारा भारतीय पुष्पकृषि उत्पादों पर शुल्क लगाना

1169. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने भारतीय पुष्पकृषि उत्पादों पर 15 से 20 प्रतिशत का शुल्क लगाया है जबकि अन्य अधिकांश विकासशील देशों ने इस शुल्क में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बात को यूरोपीय संघ के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). यूरोपीय (ई.यू.) द्वारा किसी देश विशेष पर अलग से कोई शुल्क व्यवस्था लागू नहीं की गई है क्योंकि इन शुल्कों को "परम मित्र राष्ट्र" (एम.एफ.एन.) आधार पर लगाना होता है। फिर भी, एम.एफ.एन. शुल्कों से हटकर ई.यू. द्वारा विभिन्न विकासशील देशों को अधिमानों की सामान्यीकृत व्यवस्था (जी.एस.पी) के अन्तर्गत रियायती व्यवहार प्रदान किया जाता है। भारत भी उनमें से एक है जिन्हें पुष्पोत्पादन पर जी.एस.पी. का लाभ मिलता है जोकि

संवेदनशील/अति संवेदनशील मदों की सूची में आता है और जिस पर यूरोपीय संघ को होने वाले पुष्योत्पादन के निर्यातों पर लागू एम.एफ. एन. दर का 70 प्रतिशत/85 प्रतिशत तक शुल्क लगता है। यूरोपीय संघ की जी.एस.पी. योजना के अन्तर्गत सबसे कम विकसित देशों (एल.डी.सी.) और विशेष समस्याओं का सामना कर रहे कुछ अन्य देशों से होने वाले निर्यातों को भारत की तुलना में ज्यादा रियायत मिलती है।

(ग) और (घ). भारत ने यूरोपीय संघ से बेहतर जी.एस.पी. व्यवहार का अनुरोध किया है।

दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

1170. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्गठित योजना आयोग ने राज्यों के साथ एकत्रित केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के संबंध में दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). वित्त आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के संबंध में किसी प्रकार का सुझाव देना आयोग के लिए अपेक्षित नहीं है।

राज्यों के साथ केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के संबंध में दसवें वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा जांच की जा रही है तथा इस सिफारिश के लिए राज्यों के साथ विचार-विमर्श करना भी आवश्यक होता है।

भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

1171. श्री हरिन पाठक : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का गठन कब किया गया था तथा इसके सदस्यों और निदेश पद का ब्यौरा क्या है;

(ख) अकादमी के गठन के समय से ही इसके द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के अध्ययन हेतु किसी अध्ययन दल का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दल द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) भारतीय न्यायिक अकादमी को रजिस्ट्रार, सोसाइटी, दिल्ली के पास 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सं. 21 के अधीन 17 अगस्त, 1993 को रजिस्ट्रीकृत किया गया था और अकादमी उसी तारीख से अस्तित्व में है। अकादमी के शासकीय परिषद् में निम्नलिखित सदस्य हैं :-

(1) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति	- अध्यक्ष
(2) उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश	- सदस्य
(3) सचिव (न्याय)	- सदस्य
(4) सचिव, विधि कार्य विभाग	- सदस्य
(5) सचिव, व्यय विभाग	- सदस्य
(6) महारजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय	- सदस्य/संयोजक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से, अन्य बातों के साथ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देना; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय प्रबंध और न्याय प्रशासन का अध्ययन करना और उक्त पद्धति में सुधार के लिए सुझाव देना तथा देश और विदेश दोनों के भीतर अन्य संस्थाओं के साथ न्यायालय प्रबंध के अध्ययन को प्रोत्साहन देने में सहयोग करना अपेक्षित है।

(ख) अकादमी दिल्ली से कार्य कर रही है और ऐसे कार्यक्रमों को चला रही है, जिन्हें इसकी स्वयं की अवसंरचनात्मक सुविधा की आवश्यकता के बिना दिल्ली से किया जा सकता है। रजिस्ट्री के कार्मिकों के लिए 'न्याय प्रशासन' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलिफोर्निया संस्थान और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के विशेषज्ञों के साथ अक्तूबर, 1990 में आन्ध्र प्रदेश न्यायिक अकादमी, हैदराबाद में संचालित किया है। राज्य न्यायिक अधिकारियों के लिए 'लिंग और विधि' पर एक अनुस्थापन पाठ्यक्रम मार्च, 1996 में भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली में संचालित किया गया था। जनवरी, 1997 में भारत अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में 'लिंग समता पर क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य' पर एक संवाद की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) से (ङ). सभी स्तरों पर लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के उद्देश्य से न्याय प्रबंध में सुधार करने के लिए अकादमी ने अपने महानिदेशक की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गठित किया है। अध्ययन दल, आधुनिक न्यायालय प्रबंध तकनीकों को आरंभ करने और उनका उपयोग करने पर विशिष्ट रूप से बल देते हुए, न्यायालयों के सुधरे हुए कार्यकरण के संबंध में प्रस्तावों का पैकेज तैयार करेगा।

अनुकल्पी विवाद समाधान पद्धति से संबंधित न्यायालय के संबंध में रिपोर्ट, को कार्यान्वयन के लिए शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

राजनीति का अपराधीकरण

1172. **श्री गंगाचरण राजपूत :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजनीति का अपराधीकरण रोकने हेतु चुनाव संबंधी आचार संहिता में कोई परिवर्तन लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा राजनीति का अपराधीकरण रोकने हेतु क्या उपाय किये गए हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख). भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, राजनैतिक दलों के परामर्श से राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता, बनाई गई थी। सरकार इसके बनाए जाने में एक पक्षकार नहीं है, इसलिए उससे, इसे संशोधित किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(क) किसी व्यक्ति को, धारा में वर्णित कतिपय अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने पर निरर्हित करती है। यह धारा यह भी उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और वह उसे छोड़े जाने से छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा।

विनिवेश

1173. **डा. एम.जगन्नाथ :**

श्री एम. रामचन्द्र रेड्डी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विनिवेश के संबंध में अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की भूमिका के संबंध में सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). विनिवेश के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण और देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की भूमिका का ब्यौरा साक्षा न्यूनतम कार्यक्रम में दिया गया है। सरकारी क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बना रहेगा।

विद्युत संयंत्रों को धुले हुए कोयले की आपूर्ति

1174. **श्री संदीपान थोरात :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने देश के ताप विद्युत संयंत्रों को कम राख वाले धुले हुए कोयले की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत संयंत्रों के लिए धुले हुए कोयले को तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीके से कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) से (ङ). कोल इण्डिया लिमिटेड (को.इं.लि.) अकोककर कोयले के परिष्करण हेतु बीना (नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) तथा पीपरवार (सेंट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटेड) में 2 वाशरियों की स्थापना कर रही है। को.इं.लि. द्वारा विद्युत संयंत्रों को धुले कोयले की आपूर्ति किए जाने हेतु "स्व-निर्मित-स्व-चालित" योजना के अंतर्गत वाशरियों की स्थापना के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है ताकि तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु कोयला परिष्करण के तकनीकी-आर्थिक मुद्दों की समीक्षा की जा सके। कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इस समिति के सदस्य हैं। समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय कोयला परिष्करण के तकनीकी-आर्थिक पहलुओं तथा विशेष रूप से भारतीय कोयले के संदर्भ में राख में अधिकतम कमी किए जाने संबंधी समीक्षा किया जाना है।

सहकारी बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

1175. **श्री नामदेव दिवाथे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कार्यरत सहकारी बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उनके कार्यनिष्पादन तथा उपलब्धियों का वार्षिक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सहकारी बैंकों के कुशल कार्यकरण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा महाराष्ट्र में कार्यरत इस प्रकार के बैंकों के विशेष संदर्भ में इस हेतु कितनी राशि आवंटित की गई;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन बैंकों द्वारा राज्यवार कितना ऋण दिया गया और इससे कितने कृषकों को लाभ हुआ तथा बकाया ऋण राशि की स्थिति क्या है तथा इनमें से चूककर्ता लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत कितना है; और

(च) अशोध्य ऋण तथा बकाया ऋण राशि की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के संबंध में सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों की उपलब्धि की खंड स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला परामर्शदात्री समिति और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भी सहकारी बैंकों के कार्यनिष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा करते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सहकारी बैंकों का आवधिक अंतरालों पर सांविधिक निरीक्षण भी करता है।

(ख) से (ङ). सहकारी बैंकों और संबंधित राज्य सरकारों ने नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के एक भाग के रूप में, सहकारी बैंकों को अपने परिचालनों के संबंध में एक केन्द्रीभूत दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के लिए विकास कार्य योजनाएं तैयार करनी होती हैं। समझौता ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, सामान्यीकृत ऋण/ब्याज की माफी अथवा ब्याज सब्सिडी की घोषणाओं पर प्रतिबंध लगाने, राज्य सरकारों द्वारा दबावपूर्ण वूसली प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध को हटाने तथा वूसली के प्रयत्नों में राज्य सरकारों से सहायता की मांग की गई है।

जमा राशियों एवं ऋणों की बकाया राशियों के संबंध में नाबार्ड द्वारा तैयार किए गये राज्य सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन के ब्यौरे विवरण में दिए गये हैं।

नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या और चूककर्ता लघु एवं सीमान्त किसानों का प्रतिशत उनके पास उपलब्ध नहीं है।

(च) कृषि अग्रिमों की वसूली बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ राज्यों ने कृषि संबंधी देयों की वूसली हेतु तलवार समिति द्वारा विकसित माडल के आधार पर कानून लागू किए हैं। समझौता-ज्ञापन के एक भाग के रूप में राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे सामान्यीकृत ऋण/ब्याज माफी की घोषणा करने से बचें। आशा है इससे सहकारी बैंकों के खातों में और अधिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य से वसूली वातावरण में और सुधार होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1996-97 से राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में आय का पता लगाने, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान करने के लिए विवेकपूर्ण लेखा मानदंड शुरू किए हैं।

विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बकाया राशि			जमाराशियां		
	1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2113	2207	2500	2318	2746	3354
आंध्र प्रदेश	93838	95685	113521	42250	45505	39363
अरुणाचल प्रदेश	923	1134	1433	3054	5098	5832
असम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	15478	18024	19365
बिहार	43133	46823	36374	28450	23838	28392
चंडीगढ़	112	1006	2214	2256	6232	11849
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	2414	1407	2219	7843	10118	11454
गोवा	7004	9836	11697	9842	13786	16505
गुजरात	64219	54806	58506	70478	113115	15532
हरियाणा	56521	65351	76209	26271	29598	33853
हिमाचल प्रदेश	11130	12832	12638	25800	31133	38633
जम्मू और कश्मीर	1706	1656	1724	2627	2691	3184
कर्नाटक	43744	38094	45201	41924	42868	44862

1	2	3	4	5	6	7
केरल	34328	41133	49661	35668	50252	50159
मध्य प्रदेश	80864	86943	89826	50758	56119	62356
महाराष्ट्र	283873	226807	311894	277290	378439	360852
मणिपुर	2090	2063	2007	936	678	787
मेघालय	2303	3058	3026	7163	8222	10168
मिजोरम	1797	1844	2038	2383	2836	3249
नागालैंड	1488	1644	1685	3401	3370	3729
उड़ीसा	16544	19990	26243	8310	9950	12315
पांडिचेरी	2952	3503	4628	3011	4602	4935
पंजाब	47723	57363	81156	40267	59193	51401
राजस्थान	39159	42536	43597	18548	20975	23740
तमिलनाडु	84887	91453	137113	55050	66121	76409
त्रिपुरा	2852	2989	3290	2505	3001	3633
उत्तर प्रदेश	144295	135033	145861	94930	120803	127779
पश्चिम बंगाल	30485	31505	35629	28133	44361	48196
अखिल भारत	1102677	1077911	1308967	906846	1169734	1181526

[हिन्दी]

पेपर मिलों की स्थापना

1176. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बरौनी में सरकारी क्षेत्र में कोई पेपर मिल लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, इस पर कितनी लागत लाएगी तथा इससे रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे;

(ग) क्या इस पेपर मिल के निर्माण की कोई समय और सारणी बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पेपर मिल की स्थापना के लिए इस स्थान का चयन किए जाने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की गुणवत्ता में गिरावट

1177. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घटिया कोयले की आपूर्ति के संबंध में शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी की जिम्मेदारी निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). अप्रैल, 1996 से अक्तूबर, 1996 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें कोयले की गुणवत्ता संबंधी 46 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो कि उच्च अवधि के दौरान आपूर्तित किए गए प्रति मिलियन टन कोयले की शिकायतों की लगभग 0.34 संख्या को प्रदर्शित करता है।

(ग) और (घ). उद्योगों द्वारा अपेक्षित कोयले की प्रकृति तथा किस्म की निर्भरता को देखते हुए, कोयले के गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों

पर विशेष ध्यान देते हुए संयोजनों की स्थापना की जाती है। चूंकि कोयला एक विषय (हैट्रोजीनियस) पदार्थ है तथा भूमि के क्रेस्ट से इसका उत्खनन किया जाता है, अतः इसकी गुणवत्ता में गिरावट की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किंतु, शिकायतों की जांच प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर की जाती है तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर किए जाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन एवं स्वरोजगार योजना

1178. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार सभी ऋण आधारित गरीबी उन्मूलन एवं स्वरोजगार योजनाओं को समन्वित करने तथा उन्हें संगत बनाने हेतु अध्ययन दल गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त दल के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके निदेश पद क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). ऋण से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ अगस्त, 1996 में हुई बैठक में यह स्वीकार किया गया था कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित ऋण से जुडी गरीबी उन्मूलन और स्वरोजगार योजनाओं की बड़ी संख्या को देखते हुए, इन योजनाओं को सुबोध पद्धतियों वाली सरल श्रेणियों में युक्तियुक्त बनाए जाने की आवश्यकता थी। इस बैठक में इस तथ्य पर भी विचार किया गया कि ये योजनाएं अपनी निजी विशेषताओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति निर्दिष्ट थीं। अतः यह सिफारिश की गई थी कि भारतीय रिजर्व बैंक योजनाओं के अध्ययन और उसके एकीकरण और युक्तियुक्तकरण के बारे में विस्तृत सिफारिशें करने के लिए एक समूह का गठन करेगा। तदनुसार, कुछ राज्य सरकारों, कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों और केन्द्र सरकार के कुछेक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को लेकर एक समूह गठित किया गया था। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को और अधिक शक्ति प्रदान करना

1179. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को पूंजी बाजार की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और अधिक शक्ति देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). पूंजी बाजार का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 1995 में सेबी की शक्तियों को पर्याप्त मजबूत बना दिया है। अब सेबी के पास कई प्रकार के उल्लंघनों के लिए मौद्रिक दण्ड लगाने, पूंजी निर्गम तथा प्रतिभूतियों के अन्तरण से संबंधित मामलों में कम्पनियां को निर्देश जारी करने, पूंजी बाजार को अधिशासित करने वाले विनिमय बनाने तथा अतिरिक्त बाजार मध्यवर्तियों यथा निक्षेपागारों, विदेशी संस्थागत निवेशकों, साख निर्धारण अभिकरणों, उपक्रम पूंजी निधियों तथा सामूहिक निवेश योजनाओं की कार्य प्रणाली को विनियमित करने की शक्तियां हैं। सरकार ऐसे मुद्दों पर निरंतर ध्यान रखती है।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण

1180. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण देने संबंधी मामले में बैंकों को कुछ अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1995-96 के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र को कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं; और

(घ) 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान वाणिज्य क्षेत्रों से वसूल की गई बैंक ऋण की राशि तथा अशोध्य ऋण की राशि कितनी है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). 1996-97 के उत्तरार्द्ध की मुद्रा-नीति के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने आरक्षित नकदी निधि अनुपात को वर्तमान 12 प्रतिशत से क्रमबद्ध रूप से आगे घटाकर 10.0 प्रतिशत करने की घोषणा की है। आरक्षित नकदी निधि के प्रतिशत में प्रत्येक दशमलव की कमी होने से बैंकों के ऋण योग्य संसाधनों में लगभग 4275 करोड़ रु. की वृद्धि हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि वे अपने पी एल आर की घोषणा करने के साथ-साथ, बैंक उपभोक्ता ऋणों से भिन्न अपने अन्य सभी अग्रिमों के लिए अधिकतम पी एल आर प्रसार की भी घोषणा करें। आर बी आई द्वारा घोषित किए गए उपायों की दृष्टि से प्रत्युत्तर में बैंकों ने अपनी मूल उधार दरों में उपयुक्त कमी की है।

(ग) मार्च 1996 के अन्त में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का खाद्येतर ऋण 2,44,224 करोड़ रुपए था जो कि गत वर्ष की तुलना में 44,938 करोड़ रुपए (22.5 प्रतिशत) अधिक था।

(घ) आर बी आई से उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1994-95 और 1995-96 के दौरान अनिष्पादित आस्तियों की वूसली की राशि

क्रमश 3271.90 करोड़ रुपए और 3258.76 करोड़ रुपए थी। 1994-95 और 1995-96 के दौरान इन बैंकों की अनिष्पादित आस्तियां क्रमश 25124.50 करोड़ रुपए और 26464.04 करोड़ रुपए थीं।

[अनुवाद]

बैंक प्रमुखों द्वारा स्वीकृत ऋणों की संवीक्षा

1181. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 सितम्बर, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "आर.बी.आई. वाट्स स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी ऑफ सेंक्शन्स बाई बैंक चीफ्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) ऋण स्वीकृत करने के अधिकार का उल्लंघन/दुरूपयोग के कितने मामलों का पता चला है और हाल ही में विगत में इस संबंध में बैंकवार क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। बैंकों के अध्यक्षों एवं प्रबंध निदेशकों द्वारा स्वीकृत बड़े अग्रिमों की छमाही समीक्षा इसलिए की जाती है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि बैंकों के शीर्ष प्रबंधन, उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्दर कार्य कर रहे हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

म्यांमार तथ बांग्लादेश के साथ व्यापार

1182. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ अलग-अलग कितनी मात्रा में औसत व्यापार किया गया;

(ख) क्या उक्त व्यापार के संबंध में स्वीकृत वस्तुओं की कोई सूची है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) भारत और म्यांमार के बीच मोरेह-तमू मार्ग के जरिए 12.4.95 से 15.6.96 तक की अवधि के दौरान कुल सीमावर्ती व्यापार 25.78 करोड़ रु. का हुआ। इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच कोई औपचारिक सीमावर्ती व्यापार नहीं होता है।

(ख) और (ग). 21.1.94 के भारत-म्यांमार सीमा व्यापार करार में 22 वस्तुओं को विनिमय के लिए अभिज्ञात किया गया है जिसमें भारत-म्यांमार सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों द्वारा किया जाने वाला वस्तु-विनिमय व्यापार भी शामिल है। इन वस्तुओं में शामिल हैं -सरसों/रेप सीड, दालें, और फलियां, ताजी सब्जियां, फल, लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाले (नट मैग, मेस, केशिया और लौंग को छोड़कर), बांस, टीक, सुपारी और पत्तों को छोड़कर प्रमुख वन-उत्पाद, स्थानीय उपभोग के लिए खाद्य मदें, तम्बाकू, टमाटर, रीड ब्रूम, सीसेम, रेंजिन, धनिया बीज, सोयाबीन, भूना सूरजमुखी बीज, कत्था और अदरक। अन्य मदों का सीमावर्ती व्यापार लागू एग्जिम नीति के अनुसार किया जाता है।

(घ) उत्तर-पूर्वी राज्यों और पड़ौसी देशों के बीच सीमावर्ती व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उनमें शामिल हैं-व्यापार मार्गों के साथ-साथ ढ़ांचागत सुविधाओं में सुधार, प्रवेश द्वारों पर बैंकिंग, अप्रवासन, सीमा शुल्क एवं सुरक्षा प्रबंध की सुविधाएं प्रदान करना और व्यापार संबंधी मानदण्डों को व्यवस्थित करना।

पंजाब नैशनल बैंक के कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान न किया जाना

1183. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब नेशनल बैंक के बहुत से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अब तक पेंशन मंजूर नहीं हुई है और उन्हें इसका भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि 1 जुलाई, 1993 से वेतन-संशोधन हो जाने के परिणामस्वरूप ऐसे उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों के रूप में देय बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो 30 सितम्बर, 1996 को पंजाब नैशनल बैंक के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या कितनी थी जिन्हें अपनी पेंशन तथा वेतन की बकाया राशि का भुगतान किया जाना था; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). पंजाब नैशनल बैंक ने सूचित किया है कि उसे अब तक 2989 सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पेंशन के लिए विकल्प प्राप्त हुआ है। इनमें से 1400 मामले पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं और संवितरण कर दिया गया है, जबकि 1046 मामले परिकलन और मंजूरी की प्रक्रिया में हैं। शेष 543 मामले विसंगतियों और कतिपय स्पष्टीकरणों को दूर करने के लिए लंबित हैं।

जहां तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन के संशोधन से हुए वेतन और भत्तों की बकाया राशि के भुगतान का संबंध है, बैंक ने सूचित किया है कि उसने अपने सभी कार्यालयों/शाखाओं को पहले ही कह दिया है कि वे स्वीकार्य वेतन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान करें।

बैंक ने आगे बताया है कि हालांकि, उसे वेतन और भत्तों की बकाया राशि के भुगतान न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तथापि, वह एक बार पुनः सभी कार्यालयों/शाखाओं से कह रहा है कि वे शेष सेवानिवृत्त कर्मचारियों, यदि कोई हो; के वेतन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान कर दें।

खिलौनों का निर्यात

1184. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से खिलौनों के निर्यात की काफी संभावना है लेकिन कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर का अधिक होना तथा अन्य कर इसके मार्ग में बाधक हैं; और

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार का क्या उपाए किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) खिलौनों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : बाजार विकास सहायता का विस्तार, नीति तथा क्रियाविधियों का सरलीकरण और व्यापार शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान और आवश्यक सूचना का प्रसार करने जैसे उपायों का संवर्धन।

[हिन्दी]

गुजरात में लघु उद्योग एककों को बैंक ऋण

1185. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर गुजरात के पिछड़े/ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में लघु उद्योग एककों द्वारा ऋण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अलग-अलग कुल कितने आवेदनों को स्वीकृत और अस्वीकृत किया गया है;

(ग) राज्यवार प्रति आवेदन औसतन कितनी ऋण राशि मंजूर की गई है;

(घ) क्या बैंकों ने आवेदकों/लघु उद्योग एककों को रूग्ण होने से बचाने हेतु उन्हें समय पर ऋण राशि जारी कर दी है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऋण जारी करने में अनियमितता बरते जाने संबंधी कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और उक्त अवधि के दौरान उन पर क्या क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से ऐसी सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(घ) और (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने नायक समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में बैंकों द्वारा की गई प्रगति का पता लगाने के लिए फरवरी/मार्च 1996 के दौरान एक नमूना अध्ययन कराया था। अध्ययन में कवर की गई बैंक शाखाओं से संबंधित रिपोर्टों की संवीक्षा से यह देखा गया है कि 10.28 प्रतिशत ऋण आवेदनों के संबंध में, आवेदनों के निपटान में देरी हुई थी। अन्य बातों के साथ-साथ, देरी के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं :— आवेदकों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना/ देरी से प्रस्तुत करना, अदेयता प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करने में देरी, उधारकर्ताओं के कार्यकलाप में परिवर्तन, बिजली/पानी कनेक्शनों को प्राप्त करने मे देरी और आवेदकों से प्रत्युत्तर की कमी।

(च) लघु उद्योग उधारकर्ताओं से सरकार को प्राप्त हुई शिकायतें सामान्यतः वित्तीय सहायता की अपर्याप्तता और बैंकों से ऋण प्राप्त करने में देरी से संबंधित होती हैं। ऐसी शिकायतों को उपचारात्मक उपायों के लिए संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

[अनुवाद]

राजकोषीय घाटा

1186. **श्री आर. देवदास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की डाक/दूरसंचार हड़ताल के प्रभाव से सरकार को एक हजार करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे में और कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) राजकोषीय घाटे को न्यूनतम करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). इस अवस्था में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है। यह स्थिति 1996-97 के राजस्व एवं व्यय के संशोधित अनुमानों से स्पष्ट हो जाएगी जिन्हें यथा समय अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) सरकार राजस्व को अधिकतम करके तथा व्यय को नियंत्रित कर राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने का प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

औद्योगिक/कृषि क्षेत्रों से ऋण की वसूली

1187. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों से बैंक ऋण की वसूली के संबंध में 31 अक्तूबर, 1996 तक राज्यवार विशेषकर बिहार के बारे में तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) गत वर्ष के दौरान कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में राज्यवार विशेषकर बिहार को इस प्रकार के ऋण दिए जाने के बारे में गत प्रत्येक वर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि क्षेत्र को और ऋण दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हथकरघा उद्योग का विकास

1188. **श्री ललित उरांव** :
श्री एल.पी. जायसवाल :
श्री सोहन वीर :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) देश के जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) हथकरघा उद्योग एक विकेन्द्रीकृत उद्योग है। इसलिए हथकरघा उद्योग में कपड़े के उत्पादन के संबंध में राज्यवार आंकड़े रखना कठिन है। गत 3 वर्षों के दौरान देश में हथकरघा कपड़े के उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	कुल उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)
1993-94	5051
1994-95	6020
1995-96	7020

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान हथकरघा उद्योग के संवर्धन के लिए दी गई वित्तीय सहायता (राज्यवार) का विवरण संलग्न है।

(ग) हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं देश के समस्त बुनकरों के लिए हैं जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों के बुनकर भी शामिल हैं। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार वित्तीय सहायता जारी की जाती है।

विवरण

जारी राशि
(लाख रुपयों में)

क्र.सं. राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1. आंध्र प्रदेश	3,063.13	2,853.66	2,110.81
2. अरुणाचल प्रदेश	-	87.00	4.50
3. असम	1,247.08	1,658.24	1,433.85
4. बिहार	577.37	681.25	659.48
5. दिल्ली	19.23	8.25	65.53
6. गुजरात	461.87	301.76	99.05
7. हरियाणा	69.39	56.27	98.84
8. हिमाचल प्रदेश	118.48	165.69	151.07
9. जम्मू और कश्मीर	123.85	96.98	212.19
10. कर्नाटक	1,616.85	1,625.83	1,243.05
11. केरल	639.83	1,453.37	938.12
12. मध्य प्रदेश	755.00	570.32	696.31
13. मेघालय	0.20	13.05	4.56
14. महाराष्ट्र	1,177.88	1,348.22	917.68
15. मणिपुर	273.82	829.25	240.80
16. मिजोरम	10.00	18.94	30.03
17. नागालैंड	-	56.00	71.32
18. उड़ीसा	1,629.59	1,695.54	1,534.53
19. पांडिचेरी	64.42	34.62	27.33
20. पंजाब	91.70	7.13	38.74
21. राजस्थान	500.56	246.51	527.34
22. सिक्किम	-	3.04	-
23. तमिलनाडु	4,020.75	4,723.93	5,020.60
24. त्रिपुरा	165.89	291.64	243.35
25. उत्तर प्रदेश	3,921.64	1,968.78	1,515.34
26. पश्चिम बंगाल	2240.79	2,759.18	2,002.11

[अनुवाद]

बैंक ऋणों की वसूली

1189. **डा. मुरली मनोहर जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1994 तक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों का अलग-अलग कितना ऋण बकाया था, जिसकी वसूली मुश्किल हो गई है;

(ख) मार्च, 1996 तक प्रत्येक वसूली न्यायाधिकरणों को कितने मामले सौंपे गए तथा इनमें कितनी धनराशि सम्मिलित थी;

(ग) मार्च, 1996 तक प्रत्येक न्यायाधिकरणों द्वारा कितनी राशि के मामले निबटाए गए; और

(घ) न्यायाधिकरणों की स्थापना के बाद बैंकों द्वारा कुल कितनी धनराशि की ऋण वसूली की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) 1993-94 के दौरान (वित्तीय वर्ष के आधार पर) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की अनुपयोज्य आस्तियों/अशोध्य ऋणों की राशियां क्रमशः 41041.33 करोड़ रुपए और 835.29 करोड़ रुपए थीं।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना

1190. **जस्टिस गुमान मल लोढा** :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु पहले स्थगित कर दी गई अपनी योजनाओं को फिर से आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना को पुनः आरम्भ किये जाने से पूर्व सम्बद्ध अड़चनों को दूर करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के प्रथम चरण में कितने विकास केन्द्रों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) कब तक इन्हें स्थापित कर दिया जाएगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

घसलीटांड दुर्घटना

1191. **प्रो. रीता वर्मा** :

श्री हाराधन राय :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में 30 जून, 1996 तक कोयला खानों में सुरक्षा उपायों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) उसमें से घसलीटांड दुर्घटना में बचाव कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) अब तक कितनी लाशें निकाली गई तथा कितने कोयला खान मजदूरों की लाशें निकाला जाना शेष है;

(घ) खान से शेष लाशों को निकालने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) मृतकों के आश्रितों को दिए मुआवजा का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मृतकों के अधिकांश आश्रितों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मृतकों के आश्रितों को मुआवजा बीमा दावे के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कमद उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) सुरक्षा, कोयला खनन के क्रियाकलापों के मामले में एक अन्तर्निहित पहलू है। अतः कुछ सुरक्षा उपकरणों पर किए गए राजस्व व्यय को उत्पादन पर होने वाले व्यय से बिल्कुल पृथक नहीं किया जा सकता है। किंतु वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96, तथा 1996-97 (30 जून, 1996 तक) की अवधि के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.), द्वारा प्रमुख सुरक्षा संबंधी मदों पर व्यय की गई पूंजीगत तथा राजस्व रूप में दोनों पर व्यय की गई राशि नीचे दी गई है :—

(आंकड़े लाख रुपए में)

वर्ष	पूंजी	राजस्व
1993-94	21.47	282,82
1994-95	25.87	323,52
1995-96	52.57	357,47
1996-97 (जून, 1996 तक)	15.63	126,47

(ख) दिनांक 20.10.1996 की स्थिति के अनुसार गैसलीटांड खान दुर्घटना से संबंधित बचाव कार्यों पर 11.53 करोड़ रु. की राशि व्यय की गई है।

(ग) और (घ). गैसलीटांड खान से पानी निकाले जाने का कार्य खान के पिटों में "सबरसिबल पम्पों" को नियोजित करके किया गया। जब जल स्तर 25 मीटर आर.एल. के स्तर तक नीचे आ गया, तो पुराने संबंधित उत्खनन क्षेत्र में आग लगने का संकेत मिला और जल-स्तर को 36 मीटर आर.एल. के स्तर तक बढ़ने की अनुमति दी गई। बचाव दल द्वारा गैसलीटांड के पिट संख्या 6 में 5 शवों के अवशेषों का पता लगाया गया। जल-स्तर को नीचा न किए जाने के कारण 59 और शवों को नहीं निकाला जा सका। बचाव तथा राहत समिति के निर्णयों के अनुसार, खान बचाव नियम, 1985 के अंतर्गत जल-स्तर को 36 मीटर आर.एल. से नीचा किया जाना सुरक्षित नहीं माना जाता है।

(ङ) पीड़ितों के आश्रितों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(रुपए में)

	राहत उपाय	प्रत्येक पीड़ित के आश्रितों को अदा की गई राशि
1.	अन्त्येष्टि पर व्यय	1,000/-
2.	राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-IV (एन.सी. डब्ल्यू.ए. IV) के अनुसार अनुग्रह राशि	10,000/-
3.	जीवन रक्षा (एन.सी.डब्ल्यू.ए. IV)	15,000/-
4.	जीवन बीमा लाभ	2,000/-
5.	अनुकम्पा निधि से वित्तीय सहायता	5,000/-
6.	कोयला राज्य मंत्री द्वारा घोषित अनुग्रह राशि	75,000/-
7.	राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा घोषित अनुग्रह राशि	50,000/-
8.	यूनियन तथा प्रबंधन की केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति द्वारा घोषित अनुग्रह राशि	51,000/-
9.	मुआवजा	कामगार मुआवजा अधिनिमय के अनुसार
10.	उपदान	उपदान अधिनियम के अनुसार
11.	आश्रितों को रोजगार	एक रोजगार
12.	मृतकों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना	आर.के. मिशन आवासीय विद्यालय, मधुपुर द्वारा प्रत्येक प्रभावित परिवार के 10 वर्ष से कम आयु के एक बच्चे को दाखिला देने की पेशकश की गई है।
13.	प्रभावित परिवारों हेतु आवासीय मकानों का निर्माण-कार्य	घर इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाएंगे।

(च) और (छ). कुल 64 मामलों में से 62 मामलों में दिनांक 7.11.1996 तक मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं। शेष 2 मामलों में प्राप्तकर्ता शहर से बाहर हैं। उनके लौटने पर मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

जालसाजी में शामिल बैंक अधिकारी

1192. **श्रीमती सुभावती देवी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत एक वर्ष के दौरान बैंकों में धोखाधड़ी एवं अन्य मामलों में लिप्त निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के जिन अधिकारियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई, उनका ब्यौरा क्या है और घाटे की राशि की वूसली के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए तरीके के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, वर्ष 1995 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के धोखाधड़ियों में अंतर्ग्रस्त दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के ब्यौरे के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से यथा-उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

धोखाधड़ियों में अंतर्ग्रस्त राशियां बैंकों को हुई वास्तविक हानियों की अनिवार्य रूप से द्योतक नहीं हैं क्योंकि बैंक विश्वासघात, चोरी,

लूटपात आदि के खिलाफ व्यापक बीमा पालिसियों के द्वारा अपनी सुरक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त, उनके पास उनके द्वारा दिए गए अग्रिमों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रतिभूतियां भी होती हैं। वे अभियुक्तों के खिलाफ सिविल एवं आपराधिक मामले भी दायर करते हैं और उचित राहत प्राप्त करते हैं। अतः उपलब्ध प्रतिभूतियों की उगाही कर लिए जाने तथा बीमा कवच के अंतर्गत बैंकों के दावों का निपटारा हो जाने के बाद ही हानि की अंतिम स्थिति का पता चलता है।

विवरण

वर्ष 1995 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के धोखाधड़ियों में अंतर्ग्रस्त दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बैंक-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

बैंक का नाम	दोषसिद्ध	बड़ा/छोटा दण्ड प्राप्त	(3) में से बर्खास्त/ सेवामुक्त/ हटाए गए	उन कर्मचारियों की संख्या, जिनके खिलाफ अदालत में मुकदमा लंबित है	उन कर्मचारियों की संख्या, जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाहियां लंबित हैं
1	2	3	4	5	6
भारतीय स्टेट बैंक	16	199	49	131	464
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	01	33	–	12	34
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	–	18	04	07	29
स्टेट बैंक आफ इंदौर	–	01	–	22	29
स्टेट बैंक आफ मैसूर	01	10	04	19	61
स्टेट बैंक आफ पटियाला	–	06	04	09	19
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	–	09	–	25	07
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	–	16	04	–	14
इलाहाबाद बैंक	–	35	03	09	81
आंध्रा बैंक	05	27	08	29	75
बैंक आफ बड़ौदा	–	23	03	37	99
बैंक आफ इंडिया	–	37	21	16	63
बैंक आफ महाराष्ट्र	–	30	12	12	67
केनरा बैंक	–	96	30	07	124
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	–	58	23	17	117
कारपोरेशन बैंक	03	17	06	24	4
देना बैंक	–	27	05	53	35
इंडियन बैंक	–	71	04	30	163
इंडियन ओवरसीज बैंक	02	82	13	08	56
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	–	04	02	10	22
पंजाब नेशनल बैंक	01	169	29	100	425
पंजाब एंड सिंध बैंक	03	26	05	49	84
सिंडिकेट बैंक	01	50	36	42	97

1	2	3	4	5	6
यूनियन बैंक आफ इंडिया	-	28	10	-	34
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	-	32	10	33	92
यूको बैंक	-	39	12	23	116
विजया बैंक	-	17	04	53	50
जोड़	33	1160	301	777	2461

(आंकड़े अनन्तिम)

निजी वित्तीय संस्थानों का नियमन

1193. **श्री के. परसुरामन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में निजी वित्तीय संस्थानों का नियमन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का तमिलनाडु में गैर-निगमित कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की जमाराशियां स्वीकार करने की गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ख के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक को इन निर्देशों के गंभीर उल्लंघन का पता चलता है, तब संबंधित कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और यदि उसका उत्तर संतोषजनक नहीं होता है, तो प्रतिबंधक आदेश जारी करने/अभियोजन की कार्यवाहियां शुरू करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग). देश में अनिगमित निकायों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सांविधिक उपबंधों में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

आवास वित्त कंपनियां

1194. **डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत आवास वित्त कंपनियों की संख्या कितनी है और आवास निर्माण हेतु प्रत्येक कम्पनी द्वारा अधिकतम कितनी राशि के ऋण स्वीकृत किए जाते हैं;

(ख) इन कंपनियों द्वारा किए दर से ब्याज लिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को ब्याज दर घटाने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की फालतू जमीन की बिक्री

1195. **श्री राम नाईक :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों की फालतू जमीन को बेचने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो मुम्बई के राष्ट्रीय कपड़ा निगम की प्रत्येक मिल के पास कितनी-कितनी फालतू जमीन है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) सरकार ने एन टी सी मिलों के लिए एक सर्वांगीण सुधार योजना का अनुमोदन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 2005.72 करोड़ रु. के परिव्यय से 79 मिलों का आधुनिकीकरण करना शामिल है। यह राशि मुंबई में स्थित मिलों सहित मिलों की बेशी भूमि तथा परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि से जुटाई जाएगी। योजना बी आई एफ आर के समक्ष उसके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई है। बी आई एफ आर का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही भूमि को बेचा जा सकता है।

(ख) मुंबई में स्थित एन टी सी की प्रत्येक मिल में उपलब्ध कुल बेशी भूमि को दर्शाने वाला विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

(एकड़ में)

1.	इंडिया यूनाइटेड नं. I	8.71
2.	इंडिया यूनाइटेड नं. 2,3, और 4	9.72
3.	इंडिया यूनाइटेड नं. 5	1.41
4.	इंडिया यूनाइटेड नं. 6	3.92
5.	अपोलो	9.51
6.	दिग्विजय	1.31

7.	भारत	2.37
8.	जुपीटर	10.91
9.	मुंबई	6.90
10.	न्यू हिंद	8.33
11.	कोहिनूर (मिल नं. 1,2, तथा 3)	19.40
12.	टाटा	10.62
13.	जाम मैनुफैक्चरिंग	8.05
14.	ऐलीफिशटन	8.49
15.	मधुसूदन	18.05
16.	सीताराम	14.48

[हिन्दी]

फल और सब्जियों का निर्यात

1196. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फल और सब्जियों के निर्यात को सुचारू बनाने हेतु किसी निगम की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) फलों और सब्जियों के निर्यात सुचारू बनाने के लिए किसी कारपोरेशन की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड के सोने की चोरी

1197. **डा. बलिराम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड की तिजोरियों से एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये मूल्य का तीस किलोग्राम सोना गायब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). एम.एम.टी.सी. द्वारा 1993-94 से 1995-96 तक निर्यात के लिए रिलीज किए गए 36487 कि.ग्रा. सोने में से एम.एम. टी.सी. द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके द्वारा चलायी जा रही स्वर्ण ऋण योजनाओं के अंतर्गत स्वर्ण आभूषणों का निर्यात करने के कुछेक निर्यातकों से, उन पर बकाया 6.88 करोड़ मूल्य का 172 कि.ग्रा. सोना प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सरकार ने स्वर्ण आभूषणों के चूककर्त्ता निर्यातकों के विरुद्ध समेकित कार्रवाई करने के लिए आयुक्त (सीमाशुल्क), दिल्ली की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालयीय समूह का गठन किया है। एम. एम.टी.सी. ने विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीमाशुल्क विभाग, प्रवर्त्तन निदेशालय, राजस्व आसूचना तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सहयोग से चूक संबंधी सभी मामलों में कार्रवाई शुरू की है। एम.एम. टी.सी. के अधिकारियों द्वारा बरती गयी अनियमितता, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

चावल का निर्यात

1198. **श्री तारीक अनवर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों से सस्ते चावल की उपलब्धता के कारण काल ही में भारतीय चावल का निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चावल का निर्यात बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चावल का निर्यात बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें ये शामिल हैं :- न्यूनतम निर्यात कीमत और मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को हटाना, भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय पूल से 5 लाख मी. टन फाइन और सुपर फाइन चावल का निर्यात करने/निर्यात हेतु बिक्री करने की अनुमति देना, रियायती ऋण का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन विकास बेहतर पैकेजिंग के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान करना, गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत बनाना, ब्राण्ड संवर्धन अभियान के जरिए अभिज्ञात उत्पादों का निर्यात बढ़ाना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड

1199. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड में गत बीस वर्षों से कार्यरत अनियमित मजदूरों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस कम्पनी में गत पांच अथवा अधिक वर्षों से नियमित रूप से कार्यरत मजदूरों की संख्या सहित उसमें कार्यरत अनियमित मजदूरों की वर्तमान संख्या कितनी है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने बताया है कि उनके उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार विगत लगातार बीस वर्षों से कारपोरेशन में किसी नैमित्तिक मजदूर को नियुक्त करने का कोई मामला नहीं है।

(ग) शून्य।

सिंथेटिक थैलों का उत्पादन करने वाले उद्योग

1200. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंथेटिक थैलों का उत्पादन करने वाले उद्योग बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सिंथेटिक थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस उद्योग में लगे व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जा सके?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना

1201. **कुमारी सुशीला तिरिया :**
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वेच्छिक सेवा निवृति योजना को और आकर्षित बनाने तथा अनुग्रह राशि में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किस तिथि से उक्त वृद्धि को लागू कर दिये जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना सहित अनेक योजनाओं पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है ताकि आवश्यकतानुसार सुधार किए जा सकें।

[हिन्दी]

नेशनल इन्सटिट्यूट आफ फैशन टेक्नालाजी

1202. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री पी.सी. थामस :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार अब तक किन-किन स्थानों पर नेशनल इन्सटिट्यूट आफ फैशन टेक्नालाजी की शाखाएं खोली गई हैं; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य-वार किन-कन स्थानों पर इस प्रकार की शाखाएं खोले जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) अभी तक देश में निफ्ट की 5 शाखाएं खोली गई हैं जो कि निम्नलिखित स्थानों पर हैं :-

स्थान	राज्य
कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
गांधी नगर	गुजरात
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
मद्रास	तमिलनाडु
मुम्बई	महाराष्ट्र

(ख) इस समय चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निफ्ट की कोई भी नई शाखा खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

भारतीय सीमेंट निगम

1203. **श्रीमती कविला अरविन्द नेताम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में भारतीय सीमेंट निगम के कितने एकक स्थापित किये गए हैं;

(ख) कितने एकक बंद बड़े हैं और वे कब से बंद हैं;

(ग) इन एककों के बंद हो जाने के कारण कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं; और

(घ) इन बंद एककों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) तीन।

(ख) से (घ). मध्य प्रदेश में कोई भी इकाई बन्द नहीं की गई है। तथापि, प्रचालनों के व्यवहार्य न होने के कारण मांढर इकाई में उत्पादन दिनांक 6.6.1996 से रोक दिया गया है। तथापि, 577 कामगारों को नियमानुसार मजदूरी व वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का निर्यात

1204. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के संबंध में कोई निर्यात नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को 1996-97 के दौरान भारतीय गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों का निर्यात करने हेतु पड़ौसी देशों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उक्त खाद्यान्नों के निर्यात के संबंध में देश-वार तथा मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). खाद्यान्नों के निर्यात के संबंध में मौजूदा निर्यात और आयात नीति के उपबंध निम्नानुसार हैं :-

(1) बासमती चावल :- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ संविदाओं के रजिस्ट्रेशन के अधीन निर्यात की अनुमति;

(2) गैर-बासमती चावल (फाईन और सुपर किस्में)-मात्रात्मक तथा कीमत प्रतिबंधों के बगैर निर्यात की अनुमति; और

(3) गेहूं तथा गेहूं के उत्पाद, जौ का दाना तथा आटा, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार (खरीफ फसल के रूप में उगाई गई संकर ज्वार को छोड़कर) डी.जी.एफ.टी. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम निर्यात कीमत और मात्रा की अधिकतम सीमा तथा एपीडा द्वारा जारी पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाण-पत्रों (आर.सी.ए.सी.) के अधीन निर्यात की अनुमति है।

चालू वर्ष के दौरान निर्यात के लिए 10 लाख मी.टन गैर-डुरूम गेहूं तथा 5 लाख मी. टन डुरूम गेंहूं की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा 1995-96 में की गई अग्रनयन वचनबद्धता पर सार्वजनिक स्टाक से 5 लाख मी. टन फाइन तथा सुपर फाईन किस्म के चावल तथा 5 लाख मी. टन गैर-डुरूम गेहूं निर्यात करने/बेचने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को प्राधिकृत किया गया है। तथापि, गेहूं के मामले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात की जाने वाली/बेची जाने वाली गेहूं की मात्रा गेहूं के निर्यात की अधिकतम सीमा के भीतर होगी। मोटे अनाज की 1 लाख मी. टन की अधिकतम सीमा निर्यात के लिए रिलीज की गई है। 1.1.1996 से 31.3.1997 तक के दौरान निर्यात के लिए गेहूं के उत्पादों की 1.50 लाख मी. टन की अधिकतम सीमा रिलीज की गई है।

(ग) और (घ). नेपाल सरकार ने रियायती दरों पर 45,000 मी. टन गेहूं की आपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया है।

(ङ) मौजूदा वर्ष के दौरान गेहूं के निर्यात के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा पूरी हो गई है। अतः नेपाल सरकार के अनुरोध को मानना संभव नहीं है।

बोनस

1205. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे, डाक और तार तथा अन्य विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस की उच्चतम सीमा को हटाए जाने के कारण राजकोष पर कितना अतिरिक्त भार आएगा;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ बजट में कोई प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) रेल, डाक व तार आदि के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लगभग 219 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। सरकारी उद्यमों को बोनस की अदायगी समय-समय पर यथा-संशोधित बोनस अदायगी अधिनियम के तहत् निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

(ख) बजट के बाद का मुद्दा होने के नाते चालू बजट में इसके प्रावधान का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने अनुदानों में मौजूदा स्वीकृत प्रावधानों में से ये भुगतान किए जा चुके हैं। यदि इनके कारण अनुदान बढ़ते हैं तो पूरक अनुदानों द्वारा आवश्यक प्रावधानों की अनुमति दी जाएगी। तथापि रेल व दूरसंचार इन अतिरिक्त देनदारियों को अपने निजी स्रोतों से पूरा करेंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य संगठनों द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार का प्रयोग

1206. **श्री आई.डी. स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड, सौराष्ट्र बालपेन कम्पनी, फिलिप्स रेडियो और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुचित व्यापार व्यवहार की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों में क्या प्रगति हुई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण 1992 या इसके पूर्व निर्मित फ्लैटों को बेचने के लिए अपने आवासीय विभाग को आबंटन हेतु दे रहा है किन्तु ये फ्लैट बढ़े हुए मूल्य के कारण आबंटित नहीं हो सके; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने कोलगेट-पामोलिव इण्डिया लि., हिन्दुस्तान लीवर लि., सौराष्ट्र बालपेन कं., फिलिप्स इण्डिया लि. और दिल्ली विकास प्राधिकारण के विरुद्ध अनुचित/अवरोधक व्यापार प्रथा जांचें संस्थित की हैं। ये एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष विचारार्थ विभिन्न चरणों में है। इन जांचों का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ). दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा निर्मित फ्लैट भावी पंजीकृत व्यक्तियों को उनके हर प्रकार से पूरा हो जाने के शीघ्र बाद ही आबंटित किए जाते हैं। फ्लैट पूरा किए जाने और उनके आबंटन के बीच आए समय के अन्तराल को यथा सम्भव न्यूनतम रखा जाता है। तथापि कतिपय मामलों में कुछ आबंटिती मांगी गई रकम समय से अदा नहीं कर पाते जबकि कुछ अन्य लोग अपनी निजी समस्याओं या अन्य कारणों से अपने फ्लैटों को छोड़ देते हैं जिससे ऐसे फ्लैटों का आबंटन रद्द हो जाता है। छोड़े गए और रद्द किए गए फ्लैट तब दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को उस समय के विद्यमान मूल्यों पर आबंटित किए जाते हैं। भारत के उच्चतम न्यायलय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम पुष्पेन्दर कुमार जैन के मामले में सिविल अपील संख्या 6205/94 में दिल्ली विकारस प्राधिकरण की मूल्य नीति की सुनवाई पहले ही कर रखी है तथा एक निर्णय लिया है जिसके अनुसार आबंटन की सूचना दिए जाने की तारीख को विद्यमान दरें ही लागू होंगी। मामले को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण को भी भेजा गया था लेकिन उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई।

विवरण

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा संस्थित अनुचित एवं अवरोधक व्यापार प्रथा जांचों के ब्यौरे और उनकी वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रतिवादी का नाम	जांच संख्या	वर्तमान स्थिति/आयोग के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख
1	2	3	4
1.	मै. कोलगेट पामोलीव (इंडिया) लि.	यू टी पी ई	29.4.1997
2.	-वही-	आर टी पी ई	30.1.1997
3.	-वहीं-	आरटीपीई सं. 295/95	28.11.1996
4.	मै. हिन्दुस्तान लीवर लि.	यूटीपीई सं. 38/92	18.12.1996
5.	-वही-	यूटीपीई सं. 225/96	महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।)
6.	-वही-	आरटीपीई सं. 76/92	28.11.1996
7.	-वही-	आरटीपीई सं 22/94	30.1.1997
8.	-वही-	आरटीपीई सं. 89/94	3.12.1996 और 4.12.1996
9.	-वहीं-	आरटीपीई सं. 98/94	3.12.1996 और 4.12.1996 पूर्ण पीट के समक्ष पोस्ट किया गया।
10.	फिलिप्स इंडिया लि.	यूटीपीई सं. 80/96	प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट आयोग के विचाराधीन है।
11.	मैं. सौराष्ट्र बाल पैन प्रा. लि.	आरटीपीई सं. 156/86	अभियोजन पर 16.12.96 को विचार किया जाएगा।
12.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	यूटीपी 12/93	मामला 22.12.1996 को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

1	2	3	4
13.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	आरटीपी 121/94	मामला 27.2.1997 को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
14.	-वही-	आरटीपी 133/94	मामला 20.12.96 को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
15.	-वही-	सीए 242/94	मामला 3.2.1997 को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
16.	-वही-	यूटीपी 73/95	-वही-
17.	-वही-	यूटीपी 74/96	-वही-
18.	-वही-	यूटीपी 115/96	मामला 22.4.1997 को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
19.	-वही-	आरटीपी 5/95	मामला 13.12.1996 को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
20.	-वही-	आरटीपी 229/95	मामला 20.1.1997 को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यूटीपीइं से अभिप्राय है अनुचित व्यापार प्रथा जांच
आरटीपीइं से अभिप्राय है अवरोधक व्यापार प्रथा जांच
सीए से अभिप्राय है क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र
पीआईआर से अभिप्राय है प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लाइसेंसों को रद्द करना

1207. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कंपनियों को लाइसेंस देने से परंपरागत मछुआरों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ऐसे लाइसेंस दिए गए हैं और तत्संबंधी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशी कंपनियों को जारी किए गए लाइसेंसों को रद्द करने की नीति पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने परंपरागत मछुआरों के हितो की रक्षा के लिए क्या कार्रवाई की है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). समुद्री मछली का उत्पादन वर्ष 1992-93 में 25.76 लाख मी.टन था जो 1995-96 में बढ़कर 27.07 लाख मी.टन हो गया है। इनमें से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले क्षेत्र का योगदान सिर्फ करीब 30.000 मी. टन है और बाकी उत्पादन परम्परागत तथा छोटे स्तर के मशीनीकृत क्षेत्र से हुआ है जिससे यह संकेत मिलता है कि परंपरागत क्षेत्र से मछली के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ग) और (घ). गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में समीक्षा समिति के सुझावों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि चार्टर योजना और संयुक्त उद्यम तथा लीजिंग के लिए 1991 की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नई नीति के अन्तर्गत दिए गए वैध परमिटों/अनुमति को निरस्त करने के लिए भारत की समुद्री सीमा, 1981 के प्रावधानों के उल्लंघन, उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा/या ऐसे परमिटों/अनुमति के नियमों और शर्तों के अनुसार विधि मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) समुद्र में मछली पकड़ने के अपने-अपने अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परम्परागत मछुआरों के लिए विशिष्ट रूप से मछली पकड़ने के विशेष क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। ये क्षेत्र तट से 5 से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होते हैं और ये क्षेत्र अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। विपत्ति के समय मछुआरों की खोज और बचाव की सुविधाएं, नियमित मौसम संबंधी भविष्यवाणी और तूफान की चेतावनी के उपाय ऐसी महत्वपूर्ण कार्रवाईयां हैं जो परंपरागत मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए की जाती है।

[हिन्दी]

मोटरगाड़ी दुर्घटना के बीमा दावे

1208. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 से राजस्थान में मोटरगाड़ी दुर्घटनाओं से संबंधित कितने दावे राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड के पास लम्बित हैं उनमें से अब तक कितने दावों का निपटारा किया गया है;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान वर्ष-वार निपटाये गये दावों में मुआवजे की कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ग) राजस्थान में इसी अवधि के दौरान इन दावों से संबंधित मुआवजा न दिये जाने के बारे में राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के पास राजस्थान में वर्ष 1992 के बाद से मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित लम्बित पड़े दावों की संख्या 4193 थी। उनमें से अब तक निपटाए गए दावों की संख्या 2109 थी।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
1992-93	2.10
1993-94	2.30
1994-95	4.10
1995-96	4.20
जोड़	12.70

(ग) मुआवजे का भुगतान न किए जाने के विषय में ऐसी कोई विशेष शिकायत नहीं थी क्योंकि मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं।

(घ) कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया गया था। जिन मामलों में मुआवजों का भुगतान नहीं किया गया है उनके लिए अपील दायर की गयी हैं। यदि कोई दोषी पाया जाएगा, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

द्विपक्षीय निवेश समझौते

1209. **श्री जय प्रकाश** (हरदोई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ सरकार ने द्विपक्षीय निवेश समझौते किए हैं;

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् देश में कुल कितनी राशि का पूंजी निवेश हुआ;

(ग) क्या यह पूंजी निवेश इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्य से काफी कम रहा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान निष्पादित किए गए द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार निम्नानुसार हैं :—

1994	1995	1996
यूनाइटेड किंगडम तथा रूसी परिसंघ	जर्मनी मलेशिया डेनमार्क तुर्कमेनिस्तान नीदरलैण्ड्स इटली तथा तजाकिस्तान	इजराइल दक्षिण कोरिया पोलैंड तथा चेक गणराज्य

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक अंतप्रर्वाह निम्नानुसार रहा है :—.

(करोड़ रुपये)

1994	1995	1996(अगस्त तक)
2981.85	6370.16	5714.66

(ग), (घ) और (ङ). द्विपक्षीय संवर्धन एवं संरक्षण करार विदेशी निवेशकों के मन में विश्वास पैदा करने का एक साधन है। वास्तविक निवेश अन्तर्प्रवाह कई कारकों पर निर्भर करते हैं जिनमें से एक कारक द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार का विद्यमान होना है।

व्यापार मेला परिसर का विकास

1210. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय उद्योगों के महासंघ से देश के महानगरों में व्यापार मेला परिसर के विकास हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश तथा विदेश में संयुक्त व्यापार मेले आयोजित करने के लिए किसी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, नहीं। वाणिज्य मंत्रालय को देश के महानगरों में व्यापार मेला परिसर के विकास के लिए भारतीय उद्योगों के परिसंघ से कोई निवेदन नहीं मिला है।

(ग) और (घ). देश में और विदेश में संयुक्त व्यापार मेलों के आयोजन के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने समझौता नहीं किया है।

(ङ) इस मंत्रालय ने देश में व्यापार-मेला परिसरों के विकास के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए सी.आई.आई. से अनुरोध किया है। राज्य सरकारों से भी स्थायी प्रदर्शनी परिसरों की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

हथकरघा विकास केन्द्र

1211. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा विकास केन्द्रों और उत्तम रंगाई एककों की स्थापना के लिए राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) स्वीकृत किए गए हथकरघा विकास केन्द्रों और उत्तम रंगाई एककों की राज्यवार संख्या कितनी है और इनमें से राज्यवार कितने स्थापित किए गए; और

(ग) राज्यवार शेष प्रस्तावों को मंजूरी नहीं देने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग). गत 3 वर्षों के दौरान राज्य सरकारों ने 1198 हथकरघा विकास केन्द्रों और 236 उत्कर्ष रंगाई इकाईयों के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव भिजवाये थे जिन पर विचार किया गया और मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त 181 हथकरघा विकास केन्द्रों और 46 उत्कर्ष रंगाई इकाईयों के स्थान निर्धारित किए गए ताकि कैश क्रेडिट के लिए मदद मिल सके। मंजूर किए गये हथकरघा विकास केन्द्रों और उत्कर्ष रंगाई इकाईयों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत हथकरघा विकास केन्द्रों की संख्या	स्वीकृत उत्तम रंगाई एककों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	127	40
2.	असम	103	–
3.	बिहार	49	16
4.	गुजरात	6	–
5.	हरियाणा	1	–
6.	हिमाचल प्रदेश	10	1
7.	जम्मू और कश्मीर	3	–
8.	कर्नाटक	23	4
9.	केरल	62	8
10.	मध्य प्रदेश	28	6
11.	मणिपुर	137	7
12.	महाराष्ट्र	20	3
13.	नागालैंड	2	–
14.	उड़ीसा	141	35
15.	राजस्थान	1	–
16.	तमिलनाडु	248	28
17.	त्रिपुरा	13	10
18.	उत्तर प्रदेश	83	50
19.	पश्चिम बंगाल	136	28
20.	पांडिचेरी	5	–
	योग	1198	236

[हिन्दी]

उच्च न्यायालय की खण्डपीठ

1212. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों की खंडपीठ स्थापित किए जाने के संबंध में जसवंत सिंह आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग). *जसवंत सिंह* आयोग ने इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें क्रमशः आगरा, रायपुर और मदुराई में स्थापित करने की सिफारिश की थी। आयोग ने उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के संबंध में अनुसरण किए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मानदण्डों के संबंध में साधारण सिफारिशें भी की हैं। रिपोर्ट, जिसे तारीख 30.4.85 को आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया था, संसद् के पुस्तकालय में तारीख 15.10.86 को रख दी गई थी तथा तारीख 21.4.87 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी। तीन उच्च न्यायालयों की बाबत आयोग को विनिर्दिष्ट सिफारिशें अक्तूबर, 1996 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों को, संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से, उनके विचार/टीका टिप्पणियों के लिए भेज दी गई थी। आयोग की साधारण सिफारिशें सितम्बर, 1987 में सभी राज्य सरकारों को उनकी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए भेज दी गई थी। किसी भी राज्य सरकार से, उनके प्रधान स्थानों से दूर उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के लिए, संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्याययमूर्ति के परामर्श से, कोई विनिर्दिष्ट पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार के लिए इस विषय में आगे कार्रवाई करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

तम्बाकू निर्माताओं द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन

1213. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने जर्दा निर्माताओं द्वारा तीस करोड़ रुपये से अधिक राशि के उत्पाद शुल्क अपवंचन संबंधी धोखाधड़ी का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्माताओं द्वारा किस प्रकार शुल्क का अपवंचन किया जाता है;

(ग) उक्त राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) जर्दा निर्माताओं द्वारा उत्पाद अपवंचन संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). आसूचना मिलने पर, दिल्ली आयुक्तालय के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा चबाने वाले तम्बाकू के कुछेक विनिर्माताओं के परिसरों पर छापे मारे गए थे। की गई जांच पड़ताल से पता चला है कि ये विनिर्माता शुल्क की अदायगी किए बिना और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण प्राप्त किए बिना ही चबाने वाले तम्बाकू की निर्मितियों को तैयार करके उन्हें अन्यत्र भेज रहे थे। अपवंचन किए गए शुल्क की राशि लगभग 35 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

वसूली संबंधी कार्यवाही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार न्याय निर्णयन किए जाने के पश्चात ही आरंभ की जा सकती है।

जहां तक अपवंचन को रोकने के उपायों का संबंध है, चबाने वाले तम्बाकू के विनिर्माताओं के कार्यकलापों पर अधिकाधिक निगरानी रखने के साथ-साथ निवारक जांच कार्यों को तेज कर दिया गया है।

उड़ीसा में निर्यातोन्मुखी एकक स्थापित करना

1214. श्री सौम्य रंजन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एककों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). उड़ीसा में निर्यातोन्मुखी एकक स्थापित करने के 46 प्रस्ताव पारित हुए जिनमें से आठ एकक पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इस समय सात एकक क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और दो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

बीमा योजनाओं का विलय

1215. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनरल इश्योरेंस कार्पोरेशन की विभिन्न बीमा योजनाओं जैसे झोंपड़ी बीमा योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना आदि का परस्पर विलय करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्तियों को इन योजनाओं के अन्तर्गत लाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). झोंपड़ी बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में उन गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए हैं जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 4800/-रुपए से अधिक नहीं है और जब उनकी झोपड़ियां और झोपड़ियों में रखा सामान आग से नष्ट हो जाता है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना में दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के संबंध में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 18 से 60 वर्ष की आयु समूह के अर्जन करने वाले सभी सदस्यों को शामिल किया जाता है, जिनकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 1200/- रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है। चूंकि दोनों योजनाओं में कवरों का प्रयोजन तथा शामिल किए गए समूहों का लक्ष्य भिन्न है, इनको एक ही योजना में विलय करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज में घाटा

1216. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज में घाटा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज को हुए घाटे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त घाटों के लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेदार हैं; और

(घ) हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज को घाटे से उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान एच.एम.टी. को हुई हानियां निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	(करोड़ रुपये में)
1993-94	119.26
1994-95	79.20
1995-96	55.89

(ग) एच.एम.टी. की हानियों के कारकों में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद अप्रचलनता तथा अधिक उपरिखर्च आदि शामिल हैं।

(घ) एच.एम.टी. ने अपने संचालनों के आधुनिकीकरण और अपनी निर्बल इकाईयों के कार्यकरण में सुधार के लिए उपाय किए हैं। किए गए उपायों में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, वित्तीय निवेशों, आधुनिकीकरण हेतु संयुक्त उद्यमों की स्थापना आदि शामिल हैं।

खाद्यान्नों का निर्यात

1217. **श्री सुरेश प्रभु** :

श्री तारीक अनवर :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने उनको भारत से निर्यात किए गए खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं को लेने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). भारत से भेजी गई गेहूं की कुछ खेपों को तुर्की, [illegible] और पोलेण्ड के प्राधिकारियों ने रोक लिया था क्योंकि वे खेपें [illegible]टया इण्डिका (करनाल बन्द) कुकुरमुत्तों से दूषित पाई गई थी।

(ग) निरोधन के उद्देश्य से निर्यात के समय फिटोसेनीटरी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए गेहूं की जांच का कार्य पौधा संरक्षण और निरोधन निदेशालय, कृषि मंत्रालय या पौध संरक्षण निरोधन एवं भण्डारण निदेशालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत राज्यों के कृषि निदेशकों द्वारा किया जा रहा है।

कृषि संबंधी निर्यात

1218. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि संबंधी निर्यात में वृद्धि करने हेतु कर्नाटक में उपलब्ध अत्यधिक क्षमता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य राज्यों से कृषि संबंधी निर्यात में सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उचित बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). चावल, मसाले, पुष्पोत्पादन, ताजा फल और सब्जियां, काजू, चीनी और तम्बाकू कर्नाटक में उत्पादित प्रमुख कृषि उत्पाद हैं जिनकी निर्यात-क्षमता हैं। इनमें से अधिकतर उत्पादों की "अत्यंत ध्यान देने योग्य" उत्पादों के रूप में पहचान की गई है, जिनकी निर्यात-मात्रा में तेजी से वृद्धि की जानी है।

कर्नाटक सहित सभी राज्यों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए एक योजना के तहत मात्र निर्यातकों को निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है : (1) विशिष्ट यातायात यूनिटों की खरीद के लिए,(2) पूर्व-प्रशीतन सुविधाएं स्थापित करने के लिए,(3) मशीनीकृत पोस्ट-हार्वेस्ट हैंडलिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए और ग्रेडिंग, छंटाई, गुणवत्ता नियंत्रण एवं पैकेजिंग के लिए शेड स्थापित करने हेतु, (4) निर्यात के लिए वाष्प-तापी उपचार/धूम्रीकरण/स्क्रीनिंग मशीन लगाने के लिए, और (5) हवाई अड्डों/समुद्री पत्तनों पर निर्यात-प्रयोजन के लिए शीत भण्डार स्थापित करने के लिए।

कोयला आधारित उद्योग

1219. **श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल** :

श्री विजय पटेल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्य में कोयला आधारित उद्योग स्थापित करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) राज्य-वार अब तक मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में भविष्य निधि राशि का निवेश

1220. **श्री डी.पी. यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य निधि को 30 प्रतिशत राशि को सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त राशि के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). गैर-सरकारी भविष्य निधियों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 1.10.96 से पहले अपनी निवल अभिवृद्धि का 30 प्रतिशत कंपनी अधिनियम की धारा 4(क) के अन्तर्गत यथा-विनिर्दिष्ट "सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं", आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(36क) में यथा-परिभाषित "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों" के बंधपत्रों और प्रतिभूतियों या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाणपत्रों में निवेश करना आवश्यक है। 1.10.96 से यह प्रतिशत बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। ये ऋण की लिखतें हैं और इन निधियों पर समय-समय पर निर्धारित ब्याज मिलेगा।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में होती हैं और वे अनुमोदित स्कीमों संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए निधियां जुटाती हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

1221. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकों में तथा वित्तीय संस्थानों में संगठनात्मक पुनर्गठन करके सुधार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सुधारों में सफलता पाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पुनर्गठन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में वित्तीय एवं बैंककारी संस्थाओं के नये नियम कब तक घोषित किए जाएंगे?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). बैंकों के संगठनात्मक पुनर्गठन का फिलहाल कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जैसाकि वित्त मंत्री के 1996-97 के बजट भाषण में घोषणा की गई है, सरकार का भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आईआरबीआई) को पूर्णरूपेण सर्वउद्देशीय विकास वित्त संस्था में बदलने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ). वित्तीय क्षेत्र सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए किए गए उपायों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटा गया है :-

(1) बैंकों की लाभप्रदता पर प्रभाव डालने वाले बाह्य-प्रतिरोधों को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपाय; (2) उपयुक्त विवेकपूर्ण मानदंड लागू करके बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किए जाने वाले उपाय; (3) प्रणाली की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने सहित संस्थागत मजबूती लाने के लिए किए जाने वाले उपाय। सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षाओं और नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) अपेक्षाओं को धीरे-धीरे कम कर दिया गया है। आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान कार्य को विनियमित करने वाले विवेकपूर्ण मानदंडों को वर्ष 1992-93 में लागू किया गया था जिसका उद्देश्य परिचालनों में और अधिक पारदर्शिता और जिम्मेदारी लाकर तथा भारतीय वित्तीय प्रणाली में पुनः विश्वसनीयता और भरोसा प्राप्त करके वित्तीय प्रणाली की संरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना था। दो लाख रु. से अधिक की जमाराशियों पर ब्याज की दरों का अविनियमन और प्राथमिक उधार दरें नियत करने के लिए बैंकों को दी गई स्वतंत्रता के कदम हैं जिनका उद्देश्य इस प्रणाली को संस्थागत मजबूती प्रदान करना और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाना है। भारतीय रिजर्व बैंक आवधिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करता है और जहां कहीं आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय करता है। चूंकि सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः इसके लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

बदलते आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य में वित्तीय संस्थाओं को अपनी भूमिका अधिक प्रभावशाली ढंग से निभाने योग्य बनाने के उद्देश्य से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आईएफसीआई) जैसी वित्तीय संस्थाओं को और अधिक प्रयोजनमूलक स्वायत्तता परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान किया गया है। उन्हें इक्विटी शेयर पूंजी के माध्यम से पूंजी बाजार में प्रवेश करने और अपने शेयर धारकों के आधार को बढ़ाने योग्य भी बनाया गया है।

बुनियादी ढांचों हेतु विश्व बैंक सहायता

1222. **श्री के.एच. मुनियप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुनियादी ढांचे में संसाधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न आधारभूत क्षेत्रों में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। इन क्षेत्रों में भी अनेक परियोजनाएं विश्व बैंक को भेजी गई हैं; जो विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ आधारभूत परियोजनाओं के वित्तीकरण के लिए निर्दिष्ट ऋण सीमाओं के अतिरिक्त विद्युत, राष्ट्रीय राजमार्ग, पत्तन, रेलवे और जलापूर्ति क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

भारत तथा चीन के बीच समझौता

1223. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
कुमारी उमा भारती :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेश संबंधी सुरक्षा के संबंध में भारत तथा चीन के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौता कब से लागू हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जूट के थैले

1224. **श्री एम. रामचन्द्र रेड्डी :**
श्री अजमीरा चन्दूलाल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमेन्ट उद्योग से पैक करने हेतु जूट के थैलों के अनिवार्य प्रयोग से छूट देने का कोई अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छूट मांगने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सीमेंट उद्योग द्वारा बताए गए कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि उपभोक्ता प्लास्टिक बोरे पसंद करते हैं, रिसने से न्यूनतम क्षति होती है, वातावरण दूषित नहीं करते हैं, पटसन बोरों की तुलना में ये सस्ते हैं। एन डी पी ई/पी पी बोरे में मिलावट नहीं की जा सकती, पाउडर जैसी सामग्री को लाने ले जाने के लिए पैकिंग करने के लिए उपयुक्त है, न्यूनतम निर्जलीकरण होता है। उनका अनुरोध पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 4(1) के अनुरूप सरकार द्वारा गठित स्थायी परामर्श समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

पटसन बोरों में वस्तुओं की अनिवार्य पैकिंग के लिए निम्नलिखित आरक्षण विद्यमान हैं :-

सीमेंट	-	50 प्रतिशत
खाद्यान्न	-	100 प्रतिशत
चीनी	-	100 प्रतिशत
उर्वरक (यूरिया)	-	50 प्रतिशत

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

1225. **श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में गठित किए गए विनिवेश द्वारा केवल लाभ कमा रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विनिवेश हेतु विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की योजना इस तरह से प्राप्त राजस्व को रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश करके उन्हें अर्थक्षम बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). विनिवेश आयोग को प्रस्तुत सरकारी क्षेत्र के 40 उपक्रमों की सूची विवरण में संलग्न है, जिसमें लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के साथ-साथ घाटा उठाने वाले एकक भी शामिल हैं।

(ख) और (घ). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश से अर्जित आय का एक भाग निवेश कोष स्थापित करने के लिए रखा जाएगा, जिसका उपयोग सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा।

विवरण

विनिवेश आयोग को प्रस्तुत उद्यमों की सूची

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम
1	2
1.	एयर इण्डिया
2.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.
3.	भारत अर्थ मूवर्स लि.
4.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि.

1	2
5.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रो-कैमिकल्स लि.
6.	कंटेनर कारपो. ऑफ इण्डिया लि.
7.	इंजीनियर्स इण्डिया लि.
8.	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.
9.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि.
10.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि.
11.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि.
12.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.
13.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.
14.	हिन्दुस्तान जिंक लि.
15.	भारतीय होटल निगम लि.
16.	एच.टी.एल. लि.
17.	इण्डो-बर्मा पैट्रोलियम कंपनी लि.
18.	इण्डियन पैट्रो-कैमिकल्स कारपो. लि.
19.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि.
20.	भारतीय पर्यटन विकास निगम
21.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि.
22.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
23.	महानगर टेलीफोन निगम लि.
24.	मैगनीज ओर (इण्डिया) लि.
25.	माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि.
26.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.
27.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
28.	नेशनल हाइड्रो पावर कारपो.
29.	नेशनल थर्मल पावर कारपो. लि.
30.	नेवेली लिग्नाईट कारपो. लि.
31.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
32.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम
33.	ऑयल इण्डिया
34.	पवन हंस लि.
35.	पावर ग्रिड कारपो. ऑफ इण्डिया लि.
36.	रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विस लि.
37.	भारतीय नौवहन निगम
38.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
39.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.
40.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

लम्बित रिट याचिकाएं

1226. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1996 तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष कितनी रिट याचिकाएं और अन्य मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष गत पांच वर्षों से कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निवेशकों को जीवन बीमा निगम द्वारा लाभांश का भुगतान न किया जाना

1227. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "जीवन बीमा निगम की म्यूच्यूअल फंड धन सहयोग योजना-बी" के अन्तर्गत निवेशकों को स्वीकृत किये गये लाभांश का भुगतान न किये जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इसी प्रकार के अन्य फंडों में भी निवेशकों के हितों में संरक्षण हेतु कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा के व्यापारी

1228. **श्री दत्ता मेघे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विदेशी मुद्रा के कितने व्यापारी हैं;

(ख) क्या ऐसे सभी व्यापारियों ने सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पूर्ण लाइसेंस धारित करने वाले 96 बैंक और अन्य संस्थाएं हैं तथा 7 प्रतिबंधित लाइसेंस-धारक हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों/कतिपय वित्तीय संस्थाओं को लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले डीलरों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	डीलरों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	दिल्ली	6
3.	गुजरात	2
4.	हरियाणा	1
5.	जम्मू और कश्मीर	1
6.	कर्नाटक	6
7.	केरल	6
8.	मध्य प्रदेश	2
9.	महाराष्ट्र	61
10.	राजस्थान	1
11.	तमिलनाडु	10
12.	उत्तर प्रदेश	1
13.	पश्चिम बंगाल	5

[अनुवाद]

गेहूं और चावल के निर्यातकों को परिवहन संबंधी सुविधाएं

1229. **श्री हरिन पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गेहूं और चावल के निर्यात को हाल ही में भारी धक्का पहुंचा है क्योंकि ये सामग्रियां समय पर जहाज से भेजे जाने हेतु बन्दरगाहों पर नहीं पहुंच सकी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में देश को हुए नुकसान का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश से गेहूं और चावल का समय पर निर्यात सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं। चालू वर्ष के दौरान सितम्बर, 1996 तक गेहूं और चावल के निर्यात इस प्रकार थे :-

मद	मात्रा (मी.टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
बासमती चावल	249043	554.16
गैर-बासमती चावल	1108766	1051.67
गेहूं	1078653	668.99

(स्रोत : डी.जी.सी.आई.एण्ड.एस., कलकत्ता)

(ख) से (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गेहूं और चावल के समयबद्ध निर्यातों को सुनिश्चित कराने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :-

(1) रेलवे द्वारा निर्यातकों को दी जा रही वैगन आवंटन की प्राथमिकता,

(2) गेहूं और चावल की निर्यात खेपों का समय पर पोतलदान सुनिश्चित कराने के लिए कांडला पत्तन पर वर्धिक नीति बनाई गई है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1230. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तथा विशेष रूप से जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं का स्थितिवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात सरकार से विश्व बैंक की सहायता से कुछ और ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की मंजूरी हेतु लंबित परियोजनाओं की संख्या क्या है; और

(घ) इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही एकीकृत जल संभर विकास (मैदानी) परियोजना गुजरात सहित 3 राज्यों को कवर करती है तथा इसका उद्देश्य गुजरात के साबरकांठा, राजकोट, बड़ोदरा तथा भड़ौच जिलों में जलसंभरक विकास करना है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना जैसे केन्द्र प्रायोजित परियोजनाएं, जो अन्य राज्यों सहित गुजरात में कार्यान्वित

की जा रही हैं और जिसमें राज्य के जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्र शामिल है, विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ख) सरकार ने अभी तक गुजरात सरकार से 250 बिलियन अमरीकी डालर की मोकुल ग्राम योजना नामक एक परियोजना प्राप्त की है, जो विश्व बैंक को दिनांक-15.11.1996 को भेज दी गई है। गुजरात के लिए एक राज्य सड़क परियोजना विश्व बैंक की सहायता हेतु आयोजनाधीन है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में बैंक ऋण

1231. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में छोटे और सीमान्त किसानों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में आज की तारीख तक सहकारी बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया है;

(ख) क्या ऋण की मंजूरी के समय कोई अनियमितता ध्यान में आई थी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने ऋण की वसूली हुई है; और

(ङ) राज्य में किसानों के लिए बैंक ऋण संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के लिए बिहार में राज्य तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बकाया ऋण निम्नानुसार थे :-

(रुपए करोड़ में)

समाप्त अवधि	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	राज्य तथा जिला सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
मार्च, 1994	4534.50	825.87	529.20
मार्च, 1995	5012.33	940.47	605.13
मार्च, 1996	5731.59	उपलब्ध नहीं	637.23
जून, 1996	5678.05	उपलब्ध नहीं	638.89

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथासूचित, जून 1991, 1992, 1993 और 1994(अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त हुए वर्ष के अनुसार बिहार में लघु और सीमांतिक किसानों के पास सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल बकाया ऋण निम्नानुसार थे :-

(रुपए करोड़ में)

समाप्त वर्ष	बिहार
जून, 1991	354.18
जून, 1992	350.72
जून, 1993	353.83
जून, 1994	336.00

(ख) और (ग). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) ने अन्य बातों के साथ आईआरडीपी के अंतर्गत ऋणों की मंजूरी में हुई अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात एसएलबीसी ने निर्णय लिया है कि नियंत्रक प्रधानों/क्षेत्रीय प्रबंधकों/अंचल प्रबंधकों को ऋणों की मंजूरी और संवितरण में अनियमितताओं को दूर करने के लिए नियमित आधार पर शाखाओं को दौरा करना चाहिए और बैंक द्वारा की गई कार्रवाई पर एसएलबीसी की बैठकों में पूरी तरह से विचार विमर्श किया जाएगा।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए तरीके से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, नाबार्ड ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्ष के अंत में बिहार राज्य में ऋणों की वसूली की स्थिति प्रतिशतता के क्रम में निम्नानुसार दी गई है :-

	1993-94	1994-95	1995-96
वाणिज्यिक बैंक	38.0	40.0	33.0
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	15.5	24.0	23.3
बिहार राज्य भूमि विकास बैंक	14.4	43.6	32.8
राज्य सहकारी बैंक	12.4	17.9	19.3

(ङ) कृषि क्षेत्र को ऋण का बढ़ा हुआ प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) कृषि संबंधी उत्पादन को जारी रखने के लिए समय से और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने हेतु, नकदी ऋण सुविधा के रूप में लचीले स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा का विस्तार

(2) वित्तीय वर्ष के दौरान, कृषि को ऋण के प्रवाह में स्पष्ट और महत्वपूर्ण सुधार लाने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विशेष कृषि ऋण योजना तैयार करना।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हाल ही में आयोजित एक बैठक में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से विशेष कृषि ऋण योजनाओं के अधीन अपने संवितरणों को पिछले वर्ष के संवितरणों की तुलना में 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कहा है।

उत्तर प्रदेश को कोयले की आपूर्ति

1232. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा कोयले की कितनी मांग की गई तथा मांग की तुलना में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने कोयले की आपूर्ति की गई; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के उन औद्योगिक क्षेत्रों को उनकी मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). कोयले की आवश्यकताओं को समग्र देश हेतु उद्योग वार/क्षेत्रवार आंकलित किया जाता है। उनका आकंलन राज्य-वार नहीं किया जाता है। कोयला कंपनियां उपभोक्ताओं द्वारा संबंधित प्रायोजन प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए प्रायोजनों के अनुसार तथा उनके प्राधिकार की सीमा तक प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के आधार पर कोयले की आपूर्ति कर रही हैं। विद्युत तथा सीमेंट उद्योग को कोयले की आपूर्ति इन क्षेत्रों की स्थायी संयोजन समिति (एस.एल.सी.) द्वारा स्थापित अल्पावधि संयोजन के आधार पर की जाती है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथा गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले का समग्र रूप में किए गए प्रेषण को नीचे दिया गया है :-

(अनंतिम)

वर्ष	मात्रा
1993-94	35,882 मिलियन टन
1994-95	35,834 मिलियन टन
1995-96	40,870 मिलियन टन

कोयला कंपनियां कोयले के उत्पादन में में वृद्धि करके उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, कई कोलियरियों से उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत कोयले की पेशकश की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति बिना संयोजनों/प्रायोजनों की अपेक्षाओं के, की जा सकती है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग की इकाइयां

1233. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग की कितनी इकाइयां स्थापित की गई तथा उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) उपरोक्त राज्य में योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण औद्योगिकीकरण तथा ग्रामीण युवकों को रोजगार देने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत तैयार किए गए कार्यक्रमों और उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं/प्रोत्साहनों तथा चालू वर्ष के लिए महाराष्ट्र के लिए तय किए गए लक्ष्य के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू योजनाओं में प्रस्तावित परिवर्तनों तथा महाराष्ट्र में शुरू किए जाने वाले नये प्रस्तावों के बारे में ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित इकाइयों की संख्या तथा दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :-

(लाख रु. में)

वर्ष	इकाइयों की संख्या	सहायता की राशि	
		अनुदान	ऋण
1993-94	43450	141.39	514.94
1994-95	46290	364.93	437.02
1995-96	46596	327.23	958.60

(इकाइयों में पंजीकृत संस्थान, सहकारी समितियों तथा व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं)

महाराष्ट्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सामान्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये वितरित की गई निधियों के अतिरिक्त, ब्याज आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निम्नलिखित निधियां भी ली गई है :-

सांस्थानिक वित्त के माध्यम से ली गई निधियां

(लाख रु. में)

वर्ष	खादी	ग्रामोद्योग	जोड़
1993-94	209.07	2709.77	2918.84
1994-95	209.07	2709.77	2918.84
1995-96	183.19	3088.84	3272.03

जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 4.72 लाख रु. की राशि चन्द्रपुर जिला में खादी ग्रामोद्योग के कार्यान्वयन के लिये जारी की गई है। इसी प्रकार 62.55 लाख रु. की राशि 9 जिलों में 9 ब्लाकों में 125 ब्लाक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये जारी की गई है।

(ख) महाराष्ट्र में खादी ग्रामोद्योग के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई प्रगति के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

खादी ग्रामोद्योग सामान्य कार्यक्रम

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रु. में)			रोजगार (लाख व्यक्ति)		
	खादी	ग्रामोद्योग	जोड़	खादी	ग्रामोद्योग	जोड़
1993-94	15.03	522.24	537.27	0.19	4.62	4.81
1994-95	16.63	654.29	670.92	0.18	4.81	4.99
1995-96	20.35	696.33	716.68	0.20	4.54	4.74

उपर्युक्त के अलावा महाराष्ट्र में वर्ष 1995-96 के दौरान 125 ब्लाक कार्यक्रम के अन्तर्गत 273 व्यक्तियों को रोजगार की पेशकश की गई है।

(ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग के सामान्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया है तथा लाभान्वयन का विस्तार करके विशेष रोजगार कार्यक्रम तथा 125 ब्लाक कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर बल दिया जा रहा है। चर्म पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना नामतः एल टी एम-खादी ग्रामोद्योग आयोग, औरंगाबाद में पहले ही प्रगति पर है। खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम जैसे बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना तथा ब्याज प्रात्रता प्रमाण-पत्र तथा संघीय बैंक खादी तथा पॉलीवस्त्र को ऋण देना जारी रखेंगे। इसी तरह, अन्य लागतों जैसे तकनीकी मार्गदर्शन, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, विपणन सहायता, कच्चे माल की उपलब्धता इत्यादि को भी खादी ग्रामोद्योग आयोग सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र के लिए खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार और उत्पादन के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :-

लक्ष्य (1996-97)

उत्पादन (करोड़ रु. में)			कुल रोजगार (लाख व्यक्ति)		
खादी	ग्रामोद्योग	जोड़	खादी	ग्रामोद्योग	जोड़
28.54	776.00	804.54	0.25	5.00	5.25

(घ) महाराष्ट्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाये जा रहे वर्तमान कार्यक्रम में के.वी.आई.सी. का कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। तथापि उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित नई योजना के अन्तर्गत जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम, 125 ब्लाक कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है।

आम आदमी का कार का सपना

1234. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी योजना है जिससे आम आदमी का कार रखने का सपना साकार हो जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो आम आदमी के कार रखने के सपने को साकार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). नयी औद्योगिक नीति के तहत कारों के विनिर्माण को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और अब किसी भी प्रकार की कार के विनिर्माण हेतु सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रही है।

लघु उद्योग क्षेत्र को बैंक ऋण दिया जाना

1235. **श्री जी. वेंकट स्वामी :**

श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ये दिशानिर्देश जारी किये थे कि वे लघु उद्योग क्षेत्र को कारोबार के 20 प्रतिशत तक की राशि, जिसकी अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये होगी, लघु उद्योग क्षेत्र को दे सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है तथा 1994-95 तथा 1995-95 के दौरान उन बैंकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने बैंकों को उन विद्यमान या नए लघु उद्योग एककों को कार्यशील पूंजी सीमाओं के रूप में संभावित वार्षिक आवर्त का कम से कम 20 प्रतिशत मंजूर करने का अनुदेश जारी किया है जहां एक करोड़ रुपए तक के ऋण सीमा का अनुरोध किया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आम तौर पर बैंक कार्यशील पूंजी के लिए ऋण की मंजूरी के संबंध में दिशानिर्देश का पालन कर रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि फरवरी/मार्च, 1996 में उसके द्वारा कराए गए नमूना अध्ययन से पता चला था कि अध्ययन में शामिल किए गए लगभग 56 प्रतिशत ऋण आवेदनों के संबंध में वार्षिक आवर्त के आधार पर कार्यशील पूंजी की संगणना की गई थी। बैंक शाखाओं द्वारा निर्धारित स्तर का पालन न किए जाने के मुख्य कारण ये थें : (1) लघु उद्योग उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का अनुमानित वार्षिक आवर्त के 20 प्रतिशत से कम

होना, (2) बाजार में चल निधि की अधिशेष स्थिति (3) आवेदकों द्वारा अपने आवेदन पत्र में बाजार-दरों की जानकारी न देना, (4) कतिपय मामलों में शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश प्राप्त न होना, (5) ऋण आवेदनों को प्रायोजित योजनाओं के अधीन कवर किया जाना।

अध्ययन के दौरान पाई गई कतिपय खामियों सहित बैंकों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कार्यशील पूंजी उपलब्ध न कराए जाने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने सितम्बर, 1996 में अवगत करा दिया था और उन्हें स्थिति की समीक्षा करने और जहां कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा था।

कारों का आयात

1236. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कारों का आयात और उनका देश में निर्माण करना स्वदेशी कार विनिर्माताओं के हितों के विरूद्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी कारों का आयात और विनिर्माण किया गया;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि ये नवविकसित कम्पनियों नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं। सार्वभौमिक आधार पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपलब्ध होने से भारतीय मोटरगाड़ी उद्योग की प्रतियोगिता क्षमता में वृद्धि होने और इसके विकास के नये अवसर खुलने की आशा है।

(ख) कार के क्षेत्र में नये संयुक्त उद्यमों को 1995-96 के दौरान प्रारम्भिक चरण में सी के डी/ सी के डी दशा में 31,322 कारों का आयात करने की अनुमति दी गयी है। वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान कारों का उत्पादन क्रमश : 2,09,695, 2,64,368 और 3,48,242 रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों की अलाभकारी परिसंपत्तियां

1237. श्री समीक लहिरी :

श्री ओ.पी. जिन्दल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उन अलाभकारी परिसंपत्तियों की राशि क्या है जो (I) एक करोड़ या उससे अधिक रूपये की कुल सीमा वाले उधारकर्ताओं (II) दस लाख और एक करोड़ रुपये के बीच सीमा वाले उधार कर्ताओं और (III) अन्य उधारकर्ताओं से प्राप्त की जानी है तथा प्रत्येक श्रेणी के संबंध में क्या प्रावधान है; और

(ख) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक की अलाभकारी परिसंपत्तियों की राशि कितनी है जिन्हें (I) अवमानक परिसंपत्तियों (II) संदिग्ध परिसंपत्तियों और (III) अप्राप्ति परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनमें से प्रत्येक श्रेणी के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों की बैंक-वार राशि जिन्हें 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार अवमानक, संदिग्ध और हानि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, विवरण में दी गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बीच तथा अन्य उधारकर्ताओं से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। बैंक अनिष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधानों का समेकन अन्य प्रावधानों के साथ तुलन पत्र में समेकित मद के रूप में "प्रावधान" और "आकस्मिक व्यय" शीर्ष के अंतर्गत करते हैं।

विवरण

31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां (अनन्तिम)

(करोड़ रुपए)

बैंक का नाम	अवमानक	संदिग्ध	घाटेवाली	अनुपयोज्य आस्ति
1	2	3	4	5
भारतीय स्टेट बैंक	2146.93	6769.94	636.66	10553.53
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	46.38	155.20	22.79	337.95
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	254.83	262.57	126.83	644.23
स्टेट बैंक आफ इंदौर	68.82	146.45	3.57	218.84

1	2	3	4	5
स्टेट बैंक आफ मैसूर	111.20	142.22	75.51	328.93
स्टेट बैंक आफ पटियाला	143.11	199.94	56.66	399.71
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	56.89	133.18	16.42	206.49
स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	150.22	259.00	21.00	430.22
योग	2978.38	8068.50	959.44	13119.90
इलाहाबाद बैंक	392.00	799.00	64.00	1255.00
आंध्रा बैंक	78.70	198.02	55.48	332.20
बैंक आफ बड़ौदा	798.31	1739.98	301.79	2840.08
बैंक आफ इंडिया	410.00	1968.00	56.00	2434.00
बैंक आफ महाराष्ट्र	102.55	527.78	63.93	694.26
केनरा बैंक	460.32	966.71	106.44	1533.47
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	289.00	1242.00	34.00	2036.00
कार्पोरेशन बैंक	43.63	164.30	48.90	251.83
देना बैंक	154.00	303.00	51.00	508.00
इंडियन बैंक	1110.00	1872.90	158.00	3140.90
इंडियन ओवरसीज बैंक	183.00	1364.00	276.00	1823.00
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	121.35	147.70	2.20	271.25
पंजाब नैशनल बैंक	570.00	1281.00	25.00	2518.00
पंजाब एंड सिंध बैंक	126.87	468.80	129.62	725.29
सिंडिकेट बैंक	154.02	776.81	380.92	1311.75
यूनियन बैंक आफ इंडिया	398.86	470.71	81.08	900.68
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	301.00	956.00	246.00	1503.00
युको बैंक	455.00	1047.00	338.00	1840.00
विजया बैंक	172.18	344.70	28.50	545.38
राष्ट्रीयकृत बैंकों का योग	6320.79	16638.41	2391.84	26464.04
स्टेट बैंक समूह	2978.38	8068.50	959.44	13119.90
कुल योग	9299.17	24706.91	4351.28	39583.94

भारत-इजराइल व्यापार

1238. डा. कृपासिंधु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इजराइल भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाने में अत्यधिक उत्सुक है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की संभावना का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत-इजराइल संयुक्त व्यापार एवं आर्थिक समिति की जेरूसलम में 28-29 जनवरी, 1996 के दौरान आयोजित प्रथम बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार और विविधीकरण के लिए अनेक मदों की पहचान की है। इनमें शामिल हैं : भारत से चाय, तम्बाकू, मछली, खली, भवन निर्माण सामग्री, प्लास्टिक और रबड़ उत्पाद, दवाईयां और भेषज, वस्त्र, मृत्तिका-शिल्प, टेबल और रसोई के सामान, ऑटोमोटिव और ऑटो पुर्जे, उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक्स और रंग एवं मध्यवर्ती और इजराइल से रसायन और उर्वरक, कृषि संबंधी निवेश सामग्री और प्रौद्योगिकी, सिंचाई उपकरण, दूरसंचार के उपकरण एवं चिकित्सा संबंधी उपकरण।

वस्त्र नीति

1239. श्री चित्त बसु : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जूट मिलों, कताई और बुनाई मिलों हथकरघों और विद्युत करघों की अत्यावश्यक समस्याओं को जैसे पूंजी संकट आदि को देखते हुए नई वस्त्र नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में श्रमिक संगठनों के साथ बातचीत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी, नहीं। मौजूदा वस्त्र नीति में वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्र सघन रूप से शामिल हैं तथा सरकार भी वस्त्र क्षेत्र की स्थिति का निरंतर मानीटर करती है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास किसी भी तरह से अवरूद्ध न हो तथा वस्त्र उद्योग के किसी भी क्षेत्र में जब कभी भी ऐसा विकास होता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में नीति परक हस्तक्षेप द्वारा उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

बीमा शुल्क परामर्शदात्री समिति

1240. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दो दशक पुरानी शुल्क परामर्शदात्री समिति, जिसमें दो और सदस्य शामिल किये गये हैं, के गठन के संबंध में साधारण बीमा कंपनियों की लम्बे समय से लम्बित मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो हाल ही के अपने अभ्यावेदन में साधारण बीमा कंपनियों द्वारा उठाये गये मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में वायदा किया था कि बीमा संबंधी शुल्क हर पांच वर्ष में फिर से लागू की जायेगी;

(घ) यदि हां, तो शुल्क दरों में परिवर्तन करने तथा प्रीमियम आय में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) सेवाओं को विश्व व्यापी-स्तर तक कुशल तथा प्रभावी बनाने के लिए किए गए नए प्रयासों/किए जाने वाले प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई मांग लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी नहीं। शुल्क परामर्शदात्री समिति शुल्कों को शुल्क दर में हुए नुकसान संबंधी अनुभव और बाजार की प्रवृत्तियों के अनुरूप लाने के लिए समय-समय पर बीच में शुल्क दरों का पुनरीक्षण करती रही है।

(ङ) उपभोक्ता सेवा की कार्य कुशलता में सुधार लाने और पालिसियां जारी करने एवं दावों का निपटान करने में होने वाली विलंब को कम करने के लिए, साधारण बीमा उद्योग ने मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण करने के अतिरिक्त 1500 से अधिक शाखा/प्रभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों में पहले से ही कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था स्थापित कर दी है। उपभोक्ता सेवा में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और एजेंटों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वाहन तृतीय पक्ष के दायित्व दावों का शीघ्र निपटान करने के लिए अधिक से अधिक लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों के प्रबन्धन/बोर्ड बीमा उद्योग के विश्व व्यापीकरण की प्रक्रिया में आने वाली नवीन सम्भावित चुनौतियों का सामना करने के लिए अपेक्षित उपायों का निरन्तर पुनरीक्षण करते हैं।

निर्यात उन्मुखी इकाइयों/निर्यात संसाधन जोनों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

1241. श्री नारायण अठावले : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित निर्यात उन्मुखी इकाइयों अथवा निर्यात संसाधन जोन योजनाओं की हाल ही में व्यापक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के अंतर्गत योजनावार, राज्यवार तथा वर्षवार प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बेहतर परिणामों के लिए योजनाओं में परिवर्तन/उनका पुनर्गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी निवेशकों में विश्वास पैदा करने और विश्वसनीयता जगाने के लिए निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा निर्यात प्रसंस्करण जोन में विदेशी निवेश करने के लिए एक शीर्ष निकाय गठित

करने सहित विचार किए गए/अंतिम रूप दिए गए ऐसे परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). निर्यातोन्मुख एककों और निर्यात संसाधन क्षेत्रों के निष्पादन की समीक्षा पिछले पांच वर्षों के निष्पादन को ध्यान में रखकर वार्षिक आधार पर की जाती है। दिनांक 31 मार्च, 96 को समाप्त होने वाली संचयी अवधि के लिए इन एककों के निष्पादन की समीक्षा का कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ). निर्यातोन्मुख एककों के लिए नीति और प्रक्रिया संबंधी ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इस योजना के अंतर्गत प्रचालित एककों से बेहतर निष्पादन प्राप्त करने के लिए इनमें परिवर्तन किए जाते हैं। ई.ओ.यू./ई.पी.जैड. एककों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अलग से शीर्ष निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, सरकार ने संवर्धनात्मक क्रियाकलाप शुरू करके भारत में एफ.डी.आई. को सुकर बनाने के लिए एक गैर-सरकारी विदेशी निवेश संवर्धन परिषद का पहले ही गठन कर दिया है।

स्टॉक बाजार

1242. **श्री तारीक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च ब्याज दर से भारतीय रिजर्व बैंक की स्टॉक बाजार को दी जाने वाली गति धीमी पड़ जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, इसके द्वारा 1996-97 के उत्तरार्द्ध के लिए क्रेडिट नीति में घोषित उपायों ने बैंकिंग तंत्र में नकदी में सुधार किया और ब्याज की दरों को कम करने में मदद की। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने लगभग 1 प्रतिशत अंक से प्रमुख उधार दरों को पहले ही कम कर दिया है। वित्तीय तंत्र में प्रवृत्त ब्याज दरें स्टॉक बाजार को कई तरीकों से प्रभावित करती हैं जैसे निवेशकों द्वारा ऋण प्रपत्रों, इक्विटी शेयरों, बैंक जमाओं आदि में फंड निवेशित करने के उनके निर्णय को प्रभावित करना। तथापि, स्टॉक बाजार में उतार-चढाव अनेक कारकों जैसे वृहद-आर्थिक स्थिति, कंपनियों के वित्तीय परिणाम, निवेशकों की आशाओं आदि द्वारा निर्धारित होते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के शोरूम

1243. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के शोरूम तथा बिक्री केन्द्र राज्यवार/संघ राज्य-वार किन-किन स्थानों पर है;

(ख) क्या सरकार का राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों मे जिला स्तर पर ऐसे और शोरूम/बिक्री केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के शो-रूम तथा बिक्री केन्द्रों की राज्यवार/केन्द्र शासित क्षेत्रवार अवस्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठ

विवरण

एन टी सी के शो-रूम की राज्यवार/केन्द्र शासित, क्षेत्रवार सूची

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	शो-रूम की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	27
2.	कर्नाटक	23
3.	केरल	18
4.	चंडीगढ़	2
5.	दिल्ली	16
6.	हरियाणा	8
7.	हिमाचल प्रदेश	2
8.	जम्मू और कश्मीर	4
9.	पंजाब	6
10.	राजस्थान	10
11.	गुजरात	9
12.	दमन व दीव	1
13.	मध्य प्रदेश	12
14.	महाराष्ट्र	28
15.	तमिलनाडु	64
16.	पांडिचेरी	1
17.	उत्तर प्रदेश	48
18.	असम	5
19.	बिहार	24
20.	मेघालय	1
21.	उड़ीसा	8
22.	पश्चिम बंगाल	66
		383

[अनुवाद]

जापानी सहयोग

1244. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में जापान के सहयोग से कुछ परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार और जापान सरकार ने कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जापानी कम्पनियों से प्राप्त की जाने वाली संभावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) सरकार ने पश्च नीति अवधि अर्थात् 1.8.91 से 30.9.96 तक के दौरान उड़ीसा राज्य में जापानी फ़र्म के साथ केवल 4 तकनीकी सहयोग प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। इन प्रस्तावों के ब्यौरे नामतः भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्ता का नाम तथा देश, विनिर्माण क्रियाकलाप की मद तथा इक्यूटी सहभागिता यदि कोई हो, का भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा एक मासिक समाचार पत्रिका के अनुपूरक के रूप में प्रकाशित किया जाता है तथा इसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को प्रेषित की जाती है।

(ख) से (छ). भारतीय पार्टी तथा विदेशी सहयोगकर्ता के बीच समझौता/सहयोग करार के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास दायर किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में आकड़े केन्द्रीयकृत रूप में नहीं रखे जाते हैं।

लघु और कुटीर उद्योग

1245. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कोई नीतिगत निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उद्योगों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में नौवीं योजना में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में भी कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) लघु तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियां और कार्यक्रम लघु, बहुत छोटे तथा ग्रामीण उद्यमों के संवर्धन तथा उन्हें समर्थ बनाने हेतु अगस्त, 1991 में घोषित नीतिगत उपायों द्वारा संचालित होते हैं।

(ख) और (ग). सरकार ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देती है। ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना को सरल बनाने के लिए एक एकीकृत आधारभूत विकास योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) भी देश में खादी तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन तथा विकास के लिए कई योजनाएं लागू करता है।

(घ) नवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में जिला न्यायाधीश

1246. डा. बलिराम : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां अभी तक जिला न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन स्थानों पर जहां रिक्तियां हैं, तुरंत जिला न्यायाधीश नियुक्त किये जाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आगरा में शुष्क पत्तन की स्थापना

1247. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा में शुष्क-पत्तन की स्थापना के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) यह शुष्क पत्तन कब से कार्य शुरू कर देगा;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में कन्टेनर डिपो सेवा उपलब्ध करा दी गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आगरा में कन्टेनर डिपो सेवाओं में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). आगरा स्थित शुष्क पत्तन (इनलैंड कंटेनर डिपो) 19.11.1996 से शुरू हो गया है।

(ग) शुष्क-पत्तनों (इनलैंड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (आई.सी.डी./सी.एफ.एस.) की स्थापना करने संबंधी प्रस्तावों को एक ही स्थान से क्लीयरेंस देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति (आई.एम.सी.) कार्य कर रही है। आई. एम.सी. द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। अनुबंध में दी गई कुछेक परियोजनाएं कार्य कर रही हैं जबकि अन्य परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) और (ङ). आई.सी.डी./सी.एफ.एस. की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार उन पर विचार करेगी। आगरा में कोई आई.सी.डी./सी.एफ.एस. की स्थापना करने के संबंध में अलग से कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

अंतर-मंत्रालीय समिति द्वारा अनुमोदित इंनलैंड कंटेनर डिपो/कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (आईसीडी/सीएफएस) की सूची

1. अमृतसर (पंजाब)
2. कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) 00(दो सीएफएस)
3. नव सेवा (महाराष्ट्र)
4. तूतीकोरिन (तमिलनाडु) 00(तीन सीएफएस)
5. द्रोणगिरि नोड (न्यू बम्बई) 00 (दो सीएफएस) महाराष्ट्र
6. मद्रास (तमिलनाडु)00(सात सीएफएस)
7. कालमबोली (महाराष्ट्र)
8. कोचीन (केरल) 00 (पांच सीएफएस)
9. इंदौर (मध्य प्रदेश)
10. कांडला (गुजरात)
11. सूरत (गुजरात)
12. फरीदाबाद (हरियाणा) 00(दो सीएफएस)
13. जोधपुर (राजस्थान)
14. दसरथ, बड़ौदा (गुजरात)
15. नासिक (गुजरात)
16. उदयपुर (राजस्थान)
17. भटिंडा (पंजाब)
18. तिरूपुर (तमिलनाडु)
19. कोटा (राजस्थान)
20. पोरबंदर (गुजरात)
21. बालासोर (उड़ीसा)
22. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
23. मालनपुर (मध्य प्रदेश)
24. रिवाड़ी (हरियाणा)
25. औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
26. नागपुर (महाराष्ट्र) (दो सीएफएस)
27. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
28. रायपुर (मध्य प्रदेश)
29. आगरा (उत्तर प्रदेश)
30. न्यू मंगलौर (कर्नाटक)
31. पानाम्बुर (कर्नाटक)
32. स्लेम (तमिलनाडु)
33. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
34. रक्सौल (बिहार)
35. सिलीगुडी (पश्चिम बंगाल)
36. हल्दिया (पश्चिम बंगाल)
37. जलगांव (महाराष्ट्र)
38. मेरठ (उ. प्र.)
39. उन्नाव (उ.प्र.)
40. सहारनपुर (उ.प्र.)
41. विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश)
42. भीलवाड़ा (राजस्थान)
43. इलाहाबाद (उ.प्र.)
44. बरवाला (समीप चंडीगढ़)
45. पाराद्वीप बंदरगाह (उड़ीसा)
46. वालुज (महाराष्ट्र)

[अनुवाद]

टायर उद्योग द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

1248. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपवंचन निरोधी महानिदेशालय ने टायर उद्योग के संगठित क्षेत्र द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी के जांच के प्रथम चक्र में उत्पाद शुल्क की कितने धन की चोरी का पता लगाया है;

(ख) दूसरे चक्र में की गई जांच के क्या परिणाम निकले और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी रोकने के संबंध में किस तरीके से की गई; और

(ग) लघु और कुछ बड़े टायर निर्माताओं से कितनी धनराशि वसूले जाने का विचार है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) अपवंचन रोधी महानिदेशालय द्वारा वर्ष 1996 में संगठित क्षेत्र में टायर निर्माताओं के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से लगभग 89.19 करोड़ रुपए के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के एक मामले का पता लगाया गया है।

(ख) अपवंचन रोधी प्रचालनों के दूसरे चक्र में, मध्यम दर्जे के उद्योग क्षेत्र में कुछेक टायर विनिर्माताओं की जांच की गई है। इन मामलों में अब तक किए गए जांच कार्यों से लगभग 6 करोड़ रुपए की राशि के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कथित अपवंचन का पता चला है। इन मामलों में इस आसूचना के आधार पर जांच की गई है कि कुछेक टायर विनिर्माताओं ने ट्रैक्टर ट्रेलर टायरों का बहाना बना कर हल्के वाणिज्यिक वाहन टायरों को हटाया है। हल्के वाणिज्यिक वाहन टायरों पर उच्च दर पर शुल्क लगाया जाता है।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार न्यायनिर्णयन के बाद राशि की वसूली की जा सकती है। तथापि, संगठित क्षेत्र में टायर विनिर्माताओं द्वारा इस संबंध में स्वैच्छिक रूप से 5.85 करोड़ रुपए पहले ही अदा किए जा चुके हैं। अभी तक लघु उद्योग क्षेत्र में टायर विनिर्माताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

1249. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :**
डा. एम. जगन्नाथ :
श्री संदीपान थोरात :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विद्युत संयंत्रों की कोयले की कुल वार्षिक आवश्यकता क्या है;

(ख) प्रत्येक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान माहवार कितने क्रयादेश दिए गए;

(ग) प्रत्येक विद्युत संयंत्र को वर्ष 1996-97 के दौरान माहवार कोयले की कुल कितनी आपूर्ति की गई;

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक विद्युत संयंत्र को चाहे वह सरकारी क्षेत्र का हो अथवा निजी क्षेत्र का हो उनकी आवश्यकता अनुसार कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में विशेषकर सिंगरेनी कोयला खान में कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) वर्ष 1996-97 के लिए योजना आयोग द्वारा विद्युत गृहों के लिए 21.5 मिलियन टन कोयले की मांग का अनुमान लगाया गया है। किंतु विद्युत गृह-वार उत्पादन लक्ष्य केवल 199.64 मिलियन टन कोयले की आवश्यकताओं को दर्शाता है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) कोयला आधारित प्रत्येक विद्युत संयंत्र हेतु, उनके लिए निर्धारित किए गए उत्पादन लक्ष्यों के आधार पर, कोयले के आवंटन किए जाने की सिफारिश करता है। के.वि.प्रा. द्वारा की गई सिफारिश पर स्थायी संयोजन समिति (अल्पावधि द्वारा विचार किया जाता है, जो कि प्रत्येक तापीय विद्युत गृह को कोयले का आवंटन तिमाही आधार पर निम्नलिखित को देखते हुए करती है) कोयले की समग्र कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, कोयले का परिवहन, विद्युत गृहों पर उतराई की सुविधाएं तथा कोयले की आपूर्ति हेतु समय से भुगतान किया जाना।

अप्रैल-अक्तूबर, 1996 की अवधि के दौरान निजी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों द्वारा, प्रत्येक विद्युत संयंत्र को दी जाने वाली कोयले की आपूर्ति की माह-वार मात्रा के संबंध में ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) विद्युत क्षेत्र को दी जाने वाली कोयले की आपूर्ति को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति का प्रबंधन नियमित रूप से अन्तर्मंत्रालयीय दल द्वारा बिना इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के हित में है अथवा नहीं, किया जाता है। जहां कहीं भी आवश्यक हो, कोयले की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) विद्युत क्षेत्र को कोयले के प्रेषण में कई वर्षों से निरन्तर वृद्धि हो रही है। कोल इण्डिया लि. (को.इं.लि.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) दोनों ही विद्युत क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने में समर्थ रही हैं। सिं.को.कं.लि. में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने हेतु विभिन्न कदम उठाये गये हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, नई कोयला खानों को खोलना, विद्यमान कोयला खानों का आधुनिकीकरण किया जाना तथा कंपनी में औद्योगिक संबंधों में सुधार किया जाना शामिल है।

विवरण

('000 टन में)

(आंकड़े अनंतिम)

अप्रैल से अक्तूबर, 1996 की अवधि के दौरान तापीय विद्युत गृहों को को.इं.लि. तथा सिं.को.कं.लि. से माह-वार की गई कोयले की आपूर्ति

तापीय विद्युत गृह का नाम	अप्रैल, 96	मई, 96	जून, 96	जुलाई, 96	अगस्त, 96	सितम्बर, 96	अक्तूबर, 96
1	2	3	4	5	6	7	8
बदरपुर	218	239	234	249	275	231	228
आई.पी. (डेसू)	85	113	126	90	81	92	62
राजघाट	57	67	67	71	61	64	57
फरीदाबाद	72	63	62	66	71	55	53
पानीपत	159	213	209	194	267	246	142
भटिंडा	127	168	153	203	246	212	215
रोपड़	356	341	346	436	503	446	384
हरदुआगंज	96	89	53	46	53	39	47
ओबरा	270	263	245	207	142	142	250
सिंगरौली	861	773	724	722	713	741	843
रिहन्द	405	391	372	285	235	406	488
एनसीटीपीपी	262	278	321	345	322	311	382
ऊंचाहार	138	122	162	140	141	164	204
पंकी	49	54	53	40	43	34	42
परीचा	37	43	47	46	45	40	44
अनपारा	520	538	571	685	583	668	630
टांडा	98	71	91	77	77	64	98
कोटा	403	319	289	388	375	401	434
अहमदाबाद	123	160	127	147	143	143	188
वानकबोरी	414	386	429	327	360	404	483
गांधीनगर	180	187	188	163	124	103	185
उकाई	340	316	306	327	287	263	252
सिक्का	93	103	103	107	80	97	100
भुसावल	159	197	204	107	73	87	118
चन्द्रपुर	750	773	697	634	487	640	862
कोराडीह	616	635	548	537	537	584	625

1	2	3	4	5	6	7	8
नासिक	379	330	377	321	342	212	216
खापरखेड़ा	33	25	34	116	154	170	187
परली	203	239	260	246	212	312	261
पारस	–	16	17	26	10	10	10
धानू	107	160	130	137	180	202	221
ट्राम्बे	10	10	2	0	3	0	
कोरबा ईस्ट	163	190	172	171	130	131	175
कोरबा वेस्ट	252	203	281	271	184	154	219
अमरकंटक	46	52	82	46	34	29	21
सतपुड़ा	457	439	401	403	421	462	495
बिरसिंहपुर	154	145	119	111	74	74	94
कोरबाएसटीपीएस	1141	1066	997	1007	988	946	994
विंध्याचल	495	383	408	433	428	454	577
रामागुंडम	893	946	660	651	560	659	462
कोथागुडम	577	436	362	384	282	226	265
रामागुंडम "बी"	26	27	30	27	23	26	24
विजयवाड़ा	659	683	666	576	742	634	686
मुड्डानूर	241	127	66	171	97	69	95
तूतीकोरिन	255	258	197	282	237	262	280
मेट्टूर	294	319	336	333	352	401	432
एन्नोरे	224	245	220	299	255	242	264
नेल्लोरे	1	21	9	6	–	–	–
रायचूर	387	348	303	358	341	280	308
बरौनी	67	49	47	49	46	15	14
पतरातु	94	105	112	101	92	91	61
मुजफ्फरपुर	52	5	19	20	9	25	12
पटना	0	2	0	2	2	2	0
तेनूघाट	7	8	0	0	26	34	56
चन्द्रपुर	201	127	108	157	134	65	147
बोकारो	150	132	106	168	118	111	140
डीवीसी	105	67	72	42	56	91	129

1	2	3	4	5	6	7	8
सीईएससी एस.जन.	139	116	120	141	129	131	139
टीटागढ़	88	102	90	106	83	84	86
बंडेल	98	118	116	119	97	126	106
संथालडीह	101	97	70	83	83	82	82
कोलाघाट	412	403	409	443	414	438	458
डी.पी.एल.	59	62	47	75	54	44	49
फरक्का (एसटीपीएस)	582	463	428	428	451	391	480
तलचर	144	128	126	0	123	110	110
तलचर एसटीपीएस	0	0	0	139	17	82	66
ईब घाटी	123	116	97	142	128	178	254
कहलगांव	222	241	182	278	209	220	270
बंगईगांव	27	38	24	32	33	24	18

[हिन्दी]

लोक अदालतें

1250. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक अदालत का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को माह में कम से कम दो बार लोक अदालत आयोजित करने के लिए निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है तथा अन्य राज्यों को इस प्रकार के निर्देश नहीं देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार के इन निर्देशों का संबंधित राज्यों द्वारा पालन किया जाता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां। सभी राज्य सरकारों को अनुरोध कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी हां।

(च) अब तक प्राप्त उत्तर के आधार पर 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में लोक अदालतें आयोजित की गई हैं, जिनमें 68,262 मामले विनिश्चित किए गए हैं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

वस्त्र मिलों का पुनरूद्धार

1251. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

श्री भक्त चरण दास :

श्री दिनशा पटेल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में राज्य वस्त्र मिलों के पुनरूद्धार तथा पुनर्गठन के लिए तथा उन मिलों के कामगारों की देय राशि संबंधी मामलों के निपटान के लिए धनराशि की मांग के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) प्रत्येक राज्य सरकार को इस प्रयो... हेतु वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (घ). उद्योग मंत्रालय के अनुसार औद्योगिक विकास विभाग को राज्य वस्त्र मिलों का पुनर्निर्माण करने के प्रस्तावों सहित विभिन्न राज्य सरकारों से 407.86 करोड़ रु. मूल्य के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन.आर.एफ.) से सहायता की स्वीकृति के लिए प्रचालन संबंधी रूपकात्मकताओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही प्रस्तावों के ब्यौरों पर कार्यवाही की जाएगी।

इस समय राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का सुव्यवस्थित कामगारों को परामर्श देने, प्रशिक्षण देने तथा पुनर्तैनात करने में सहायता देने संबंधी योजनाओं तक ही सीमित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पद

1252. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 6 सितम्बर, 1996 के "द फायनानशियल एक्सप्रेस" में "105 पी.एस.यूज हेड लेस, अनएबल टू मैच एम.एन. सीज रिम्यूनरेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए योग्य व्यक्तियों के चयन में कठिनाई महसूस कर रही हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शीर्षस्थ अधिकारियों को वर्तमान में दिया जा रहा वेतन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिये जा रहे वेतन से कम है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31.10.1996 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यपालकों के 28 पद रिक्त थे। इन रिक्त पदों में से 22 पदों के लिए लोक उद्यम चयन मण्डल द्वारा पहले ही चयन किया जा चुका है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों के लिए वेतनमानों तथा महंगाई भत्ता फार्मूले का संशोधन 1.1.1992 से किया गया था तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यपालकों की वेतन संरचना की अनुशंसा करने के लिए एक वेतन संशोधन समिति का गठन किया गया है जो 1.1.1997 से प्रभावी होगी। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यपालकों की वेतन संरचना पर अनुशंसा करते समय वेतन संशोधन समिति विभिन्न संबद्ध कारकों पर विचार करेगी।

न्यूनतम कर विकल्प

1253. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम कर विकल्प प्रस्ताव को वापिस लेने की भारी मांग हो रही है;

(ख) क्या बहुत से उद्योगपतियों ने भी निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा प्रस्ताव को वापिस लेने का अनुरोध किया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसको वापिस न लेने के मुख्य कारण क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). न्यूनतम वैकल्पक कर (मैट) के उपबंधों को वापस लेने अथवा उनमें संशोधन करने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को शून्य कर अथवा कम कर अदा करने वाली ऐसी कंपनियों (खाता लाभ के 12.9 प्रतिशत से कम) पर कुछ कर लगाने के लिए लागू किया गया था, जो काफी अधिक खाता-लाभ तो दिखा रही थीं किन्तु कोई कर अदा नहीं कर रही थी अथवा बहुत ही कम कर अदा कर रही थीं।

रूग्ण औद्योगिक इकाइयों का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पुनर्वास

1254. श्री हरिन पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय स्टेट बैंक समूह के बैंक, रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास कार्यक्रम के संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के निदेशों और दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने मामले सरकार की जानकारी में लाए गए; और

(ग) 1990 से आगे औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा जारी ऐसे निर्देशों का ब्यौरा क्या है, उक्त बैंक की भागीदारी से कितनी रूग्ण इकाईयों का पुनर्वास किया गया तथा उक्त अवधि के दौरान कितनी बार उक्त समूह के बैंकों ने अपने वित्तीय दायित्व का औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निर्वाह किया?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपास का निर्यात

1255. **श्री सुरेश प्रभु :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री डा. बल्लभ भाई कठेरिया :
श्री सिद्दया कोटा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यवार कपास का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 के लिए कपास के निर्यात के कोटे संबंध में घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से कपास निर्यात के कितने कोटे की मांग की गई है और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कपास की कितनी मात्रा के निर्यात की अनुमति दी गई;

(घ) क्या कपास निर्यात कोटे की घोषणा में अत्यधिक विलम्ब से देश के कपास उत्पादकों में गंभीर चिंता व्याप्त है;

(ङ) यदि हां, भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) देश में कपास के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान कपास का कुल उत्पादन 153.50 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया गया है। इसके राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां। कपास वर्ष 1996-97 में अभी तक निर्यात के लिए कपास की 5.15 लाख गांठों का कोटा रिलीज किया गया है।

(ग) विभिन्न एजेंसियों के आबंटन संबंधी कोटों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं। 1996-97 के कपास वर्ष के लिए निर्यात कोटों की घोषणा मौसम के आरंभ में ही कर दी गई थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार द्वारा कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। कीमत के न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे गिए जाने की स्थिति में भारतीय कपास निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की अधिप्राप्ति करके उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। सरकार ने मौसम के आरंभ में कपास की 5.15 लाख गांठों का निर्यात कोटा रिलीज किया है। इस समय रेशे वाली कपास की कीमतें समर्थन मूल्य से 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत से अधिक बतलाई गई हैं।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 में कपास का राज्यवार उत्पादन

(दिनांक 26.8.1996 को कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमानित अनुसार)

राज्य	उत्पादन (लाख गांठ में- प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.)
पंजाब	14.35
हरियाणा	11.30
राजस्थान	13.75
गुजरात	31.25
महाराष्ट्र	28.75
मध्य प्रदेश	14.25
आंध्र प्रदेश	27.35
कर्नाटक	9.50
तमिलनाडु	5.00
अन्य	1.00
योग :	156.00

विवरण-II

वर्ष 1996-97 में निर्यात के लिए रिलीज की गई अपरिष्कृत कपास की मात्रा

मात्रा (लाख गांठ)	के पक्ष में रिलीज कोटा
1.50 बंगाल देशी	सभी
0.05 असम कोमिला	भारतीय कपास निगम
3.60 रेशेवाली कपास	1 भारतीय कपास निगम लि. (सी सी आई)
	0.5 महाराष्ट्र परिसंघ
	0.5 गुजरात परिसंघ
	0.5 नेफेड
	0.5 हरियाणा परिसंघ
	0.05 राजस्थान परिसंघ
	0.10 मध्य प्रदेश परिसंघ
	0.10 आंध्र प्रदेश परिसंघ
	0.50 पंजाब "मार्कफैड तथा कर्नाटक राज्य परिसंघ
	0.30 निजी व्यापार

5.15 लाख गांठ

(27 नवंबर, 1996 की स्थिति के अनुसार)

[हिन्दी]

राजस्थान में बैंकों द्वारा धनराशि का दुरूपयोग

1256. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीयकृत/निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा धनराशि के संबंध में अनियमितताएं, गबन तथा दुरूपयोग के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) कितने मामलों की जांच की गई तथा कितने मामले सही पाए गए और कितने मामले अभी भी लंबित हैं;

(ग) इन मामलों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) राजस्थान में बैंक सेवाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक में मौजूदा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए तरीके से सूचना नहीं मिलती है। तथापि, वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान सरकारी क्षेत्र एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों मे पता लगाई गई धोखाधड़ी की कुल संख्या तथा उनमें निहित धनराशि से संबंधित सूचना निम्नलिखित है :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	
	धोखाधड़ी की संख्या	निहित धनराशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित धनराशि
1993	2213	320.32	223	8.61
1994	2266	200.08	215	4.54
		+ युगांडा शिलिंग 9844000		
1995	1890	115.51	182	14.51

वर्ष 1993, 1994 एवं 1995 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी में शामिल दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित तत्काल उपलब्ध सूचना निम्नलिखित है:-

		1993	1994	1995
(i)	दोषी कर्मचारियों की संख्या	57	50	33
(ii)	उन कर्मचारियों की संख्या जिन पर बड़े/छोटे/दंड लगाये गये हैं	874	1248	1160
(iii)	उपर्युक्त (ii) में से पदच्युत/सेवामुक्त/हटाए गये कर्मचारियों की संख्या	312	360	301

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरोध पर भ्रष्टाचार रोकने तथा धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर कुछ उपाय किए हैं। इन उपायों में बैंकों में नियंत्रण-तंत्र सुदृढ़ बनाना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सतत आधार पर धोखाधड़ी के मामलों की पुनरीक्षा करना, बैंकों को अलग-अलग मामलों में कार्यप्रणाली और साथ ही ऐसे मामलों की आवृत्ति रोकने के लिए अपेक्षित सुरक्षा की सलाह देना, संचालन कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण देना तथा सूचित किए गए प्रमुख धोखाधड़ी के मामलों में छानबीन एवं जांच करना और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धोखाधड़ी-बहुल क्षेत्रों में प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा नियंत्रण-व्यवस्थाओं सहित अचानक निरीक्षण करना आदि शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1990 में श्री एम.एन. गोइपोरिया की अध्यक्षता में "बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी समिति" नियुक्त की थी। इस समिति ने बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए कई सिफारशें की थीं। इन सिफारिशों में से अधिकांश सिफारिशों को बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने "बैंकिंग ओमबड्समैन योजना, 1995" बनाई है, जिसमें बैंकों के विरुद्ध शिकायतों का शीघ्र एवं कम खर्चीला समाधान देने का प्रयत्न किया जाता है।

[अनुवाद]

कृषि ऋणों पर ब्याज दरें

1257. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि क्षेत्र की सहायता हेतु कृषि ऋणो की ब्याज दरें अविनियमित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को कम मात्रा में ऋण वितरित किये जाने को कृषि उत्पादन में अत्यधिक कमी का मुख्य कारण माना जा रहा है; और

(ग) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान कृषि क्षेत्र को ऋण की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर के बारे में किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है और इन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन में इसका प्रभाव कैसे पड़ा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान निदेशों के अनुसार, अग्रिमों (निर्यात ऋण एवं कुछ अन्य अग्रिमों को छोड़कर) के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दरें अग्रिम/सीमा के आकार पर आधारित होती हैं। वर्तमान ब्याज दरें निम्नानुसार हैं :-

ऋण सीमा का आकार	ब्याज दर
(1) 25,000/-रुपए तक और इसके सहित	12.0
(2) 25,000/- रुपए से अधिक और 2 लाख रु. तक	13.5
(3) 2 लाख रुपए से अधिक	स्वतंत्र

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी उधार दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। सहकारी बैंक भी न्यूनतम 12 प्रतिशत के अध्यधीन अपनी उधार दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

कृषि उत्पादन का स्तर, अन्य बातों के साथ-साथ, जलवायु संबंधी परिस्थितियों, अधिमान्य फसल पद्धति, कीमतों की प्रत्याशा और ऋण सहित निष्टियों के प्रयोग पर निर्भर करता है। इसलिए, कृषि उत्पादन में होने वाली घट-बढ़ को, केवल ऋण के प्रयोग में घट-बढ़ के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता।

कृषि को उधार के लिए बैंकिंग प्रणाली के संसाधनों को, जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उचित रूप से वृद्धि की जाती है, कृषि क्षेत्र की ऋण संबंधी प्रभावी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

नाबार्ड ने सूचित किया है कि कृषि क्षेत्र को आधार स्तरीय ऋण के प्रवाह में निरंतर वृद्धि दिखाई दी है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आधार स्तरीय ऋण का प्रवाह 1991-92 में 11202 करोड़ रु. करोड़ के स्तर से 1993-94 के अंत में 16964 करोड़ रुपए हो गया है। 1994-95 और 1995-96 के दौरान कृषि क्षेत्र को अनुमानित आधार स्तरीय ऋण का प्रवाह क्रमशः 21424 करोड़ रुपए और 24849 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) है। 1996-97 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए आधार स्तरीय ऋण 28817 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋणों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने उनसे यह कहा है कि वे विशेष कृषि ऋण योजनाएं तैयार करें। वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए विशेष कृषि ऋण योजनाओं के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों का संवितरण क्रमश5 8255 करोड़ रुपए और 10172 करोड़ रुपए था।

1995-96 के अंतर्गत बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करते समय, गवर्नर ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से यह अनुरोध किया था कि वे 1995-96 की तुलना में 1996-97 की विशेष कृषि ऋण योजनाओं के अंतर्गत कृषि के लिए अपने संवितरणों में कम से कम 25 प्रतिशत वृद्धि दर्शाएं।

निजी बैंकों की स्थापना

1258. **श्री जी. वेंकट स्वामी :**
श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी बैंकों की स्थापना करने हेतु लाइसेंस देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वित्त वर्ष में अब राज्यवार जारी किये गये लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कुछ उन निजी बैंकों को भी लाइसेंस जारी किये हैं जो चूककर्ता बैंकों की सूची में थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1983 में गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश के संबंध में मार्गनिर्देश जारी किए थे। मार्गनिर्देशों के अनुसार, गुण-दोषों के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों के प्रवेश की अनुमति देते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना अपेक्षित है: (1) वे वित्तीय क्षेत्र सुधारों के उन पूर्वप्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हों जो कुल मिलाकर समाज के लिए प्रतियोगी, सक्षम और निम्न लागत वित्तीय मध्यस्थता उपलब्ध कराते हों; (2) वे वित्तीय रूप से अर्थक्षम हों; (3) वे बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नयन में अच्छे परिणाम दे सकें (4) वे अनुचित पूर्व क्रय अधिकार और आर्थिक शक्ति के ऋण एकाधिकार के संकेन्द्रण, औद्योगिक समूहों के साथ परस्पर धारिता आदि जैसी कमियां जिनसे गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक, राष्ट्रीयकरण से पूर्व पीड़ित थे, से दूर रहें; (5) बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की स्वतंत्रता को सावधानीपूर्वक और न्यायसम्मत ढंग से करना आवश्यक है।

1993 में मार्गनिर्देशों के जारी होने के बाद, दस गैर-सरकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है :-

बैंक का नाम	राज्य का नाम	जारी करने की तारीख
1	2	3
1993-94		
1. यूटीआई बैंक लि.	गुजरात	28.2.1994

1	2	3
1994-95		
	इंडस इंड बैंक लि.	महाराष्ट्र	2.4.1994
3.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	महाराष्ट्र	17.5.1994
4.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	आन्ध्र प्रदेश	6.9.1995
5.	एचडीएफसी बैंक लि.	महाराष्ट्र	5.1.1995
6.	सेंचुरियन बैंक लि.	गोवा	13.1.1995
1995-96		
7.	बैंक आफ पंजाब लि.	चण्डीगढ़	7.4.1995
8.	टाइम्स बैंक लि.	हरियाणा	8.6.1995
9.	डेवल्पमेंट क्रेडिट बैंक लि.	महाराष्ट्र	1.6.1996
10.	आईडीबीआई बैंक लि.	मध्य प्रदेश	13.11.1995

(ख) सरकार गैर-सरकारी बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी नहीं करती है। भारतीय रिजर्व बैंक गैर-सरकारी बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने किसी ऐसे नए बैंक को लाइसेंस जारी नहीं किया है जिसका संवर्धन किसी ऐसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, जिसका नाम बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की चूककर्ता सूची में आया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजा चैलय्या समिति

1259. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजा चैलय्या समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) उन सिफारिशों का क्या ब्यौरा है जिन्हें अब तक लागू किया जा चुका है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) डा. राजा चैलय्या समिति की सिफारिशों में कर-कानूनों में संरचनात्मक सुधारों पर व्यापक बल दिया गया है जो चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किए जाने हैं।

(ख) गत पांच वर्षों में कुछ सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं। इसमें सीमा शुल्क के बारे में, सीमा शुल्क की उच्चतम दर में कटौती, शुल्क दरों की संख्या में कटौती और बहुत सी अन्तयः उपयोग आधारित छूटों की समाप्ति तथा आयकर के बारे में प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत कटौतियों का सुप्रवाहीकरण, 1,20,000/- रुपए तक की आय वाले गैर व्यापारी कर-दाताओं के लिए सरलीकृत एकलशीट विवरणी की शुरूआत और स्रोत कर पर कटौती से सम्बन्धित प्रक्रियाओं और नियमों का सरलीकरण शामिल है।

राज्यों के माध्यम से निर्यात क्षेत्रों को अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन

1260. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अवसंरचनात्मक सुविधाओं एवं निर्यात क्षेत्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज मांगने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). निर्यातोन्मुख उत्पादन के लिए ढांचागत सुविधाओं के सृजन में राज्य सरकारों को शामिल करने की दृष्टि से अगस्त, 1994 में एक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) योजना शुरू की गई थी। इस योजना में प्रत्येक राज्य में एक ई.पी.आई.पी. के सृजन का प्रावधान है। केन्द्र सरकार का अनुदान पूंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत होगा जो प्रत्येक मामले में 10 करोड़ रु. तक की राशि तक सीमित रहेगा। भूमि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपने खर्च पर की जाएगी। केन्द्र सरकार ने अब तक पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर से प्राप्त 18 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है जो क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा सात निर्यात संसाधन जोन (ई.पी.जैड.) स्थापित किए गए हैं। ये गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और आन्ध्र प्रदेश में स्थित हैं। केन्द्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को और संयुक्त/निजी क्षेत्र को निर्यात संसाधन जोनों की स्थापना करने की अनुमति दी है।

सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान "निर्णायक निवेश-संतुलन योजना" (सी.बी.आई. योजना) शुरू की है जिसमें निर्यात उत्पादन और वाहन के लिए बुनियादी सुविधाओं की कठिनाईयों को कम करने के लिए पूंजीगत निवेश को संतुलित करने का प्रावधान है। इस योजना

के तहत सहायता के लिए अभिज्ञात राज्य सरकारों के प्रस्तावों समेत प्रस्तावों का वित्त पोषण इस प्रयोजन के लिए अलग से रखी गई विशेष निधि में से वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1996-97 के लिए अलग से 25 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ). निम्नलिखित तीन प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से सड़क सुधार के बारे में मिले है। जो सी.बी.आई. योजना के तहत वाणिज्य मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन हैं :-

(1) मुम्बई-नासिक खण्ड वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 को चौड़ा करना।

(2) यूरन पनवेल रोड; स्टेट राजमार्ग सं. 54 का पुनरूद्धार करना।

(3) नासिक से इगतपुरी खण्ड वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 का सुधार करना।

(ङ) केन्द्र सरकार निर्यात संवर्धन में बुनियादी सुविधाओं, निवेश सामग्री सहायता, चुंगी से राहत, बाधाओं को दूर करने इत्यादि का प्रावधान करने में राज्य सरकारों की भागीदारी चाहती है। राज्यों से संबंधित विशिष्ट चिन्ता के मसलों पर भी उनसे परामर्श किया जाता है। राज्यों की सक्रिय भागीदारी निर्यात उपायों का एक आवश्यक हिस्सा है। वाणिज्य मंत्रालय के सुझाव पर अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में निर्यातकों/आयातकों को पेश आने वाली समस्याओं पर विचार करने अथवा उनका निराकरण करने के लिए मुख्य मंत्री अथवा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष-स्तरीय संगठन स्थापित किए हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्य निगम को अधिकतम निर्यात अर्जन की शर्त में शिथिलता देते हुए निर्यात कराने का दर्जा दिया गया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा महाराष्ट्र में प्रीमियम की वसूली

1261. **श्री अन्नासाहिब एम.के.पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसीधारकों से प्रीमियम के रूप में कुल कितनी राशि एकत्र की गई है तथा अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में कितने व्यक्तियों को बीमा किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर भारतीय जीवन बीमा निगम ने अनुमानतः कितना निवेश किया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निर्यात नीति

1262. **श्री संदीपान थोरात** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के उदारीकरण और सार्वभौमिकरण को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों विशेष रूप से भारी उद्योगों के लिए विशेष नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में अभी तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चुने गए क्षेत्रों में प्रोत्साहन पैकेज और उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि वे विश्व स्तर पर लागत प्रभावी गुणवत्त उत्पादों का विशेष लाभ उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा सकें?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). मौजूदा निर्यात नीति आम तौर पर निर्यात व्यापार के लिए बनाई गई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) खासकर भारी उद्योग के लिए कोई बहु प्रयोजन निर्यात नीति नहीं बनाई गई है। तथापि, निर्यात के उदारीकरण/अंतर्राष्ट्रीयकरण के माहौल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने भारी उद्योग समेत अपने प्रचालनों के क्षेत्र में अपने निर्यात की कार्य योजनाओं को इस प्रकार पुनः नियोजित किया है कि वे उदारीकृत अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा वातावरण के अनुकूल हों। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने क्रियाकलापों के विविधीकरण के एक भाग के रूप में पुनः संरचना करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है जिनमें शामिल हैं: विदेशी/भारतीय साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना करना ताकि साझेदारों की प्रौद्योगिकी एवं बाजार-शक्तियों तक निरन्तर पहुंच कायम हो सके। बेहतर गुणवत्ता और प्रभावी लागत के लिए नए प्रयास पहले ही शुरू कर दिए गए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले निर्यात कारोबार के बारे में ठेका संबंधी व्यवस्था के लिए कोई केन्द्रीय रजिस्ट्री व्यवस्था नहीं है।

न्यूनतम आवश्यकता हेतु धनराशि

1263. **श्री वित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जुलाई में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री द्वारा ढांचागत क्षेत्र विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, ग्रामीण, विद्युतीकरण तथा आवास के क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दिए जाने का आश्वासन दिया गया तथा राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी धनराशि वितरित की गई;

(ग) इन क्षेत्रों में शुरू की गई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने आश्वासन के अनुसार राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने के बारे में सूचित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से ङ). मुख्य-मंत्रियों का सम्मेलन दिनांक 4-5 जुलाई, 1996 को हुआ था, जिसमें वरीयतापूर्वक ध्यान दिए जाने और समयबद्ध रूप से कार्य पूरा किए जाने के लिए न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत सात मूलभूत न्यूनतम सेवाओं को चिन्हित किया गया। ये कार्यक्रम इस प्रकार से हैं:- (1) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के प्रावधान को 100 प्रतिशत राशि की पूर्ति; (2) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को 100 प्रतिशत राशि की पूर्ति; (3) प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना; (4) बेघर गरीब परिवारों को सार्वजनिक आवासीय सहायता का प्रावधान (5) सभी ग्रामीण ब्लाकों और शहरी स्लमों और कमजोर वर्गों के प्राथमिक स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था; (6) बिना सड़कों वाले गांवों और स्थानों को सड़कों द्वारा जोड़ने सम्बन्धी प्रावधान; और (7) गरीबों पर विशेष ध्यान देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाना।

इन सेवाओं के लिए निधियों की उपलब्धता बनाने के लिए वित्त वर्ष 1996-97 में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तौर पर राज्यों को 2466 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है। इस राशि में से 250 करोड़ रुपए झुग्गी वासियों के लिए निर्धारित किए गए हैं शेष 2216 करोड़ रुपए राज्यों को आबंटित किए गए हैं और यह राशि उपर्युक्त सात चिन्हित मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों की वार्षिक योजना में पहले से जुटाए गए प्रावधान के अतिरिक्त होगी।

कुछ राज्य सरकारों ने मूलभूत न्यूनतम सेवाओं और स्लम विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता शीघ्र जारी किए जाने के लिए प्रतिवेदन किया है। स्लम विकास की स्कीमों सहित मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 1996 को राज्यों को कुल स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत जारी किया जा चुका है। राज्यों को 25 प्रतिशत की दूसरी किस्त दिसम्बर, 1996 में तथा 25 प्रतिशत की तीसरी किस्त जनवरी, 1997 में दी जाएगी। शेष राशि राज्यों को कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, योजना मंत्रालय से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही अदा की जाएगी। वर्ष 1996-97 में मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के आबंटन (जिसमें स्लम स्कीमों के लिए दिए गए 250 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं) और दिनांक 27.11.1996 तक राज्य सरकारों को जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का आबंटन-(स्लम योजना के 2.50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त) वर्ष 1996-97 के लिए और 27.11.96 तक उनके लिए राज्य सरकारों को दी गई राशि

(करोड़ रुपयों में)

	राज्य	आबंटित राशि	दी गई राशि
I.	**विशिष्ट श्रेणी राज्य**		
1.	अरुणाचल प्रदेश	62.18	15.55
2.	असम	154.14	38.53
3.	हिमाचल प्रदेश	64.41	16.10
4.	जम्मू और कश्मीर	156.52	39.13
5.	मणिपुर	44.30	11.08
6.	मेघालय	37.03	9.26
7.	मिजोरम	36.87	9.22
8.	नागालैंड	37.53	9.38
9.	सिक्किम	25.65	6.41
10.	त्रिपुरा	46.37	11.59
	जोड़-I	665.00	166.25
II.	**गैर विशिष्ट श्रेणी राज्य**		
1.	आंध्र प्रदेश	140.52	35.13
2.	बिहार	225.67	56.42
3.	गोवा	1.55	0.39
4.	गुजरात	52.58	13.15
5.	हरियाणा	19.08	4.77
6.	कर्नाटक	59.40	14.85
7.	केरल	69.64	17.41
8.	मध्य प्रदेश	144.09	36.02
9.	महाराष्ट्र	96.78	24.20
10.	उड़ीसा	79.26	19.82
11.	पंजाब	25.59	6.40
12.	राजस्थान	87.63	21.91
13.	तमिलनाडु	82.36	20.59
14.	उत्तर प्रदेश	317.33	79.33
15.	पश्चिम बंगाल	150.00	37.50
	जोड़-II	1551.48	387.89
	सकल जोड़ (I+II)	2216.48	554.14

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पद

1264. **श्री तारीक अनवर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के रिक्त उच्च पद भरे नहीं जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन स्थितियों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के रिक्त उच्च पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

बिहार में प्रशिक्षण केन्द्र

1265. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार में स्वनियोजन योजना के अन्तर्गत कुल कितने प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं और इन केन्द्रों के प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों को क्या सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिहार में ऐसे और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) सरकार बिहार राज्य सहित पूरे देश में स्वरोजगार सृजन के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। अधिकतर योजनाएं राज्य सरकार/गैर सरकारी संगठनों/अन्य संस्थानों के एजेंन्सियों के माध्यम से संचालित की जा रही हैं जिन्हें केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा निधि/अनुदान सहायता दी जाती है।

संबंधित सरकारी विभागों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार बिहार में 120 प्रशिक्षण केन्द्र हैं और स्वरोजगार योजना के तहत प्रत्येक वर्ष लगभग 29,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इन केन्द्रों के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित ऐसे सभी व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यमों को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) जी, हां।

उत्तर प्रदेश में उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु योजना

1266. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में उत्पादन तथा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मुरादाबाद में प्रणाली सुधार योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को क्रूशियल बैलेंसिंग इन्वेस्टमैंट स्कीम, के अंतर्गत पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है जिसमें केन्द्रीय सरकार का अंशदान 8 करोड़ रु. का है। परियोजना पर कुल 12.41 करोड़ रु. का व्यय होने का अनुमान है। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निष्पादित किया जाना है जिसके कार्यान्वियन को देखने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही एक समिति गठित कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाणिज्य मंत्रालय ने सूरजपुर-कासना जिला गाजियाबाद में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) को भी मंजूरी दी है। पार्क का विकास हो रहा है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष कर के संबंध में भारत-रूस की वार्ता

1267. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर माह में मास्को में प्रत्यक्ष कर संबंधी मुद्दे पर आयोजित भारत-रूस वार्ता के चौथे दौर का निष्कर्ष क्या है; और

(ख) भारत द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप किसी संधि पर हस्ताक्षर हो जाएं, क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारत और रूसी परिसंघ के बीच दोहरे कराधार के परिहार से संबंधित एक करार को अंतिम रूप देने के लिए भारत-रूस वार्ता का चौथा दौर दिनांक 15 से 18 अक्तूबर, 1996 तक मास्को में आयोजित किया गया था। यह वार्ता बहुत ही मैत्री और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई थी और बात-चीत के इस अंतिम दौर में कुछेक ऐसे मुद्दों पर विचार-विमर्श करके उन्हें सौहार्दपूर्ण तरीके से तय किया गया था जिन पर आगे विचार किया जाना अपेक्षित था। उक्त विचार-विमर्श के

परिणामस्वरूप करार को इस प्रकार अ[illegible]कारी स्तर पर शुरू किया गया है और इस पर औपचारिक रूप से शीघ्र ही हस्ताक्षर करने के आगे कदम उठाए जा रहे हैं।

गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में रबर की खेती

1268. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

श्री एन. डेनिस :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में रबर की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में शामिल किए जाने वाली कुल भूमि के क्षेत्रफल सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गैर परम्परागत क्षेत्रों में रबड बागानों सहित बागानों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का विवरण

रबड

1995-96 के दौरान गैर-परम्परागत क्षेत्रों में 2092.13 हैक्टेयर क्षेत्र का रोपण किया गया और 1996-97 के दौरान 3570 हैक्टेयर पर रोपण करने का लक्ष्य है। रबड बोर्ड गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ बागानों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:-

1. रबड़ बागान विकास योजना 8,000 रु. प्रति हैक्टेयर की दर से एक वित्तीय सहायता और 3,000 रु. प्रति है. की दर से रोपण सामग्री की प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराती है। अनु.जा./अनु.जनजाति श्रेणियों के लिए, प्रतिपूर्ति 4,000 रु. प्रति है. पर उपलब्ध करायी जाती है।

2. सीमा सरंक्षण योजना 1,500 रु. प्रति है. की दर से सहायता उपलब्ध कराती है। अनु.जा./अनु.जनजाति श्रेणियों के लिए यह सहायता 4,000 रु. प्रति है. की दर से दी जाती है।

3. अ.जा./अ.जनजाति के उत्पादकों को रोपण के पहले चार वर्षों के दौरान 50 प्रतिशत रियायती दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति।

4. 5,000 रु. प्रति है. की दर से सिंचाई के लिए सहायता।

5. सामुदायिक प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता।

6. अन्य योजनाएं, जैसे रोपण सामग्री का वितरण, जनजाति और अ.जा. के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए रबड़ बागान प्रदर्शन प्लाट स्थापित करना, उत्पादकों और बागान प्रबंधन में लगे अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु जिला विकास केन्द्रों की स्थापना करना। त्रिपुरा में, त्रिपुरा सरकार और विश्व बैंक की सहायता से एक जनजाति विकास योजना कार्यान्वित की जा रही है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ बागानों के विकास पर व्यय की गई राशि निम्नानुसार है:-

1993-94	570.26 लाख रुपए
1994-95	592.84 लाख रुपए
1995-96	620.97 लाख रुपए

कॉफी

आठवीं योजना अवधि के दौरान विस्तार, अनुसंधान, विकास, ऋण, वित्त तथा अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से गैर-परम्परागत क्षेत्रों में अनेक विशेष योजना तथा गैर-योजना परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इन विशेष परियाजनाओं में ये शामिल हैं: आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में विस्तार कार्यालय, विजाग में क्षेत्रीय कार्यालय, कोरापुट (उड़ीसा) तथा हाफलांग (असम) में स्थापित दो काफी प्रदर्शनी फार्म क्षेत्रों का अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्रीय कॉफी अनुसंधान केन्द्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र (अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर) में पांच कॉफी प्रदर्शन फार्म तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्मिकों की प्रशिक्षण के लिए असम में दिपु में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र।

गैर-परम्परागत क्षेत्रों में कॉफी के अंतर्गत लगभग 22,016 हैक्टेयर क्षेत्र आता है। आठवीं योजना के दौरान गैर-परम्परागत क्षेत्रों में 5000 हैक्टेयर क्षेत्र में कॉफी बागान का विस्तार किया गया है।

गत तीन वर्षों के दौरान गैर-परम्परागत क्षेत्रों में कॉफी बागानों के विकास पर खर्च की गई राशि निम्नानुसार है :-

1993-94	108.70 लाख रुपए
1994-95	109.56 लाख रुपए
1995-96	137.84 लाख रुपए

चाय:-

गैर-परम्परागत क्षेत्रों में चाय बागानों को प्रोत्साहित करने के लिए न्यू टी युनिट फाइनेंसिंग स्कीम चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत-परम्परागत क्षेत्रों में नए चाय बागानों की स्थापना करने के लिए 63,200 रु. प्रति हैक्टेयर की दर से ऋण तथा 37,900 रु. प्रति हैक्टेयर की दर से राजसहायता दी जाती है। गैर-परम्परागत क्षेत्र में 2664.52 हैक्टेयर में चाय के पौधे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, गैर-परम्परागत क्षेत्रों में 3557.59 हैक्टेयर क्षेत्र में चाय रोपण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से 11 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-परम्परागत क्षेत्रों में चाय बागानों के विकास पर व्यय की गई राशि निम्नानुसार है :-

1993-94	रु. 354.8 लाख
1994-95	रु. 227.01 लाख
1995-96	रु. 325.5 लाख

वित्तीय संस्थानों की सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी

1269. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी वित्तीय संस्थानों की सार्वजनिक निर्गमों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जा रहे मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी वित्तीय संस्थानों विशेष रूप से भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम पर कम्पनियों के सार्वजनिक निर्गमों में भागीदारी करने हेतु दबाव डाला जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी वित्तीय संस्थानों पर अनेक सार्वजनिक निर्गमों में भागीदारी करने के लिए दबाव डाले जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकारी निर्गमों में वित्तीय संस्थाओं (एफ आई) की भागीदारी के लिए सरकार ने कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि कम्पनियों के सार्वजनिक निर्गमों में भाग लेने का निर्णय उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं परियोजनाओं की वित्तीय, आर्थिक, वाणिज्यक अर्थक्षमता और तकनीकी संभाव्यता पर निर्भर करता है।

(ख) जी, नहीं। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि. (आई सी आई सी आई) जोकि एक सरकारी वित्तीय संस्था है, ने सूचित किया है कि आई सी आई सी आई परियोजना की अर्थक्षमता और उसके अंतर्ग्रस्त जोखिम के आधार पर हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान सहायता मंजूर करता है जो पुनः परियोजना के मूल्यांकन पर आधारित होता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता।

निर्यातकों की समस्या

1270. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्तमान पास-बुक योजना के अन्तर्गत निर्यातकों को पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यातकों की समस्याओं का निदान करने तथा निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, हां। प्रमुख कठिनाइयां पासबुक स्कीम के तहत ऋण हेतु मूल्यांकन, ऋण प्रदान करने में विलंब, विनिर्दिष्ट पत्तनों से पासबुक स्कीम का सीमित संचालन, और पासबुक स्कीम के तहत किए जाने वाले आयातों पर विशेष सीमाशुल्क से संबंधित हैं, ये सभी कठिनाइयां राजस्व के विचाराधीन हैं।

(ग) पासबुक धारकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों पर उनके विचार जानने के लिए वाणिज्य मंत्रालय शीर्ष चैम्बर आफ कॉमर्स से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर मामले को सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है और अधिसूचनाएं/सार्वजनिक सूचनाएं/परिपत्र जारी करके आवश्यक संशोधन/आशोधन किए गए हैं।

निर्यात प्रसंस्करण एककों में विदेशी निवेश

1271. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात प्रसंस्करण एककों में विदेशी निवेश के प्रस्तावों को एक ही काउंटर पर मंजूरी देने के लिए एक एजेंसी गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). ई.ओ.यू./ई.पी. जैड योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था निम्नानुसार है :—

स्वतः स्वीकृति की शर्तों को पूरा करने वाले निर्यातोन्मुख एककों में विदेशी पूंजी निवेशी के प्रस्तावों का निपटान जोन के अन्दर एककों की स्थापना के लिए संबंधित जोन के विकास आयुक्त द्वारा किया जाता है और जोन के बाहर एककों की स्थापना के लिए औद्योगिक

नीति संवर्धन विभाग के औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय (एस.आई.ए.) द्वारा सामान्यतया 15 दिनों की अवधि में किया जाता है।

जोन के अन्दर के एककों के लिए अन्य प्रस्तावों का निपटान संबंधित निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के बोर्ड और जोन के बाहर के एककों के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा सामान्यतया 45 दिनों की अवधि में किया जाता है।

बुनियादी सुविधा संबंधी कठिनाइयां

1272. **श्री हरिन पाठक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान औद्योगिक विकास को बनाये रखने के उद्देश्य से प्राथमिकता के आधार पर विद्यमान् बुनियादी सुविधाओं संबंधी कठिनाइयों को दूर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). जी हां। सरकार ने कुछ मूलभूत अवसंरचनात्मक सेवाओं में उत्पादन तथा वितरण के विनियमन पर पहले ही विचार कर लिया है। केन्द्रीय बजट 1996-97 में भी एक पुनर्वित्तप्रदाय संस्थान तथा वित्तीय गारंटियों के प्रदानकर्त्ता के रूप में सीधे ऋणदाता की कार्यवाही करने हेतु 5000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी सहित एक अवसंरचनात्मक विकास वित्त कम्पनी की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। कर संबंधी रियायतें भी अवसंरचनात्मक क्षेत्रों को बढ़ा दी गई है।

बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक

1273. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में बैंकों में कितने गैर-सरकारी निदेशक कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन निदेशकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार समय-समय पर इन निदेशकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समीक्षा हेतु अब तक क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) इस समय 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों पर 131 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक हैं।

(ख) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा उसके तहत बनाई गई स्कीमों, ऐसे निदेशकों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का उल्लेख नहीं करती है। तथापि, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन गैर-सरकारी निदेशकों सहित बैंक के बोर्ड में निहित होता है।

(ग) और (घ). चूंकि प्रत्येक बैंक का निदेशक मण्डल अपने कर्तव्यों का निर्वाह सामूहिक रूप से करता है अतः अभी तक किसी व्यक्तिगत गैर-सरकारी निदेशक के कार्यनिष्पादन की औपचारिक संवीक्षा नहीं की गई है।

कृषि आधारित गतिविधियों का संवर्धन

1274. **श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों के विकास और संवर्धन हेतु प्रमुख योजनाओं के संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की प्रमुख भूमिका क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों और हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और यदि विशेषकर महाराष्ट्र के लिए इस संबंध में कोई कमी रही तो इसके राज्य-वार और योजना-वार कारण क्या हैं; और

(ग) कृषि/कृषि आधारित विकास गतिविधियों को चलाने के लिए चालू वर्ष में महाराष्ट्र के लिए संभावित वित्तीय आबंटन का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एक शीर्ष स्तरीय पुनर्वित्त प्रदान करने वाली एजेंसी है जो वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों को वित्तपोषित करने और उनका संवर्धन करने के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए, इसने कृषि और ग्रामीण विकास हेतु अनेक ऐसी योजनाएं बनाई हैं। जिन योजनाओं को नाबार्ड से पुनर्वित्त उपलब्ध हैं उनमें शामिल हैं : लिफ्ट सिंचाई सहित लघु सिंचाई, भूमि विकास, वृक्षारोपण और बागवानी, जिसमें उच्च तकनीक का पुष्पोत्पादन भी सम्मिलित है, पशुपालन, गोदाम और बाजार स्थान, वानिकी, कृषि-संसाधन उद्योग, टिश्यू कल्चर सहित बीज संसाधन मत्स्यपालन, कृषि यंत्रीकरण, बायो-गैस, गैर-कृषि कार्यकलाप, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्य योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम।

(ख) निर्धारित किए गए लक्ष्यों और गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त की गई राज्य-वार और योजना-वार उपलब्धियों का विवरण एकत्रित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए नाबार्ड द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए किए गए पुनर्वित्त आबंटन (अनन्तिम) का विवरण निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	आबंटन
लघु सिंचाई	72.00
भूमि विकास	0.48
कृषि यंत्रीकरण	99.58
शुष्क भूमि कृषि	0.45
वृक्षारोपण और बागवानी	26.54
डेयरी विकास	17.40
मछली पालन	2.70
गोदाम और बाजार केन्द्र	6.72
वानिकी	0.35
बायोगैस	0.95
मुर्गीपालन	12.90
भेड़/बकरी/सुअरपालन	3.90
अ.जा./अ.ज.जा. कार्ययोजना	12.00
आई आर डी पी	29.50
गैर-कृषि क्षेत्र	37.09
एन एस पी (राष्ट्रीय बीज परियोजना)	17.00
कृषि संसाधन	6.16
अन्य	0.96
योग	346.63

सरकारी/निजी कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

1275. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित विधुत भारतीय मिशनों को गत तीन वर्षों के दौरान भारत की सरकारी तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों के विरुद्ध व्यापार समझौतों के उल्लंघन किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो, तत्संबंधी कम्पनी-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

कटे-फटे नोटों का निपटान

1276. **श्री नामदेव दिवाथे** : *क्या* **वित्त मंत्री** *यह बताने की* कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को कम मूल्य के कटे-फटे नोटों को निपटाने में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में ऐसे नोटों के निपटान हेतु सामान्य क्षमता से कितना अधिक स्टाक जमा है तथा इस समस्या के अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक आधार पर समाधान हेतु क्या कदम उठाए जाने के विचार हैं; और

(ग) सेक्युरीटी प्रिंटिंग हेतु स्वीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनमें से प्रत्येक के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक दो नई नोट प्रिंटिंग प्रेसें मैसूर (कर्नाटक) तथा सालबोनी (पश्चिम बंगाल) प्रत्येक में एक-एक स्थापित कर रहा है। मैसूर प्रेस में 100 रुपए मूल्यवर्ग की छपाई 1.6.96 से उत्पादन की एक श्रृंखला सहित शुरू हो गई है। सालबोनी की प्रेस में 10 रुपए मूल्यवर्ग की छपाई 12.12.96 से शुरू होनी निर्धारित है। जब ये दोनों प्रेसें 1989-99 में पूर्ण रूप से परिचालन में होंगी, तो ये प्रतिवर्ष लगभग 10,000 मिलियन अदद करेंसी नोटों का उत्पादन करेंगी।

बैंक ऋणों का शेयर बाजार में निवेश

1277. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंक ऋणों के अवैध रूप से शेयर बाजार में लगाए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) ऐसे आर्थिक अपराध को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि विद्यमान ऋण निगरानी व्यवस्था (सी एम ए) के अन्तर्गत बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि मंजूरी के बाद की संवीक्षा हेतु वे बड़े उधारकर्ताओं अर्थात् 10 करोड़ रु. और उससे अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा और 5 करोड़ रु. और उससे अधिक के सावधि ऋण वाले को उनके द्वारा मंजूर की गई ऋण सुविधाओं के संबंध में रिपोर्ट दें। ऋण निगरानी व्यवस्था प्रणाली के अन्तर्गत शेयर बाजार परिचालनों सहित अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों के विपथन का पता लगाने हेतु कोई तंत्र नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि निधियों के विपथन की घटनाओं का आमतौर पर उनके पर्यवेक्षण विभाग द्वारा की गई बैंकों की वित्तीय जांचों/विशेष संवीक्षा के माध्यम से पता लगाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को दिए गए विद्यमान अनुदेशों को दुहराया है जिसमें उनसे कहा गया है कि वे परिचालनों/उधारखातों से निकासियों की निगरानी करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निधियों का आहरण उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए ऋण मंजूर किए गए हैं। बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों और म्यूचुअल फंडों में और अंतर कम्पनी जमाराशियों में चालू प्रकृति के शेयरों/डिबेंचरों में किसी उधारकर्ता द्वारा किए गए निवेशों का उनके द्वारा विसंपोषण नहीं किया जाता है। उन मामलों में दण्डात्मक कार्रवाई जैसे अतिरिक्त ब्याज/ऋण सीमाओं में कटौती का भी सुझाव दिया गया है जहां यह पाया जाता है कि निधियों का विपथन किया गया है।

यूरोपीय संघ द्वारा भारतीय वस्त्रों को विदेश में कम दामों पर बेचने के विरुद्ध कार्यवाही

1278. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत यूरोपीय बाजार को बड़े पैमाने पर वस्त्र निर्यात करने वाले देशों में से एक है;

(ख) क्या भारतीय कम्पनियों ने हाल ही में यूरोपीय बाजार में भारी मात्रा में वस्त्र और अविरंजित कपड़ा भेजा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यूरोपीय संघ ने इन मदों को भेजने के लिए भारत के विरुद्ध विदेश में कम दामों पर माल बेचने के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय वस्त्रों के निर्यात पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). यूरोप के घरेलू उत्पादकों की शिकायत के आधार पर यूरोपीय आयोग (ई.सी.) ने भारत से अब ब्लीच्ड कॉटन फैब्रिक्स के आयातों पर छह महीनों की अवधि के लिए 2.7 प्रतिशत से 22.7 प्रतिशत तक का अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया है। इस पाटनरोधी शुल्क से भारत से इस मद के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। सरकार, भारतीय निर्यातकों को पाटनरोधी जांच के मामले में सभी संभव सहायता प्रदान करती रही है।

अभियांत्रिकी वस्तुओं का निर्यात

1279. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दशवार निर्यात की गई अभियांत्रिकी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) सरकार द्वारा अभियांत्रिकी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यात की गई इंजीनियरी वस्तुओं तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

मूल्य : (करोड़ रु. में)
(मिलियन. यू.एस. डालर)

	क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96
(1)	पूंजीगत वस्तुएं	2340.01	3094.81	3615.63
		(746.09)	(985.55)	(1080.94)
(2)	लोहा व इस्पात उत्पाद	3332.26	3355.95	4554.67
	(मुख्य लोहा तथा इस्पात सहित)	(1059.37)	(1068.52)	(1361.62)
(3)	एल्यूमीनियम तथा उत्पाद	620.11	792.79	831.03
		(197.74)	(252.47)	(248.46)
(4)	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	2222.80	2252.06	3093.67
		(708.72)	(717.22)	(924.92)
(5)	प्रबंध तथा तकनीकी सेवाएं	585.00	525.00	500.00
		(186.31)	(167.20)	(150.90)
	जोड़	9090.18	10020.61	12595.00
		(2898.23)	(3190.96)	(3765.94)

भारतीय इंजीनियरी वस्तओं के चोटी के 10 प्रमुख आयातक संयुक्त राज्य अमरीका, यू.ए.ई., यू.के., बंग्लादेश, जर्मनी, श्रीलंका, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तथा हांगकांग हैं। इस संबंध में देश-वार ब्यौरे डी.जी.सी.आई एंड एस. द्वारा प्रकाशित "फोरेन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया" में दिए गए हैं, जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) इंजीनियरी वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यातों का संवर्धन करने का सरकार का सदैव से प्रयास रहा है। निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं: शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन, पूंजीगत माल योजना, विशेष आयात लाइसेंस, ड्यूटी ड्रा बैंक स्कीम तथा इंजीनियरी उत्पाद निर्यात (लोहा तथा इस्पात मध्यवर्ती वस्तुओं की प्रतिपूर्ति) स्कीम, जो केवल इंजीनियरी वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यातकों को बाजार विकास सहायता भी दी जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लंबित प्रस्ताव

1280. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के कुछ वित्तीय मामले केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से केन्द्र सरकार को प्राप्त ज्ञापन/सुझाव प्रस्तावों पर केन्द्र ने क्या कार्यवाही की/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा कुछ वित्तीय मामलों को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर निपटाया जाता है।

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की वार्षिक योजनाओं को वित्तपोषित करने का पैटर्न।

(2) योजनागत समूह "क" पदों और गैर-योजनागत समूह क, ख, ग एवं घ पदों के सृजन तथा समाप्त हो गए पदों के पुनः प्रवर्तन के लिए भी शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(3) केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी।

(4) केन्द्रीय योजना सहायता के अंतरण को समाप्त करना तथा पहले से अंतरित हुई धनराशि की पुनर्बहाली।

(5) दिल्ली परिवहन निगम को 132 करोड़ रुपये की पूर्व देयताओं का समाशोधन करना अथवा दिल्ली सरकार की इसी प्रकार की देयताओं को समाशोधित करने के लिए इतनी ही धनराशि के अनुदान को जारी करना;

(6) भारत सरकार द्वारा आवधिक कर की समाप्ति के एवज में *188.70 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति।*

(7) बिना किसी वित्तीय देयताओं के दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) का दिल्ली सरकार को हस्तांतरण।

(ग) ये मामले भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

लघु कागज निर्यातकों पर उत्पाद शुल्क

1281. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने सरकार से उत्पाद शुल्क में हाल तक मिल रहे लाभ को पुनः बहाल कर लघु कागज उत्पादकों को राहत पहुंचाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पाद शुल्क लगाए जाने से देश में लघु कागज उत्पादक अपना धंधा बंद करने की स्थिति में हैं; और

(ग) यदि हां, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा उक्त अभ्यावेदन दिए जाने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पंजाब, हरियाणा, दिल्ली (पी.एच.डी.) वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने सरकार से ऐसे पेपर और पेपर बोर्ड आदि पर, जिसे कम से कम 75 प्रतिशत अपरम्परागत कच्ची सामग्री से तैयार किया गया हो, उत्पाद शुल्क को इस आधार पर कि बढ़ाए गए शुल्क से कागज की छोटी मिलों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर बुरा प्रभाव पड़ा है, मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से कम करके मूल्यानुसार 5 प्रतिशत के बजट-पूर्व स्तर पर लाने के लिए अनुरोध किया था।

(ख) और (ग). सरकार ने बजट पर विचार करते समय कागज की छोटी मिलों की मांगों को आंशिक तौर पर मान लिया था और एक वित्तीय वर्ष में 10,000 मीट्रिक टन की प्रथम निकासी के लिए ऐसे कागज पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क निर्धारित किया था। चालू वित्तीय वर्ष में, इस सीमा को 5,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है जिसे 1। सितम्बर, 1996 से परिकलित किया जाना है। इसे देखते हुए, कागज की छोटी मिलों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

मॉडवेट ऋण में परिवर्तन

1282. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद विभाग ने मॉडवैट ऋण में परिवर्तन लाने के संबंध में नई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो नई मॉडवैट योजना में मुख्य रूप से किन-किन परिवर्तनों को शामिल किया गया;

(ग) योजना कितनी सफल रही;

(घ) क्या सरकार ने आदानों के खरीद हेतु लिए गए ऋण के उपयोग संबंधी प्रक्रिया में परिवर्तन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). इस वर्ष के बजट में माडवेट क्रेडिट योजना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं:-

(1) माडवेट योजना के उपबंधों के अनुसार, पूर्ण छूट प्राप्त अंतिम उत्पाद का निर्माण करने वाले विनिर्माता उसमें प्रयुक्त निविष्टियों पर संदत्त शुल्क का क्रेडिट लेने के लिए पात्र नहीं हैं। 1.9.96 से पूर्व, उन मामलों में जहां कोई विनिर्माता समान निविष्टियों से शुल्कय एवं पूर्ण रूप से छूट प्राप्त अंतमि उत्पाद दोनों का ही विनिर्माण करता था, तो इसे छूट प्राप्त अंतिम उत्पाद में शामिल निविष्टियों पर संदत्त शुल्क के क्रेडिट को प्रतिवर्तित करना पड़ता था। इन मामलों में, प्रतिवर्तित किए जाने वाले क्रेडिट की राशि निर्धारित करने का कार्य जटिल होता था। प्रक्रिया को सरल बनाने के रूप में, माडवेट नियमावली में एक नया नियम 57गग जोड़ा गया है जिसके तहत शुल्कय एवं छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों दोनों के विनिर्माण में समान निविष्टियां प्रयुक्त करने वाला विनिर्माता ऐसी निविष्टियों पर संदत्त शुल्क का क्रेडिट ले सकता है बशर्ते कि छूट प्राप्त अंतिम उत्पाद की निकासी के समय उसे उस उत्पाद में शामिल निविष्टियों पर लिए गए क्रेडिट के लिए छूट प्राप्त अंतिम उत्पाद के मूल्य 8 प्रतिशत के बराबर राशि प्रतिवर्तित करनी होगी। इसके अलावा, विनिर्माता को छूट प्राप्त अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त निविष्टियों और उन पर छूट न लेने के बारे में अलग से सूची और लेखे रखने का विकल्प प्राप्त है और इस मामले में उसे जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है 8 प्रतिशत के हिसाब से क्रेडिट प्रतिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। नियम 57गग टैक्सटाइलों, प्लास्टिक की वस्तुओं आदि जैसे कुछेक विनिर्दिष्ट उत्पादों पर लागू नहीं है।

2) नियम 57च (3) के उपबंधों के अनुसार, निविष्टियों पर क्रेडिट प्राप्त करने वाला विनिर्माता निविष्टियों को उसी रूप में अथवा आंशिक रूप से संसाधित करने के बाद किसी बाहरी उभरती कामगार को निविष्टयों पर और आगे काम करने के लिए अथवा निविष्टियों पर आंशिक रूप से काम करने के लिए भेज सकता है और उसे खास विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर वापस ला सकता है। इस सुविधा का दुरूपयोग किया गया और अधिकतर मामलों में माल को वापस नहीं लाया गया जिसके कारण राजस्व हानि उठानी पड़ी। ऐसे दुरूपयोग को रोकने के लिए एक नया नियम 57च (3क) जोड़ा गया है जिसके अनुसार किसी ऐसे विनिर्माता को, जिसने निविष्टयों पर क्रेडिट लिया हो, माल को उस पर आगे काम करने के लिए भेजते समय निविष्टियों अथवा आंशिक रूप से संसाधित निविष्टियों के मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर राशि प्रतिवर्तित करनी पड़ेगी। उजरती कामगार से पूरा संसाधित माल वापस आने पर, विनिर्माता इतनी ही राशि के बराबर दुबारा क्रेडिट लेने का हकदार है।

(3) माडवेट क्रेडिट योजना को 4.9.96 से विनिर्दिष्ट संसाधित सूती वस्त्रों और मानव निर्मित फाइबरों और यानों पर भी लागू किया गया है।

(4) माडवेट क्रेडिट योजना में संसोधन से पहले (अर्थात 1.9.96 से पूर्व) निविष्टियों और पूंजीगत माल पर माडवेट क्रेडिट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत किसी डीलर द्वारा जारी बीजकों के दुरूपयोग पर लिया जा सकता था। इस सुविधा का कथित रूप से दुरूपयोग किया जा रहा था। ऐसे दुरूपयोग को रोकने के लिए, नियमों को संशोधित किया गया है ताकि डीलरों द्वारा माडवेट योग्य बीजक जारी करने का मामला केवल दो स्तरों तक ही सीमित रखा जा सके।

(5) पूंजीगत माल पर शुल्क के क्रेडिट से संबंधित उपबंधों को संशोधित किया गया है। इन परिवर्तनों को ऐसे पूंजीगत माल के क्षेत्र से संबंधित व्याख्यात्मक समस्याओं का समाधान करने के आशय से किया गया है जो योजना के अंतर्गत क्रेडिट लेने के लिए पात्र हैं। अब, उस पूंजीगत माल को, जिस पर क्रेडिट उपलब्ध होता है, उसके शीर्ष अथवा उपशीर्ष संख्या, जिसके अंतर्गत वह आता है, का उल्लेख करके अथवा उसका विवरण देकर विनिर्दिष्ट किया गया है। कारखाने में किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त ऐसे पूंजीगत माल के लिए भी क्रेडिट उपलब्ध कराया गया है।

2. यद्यपि पूंजीगत माल संबंधी माडवेट योजना में किए गए परिवर्तन 23.7.96 से लागू हुए थे, तथापि अन्य परिवर्तन 1.9.96 से लागू हुए। प्राप्त सूचना के अनुसार, अभी तक व्यापारिक वर्ग की प्रतिक्रिया इसके पक्ष में रही है।

कारों का उत्पादन

1283. श्री हरिन पाठक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में देश में कार उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कार की उत्पादन क्षमता कितनी थी और कितनी कारें बनाई गईं;

(ग) क्या कार की दरों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;-और

(ङ) कार के निर्यात द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी ...शी मुद्रा अर्जित की गई?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां।

(ख) देश में कारों की विनिर्माण क्षमता वर्ष 1993-94 में ...3,540, वर्ष 1994-95 में 3,37,740 तथा वर्ष 1995-96 में ...5,500 थी। वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में कारों का ...ादन क्रमशः 2,09,695, 2,64,368 तथा 3,48,242 रहा है।

(ग) और (घ). निवेश की लागत में वृद्धि के कारण कारों की ... मतों में वृद्धि हुई है।

(ङ) कारों के निर्यात पर वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा ...95-96 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमशः लगभग 204 करोड़ ..., 274 करोड़ रु. तथा 373 करोड़ रु. रही है।

विदेशी और घरेलू ऋण

1284. श्री भगवान शंकर रावत :
श्री के. परसुरामन :
श्री ओ.पी. जिन्दल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान विदेशी और घरेलू ऋण में त्रैमासिक कितनी वृद्धि हुई और इस पर कितनी ब्याज राशि थी तथा गत वर्ष के दौरान इसी अवधि में उपरोक्त राशि कितनी थी;

(ख) ऋण में इस वृद्धि का देश के भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान अर्जित राजस्व कितने प्रतिशत था तथा इस वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान ऋण और ब्याज की अलग-अलग कितनी राशि थी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) स्थिति का आकलन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपए)

	1995-96 (सं.अ.)	1996-97 (ब.अ.)
राजकोषीय घाटा (अतिरिक्त उधार)		
(1) आंतरिक ऋण एवं अन्य देयताएं	62041	59805
(2) विदेशी ऋण	1969	2461
ब्याज भुगतान		
(1) आंतरिक ऋण एवं अन्य देयताएं	47101	54726
(2) विदेशी ऋण	4899	5274

(ख) अतिरिक्त ऋण सेवा आवश्यकताओं के कारण विदेशी ऋण में वृद्धि भुगतान संतुलन की स्थिति को प्रभावित करती है।

(ग) ऋण की वापसी-अदायगी नए उधारों से पूरी की जाती है जबकि ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाता है। 1996-97 के बजट अनुमान में प्रावधानों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

		1996-97 (ब.अ.) (करोड़ रुपए)
1.	ऋण की वापसी-अदायगी (91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों, प्रारक्षित निधियों तथा बिना ब्याज वाले जमा एवं निलंबित लेनदेन के भुगतान को छोड़कर)	68558
2.	कुल ब्याज भुगतान	60000
3.	राजस्व प्राप्तियां	130345
4.	2 से 3 तक का प्रतिशत	46 प्रतिशत

विनिवेश आयोग

1285. श्री बादल चौधरी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 23 दिसम्बर, 1996 के "दि इकानामिक टाइम्स" में "लाक्काडाथेसिकल कोर ग्रुप पारालाइजेज डिसइन्वेस्टमेंट पैनल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के पास अब तक कुल कितने मामले भेजे गए तथा आयोग द्वारा कितने मामलों में सिफारिशें की गई; और

(ग) विनिवेश आयोग को और प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां। सरकार को इस समाचार की जानकारी है।

(ख) और (ग). अब तक सरकारी क्षेत्र के 40 उपक्रम विनिवेश आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। इस संबंध में विनिवेश आयोग से अभी तक कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। आयोग का गठन 23.8.1996 को किया गया था तथा इस अवस्था में आयोग को और अधिक कारगर बनाने के उपायों पर विचार करना असामयिक होगा।

संसद सदस्यों के पत्र

1286. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वित्त मंत्री** 2 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2702 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में अब तक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त होने और उन्हें मिलाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूरी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

बैंकों द्वारा निर्यात संबंधी ऋण

1287. श्री ए.सी. जोस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान निर्यात संबंधी ऋण प्रदान करने हेतु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इस लक्ष्य में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भी निर्यात संबंधी ऋण प्रदान किया जाना अनिवार्य बनाने का कोई विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में की गई मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद निर्यात ऋण के लिए निवल बैंक ऋण का 12 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित कियां गया है।

(ख) इससे पूर्व, यह लक्ष्य निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत था और इसे बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया है। इस लक्ष्य में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निवल बैंक ऋण का 12 प्रतिशत लक्ष्य गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंक धोखाधड़ी

1288. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 और 15 सितम्बर 1996 के "दैनिक जागरण" और "द टाईम्स आफ इंडिया" में क्रमशः "4.6 करोड़ की धोखाधड़ी में पाच बैंक अफसरों सहित आठ बन्दी" और "रूपीज 33 करोड़ स्कैम इन पी.एन.बी." शीर्षकों के अन्तर्गत प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) बैंक अधिकारियों द्वारा ऋण सुविधाएं स्वीकृत किए जाने हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में हुई धोखाधड़ियों का बैंक-वार तथा बैंक शाखा-वार ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पंजाब नैशनल बैंक की मार्वे रोड मलाड (पश्चिम), मुम्बई शाखा के निरीक्षण के दौरान उन्हें विभिन्न आवास परियोजना संबंधी "सजावट ग्रुप आफ बिल्डर्स" को मंजूर कुल 10.88 करोड़ रुपए के सावधि ऋणों के संबंध में अनियमितताओं/मंजूरी शर्तों के उल्लंघन का पता चला है। बैंक ने दिसम्बर 1995 तथा जनवरी 1996 में अपने देय राशियों की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब नैशनल बैंक के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक तथा अन्यों के विरुद्ध जून, 1996 में एक मामला दर्ज किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इलाहाबाद बैंक ने अपनी लाजपतनगर शाखा में फरवरी, 1996 में मैसर्स मोहन एग्रो मिल्स लिमिटेड एवं मैसर्स गंगा प्लाइवुड इंड. क.प्रा.लि. के धोखाधड़ी के मामले की सूचना दी थी, जिसमें 6.39 करोड़ रुपए और 170,400 अमरीकी डालर अन्तर्ग्रस्त थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जून, 1996 में इलाहाबाद बैंक के 3 शाखा प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सहायक महाप्रबंधक तथा अन्यों के विरुद्ध एक नियमित मामला दर्ज किया है।

(ग) और (घ). बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विस्तृत मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाओं की मंजूरी और उनके संवितरण के लिए व्यापक नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार की हैं। ऋण पोर्टफोलियों का कार्य देखने वाले विभिन्न अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऋणों और अग्रिमों को मंजूर करते समय निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करें और यह सुनिश्चित करें कि ऋण संबंधी निर्णय और वूसली कार्य विवेकपूर्ण ढंग से किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात को सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है कि विभिन्न अधिकारियों को प्रदान की गई विवेक शक्तियों का वे विवेकपर्वूक प्रयोग करें। उन मामलों में विभागीय कार्यवाहियां/सर्तकता कार्यवाहियां शुरू की जाती हैं जहां यह पता चले कि कर्मचारी ने गलत इरादे से निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया है।

वर्ष 1993, 1994, 1995 और 1996 (मार्च तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित की गई धोखाधड़ियों की संख्या (बैंक-वार) और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि और वर्ष 1993, 1994, 1995 और 1996 (मार्च तक) के दौरान धोखाधड़ियों के लिए सरकारी क्षेत्र में बैंकों के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई संलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 1993, 1994, 1995 और 1996 (जून तक) के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित की गई धोखाधड़ियों की कुल संख्या से संबंधित तत्काल उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि
1993	223	8.61
1994	215	4.51
1995	182	14.51
1996 (जून तक)	127	10.83

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं रखी जाती हैं।

विवरण–I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 1993, 1994, 1995 और 1996 (मार्च तक) के दौरान पता लगाए गए धोखाधड़ी के बैंक–वार मामलों और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपए)

क्र.सं.	बैंक का नाम	धोखाधड़ी की संख्या				अन्तर्ग्रस्त राशि			
		1993	1994	1995	1996 (मार्च तक)	1993	1994	1995	1996 (मार्च तक)
	सरकारी क्षेत्र के बैंक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भारतीय स्टेट बैंक	597 02*	616	554	101 02*	773.44 25.08	2010.97	789.99	1274.79 54.38
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	36	21	18	03	536.63	11.06	194.45	9.09
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	28	23	40	01	97.11	63.55	157.59	0.20
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	20	26	09	02	161.63	1169.39	19.63	0.24
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	28	37	38	04	7.51	252.95	22.87	2.79
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	26	30	33	02	222.61	100.05	610.11	4.42
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	07	12	09	02	16.17	17.98	106.26	12.90
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	20	25	22	08	32.49	70.22	126.21	57.75
9.	इलाहाबाद बैंक	33	39	48	14	45.14	2343.58	105.32	121.19
10.	आंध्रा बैंक	66	25	41	07	2130.92	131.00	523.80	4.80
11.	बैंक आफ बड़ौदा	139 12*	159 15*	114 10*	23	568.46 35.54	2905.71 528.63 +यू.शि. 9844000	1151.74 52.85	120.49
12.	बैंक आफ इण्डिया	168 16*	215 11*	156 04*	48 01*	725.19 4249.29	728.62 988.51	496.82 8.84	122.30 4.65
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	22	50	31	08	404.65	465.11	1891.65	43.73
14.	केनरा बैंक	259	217	167	49	801.13	1402.21	1953.01	43.11
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	85	130	73	38	3234.72	347.46	188.64	19.50
16.	कारपोरेशन बैंक	31	38	23	07	42.24	38.28	86.13	4.16
17.	देना बैंक	20	22	14	06	159.65	1049.62	140.04	18.42
18.	इंडियन बैंक	41	60	37	14	638.24	286.26	83.08	34.23
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	75	71	43	10	143.54	356.97	326.92	5.39
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	29	–	–	–	69.72	–	–	–
21.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	22	14	12	04	102.97	230.88	630.80	1.94
22.	पंजाब नैशनल बैंक	88	118	56	27	3224.29	2003.36	212.70	191.05
23.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	21	17	17	04	654.21	163.26	74.38	14.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	सिंडिकेट बैंक	139	103	109	22	174.10	1371.80	782.43	22.68
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	61	39	59	18	756.54	336.54	251.71	131.53
26.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	50	43	40	09	11459.66	171.09	41.21	23.80
27.	यूको बैंक	35 4*	58	74	08	183.46 165.27	416.89	374.17	26.84
28.	विजया बैंक	33	32	39	12	190.83	45.93	147.77	2.19
	जोड़	2213	2266	1890	454	32032.43	20007.88 9844000	11551.12	2372.67

विवरण-II

वर्ष 1993, 1994, 1995 और 1996 (मार्च तक) के दौरान धोखाधड़ियों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई बैंक-वार कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

बैंक का नाम	दोषसिद्ध				बड़ा/छोटा दण्ड दिया गया				(3) में से, बर्खास्त/सेवामुक्त/हटाए गए			
1	2				3				4			
	1993	1994	1995	*1996	1993	1994	1995	*1996	1993	1994	1995	*1996
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारतीय स्टेट बैंक	24	28	16	03	164	219	199	48	58	68	49	07
स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जयपुर	–	–	01	–	20	18	33	01	05	03	–	–
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	15	04	–	–	33	25	18	03	09	04	04	01
स्टेट बैंक आफ इंदौर	–	–	–	–	–	12	01	02	–	01	–	01
स्टेट बैंक आफ मैसूर	–	–	01	01	16	13	10	03	05	04	04	–
स्टेट बैंक आफ पटियाला	–	–	–	–	09	12	06	04	03	06	04	02
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	–	–	–	–	01	08	09	04	01	02	–	–
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	–	–	–	–	06	32	16	02	01	07	04	–
इलाहाबाद बैंक	–	–	–	–	29	32	35	02	06	08	03	–
आंध्रा बैंक	02	07	05	–	20	28	27	12	03	05	08	05
बैंक आफ बड़ौदा	–	–	–	–	13	15	23	08	06	02	03	02
बैंक आफ इंडिया	–	01	–	–	11	38	37	06	07	18	21	05
बैंक आफ महाराष्ट्र	–	–	–	–	13	13	30	01	08	07	12	–
केनरा बैंक	05	–	–	–	88	85	96	26	26	27	30	08
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	–	01	–	–	67	81	58	27	42	44	23	09
कारपोरेशन बैंक	05	–	03	–	05	04	17	05	04	04	06	03
देना बैंक		–	–	–	27	30	27	09	07	07	05	03
इंडियन बैंक		–	–	01	64	121	71	28	08	08	04	–
इंडियन ओवरसीज बैंक	03	02	02	–	47	73	82	09	13	23	13	05
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	–	–	–	–	01	08	04	–	03	04	02	–
पंजाब नेशनल बैंक	01	03	01	–	91	221	169	64	22	54	29	10
पंजाब एंड सिंध बैंक	–	–	03	–	10	37	26	09	05	09	05	04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सिंडिकेट बैंक	–	–	01	–	55	29	50	20	42	19	36	10
यूनियन बैंक आफ इंडिया	–	–	–	–	26	36	28	02	14	11	10	–
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	–	–	–	–	–	16	32	02	–	02	10	–
यूको बैंक	01	02	–	–	30	28	39	08	11	11	12	03
विजया बैंक	–	02	–	–	28	14	17	02	03	02	04	–
जोड़	57	50	33	05	874	12-	1160	307	312	360	301	78

* मार्च, 1996 तक

(आंकड़े अनन्तिम)

मुद्रा-स्फीति दर

1289. श्री अमर पाल सिंह :
प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित दरों के बीच विशेषरूप से वित्तीय वर्ष 1995-96 को तीसरी तिमाही से बढ़ रहे अंतर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार ठहराए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). वर्ष 1995-96 की तीसरी तिमाही के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू. पी.आई) और औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई-आई.डब्ल्यू.) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर की सूची नीचे सारणी में दी गई है :—

सारणी

वार्षिक मुद्रास्फीति दर प्रतिशत

	डब्ल्यू.पी.आई. पर आधारित	सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू पर आधारित
1995-96		
अक्तूबर	8.4	10.4
नवम्बर	8.3	10.3
दिसम्बर	6.4	9.7
जनवरी	5.0	9.0
फरवरी	4.6	8.6
मार्च	5.1	8.9
1996-97		
अप्रैल	5.0	9.8
मई	4.5	9.3
जून	4.5	8.8
जुलाई	6.0	8.3
अगस्त	5.6	8.9
सितम्बर	6.4(अ.)	8.5
अक्तूबर	6.4(अ.)	उ.न.

(अ.) अनंतिम उ.न. उपलब्ध नहीं

(ग) दो श्रृंखलाओं के बीच मुद्रास्फीति की दर में अंतर प्रारंभिक तौर पर उनकी वस्तु संरचना में अंतर के कारण है और इसलिए उनका भारांश है। सी.पी.आई.आई.डब्ल्यू. में खाद्यान्न मदों का भार डब्ल्यू. पी.आई. में भारत का लगभग दुगुना है; डब्ल्यू. पी. आई. में खाद्यान्न मदों को समनुदेशित 32 के भार की तुलना में सी. पी.आई.-आई.डब्ल्यू. में खाद्यान्न मदों को दिया गया भार 57 है। इसलिए गैर-खाद्य उत्पादों की अपेक्षा खाद्य-उत्पादों की कीमत में अत्यधिक वृद्धि से सी.पी.आई.आई. डब्ल्यू पर आधारित मुद्रास्फीति दर में उच्च वृद्धि हुई है।

(घ) खाद्य मदों की कीमतों में वृद्धि को संयत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए आपूर्ति पक्ष संबंधी उपायों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक क्षेत्रों को शामिल करने का विस्तार करने और सुदृढ़ करने के अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खुले बाजार में बिक्री जारी रखना शामिल है। मांग पक्ष में, सरकार वर्ष 1996-97 के बजट में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत तक बनाए रखने और विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति के माध्यम से मौद्रिक विस्तार को 15.5 से 16 प्रतिशत तक बनाए रखने का प्रयास कर रही है।

अमोनिया का आयात

1290. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमोनिया के आयात के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ग) अमोनिया के आयात से इसके घरेलू मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार को अमोनिया आयात के विरुद्ध केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया) : (क) और (ख). रसायन और उर्वरक मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार 1.4.92 से असरणीबद्ध कर दिए जाने के बाद अमोनिया का आयात नहीं कर रही है।

(ग) अमोनिया के आयात के कारण अमोनिया के घरेलू मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित सूचना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

(घ) से (च). रसायन और उर्वरक मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, हालांकि अमोनिया के आयात के बारे में केरल सरकार से

कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, कोचीन पत्तन में विलिंगडन द्वीप पर एफ ए सी (फैक्ट) की अमोनिया भंडारण सुविधा से उत्पन्न पर्यावरणीय खतरे के मुद्दे पर "एफ ए सी टी (फैक्ट) और अन्य बनाम-का सोसायटी ऑफ इंडिया और अन्य" शीर्षक से एक सिविल अपील उच्चतम न्यायालय के सम्मुख विचाराधीन है।

वाहनों का उत्पादन

1291. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग से तेल के कम उपयोग वाले वाहनों के उत्पादन करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न ऑटोमोबाइल उत्पादकों ने इस प्रकार के वाहनों के उत्पादन के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). सरकार की यह नीति रही है कि ईंधन दक्ष वाहनों के विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे वाहनों के विनिर्माण हेतु कुछ राजकोषीय प्रोत्साहन दिये जा रहे थे। किन्तु, कर ढांचे के योक्तिकीकरण के परिणामस्वरूप अब इन प्रोत्साहनों को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) आटोमोटिव वाहन विनिर्माताओं ने ईंधन दक्ष वाहनों विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के आयात हेतु विदेशी तकनीकी सहयोगी के अनुबंध किये हैं।

घरेलू मांग तथा कॉफी का आयात

1292. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में घरेलू बाजार में कॉफी की औसत मासिक आवश्यकता का क्या ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में बेची गई कॉफी की कुल मात्रा तथा इसका मूल्य क्या था;

(ग) क्या घरेलू बाजार में कॉफी की मांग तथा पूर्ति के बीच कोई अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा घरेलू बाजार में कॉफी की मांग बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) घरेलू बाजार में लगभग 4500-5500 टन कॉफी की औसत मासिक आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ख) घरेलू बाजार में उसके मूल्य के साथ बेची गई कॉफी की कुल मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (टनों)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1993	49928	231.97
1994	54000	542.70
1995	54000	583.20

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कॉफी बोर्ड के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक बाजारों में उत्सवों, मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी जैसे अनेक संवर्धनात्मक उपाय करता है। कॉफी बोर्ड ने काफी के उपभोग के संवर्धन के लिए कॉफी ड्रिंकिंग तकनीकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है।

कामन इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हेतु कार्यबल की स्थापना

1293. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "कॉमन इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स" की स्थापना से जुड़े मुद्दों के विषय में समन्वय स्थापित करने तथा परियोजनाओं के शुरू होने में विलंब के लिए बाधाओं को दूर करने हेतु एक कार्यबल गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो कार्य बल में कौन-कौन से सदस्य हैं;

(ग) क्या वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी इस कार्यबल में शामिल किया गया है; और

(घ) परियोजना शुरू किए जाने में विलंब के लिए बाधाओं को दूर करने में यह कार्यबल कहां तक सहायक रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क), (ख) और (ग). जी, हां। सरकार ने चर्मशोधनशालाओं के लिए कामन इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (सी.ई.टी.पी.) की स्थापना से संबंधित कार्रवाई के समन्वय के लिए 5.7.96 को एक कार्य दल का गठन किया है। इस कार्यदल में वित्तीय संस्थानों सहित निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधि शामिल है :—

पर्यावरण और वन; उद्योग; वाणिज्य मंत्रालय; केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान; राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान; तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; आई.डी.बी.आई., एस.आई.डी.बी.आई., हुडको, यूनिडो, राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम और चमड़ा निर्यात परिषद।

(घ) यह कार्यदल सी.ई.टी.पी. से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करता आ रहा है। दिनांक 15.10.96 को हुई इसकी पहली बैठक में सी.ई.टी.पी. की स्थापना से संबंधित केन्द्रीय इमदाद की सीमा को समाप्त करने, वित्तीय संस्थानों द्वारा ब्रिज लोन प्रदान करने, शोधनशाला के प्रदूषण को रोकने के लिए सी.एल.आर.आई और एल.ई.ई.आर.आई. द्वारा तकनीकी परामर्श प्रदान करने, प्रदूषण प्रस्राव के मानदण्डों की समीक्षा, शोधनशालाओं के स्राव के उपचार के लिए आवश्यक कुछ विशेष रसायनों और उपकरणों पर आयात शुल्क में छूट देने इत्यादि पर विचार किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक में आरक्षित पदों को भरना

1294. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों के लिए चतुर्थ श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के आरक्षित पद नहीं भरे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी श्रेणियों के साथ उचित न्याय करने हेतु भर्ती शीघ्र कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लिपिक वर्ग में और सब स्टाफ वर्ग में अनुसूचित जनजाति के पदों में पिछला बकाया है। तथापि, इन वर्गों में अनुसूचित जनजाति के पदों में पिछला बकाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि कुछ विभागों के निरंतर पुनर्गठन, बढ़ते हुए कम्प्यूटरीकरण और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अब तक किए जा रहे किन्हीं कार्यकलापों के संबंध में उनकी शक्तियों के न्यागमन के कारण, स्टाफ आवश्यकता में कमी आई है। तथापि, भविष्य में नई भर्ती के समय अनुसूचित जनजाति के बकाया रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय को-आपरेटिव बैंक

1295. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय को-आपरेटिव बैंक को लाइसेंस देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि "नैशनल को-आपरेटिव बैंक आफ इंडिया" नामक एक सोसाइटी ने बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस मांगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इस प्रकार का लाइसेंस जारी करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी।

औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र

1295. **श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछड़े क्षेत्रों तथा विकासशील क्षेत्रों के बीच असमानता कई गुणा बढ़ गई है तथा बहुत से राज्यों में पिछड़े क्षेत्र उचित ढांचागत सुविधाओं के अभाव में सरकार के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के बावजूद पिछड़े ही बने हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण तथा अंतर्क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को समाप्त करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों हेतु प्रभावी तथा व्यावहारिक रणनीतियां बनाने के लिए एक नये प्रोत्साहन पैकेज पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). सरकार इस बात से अवगत है कि आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण कुछ क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़े रह गये हैं। अतः, सरकार सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में, आधारभूत सुविधाओं में और अधिक निवेश के संवर्धन में सहायता कर रही है। परिवहन राजसहायता योजना, विकास केंद्र योजना और एकीकृत आधारभूत विकास योजना जैसी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के अतिरिक्त सरकार ने हाल ही में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जो कि देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक हैं, के त्वरित विकास के लिए अनेक नयी पहलों की घोषणा की है।

लघु तथा मध्यम क्षेत्र में सीधा विदेशी पूंजी निवेश

1297. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु तथा मध्यम क्षेत्र में सीधे विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए तथा इस क्षेत्र के उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अर्द्ध तथा पूर्ण रूप से तैयार माल भेजने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आरक्षित श्रेणियों की संख्या तथा लघु स्तर के क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं सहित तत्संबंधी ब्यौरे क्या है तथा कितनी और मदों को अनारक्षित किए जाने का विचार है;

(ग) प्रस्तावित परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) प्रस्तावित अनारक्षणों पर लघु क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं। इस समय लघु उद्योगों में घरेलू अथवा विदेशी कंपनियों द्वारा इक्विटी निवेश 24 प्रतिशत तक की सीमित है। संयंत्र और मशीनरी में निवेश सीमा के कारण लघु क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मात्रा नगण्य है।

(ख) से (घ). इस समय लघु क्षेत्र में उत्पादन हेतु 836 उत्पाद आरक्षित हैं। बड़ी कंपनियां, चाहे वे घरेलू हों अथवा विदेशी, आरक्षित मदों का सिर्फ तभी विनिर्माण आरंभ कर सकती हैं यदि वे अपने वार्षिक उत्पादन के न्यूनतम 75 प्रतिशत भाग के निर्यात का वायदा करें। आरक्षित मदों की सूची जुलाई, 1989 से यथावत है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनुपर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 662/96]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 663/96]

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 664/96]

(तीन) भारत यंत्र निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-665/96]

स्मारक सिक्का निर्माण, मानक वजन और गुणवत्ता के अन्तर की सीमा से युक्त एक सौ रुपये का सिक्का (जिसमें पचास प्रतिशत चांदी, चालीस प्रतिशत तांबा, पांच प्रतिशत निकल और पांच प्रतिशत जिक सम्मिलित है) तथा पचास रुपये, दस रुपये और दो रुपये के सिक्के (जिनमें पचहत्तर प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल सम्मिलित है) तथा जिन्हें "सरदार बल्लभाई पटेल" की स्मृति में निर्मित किया गया है नियम, 1996 आदि

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

(1) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सिक्का निर्माण (मानक वजन और गुणवत्ता के अन्तर की सीमा से युक्त एक सौ रुपये का सिक्का जिसमें पचास प्रतिशत चांदी, चालीस प्रतिशत तांबा, पांच प्रतिशत निकल और पांच प्रतिशत जिंक सम्मिलित है, तथा पचास रुपये, दस रुपये और दो रुपये के सिक्के, जिनमें पचहत्तर प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल सम्मिलित है तथा जिन्हें "सरदार बल्लभभाई पटेल" की स्मृति में निर्मित किया गया है) नियम, 1996 जो 18 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 485(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 666/96]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) 25 जून, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 92 जिसके द्वारा 21 अप्रैल, 1995 के तदर्थ छूट आदेश संख्या 114 कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) 28 जून, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 99 जो उर्वरक संयंत्रों को अमोनिया की आपूर्ति के लिए उद्योगमंडल में एक अमोनिया संयंत्र प्रतिस्थापन परियोजना की स्थापना के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी आदि को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) 14 जुलाई, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 105 जिसका आशय 25 जून, 1993 के तदर्थ छूट

आदेश संख्या 139 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) 8 जुलाई, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 112 जो मैसर्स पावर ग्रेड कारपोरेशन आफ इंडिया की जयपोरगाजवके एच.वी.डी.सी. बैक-टू-बैक ट्रांसमिशन परियोजना के लिये अपेक्षित विनिर्दिष्ट उपस्करों के आयात पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 274(अ) जो 10 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 11 मार्च, 1996 की अधिसूचना संख्या 12/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 667/96]

(3) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (दूसरा संशोधन) नियम, 1996 जो 4 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 509(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 668/96]

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (दो) के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 406(अ) जो 4 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 28 नवम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या 266/67-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 669/96]

भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-670/96]

(3) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 671/96]

(4) भारतीय निर्यात प्रत्यय गारंटी निगम लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 672/96]

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 673/96]

अपराह्न 12.01 बजे

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार 2 दिसम्बर, 1996 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :-

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा आयकर (संशोधन) विधेयक, 1996 पर विचार और पारित करना।

3. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :-

(क) .मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक, 1995

(ख) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 1995

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :-

(1) एशियाई देशों के आपसी आर्थिक हितों के सुरक्षार्थ विशेषतौर पर भारत के साथ और अधिक सहयोग हेतु चीन के प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त की गई इच्छा के परिपेक्ष्य में, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जैसे एशियाई आर्थिक समुदाय के गठन के लिए चीन और अन्य एशियाई देशों के साथ सहयोग किए जाने की आवश्यकता।

(2) केरल में कोट्टायम जिले के इरूमापरा, कोलानी, मेचल, नेल्लापारा, अम्बाकम मनकोम्पू क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण सहित विकासात्मक कार्यकलापों और बुनियादी ढांचे के विनिर्माण हेतु जनजातीय बहुल पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि दिए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें :—

1. दिल्ली-जयपुर-अजमेर-ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की अत्यधिक सघनता तथा प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं में रोज बीसियों व्यक्तियों की दर्दनाक मौतों को रोकने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग को दिल्ली-जयपुर-अजमेर-ब्यावर तक अविलम्ब चारलेन बनाने की आवश्यकता।

2. अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित कर वहां औद्योगिक विकास किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :—

(1) विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति।

(2) अडंमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पर्याप्त विमान सेवाएं प्रदान किए जाने के बारे में।

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए।

बिहार में लोगों को यह विश्वास था कि गंडक सिंचाई योजना के पूरा होने के बाद उत्तर-बिहार देश के लिए अन्न का भंडार बन जाएगा। लेकिन 25-30 वर्ष बीत एक यह योजना पूरी नहीं हो सकी। यह वरदान के बदले अभिशाप बन गई।

इसका सबसे अधिक खामियाजा सारण, सीवान एवं गोपालगंज जिले को भुगतना पड़ रहा है।

[अनुवाद]

श्री बी.एम. रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाएं :—

(1) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आवासों के आवंटन में निर्धारित मानदण्डों के कथित उल्लंघन के बारे में।

(2) आंध्र प्रदेश में नई रेल लाइनों की अत्यधिक आवश्यकता है। मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 बरास्ते नकरकल, सूर्यापेट और कोडाद, के साथ-साथ हैदराबाद से विजयवाड़ा तक एक नई रेल लाइन बिछाए जाने के लिए सर्वेक्षण कराया जाए।

[हिन्दी]

श्री अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए :—

1. नवनिर्मित रेलवे जोन हाजीपुर के अंतर्गत अभी कोई कोच का कारखाना नहीं है। इस क्षेत्र के औद्योगिकीकरण की दिशा में एक सार्थक कदम उठाने के लिए इस जोन में समस्तीपुर अथवा अयारपुर रेलवे स्टेशन के निकट जहां आबादी से मुक्त भूमि उपलब्ध है, एक कोच फैक्ट्री और शरहारा रेलवे स्टेशन यार्ड के निकट माल डिब्बे की मरम्मत का कारखाना स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

2. किसानों को वर्तमान में गेहूं बुआई के लिए डी.ए.पी. तथा अन्य फसलों के लिए कैल्शियम उर्वरक की आवश्यकता है जिसका समस्तीपुर ही नहीं सम्पूर्ण बिहार में अभाव है। अतएव मैं इन उर्वरकों को शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय (गिरिडीह) : महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं फ्री सेल मार्केट के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण एवं बिक्री सही ढंग से कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए। वितरण एवं बिक्री सुनिश्चित कराने के लिए केन्द्रीय निगरानी दल का गठन हो एवं समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाये।

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) : कृपया निम्नलिखित विषयों को अगली साप्ताह की कार्यसूची में रखने का कष्ट करें।

1. बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जिस तरह से केन्द्र सरकार ने पिछड़ेपन के आधार पर उत्तराखण्ड को पृथक राज्य बनाने की घोषणा की है उसकी तरह बुन्देलखण्ड को भी पृथक राज्य बनाने की घोषणा की जाए।

2. हमीरपुर जनपद में प्रतिवर्ष बाढ़ से सैकडों गांव प्रभावित होते हैं, प्रतिवर्ष किसानों और शहर के नागरिकों का करोड़ों का धन एवं जन की हानि होती है। इस वर्ष भी विनाशकारी बाढ़ हमीरपुर जनपद में आयी जिसमें करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अतः हमीरपुर जनपद के लोगों को बाढ़ राहत हेतु 100 करोड़ धनराशि दिलाई जाए।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.08 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) कयर बोर्ड

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 $^{1}/_{2}$ बजे

(दो) चाय बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1) (ख) और 5(1) के साथ गठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4(3) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1) (ख) और 5(1) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4(3) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाक्को (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मुझे इस देश के युवाओं के सम्बन्ध में गहन चिन्ता का मुद्दा उठाने के लिए कुछ समय देने हेतु मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, कालेजों, छात्रावासों और कालेज परिसरों में चल रही रैगिंग की कुप्रथा सारे देश के लिए शर्म का विषय बन गयी है। रैगिंग के नाम पर असभ्य, समाज-विरोधी तथा परपीड़नात्मक क्रूर गतिविधियां जारी हैं जिनके परिणामस्वरूप हिंसा फैलती है और कभी-कभी हत्याएं भी हो जाती हैं। महोदय, हाल ही में चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति के इकलौते पुत्र की एक कॉलेज के छात्रावास में रैगिंग के नाम पर नृशंस हत्या कर दी गई। इस अपराध में संलिप्त अपराधियों ने मृतक पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। जब वह बेहोश हो गया तो उसके हाथ काट दिए गए। चीर-फाड़ करने वाले यंत्रों से उसके हाथ काट दिए गए तथा उन्हें एक निकटवर्ती नहर में फैंक दिया गया। लेकिन यह क्रूरता यहीं समाप्त नहीं हुई। उसके शरीर को डिब्बे में पैक करके एक सर्विस बस में रख दिया गया।

महोदय, रैगिंग के नाम पर छात्रों का आचरण देश के लिए शर्म का विषय बन गया है। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने खुले तौर पर यह वक्तव्य दिया है कि इस घटना से सख्ती से निबटा जाएगा। पहले भी ऐसे ही वक्तव्य दिए गए थे, लेकिन वे वक्तव्य समय व्यतीत होने

के साथ-साथ हवा में विलीन हो गए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए देश में इस समय कोई कानून नहीं है। मैं ऐसे अनेक छात्रों को जानता हूं जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, जो मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त हैं, जो इस प्रकार के अत्याचारों के शिकार हैं और इन बर्बरतापूर्ण अत्याचारों के जीते-जागते उदाहरण हैं।

महोदय, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह देश में रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु यहां इस संसद में एक विधेयक लाए तथा इसे अपनी पूर्ण शक्ति से लागू करे।

[अनुवाद]

महोदय, कठोर सजा केवल कुछ समय के लिए निवारक कारक है। इसलिए, ऐसे लोगों को, जो इस प्रकार के अपराध में अन्तर्ग्रस्त हैं, कालेजों से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उन्हें कठोर सजा दी जानी चाहिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मामले में राज्य सरकार के साथ परामर्श से उचित कार्यवाही की जाए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, हम आपको अपना सर्वसम्मत समर्थन देते हैं। **(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त (अडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विद्यमान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं।

जैसाकि आप जानते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र होने के नाते, इसका प्रशासन एक प्रशासक के माध्यम से भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। गत एक वर्ष से वहां कोई नियमित प्रशासक नहीं है। एक बार पांडिचेरी का उप राज्यपाल प्रशासन की जिम्मेदारियों को देख रहा था और उसके बाद शायद तमिलनाडु का राज्यपाल देख रहा है।

अब, हाल में, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने निदेश जारी किए हैं जिसके द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में समुद्री रेत या पत्थर खनन कार्य नहीं किया जा सकता। किसी विकास कार्य के लिए कोई निर्माण कार्य जैसे स्कूल भवन, अस्पताल, मकान भूमि से लिया जाएगा। इसलिए, आज सम्पूर्ण विकास गतिविधियां, निर्माण कार्य आदि रोक दिए गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी धनराशि वर्ष के दौरान किए जाने वाले विकास कार्य के लिए आबंटित की गई है। उसका अधिकांश हिस्सा वापस करना पड़ेगा और इस प्रकार इस आदेश के कारण कोई विकास कार्य शुरू नहीं किया जा सकेगा।

मैंने पर्यावरण और वन मंत्री के साथ बैठक की थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वे इस सम्बंध में कुछ करेंगे। लेकिन, दुर्भाग्यवश, आज तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी से बात की। मैंने सभी को लिखा है। मैंने सरकार की सकारात्मक सम्भाव्यताओं का पता लगाने का प्रयास किया था लेकिन, मैं इसमें असफल रहा। उसके बाद, यह सभा ही केवल ऐसा मंच है क्योंकि ये छोटे-छोटे द्वीपसमूह भारत की मुख्य भूमि पर पूर्णतः निर्भर हैं और इस संसद पर निर्भर हैं। हमारी कोई विधान सभा नहीं है; हमारा और कुछ नहीं है जहां हम अपनी शिकायतों पर विचार विमर्श कर सकें।

महोदय, आपने स्वयं भी द्वीपसमूह का दौरा किया है, इस सभा के अनेक विशिष्ट सदस्यों ने तथा पूर्व प्रधान मंत्रियो ने भी द्वीपसमूह का दौरा किया है। मैं इस मामले में आप सभी का समर्थन मांगता हूं ताकि यह कार्य बिना किसी विलम्ब के तत्काल शुरू किया जा सके।

इस कार्य में रूकावट नहीं आनी चाहिए और देश के उस भाग के लोगों के समक्ष इस तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री इसके बारे में गृह मंत्री को जानकारी दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. रमेश चंद तोमर

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, संघ राज्य क्षेत्रों पर सभा में कभी चर्चा नहीं होती ...**(व्यवधान)** हमारी मांग है कि नियम 193 के अंतर्गत एक विशेष चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वाद-विवाद में सभी पार्टियां भाग ले सकें और इस पर एक राय प्रकट कर सकें कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलाया जाना चाहिए और उनकी समस्याएं क्या हैं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठें। मैंने डा. तोमर से बोलने के लिए कहा है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, हम यह चाहते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बंध में नियम 193 के अंतर्गत विशेष चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने अपनी बात कह दी है।

अपराह्न 12.16 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड) : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। लूटपाट, डकैती और अपहरण की घटनाएं चरम सीमा पर हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण बना हुआ है।

मेरे संसदीय क्षेत्र हापुड (गाजियाबाद) में ऐसी घटनाएं चरम सीमा पर हैं। पुलिस इन घटनाओं को रोकने में असफल रही है। वह उल्टे इसको बढ़ावा दे रही हे। मेरे क्षेत्र में लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो न्याय की आशा किस से की जा सकती है।

उपाध्यक्ष जी, रैंक प्रमोशन के चक्कर में 8 नवम्बर को दिन दहाड़े भोजपुर थाने के अन्तर्गत मछरी पिकेट पर पुलिस वालों ने फर्जी

मुठभेड़ में चार लोगों की हत्या कर दी। चार मरने वाले युवकों में तीन युवक नाबालिग थे। उनमें से अशोक की उम्र 17 वर्ष थी। वह तीन बहनों का अकेला भाई था और घर में अकेला कमाने वाला था। पुलिस ने उसे दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था। वह निर्दोष था। इसी प्रकार जलालुद्दीन जिसकी उम्र 18 वर्ष थी, उसको भी पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। परवेश जो कि 18 वर्ष का था, वह भी घर में अकेला कमाने वाला था। जसबीर जो कि 29 वर्ष का था, उसकी भी हत्या कर दी गई। फर्जी मुठभेड़ में चार लोग मार दिए गए। क्षेत्र की जनता इस फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ आन्दोलन कर रही है तथा हत्या में लिप्त पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रही है लेकिन पुलिस अधिकारी उल्टे ही जनता को धमका रहे हैं। जो लोग इसके खिलाफ आन्दोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ गलत केस बनाने की कोशिश कर रही है और उन्हें धमका रही है। लोग इस डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि कहीं पुलिस उन्हें गलत केस में न फंसा दे।

मेरी गृह मंत्री से मांग है कि जिन चार युवकों की फर्जी मुठभेड़ में मृत्यु हो गई, उस केस की सी.बी.आई. से जांच करवायी जाए। दोषी पुलिस कर्मचारियों को सस्पैंड करके उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराया जाए। उन चारों युवकों के घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, इसलिए उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जो पुलिस अधिकारी दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, उनका तबादला कराया जाए। इससे लोगों को राहत की सांस मिल सकती है और लोग सुखी जीवन बिता सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष जी, जो मामला उठाया गया है, वह केवल माननीय सदस्य ने उठा दिया, उसे सदन ने सुन लिया और उस पर कोई कार्यवाही न की जाए, यह स्थिति गम्भीर है। उत्तर प्रदेश के शासन के लिए यह सदन सीधा जिम्मेदार है। वहां राष्ट्रपति राज है। वहां पुलिस मुठभेड़ें हो रही हैं और नौजवान मारे जा रहे हैं। गाजियाबाद दिल्ली के पास है। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। आप केन्द्र सरकार को आदेश दें कि जो मामला श्री तोमर ने उठाया है, वह उसके बारे में सारे तथ्य एकत्र करके सदन के सामने रखे। जो दोषी पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। अगर वे जांच के बाद दोषी प्रमाणित हो जाते हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, हम यह मामला होम मिनिस्टर की नॉलेज में लाएंगे और उनसे कहेंगे कि वह इस मामले में कार्यवाही कर सदन को सूचित करें।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, इस सम्बंध में कृपया मुझे भी मौका दें।

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट *: उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में शूगर मिल्स चालू नहीं हुई हैं।* उ.प्र. एडमिनिस्ट्रेशन पेमेंट नहीं करवा रहा *है और सरकार द्वारा घोषित सपोर्ट प्राईस किसानों को नहीं मिल रही है। अब एक-दो महीने मिल चलेंगी फिर एक साल के लिये बंद हो जायेंगी।* तो यू.पी. एडमिनिस्ट्रेशन से कहिये कि शूगर मिलें किसानों का गन्ना लेना शुरू करें और उचित दाम भी देने शुरू करें तभी इस फसल का फायदा होगा, नहीं तो तीन महीने के बाद यह खत्म हो जायेगा।

[अनुवाद]

डा. राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा का तथा सरकार का ध्यान अपने जिले बीरभूम में हाल में घटित रेल दुर्घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। इस दुर्घटना के कारण आयल टैंकर का एक रैंक पटरी से उतर गया था और इसके कारण वहां तेल बिखर गया था। अत्यधिक तेल बिखर जाने के कारण, काफी बड़े क्षेत्र में खड़ी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। लगभग 200 एकड भूमि प्रभावित हुई है। यह घटना बीरभूम जिले में आंदल-सैंथिया रेलवे सेक्शन पर डबराजपुर रेलवे स्टेशन के निकट घटित हुई। इससे सैंकडों किसान प्रभावित हुए हैं। लेकिन सरकार किसानों को हुए नुकसान के बारे में कुछ नहीं कर रही है। वे रेल विभाग से पर्याप्त मुआवजे के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह मामले को देखे और प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजे का शीघ्र भुगतान करे। महोदय मेरा अनुरोध है कि रेल विभाग किसानों को मुआवजे का भुगतान करे।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया हमें भी बोलने की अनुमति दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभी को बोलने का मौका मिलेगा। कृपया इंतजार करें।

[हिन्दी]

एकाध घंटा फालतू बैठकर सबको ऐकामोडेट करने की कोशिश करेंगे। आप भी आधा घंटा बैठने के लिये तैयार रहें। सबको चांस मिलेगा।

श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये पांचवे वेतन आयोग का गठन 1993 में हुआ था और 1994 में उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ भी किया था। उनके अनुसार यह रिपोर्ट जून, 1996 तक आ जानी चाहिए थी लेकिन आज की तारीख तक रिपोर्ट नहीं आयी। सारे सरकारी कर्मचारी

ऐजीटेशन कर रहे हैं। देश के अंदर इंडस्ट्रियल पीस डिस्टर्ब न हो जाये, इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ है। अब 9 दिसम्बर को देश मे पूर्ण बंद का आह्वान उन्होंने किया है और वेतन आयोग वे बाहर के धरने पर बैठे हुये हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस सैशन के अंतर्गत 22 तारीख से पहले वेतन आयोग की रिपोर्ट की घोषणा हो, ऐसा निर्देश आप सरकार को दें।

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के इस बयान से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि पिछले तीन दिन से चले आ रहे सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन को देखते हुये वेतन आयोग की रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत की जाये।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला : महोदय, आई.डी.पी.एल. सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत एक अग्रणी भेषज उद्यम के रूप में चल रहा था। अब यह कम्पनी इतनी रूग्ण बन गई है कि यह फील्ड रिप्रेजेन्टेटिव या फील्ड वर्कर और अन्य कामगारों को वेतन का भी भुगतान नहीं कर पा रही है और उनको वेतन नहीं मिल रहा है। हम काफी समय से यह मांग करते रहे हैं कि सरकार द्वारा आई.डी.पी.एल. आधुनिकीकरण किया जाए। सरकार ने कोशिशि भी की है। लेकिन कुछ अव्यवस्था के कारण यह सब कुछ हुआ है। सरकार से हमारी मांग ये है कि सभी कामगारों और फील्ड रिप्रेजेन्टेटिव्ज को तत्काल उनका वेतन दिया जाए। हमारी यह भी मांग है कि आई.डी.पी.एल. को भेषज क्षेत्र में प्रमुख और नीतिगत उद्योग के रूप में समझा जाना चाहिए। हमारी यह भी मांग है कि आई.डी.पी.एल. की कामगार यूनियनों और फील्ड रिप्रेजेन्टेटिव्ज के परामर्श से आई.डी.पी.एल. को अर्थक्षम बनाने की योजना को शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त धनराशि तत्काल जारी की जानी चाहिए।

महोदय, मेरा आपसे साईकिल उद्योग के बारे में भी विनम्र निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल एक मुद्दा उठा सकते हैं।

डा. असीम बाला : धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सारे देश में गेहूं का अभाव सा हो गया है। कल भी सुमित्रा महाजन जी ने इस विषय को उठाया था। राजस्थान में केन्द्रीय खाद्य निगम ने छः लाख बोरियां गेहूं इकट्ठा करके भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर खुली बिक्री में बेचने के लिए सुरक्षित रखा था। इस वर्ष की बरसात में वह गेहूं कुछ भीग गया । गेहूं भीगना केन्द्रीय खाद्य निगम के लिए बड़े सौभाग्य का विषय हो गया। गेहूं भीग गया, यह दिखाकर 512 रुपए प्रति क्विंटल का गेहूं 450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जयपुर के एक अधिकारी ने बड़े व्यापारियों से सांठ-गांठ करके खुले में बेचा। 11,000 बोरियां तक व्यापारियों को दे दी गई और वह गेहूं आज हिन्दुस्तान से बाहर विदेशों में चला गया। जब 15 दिन बाद इसका पता चला कि 450 रुपए के भाव में गेहूं बिक रहा है तो केन्द्र सरकार ने यहां से पत्र-व्यवहार किया और गेहूं का भाव 475 रुपए प्रति क्विंटल 15 दिन बाद किया गया। 475 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बिका और आज छः लाख बोरियां बड़े व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ करके बेच दी गई हैं। कल केन्द्रीय सरकार ने फिर घोषणा की है कि छः लाख टन खुले बाजार में गेहूं बेचने के लिए हम निकाल रहे हैं। मुझे डर है कि जिस प्रकार से छः लाख बोरियां योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र करके बड़े व्यापारियों को दे दी गई, यह छः लाख टन गेहूं भी बड़े व्यापारियों के माध्यम से बाहर विदेशों में चला जाएगा। आज गेहूं नहीं है, लोग तरस रहे हैं। 11 रुपए किलो में गेहूं का आटा खाने को लोग विवश हैं। आटा महंगा मिल रहा है। 450 रुपये प्रति क्विंटल का गेहूं मिल वाले आटा बनाकर 9 रुपए किलो और 11 रुपए किलो में बेच रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसकी जांच की जाए। मेरा चार्ज है कि तीन करोड़ रुपया खाद्य निगम ने योजनाबद्ध षड्यंत्र करके व्यपारियों के साथ सांठ-गांठ करके खाया है। ऊपर तक यह पैसा पहुंचा है। मैंने खाद्य मंत्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी को पत्र लिखा था। उन्होंने जवाब में लिखा कि मैं इस पर उचित कार्रवाई कर रहा हूं। तीन बार पत्र लिखे और तीनों बार एक ही पंक्ति का जवाब आया कि उचित कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। तीन करोड़ रुपया खाद्य निगम ने खा लिया और बड़े व्यापारियों को गेहूं बेच दिया। हिन्दुस्तान की जनता आज गेहूं के लिए तरस रही है। इसके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। मेरे क्षेत्र में हाट में व्यापारी गेहूं लेकर आए तो गेहूं को लूट लिया गया। अगर गेहूं का भाव इसी प्रकार बढ़ता रहा तो देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। कृपा करके इसके लिए उचित व्यवस्था करें।

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय रबी की बुआई चल रही है। इस संबंध में मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर में सहकारी और सरकारी गोदामों और ब्लाकों में गेहूं के बीज तथा डी.ए.पी. खाद का नितांत अभाव है और जो खाद या जो बीज प्राइवेट दुकानों पर मिल रहा है, वह इतना घटिया किस्म का है कि उससे किसानों की उपज में बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह स्पष्ट निर्देश दें कि हमारे क्षेत्र के अंदर गेहूं के नये बीज और डी.ए.पी. खाद उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। मान्यवर, यह केवल मेरे ही जिले का मामला नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की शिकायत है और इस प्रकार की आवश्यकता है।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : उपाध्यक्ष जी, सिंधिया वर्कशॉप के लोगों को 108 महीने से वेतन नहीं मिला है। मैं चिदंबरम जी से यह निवेदन करना चाहता हूं। बार-बार मैंने यह मामला भूतपूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी के पास लेकर गया। और चिदम्बरम

साहब ने जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं उन्होंने इसको इनीशिएट किया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि 108 महीने हो गये हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बात को क्यों दोहरा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि 199। तक जिन्होंने वी.आर.एस. लिया है उनको वेतन दिया जाए और 199। में जिनको वी.आर.एस. डिक्लेअर की थी और 1993 तक जो कंपनी के रजिस्टर में थे, उनको वेतन दिया जाए। इसलिए मैं चिदम्बरम साहब से विनती करता हूं कि 1996 तक जितने रोल कॉल में, रजिस्टर में होंगे उन सभी लोगों को 1996 तक का वेतन देना चाहिए। मैं चिदम्बरम साहब से आशा करता हूं कि वह इस पर कार्रवाई करेंगे। वित्त मंत्री यहां पर बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है, उन्होंने सुन ली है। कृपया बैठ जाइये।

श्री मोहन रावले : मैं आपसे अपील कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी अपील उन्होंने सुन ली है, कृपया बैठ जाइये।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए। आप क्यों नहीं बैठ जाते। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाओ।

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 50 वर्षों के बाद भी आज सिर पर मैला ढोने वाले कर्मचारियों की प्रथा उसी हालत में चल रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक को अवसर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी : उनकी दयनीय दशा को समाप्त करने हेतु इस मुद्दे को इस सदन में बार-बार उठाया जाता रहा है। किंतु इस ओर आज तक कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय जस्टिस रंगनाथ मिश्र जी ने यह कहा था कि यदि किसी गांव में कोई व्यक्ति सिर पर मैला ढोता है तो उस गांव के प्रधान को सजा दी जाए और अगर शहर में ऐसा होता है तो उस शहर के जो मुख्य अधिकारी हैं उनको सजा दी जानी चाहिए। सिर पर मैला ढोने वाले कर्मचारियों को नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया इत्यादि में ...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत महत्व का है।

श्री मंगल राम प्रेमी : 20 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनको दो समय की रोटी खाने को नहीं मिल पा रही है और ये लोग बुरी हालत में हैं। इनको फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कितना फंड है, कहां पर है, इसके बारे में इनको कुछ भी मालूम नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि देश के समस्त मैला ढोने वाले कर्मचारियों को प्रदेशों की सरकारों के द्वारा सीधे अपने अधीन ले ले ताकि उनको समय पर वेतन आदि मिले और उनकी पारिवारिक समस्या का हल हो सके। मैं यह भी मांग करता हूं कि यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण मामला है और इस पर दो घंटे की चर्चा हाउस में की जाए और जब तक ऐसा नहीं होगा और इस हाउस में सभी नेता इस विषय पर नहीं बोलेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं हैं। मैं सरकार से इतनी प्रार्थन ाकरता हूं कि वह इस ओर अवश्य ध्यान दें।

श्री राम नाईक : यह विषय बार-बार सदन के नेता राम विलास जी उठा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्रतिक्रिया में उन्हें कुछ कहना चाहिए क्योंकि अब 50 साल हो गये हैं। 9 दिसम्बर को हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें यह घोषणा होनी चाहिए कि आगे चलकर यह प्रथा नहीं चलेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सदन के नेता को इस बारे में कुछ कहना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह मामला उठाया है वह सचमुच ही देश के लिए एक कलंक की बात है कि आजादी के 50 साल बाद भी आज एक-दो नहीं करीब-करीब तीन हजार ऐसे शहर हैं, छोटे-बड़े कस्बे हैं जहां आज भी सिर पर पखाना ढोने का सिस्टम जारी है। हम लोगों ने 1990 में योजना बनाई थी कि 3 साल के अंदर हम उस व्यवस्था को खत्म कर देंगे। आज यदि कोई आदमी गरीब है, मकान बनाता है, सरकार उसके लिए सब्सिडी देगी और जो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कर्नाटक में किया गया, पहले से ही वहां सिर पर पखाना ढोने का कोई सिस्टम नहीं है और फिर बीच में वह काम धीमा हो गया है और हम लोगों ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और एक निश्चित सीमा की अवधि के अंदर सिर पर पखाना ढोने का सिस्टम खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जहां तक दूसरा प्रश्न है कि उनके तमाम कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, तो आप जानते हैं कि इसमें म्युनिसिपैलिटी है, इसमें हर तरह के कर्मचारी हैं। इसलिए इस मामले में राज्य सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। केन्द्र सरकार उस मामले में जरूर पहल करेगी।

डा. राम विलास पासवान : अभी रेल मंत्री जी ने सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा को समाप्त कराने की बात कही, पहले कम से कम वे अपने विभाग में ही इस प्रथा को समाप्त करा दें क्योंकि वहां अभी भी यह काम चालू है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया, अब आप बैठ जाईए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पटना की ओर दिलाना चाहता हूं। बिहार में अभी तक एक भी केन्द्रीय विश्व-विद्यालय स्थापित नहीं किया गया है। पटना विश्व-विद्यालय हर सरकार से एक केन्द्रीय विश्व-विद्यालय बनने के मापदंड पूरे करता है और वहां पिछले 20 सालों से बराबर यह मांग की जाती रही है कि बिहार में यदि कोई केन्द्रीय विश्व-विद्यालय बनने लायक है तो वह केवल पटना विश्व-विद्यालय है जिसे केन्द्रीय विश्व-विद्यालय बनाया जा सकता है, मगर अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बिहार जो उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या के लिहाज से दूसरे नम्बर पर आता हैं और एक बड़ा प्रदेश है, वहां अविलम्ब एक केन्द्रीय विश्व-विद्यालय स्थापित होना चाहिए क्योंकि पटना विश्व-विद्यालय में आज न केवल बिहार के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं बल्कि बिहार से लगे सीमावर्ती इलाकों के छात्र भी पढ़ने आते हैं। मेरी मांग है कि केन्द्रीय सरकार यथाशीघ्र पटना विश्व-विद्यालय को केन्द्रीय विश्व-विद्यालय बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे ताकि बिहार के छात्रों के साथ-साथ सीमावर्ती इलाकों के छात्रों के साथ भी न्याय हो सके।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही अहम् समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। काफी समय से पैट्रोलियम पदार्थों में मूल्यवृद्धि हरगिज न की जाए। वित्त मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। उन्होंने कुछ समय पूर्व एक प्राईवेट टी.वी. चैनल पर साक्षात्कार के दौरान पैट्रोलियम पदार्थों में मूल्यवृद्धि की संभावना की घोषणा की है जो एक प्रकार से संसद की अवमानना है क्योंकि इन दिनों संसद का अधिवेशन चल रहा है। ऐसे समय में नीतिगत वक्तव्य सदन के बाहर दिया जाना संसद का घोर अपमान है। इससे चोरबाजारी और पैट्रोलियम पदार्थों के संग्रह की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा तथा दैनिक वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। अभी कुछ समय पहले ही सरकार ने डीजल, पैट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए हैं। फिर से उनके दाम बढ़ाने की बात करना उपभोक्ताओं का गला घोंटना है, देश की महंगाई को और बढ़ाना है तथा देश की जनता की शेष बची शक्ति को नष्ट करना है।

डीजल और पैट्रोल में मिलावट से सरकारी आय को भारी नुकसान पहुंच रहा है। गांव के गरीब लोगों तक कैरोसिन ऑयल नहीं पहुंचता है। पैट्रोल की खपत पर सरकार को जो पाबंदी लगानी चाहिए थी, वह पाबंदी अभी तक लग नहीं पाई है। सरकार ने इस मामले में कोई सख्ती नहीं की है, हिम्मत जुटा नहीं पाई है लेकिन पैट्रोलियम पदार्थों में मूल्यवृद्धि का षडयंत्र रचा जा रहा है।

अभी पैट्रोलियम मंत्री जी ने आर्थिक सम्पादकों के सम्मेलन में इस प्रकार की बात कही है। सरकार के निकम्मेपन और कमजोर आर्थिक नीतियों पर पर्दा डालने के लिए पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को इस देश की जनता हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में किसी प्रकार की वृद्धि न की जाए क्योंकि आम आदमी पहले ही महंगाई और मुद्रास्फिति के कारण दबा हुआ है। उसे और अधिक महंगाई के बोझ से बचाया जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे बताएं कि क्या पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हो रही हैं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दें। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दें।

श्री सुरेश कोडीकुनील (अडूर) : मैं माननीय सभा का ध्यान दीपावली की पूर्व संध्या पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में घटित शराब त्रासदी की ओर दिलाना चाहता हूं। उस दिन, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ मजदूर नकली शराब पीने से बीमार पड़ गए थे। तीन मजदूरों की मौत हो गई थी और 40 से अधिक मजदूरों की हालत शराब का सेवन करने के पश्चात बिगड़ गई। वे राज्य के बहुत गरीब मजदूर हैं। इस शराब त्रासदी से सम्पूर्ण केरल राज्य को आघात पहुंचा है।

वे मजदूर अभी भी अस्पताल में दाखिल हैं और उनको भली भांति इलाज होने के बावजूद उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है।

• उपाध्यक्ष महोदय, अप्रैल 1996 में जब श्री ए.के. अंटनी केरल के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने 'अैरक' पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। उस समय, 10,000 से अधिक शराब (अैरक) की दुकानें बंद कर दी गई थी। पुलिस और एक्साइज अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया था और अैरक शराब की सभी दुकानें बंद करा दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में बताएं। यह राज्य का विषय है, लेकिन फिर भी मैंने इसकी अनुमति दी है।

श्री सुरेश कोडीकुनील : आम चुनावों के बाद एल डी एफ सत्ता में आया, लेकिन वे अैरक (शराब) पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं। इसलिए हमारे राज्य में अैरक बनाने पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी नीति पूरी तरह गड़बड़ा गई है और अब सम्पूर्ण केरल राज्य में नकली शराब बनाई जा रही है। सारी अैरक (शराब) अन्य राज्यों से आ रही है और पुलिस तथा उत्पाद शुल्क अधिकारी इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं।

केरल सरकार की रूचि अैरक (शराब) पर लगातार प्रतिबन्ध लगाने की नहीं है। इन परिस्थितियों में केरल में भविष्य में ऐसी और अधिक दुर्घटनाएं हो सकती है।

अतः भारत सरकार को शराब त्रासदी की पुनरावृत्ति से बचने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत सरकार को इस शराब त्रासदी पर केरल सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगनी चाहिए। मैं भी भारत

सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि प्रभावित व्यक्तियों को प्रधान मंत्री राहत कोष से कुछ वित्तीय सहायता दी जाए।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द चौहान (श्रीगंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज आपने लाखों किसानों की आवाज को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हरियाणा, राजस्थान,पंजाब और देश के अन्य प्रान्तों के किसानों की कपास की उपज का मंडियों में उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। लाखों किसान मंडियो में लाइन लगाकर बैठे हैं। उनकी दशा देखी नहीं जा सकती है। कपास का मूल्य 1100 रुपए प्रति क्विंटल है और एक एकड़ में 4.95 क्विंटल कपास की उपज होती है जबकि एक एकड़ पर खाद, बीज और दवाई का खर्चा लगभग 5000 रुपए होता है। यानी किसानों को मिट्टी के भाव कपास बेचनी पड़ रही है। जब किसान अपनी उपज मंडी में बेचते हैं, तो सस्ते दामों पर बिकती है और जब किसानों के हाथों से वह उपज निकल जाती है और व्यापारियों के गोदामों में पहुंच जाती है या मंडी में आ जाती है, तो उसके दगुने दाम हो जाते हैं। जैसे किसानों का गेहूं अप्रैल में 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका और आज बाजार में वही गेहूं 900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा हैं। यह किसानों और मजदूरों का शोषण है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जो अपने को किसान का बेटा होने का बड़े-बड़े पोस्टरों, रेडियो और दूरदर्शन से प्रचार करते हैं और कहते हैं कि किसान का बेटा प्रधान मंत्री है और आज किसानों का इस प्रकार से शोषण हो रहा है। इससे आप अंदाज लगा सकते है कि बाकी देश का क्या हाल होगा। अन्त में मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि कपास का मूल्य कम से कम 2500 रुपए प्रति क्विंटल तुरन्त करके सरकार को इसे किसानों से खरीदने के लिए कदम उठाने चाहिए वरना किसानों का आक्रोश गंभीर संघर्ष का रूप ले सकता है जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कल और परसों के दैनिक पंजाब केसरी समाचार पत्र में यह सब कुछ आया है कि कपास और नरमा के भाव क्या रहे हैं और किसानों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बिहार के साउथ कर्णपुरा कोल फील्ड की ओर दिलाना चाहता हूं। बिहार में साउथ कर्णपुरा कोल फील्ड है जिसमें सेंटर कोल फील्ड के अंतर्गत तीन कोयलरीज हैं- अरगड्डा, बरकाकाना और स्याओ। साउथ कर्णपुरा कोल फील्ड में उच्च ग्रेड के ए,बी और सी ग्रेड के 435 मिलियन मीट्रिक टन कोयले के भंडार हैं और उससे नीचे के ग्रेड के 448 मिलियन मीट्रिक टन कोयले के भंडार हैं। कोयला निकालने की तकनीक नहीं रहने के कारण वर्ष 1994-95 में 135 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और वर्ष 1995-96 में 122 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसमें 24000 मजदूर काम करते हैं। बिहार की जो कोल फील्ड हैं वे थिकसिन हैं और थिकसिन मार्यानिंग की हमारे देश में तकनीक नहीं है। इसलिए कुछ दिन पहले थिकसिन की मायनिंग करने के लिए विदेशों से कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था और उन्होंने जो थिकसिन मायनिंग की तकनीक अख्तियार की, तो उनसे भी थिकसिन की मायनिंग ठीक तरह से नहीं हो सकी।

उपाध्यक्ष महोदय, जरूरत इस बात की है कि इस कोल फील्ड को विकसित करने के लिए या जो कोल फील्ड घाट में चल रही हैं, उनको उस घाटे से उबारने के लिए और जो 24 हजार मजदूर इनमें काम कर रहे हैं, वे बेकार न हो जाएं। इसलिए एक बड़े पैमाने पर विज्ञापन निकाला जाये। पहले भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में ऐसी समस्या आ गयी थी। वहां खुली खदान के जरिये एक माइनिंग टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। हम सरकार से खास तौर से कोयला मंत्री से यह आग्रह करना चाहेंगे कि कोयला उद्योग के साउथ कर्णपुरा कोलफील्ड के इस प्रश्न पर कोल मंत्रालय और ट्रेड यूनियन के साथ विचार करके कोई रास्ता निकालें।

श्री मनोज कुमार सिन्हा (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री बृज भूषण तिवारी ने जिस विषय का अभी जिक्र किया है, उसकी ओर से आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश म डी.ए.पी. रासायनिक उर्वरक का बहुत जबरदस्त अभाव हो गया है। जिस तरह की काला बाजारी उस क्षेत्र में हो रही है उससे पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी गोदामों में डाई अमोनिया फास्फेट की अनुपलब्धता है। वहां रबी की बोआई चरम सीमा पर है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अविलम्ब इसके बारे में प्रबन्ध करें। स्थानीय अधिकारियों ने यह बताया है कि वहां रेलवे वैगन की शार्टेज है जिसके कारण डी.ए.पी. रासायनिक उर्वरक उपलब्ध नहीं हो रही है। संयोग से रेल मंत्री जी सदन में हैं। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि वे रेल अधिकारियों को निर्देश दें। इस समय रबी की बोआई चरम सीमा पर है और डी.ए.पी. रासायनिक उर्वरक अनुपलब्ध है, इसके लिए आप अविलम्ब कोई व्यवस्था करके रेलवे वैगन की उपलब्धता और डी. ए.पी. रासायनिक उर्वरक सुनिश्चित करायें।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और रेल मंत्री जी यहां मौजूद हैं इसलिए मैं हिन्दी में भाषण करना चाहता हूं। मैं केरल की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : भाषण लम्बा नहीं होना चाहिए।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : मैं हिन्दी में बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है लेकिन हिन्दी में भी लम्बा नहीं होना चाहिए।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने केरल के संसद सदस्यों की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था लेकिन उन आश्वासनों को पूरा करने की अभी तक कोई कोशिश नहीं हुई। देश में 17 रेलवे जोन हैं। 6 नये रेलवे जोन बनाये गये हैं। केरल के बारे में हमने डिमांड की थी और सोचा था कि रेल मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे लेकिन उन्होंने केरल को उपेक्षित कर दिया। इसके बारे में हमारे सारे सदस्यों ने रेल मंत्री

को एक मेमोरंडम दिया है। हमें रेलवे के हर काम के लिए मद्रास जाना पड़ता है। पहले चीफ इंजीनियर का आफिस कोचिंन में स्थापित करने के लिए कहा था लेकिन वह नहीं हुआ। उसका नोटीफिकेशन भी हुआ था लेकिन उसको एकदम कैंसिल कर दिया गया। केरल में रेलवे के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, वह बहुत स्लो चल रहे हैं। हमारे लिए हर बजट में पैसा लिया जाता है लेकिन वह पैसा खर्च नहीं होता। वह मद्रास और तमिलनाडु की ओर देखते रहते हैं। वहां डबलिंग का काम या गेज कन्वर्शन का जो काम चल रहा है उसमें चाहे मद्रास के आफिसर हों, चाहे बंगलौर के आफिसर हों, वे हमारी समस्याओं को नहीं देखते हैं। उसको जल्दी इम्पलीमैंट करने के लिए कोई काम नहीं करता। हम लोगों ने यह डिमांड की है कि केरल में वैस्ट कोस्ट रेलवे जोन की जरूरत है। इसके ऊपर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

आज देश के हर प्रदेश में, हर राज्य में नया जोन बनाया गया है लेकिन केरल अभी तक उपेक्षित है। यदि रेलवे की डैवलपमैंट एक्टिवटीज को ठीक तरह से चलाना है तो केरल में एक रेलवे जोन की जरूरत है। मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि वह हमारी डिमांड पर कुछ सोचें और उन्होंने हमसे जो वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करिये। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी बोलने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें मौका दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को बोलने के लिए रोक नहीं रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्निसला : उपाध्यक्ष महोदय, आप उन्हें आदेश देंगे तभी तो वह बोलेंगे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं? कृपया बैठ जाइए। उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. चाक्को (मुकुन्दपुरम) : वह बोलना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, 1991 में एर्णाकुलम में एक मुख्य इंजीनियर का कार्यालय स्वीकृत किया गया था। लेकिन यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी बात मान ली है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं इनको बहुत अच्छी हिन्दी बोलने के लिए धन्यवाद देता हूं। जहां तक जोन का सवाल है, माननीय सदस्य को मालूम है कि नौ जोन पहले से ही थे, छः जोन 33 साल के बाद बने। जोन तो संभव नहीं है।

आपके चीफ इंजीनियर के ऑफिस के संबंध में कहा है। कल आपने लिखकर भी दिया है। हम उसे देख रहे हैं। दूसरी बात, अभी रेलवे का सप्लीमैंट्री बजट आने वाला है। आपने शॉर्ट रूट के संबंध में कहा था, डबलिंग के लिए बोला जो आपका जनरल मामला था। उसे हमने ऑलरेडी मान लिया है। जहां तक आपका वर्क स्लो का चार्ज है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर वर्क स्लो नहीं होगा। जहां तक डबलिंग का मामला है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर आप जितना इंट्रस्टेड हैं उतना ही रेलवे भी इंट्रस्टेड है क्योंकि यह रेलवे के लिए स्वयं प्रौफिट की बात है। इसलिए किसी भी कीमत पर साउथ या केरल को उपेक्षित करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। रेलवे का बजट आ रहा है। उस बजट में हम विस्तार से डिस्कस भी करेंगे और एक-एक पाइंट का जवाब भी देंगे।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्वलोन) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं, जो आपने मुझे केरल मे काजू श्रमिकों से संबंधित एक लोक महत्व के एक अल्पावश्यक मुद्दे को उठाने का अवसर प्रदान किया है। केरल में ई.एस.आई. योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए कुल 4,26,000 श्रमिकों में से 1,25,000 काजू क्षेत्र के हैं। काजू उद्योग इस समय विभिन्न कारणों से गंभीर संकट का सामना कर रहा है। पहला कारण तो कच्चे काजुओं का अभाव है और दूसरे कच्चे काजुओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके कारण वर्ष प्रतिवर्ष कार्य दिवसों में कमी हो रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए वर्ष 1989 में ई.एस.आई. काजू श्रमिक योजना नामक एक विशेष योजना तैयार की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों की उपस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए इन श्रमिकों को ई.एस.आई. का लाभ दिया गया है। किन्तु यह जानकर आश्चर्य होता है कि कर्मचारी राज्य निगम ने 5.10.1996 को हुई अपनी बैठक में मनमानी तौर पर इस ई.एस.आई. विशेष योजना को रोकने बन्द करने का फैसला किया। इस योजना से 35,000 से 40,000 तक काजू श्रमिकों को लाभ दिया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इस योजना को 30.10.1996 से बंद करने का निर्णय किया है।

अतः मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करके इस योजना को जल्दी से जल्दी दुबारा शुरू करें। मैं यह बताते हुए श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 95

प्रतिशत काजू श्रमिक महिलाएं हैं। ये महिलाएं श्रमिक भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की हैं। उन विशेष परिस्थितियों और उनके कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखा जाए, जिसके कारण वे कई तरह की बीमारियों का शिकार बनती है। और भी कई कारण हैं जिनसे उनके कार्य दिवसों की संख्या कम होती है, ये सभी कारण श्रमिकों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। वे इस योजना का लाभ उठा रहीं थीं। और वे गरीबी की रेखा से नीचे रह रहीं है किन्तु अब उन्हें इस ई.एस.आई. योजना का लाभ देने से मना कर दिया गया है।

अतः मैं सरकार और श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसे विशेष मामला मानकर इस पर विचार किया जाए। उन्हें उपस्थितियों की उपेक्षा कर ई.एस.आई. योजना का लाभ दिया जाए। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वे गरीबी की रेखा से नीचे आ रहे हैं, लगभग 35000 से 40,000 श्रमिक इस योजना के लाभान्वित होते थे। अतः मैं श्रम मंत्री से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि वह 30.10.1996 से इस योजना को बंद करने हेतु 5.10.1996 को लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करें।

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय (गिरिडीह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में सी.सी.एल. (सैण्ट्रल कोलफील्ड्स लि.) नाम की कोल इंडिया की संस्था है, जिसमें दीपावली के चार दिन पहले करीब-करीब सादा मिट्टी निकालने के उपरान्त 12 व्यक्तियों का देहान्त हुआ। जबकि सी.आई.सी.एफ. के नाम पर करोड़ों रुपया कोल इंडिया का खर्च हो रहा है। संयोग ऐसा रहा कि उस पीरियड में मैं अपने क्षेत्र में था और जब हमने मुआवजे के बारे में प्रबंधन से मांग की तो वहां के महाप्रबन्धक महोदय ने कहा कि हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उनके क्षेत्र में जब व्यक्ति खुलकर सादा मिट्टी निकालते हैं तो उनको वहीं पर रोकना चाहिए था। ऐसी दुर्घटनाऐं पूरे साल में लगभग पचासों बार हुई हैं, लेकिन किसी को एक नये पैसे का मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि बी.सी.सी.एल. में भू-धसान के नाम पर करोड़ों रुपये की एड भारत सरकार के द्वारा दी गई है।

मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी पुनरावृत्ति फिर न हो, ऐसी व्यवस्था की जाय एवं दोषी प्रबंधन के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में कोयले की पैदावार ज्यादा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ खदान में एक्सीडेंट्स और उनके साथ दुर्घटनाजनक मृत्यु भी धीरे-धीरे ज्यादा हो रही हैं। इसका कारण है, न कोल मंत्रालय, न खान मंत्रालय, न कोल इंडिया लि., न ई.सी.एल., ये लोग लोगों की सुरक्षा को, कानून, रूल्स रैगुलेशंस को नहीं मानते हैं। वहां जो कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी हुई, उसकी रिकमेंडेशन को भी ये लोग नहीं मानते हैं। इन लोगों की जो बाइपार्टाइट कंसलटेटिव कमेटी है, उसकी रिकमेंडेशंस को भी ये लोग नहीं मानते हैं। ये लोग बाइपार्टाइट स्टैंडिग कमेटी की रिकमेंडेशन को भी नहीं मानते हैं। इन लोगों के जो सुझाव हैं, उनको भी ये लोग नहीं मानते हैं। उस उल्लंघन के चलते इतनी रिपोर्ट्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन उनका पालन नहीं कर रहे हैं।

बंगाल में जो महावीर खदान है, जिसमें 67 गरीब आदमियों की जान चली गई, क्रेंदा में बंगाल में जहां 55-56 आदमियों की जान चली गई, गहलोटन में एक ही दिन में, बिहार में बी.सी.सी.एल. में 76 आदमियों की मौत हो चुकी। इसके बाद भी इन लोगों का ध्यान नहीं गया और अभी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं आपको इसके तीन-चार एग्जाम्पल दे रहा हूं। 13.11.96 को सतग्राम इन्क्लाइनन में सपोर्ट नहीं रहने के कारण 35 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और थिकनैस में 7 1/2 फीट का एक पत्थर सपोर्ट नहीं रहने के कारण गिर पड़ा। चार आदमी उसी में दबकर मर गये। 14 तारीख को डाबर कोलियरी में एक आदमी की मृत्यु हुई। 15.11.96 को सोनपुर बाजारी में एक आदमी की मृत्यु हुई। 17.11.96 को सोनुपर बाजारी में एक ही आदमी की और मृत्यु हुई। ऐसी मृत्यु की संख्या रोजाना बढ़ती चली जा रही हैं। सन् 1990 से 1995 तक ऐसी घटनाओं का विवरण मैं आपको दे रहा हूं। 1990 से 1995 तक सी.आई.एल. में फेटल एक्सीडेंट इस प्रकार हुए : 1990 में 131, 1991 में 120, 1992 में 149, 1993 में 132, 1994 में 186 और 1995 में 188, सीरियस इंजरी 1990 में 547, 1991 में 494, 1992 में 472, 1993 में 461, 1994 में 697 और 1995 में 531 एस.सी.सी.एल. में फेटल एक्सीडेंट 1990 में 24, 1991 में 19, 1992 में 27, 1993 में 31 1994, में 50 और 1995 में 20, सीरियस इंजरी 1990 में 314, 1992 में 278, 1993 में 278, 1994 में 233 और 1995 में 191.

इस तरह से जब लोगों की मौत होती है, उसकी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी कानून से होती है, वह जो रिकमेंडेशन करती है, उसके प्रति भी ये लोग लापरवाह हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

जिस अधिकारी की वजह से इतने आदमी मरते और घायल होते हैं, उसको प्रमोशन दिया जाता है, कोई सजा नहीं होती। इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। मेरा सुझाव है इस सदन से कि अध्यक्ष महोदय एक कमेटी गठित करें जो खदानों में जाकर देखे कि वहां क्या हो रहा है और दोषी आदमियों को दंड मिले तथा आगे से इन दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जाए।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रांची में एच.ई.सी. कारखाना है। वहां पर 15 हजार मजदूर काम करते हैं और लाखों लोगों का पालन-पोषण इस कारखाने के द्वारा होता है। 1991 से वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों का पे रिवीजन नहीं हुआ जिसके कारण वे लोग इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन कर्मचारियों का पे रिवीजन नहीं किए जाने के कारण स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है। कई लोगों को सस्पेंड किया गया है, पचासों पर मुकदमा किया गया है। वहां पर बाकी सभी ऐसी संस्थाओं में कर्मचारियों का पे रिवीजन हो चुका है, लेकिन एच.ई.सी.एल. में काम करने वाले लोगों का नहीं हुआ है। वहां पर चेयरमैन भी उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसकी रिटायरमेंट को एक या दो साल बाकी होते हैं। इस कारण वे जितने दिन वहां रहते हैं उस कारखाने का शोषण करते हैं और लूट-खसोट करते हैं। जिससे यह

उद्योग बर्बाद हो रहा है। उसको मदर इंडस्ट्री कहा जाता है। इससे मजदूरों और कारखाने दोनों का नुकसान हो रहा है। वहां पर कार्यादेश मिले, वहां के कर्मचारी काम करने के लिए तैयार हैं। जो पुरानी मशीनें हैं उनको बदला जाए। इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और जो समस्या आए दिन पैदा होती है, वह भी नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि वहां पर चेयरमैन ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसके रिटायरमेंट में आठ-दस साल बाकी हों, जिससे वह जवाबदारी से काम कर सके। अगर कोई गलंती करता है तो उसको हटाया जाना चाहिए और किसी तरह से उस कारखाने को बचाने का काम करना चाहिए। यहां पर बार-बार इस मामले को उठाया जा चुका है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इससे स्थिति विस्फोटक हो रही है। लाखों लोगों की रोजी-रोटी का भी सवाल है। वहां पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दिन की टोकन स्ट्राइक की थी, कोई काम पर नहीं गया, यह सिर्फ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए की गई थी। इसलिए सरकार तुरंत हस्तक्षेप करके इस समस्या का समाधान करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा. बी.एन. रेड्डी आपको दूसरा मुद्दा उठाना है, पहला नहीं। पहला मुद्दा कल उठाया जा चुका है।

डा. बी.एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : जी हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह श्री सेलेम लेफ्ट बैंक के बारे में है जिससे नालगोडा जिले में लगभग तीन लाख एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी। इस जिले से लगभग तीन सौ से चार सौ लोग दिल्ली आए और इस परियोजना को पूरा करने में सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ धरना दिया। एस एल बी सी और तेलुगु गंगा परियोजना दोनों का कार्य वास्तव में 1985 के दौरान आरंभ किया गया था।

महोदय, वास्तव में हमें बहुत खुशी है कि हम 10 वर्षों में तेलुगु गंगा परियोजना को पूरा कर सकेंगे और कुछ पानी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण अभी स्थिति सही नहीं है।

लेकिन इसी के साथ ही एस एल बी सी परियोजना का कार्य भी शुरू कर दिया गया। दस साल बीत चुके हैं लेकिन इस परियोजना को पूरा करने के संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। लोग वर्तमान में उपलब्ध पीने के पानी में फ्लोराइड होने के कारण भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

उसके कारण **लम्बादाओं** सहित नालगौंडा जिले से सैंकड़ों लोग आए और यहां दिल्ली की सड़कों पर धरने पर बैठ गए। इस परियोजना से नालगौंडा और मिरयालगुडा जिले के लोगों को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नालगौंडा और मिरयालगुडा दो जिले हैं और इन दोनों जिले के लोग पीने के पानी और सिंचाई के उद्देश्य से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इस प्रकार, इस परियोजना को तत्काल शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि पिछली सरकारों ने पिछले 10 वर्षों से यह कार्य नहीं किया था।

पिछली संसद के दौरान अनेक खेतिहर मजदूरों, लम्बादा महिलाओं और भद्रजनों सहित 490 लोगों ने अपना यह विरोध प्रकट करने के लिए ही नामांकन पत्र भरे थे कि इस परियोजना को राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार में से किसी ने भी गंम्भीरता से नहीं लिया है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को तुरन्त लिया जाए और इस पर ठोस कार्य किया जाए।

श्री आर.एल.पी. वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत बी.सी.सी.एल. के अधीन दोगाह कोलवॉशरी प्लांट नं. 1 को विगत 26 अक्तूबर को बंद कर दिया गया। बंद करने का कोई औचित्य या कोई कारण न तो श्रमिक संगठनों को बताया गया और न अधिकारियों को बताया गया और बी.सी.सी. एल. के अधिकारी आए और अचानक उसको बंद कर दिया। बोकारो स्टाल प्लांट के लिए यह एकमात्र कोलवॉशरी हैं, उसके लिए बहुत उपयोगी है लेकिन अधिकारियों ने साजिश करके एश कंटेन्ट्स अधिक होने का बहाना करके उसको बंद कर दिया ताकि विदेश से कोल वॉश मंगाया जाए। इसमें करीब 2000 मजदूर बेकार हो गए। यह जो कोलवॉशरी प्लांट नं. 1 है, इसकी क्षमता 6000 टन प्रतिदिन की है जबकि उस दिन इसे दो बजे बंद किया गया और उस दिन भी 5000 टन का उत्पादन हुआ। यदि उसमें डिफेक्ट है या सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से उसमें कोई खराबी है तो 5000 टन का उत्पादन उस दिन उसमें कैसे हुआ? दूसरी बात यह भी है कि मुझे "सीटू", "इंटक" तथा सारी यूनियन्स ने बुलाया था और उनके बुलाने पर मैं 13 तारीख को वहां गया था और मैंने देखा था कि वह प्लांट लोहे के मजबूत गर्डर पर खड़ा है और उसको 26 तारीख को यह कहकर बंद कर दिया कि यह बेकार है तो फिर पांच करोड़ रुपए की लागत वाली कंवेयर जो घूमती है, उसकी कवरिंग अभी 13 स्कीम 26 अक्तूबर से नवम्बर तक काम कर रही थी और 26 अक्तूबर को उस प्लांट को बंद कर दिया गया। इसलिए मेरा कहना है कि यह सब घपला है। इससे साबित हो जाता है कि फिर से इसे मॉडरनाइज करने के नाम पर सिर्फ रुपया मारने के लिए ही इसे बंद किया गया है। इससे स्टील प्लांट को बहुत ही धक्का पहुंचेगा और निश्चित रूप से यह एक भयंकर भ्रष्टाचार है। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार हाई लैवल पर इसकी जांच करवाए, सी.बी.आई. से इसकी जांच करवाए क्योंकि बी.सी.सी.एल. के जो अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, वे वर्षों से वहीं रहते हैं और उनके अधिकारी एक साधारण अधिकारी से होकर सी.एम.डी. तक हो जाते हैं। वे सब मिलकर घपला करते रहते हैं। ये सभी सेंसिटिव पोस्ट हैं और इन लोगों का ट्रांसफर तीन वर्षों में होना चाहिए। ये सभी भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं और वे "कोल इंडिया" का भट्टा बिठा देंगे और देश को भारी घाटा पहुंचाएंगे। 56 करोड़ रुपए का घाटा केवल उस बैल्ट पर लगाया है। इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि इसकी जांच सी.बी.आई. से करवाई जाए। इसमें वहां के कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। यूनियन के लोगों ने बताया कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, इसमें सिक्योरिटी का कोई प्रश्न नहीं है, इसको शीघ्र चालू करवाया जाए। यह सब केवल मजदूरों को बेकार करने तथा बाहर से कोयला मंगाकर कमीशन खाने का षडयंत्र है। "कोल

इंडिया" में इसी तरह से एक जगह पर दामोदर नदी एवं रेलवे डाइवर्जन स्कीम पर 9 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान था। उसके लिए पहले प्लानिंग बनी लेकिन आज 16 वर्ष हो गए हैं, इसकी प्लानिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसमें 49 करोड़ रुपया चला गया। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी भी जांच कराए तभी इस देश की रक्षा हो सकेगी और स्टील प्लांट चल सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि वह इसकी शीघ्र जांच करे। सदन में राम विलास पासवान जी भी उपस्थित हैं और वे इसकी गंभीरता से जांच कराएं।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में रासायनिक खाद की कमी है। बिहार में बरौनी और सिन्दरी दो खाद के कारखाने हैं, जिनकी हालत बहुत दिनों से खराब है। पिछली सरकार ने इनके पुनरूद्धार के लिए 126 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। बिहार और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार विदेशों से मंहगे दामों पर खाद मंगा रही है, लेकिन अपने देश में जो कारखाने हैं, जैसे बरौनी, सिन्दरी और दुर्गापुर, इन कारखानों का पुनर्निर्माण नहीं हो रहा है। बरौनी के लिए कई विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया और उस समिति ने अपनी अनुशंसायें दी। उन अनुशंसाओं की समीक्षा की गई, लेकिन अभी तक उर्वरक मंत्रालय, योजना विभाग और वित्त विभाग में तमाम प्रस्ताव लम्बित पड़े हुए हैं। किसानों के लिए रासायनिक खाद चाहे वह डी.ए.पी. हो, सुपला हो या यूरिया हो या कैलशियम हो, कमी है। बरौनी में खाद का कारखाना होते हुए भी खाद की कमी है। बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, खगरिया और वैशाली जिले में कृत्रिम खाद का अभाव है और काला-बाजारी हो रही है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आप केन्द्रीय सरकार को निदेश देना चाहेंगे कि अविलम्ब किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए और जहां-जहां काला-बाजारी हो रही है, उसको रूकवा कर दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए। हमें सूचना मिल रही है, मेरे क्षेत्र में खाद के भंडार रहने के बावजूद भी प्राइवेट कंपनियां खाद ऊंचे दामों पर ले रही हैं और काला-बाजारी करवा रही हैं। हमारे बिहार प्रदेश में, खास कर वैशाली, बेगुसराय, खगरिया जिलों में खाद चाहिए और आप कृपया इसका प्रबन्ध करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां रेल मंत्रालय रेल के रख-रखाव के लिए करोड़ों रुपये खर्च करता है, वहां रेलवे कालोनियों की हालत बहुत खराब है। मेरे क्षेत्र में ऐसी 9-10 रेलवे कालोनियां हैं, जहां पर रेलेव कर्मचारी रहते हैं, जो पानी के लिए तरस गए हैं, वहां बिजली नहीं है और सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। उन फ्लैट की बहुत बुरी हालत है। कई बार रेलव अधिकारियों से मिलने के बाद भी वहां के विकास के लिए पैसा खर्च नहीं होता है। माननीय रेल मंत्री जी यहां मौजूद हैं। पहले भी मैंने उनको खत लिखा था और आज भी एक स्लीप दी है। मैं आशा करता हूं, आप गरीबपरवर हैं, मजदूरों की मदद करते हैं और उनकी आवाज उठाते हैं, कि आप उन कर्मचारियों के लिए कुछ करेंगे। यदि आप उनकी हालत को देखें, तो लगेगा कि आप 100-200 साल पुरानी दिल्ली के अन्दर आप रह रहे हैं। मैं आपको दावत देता हूं कि आप सरप्राइज विजिट करें और किसी समय मेरे साथ चलें। वहां तकरीबन 5-7 लोगों की डेंगू की वजह से मृत्यु हुई है। मैं आशा करता हूं कि एक मुश्त पैसा लगाकर आप उन लोगों का ध्यान करेंगे। ये आपके कर्मचारी हैं, आपके लिए काम करते हैं, इसलिए उनकी कालोनियों का सुधार करना था उनके लिए काम करना आपका फर्ज है। जहां रेलवे पर आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वहां आप इन रेलवे कर्मचारी की कालोनियों पर भी पैसा खर्च करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी इसी से संबंधित बात कहनी थी। मेरे संसदीय क्षेत्र सदर-दिल्ली में रेलवे का स्टेशन और कालोनी है, वहां पर भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी को तीन-चार बार व्यक्तिगत रूप से लिख चुका हूं, कहा गया कि उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसके सिवाय और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज डेंगू की बीमारी पूरे दिल्ली में फैली हुई है। रेल पटरियों के दोनों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है। यह कूड़ा निगम को नहीं उठाना है और किसी और अथारिटी को नहीं उठाना है। वह पूरे का पूरा रेल मंत्रालय को साफ करना है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी के अंदर एक-एक जगह पर, पूरे रेलवे की जगह पर इतना कूड़ा पड़ा हुआ है कि उस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। यह डेंगू वाली तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पत्र लिखा था। मेरे यहां पर जो रेलवे स्टेशन है उसको कम्प्यूटराइज किया जाए, जो सिंगल लाइन है उसको डबल किया जाए, कृपया उन पर कार्यवाही की जाए। नहीं तो हम जनता को क्या कहेंगे। अखबारों के अंदर तो बड़े-बड़े विज्ञापन देते हैं, आपका एक-एक विज्ञापन लाखों रुपए का अखबारों के अंदर आता है किन्तु कार्यवाही कुछ भी नहीं होती है, यही मेरा आपसे निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, मैं दोनों माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं। मैं स्वयं एक सप्ताह के अंदर दोनों कालोनियों में इनके साथ चलूंगा और जो भी अधिकारी दोषी होंगे मैं उन पर एक्शन लूंगा। ...**(व्यवधान)**

श्री ब्रजमोहन राम (पलामू) : उपाध्यक्ष महोदय, पलामू और गड़वा, ये दोनों जिले मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। इन दोनों जिलों में भयंकर रूप से मलेरिया की बीमारी फैली हुई है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जरा ब्रिफ रखिए। मलेरिया और डेंगू पर कल डिसकशन हो चुका है।

श्री ब्रजमोहन राम : महोदय, हम लोगों को मौका नहीं मिल सका।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोलिए। इसलिए मैंने आपको अलाऊ कर दिया है।

श्री ब्रजमोहन राम : इसके लिए धन्यवाद। अभी मैंने वहां कई गांवों का दौरा किया और वहां मैंने देखा कि कई लोग मलेरिया से प्रतिदिन मर रहे हैं। प्रत्येक ब्लाक में लोगो के मरने की खबर है लेकिन स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है। सिविल सर्जन पलामू से हम मिले और उनसे दवा की व्यवस्था करने के लिए कहा तो वे हमें असमर्थता जाहिर करते हैं। डाक्टर कहते हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। आए जब तक ऊपर से कोई व्यवस्था नहीं कराएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे।

महोदय, हमारा भारत सरकार से कहना है कि अविलम्ब वहां बिहार सरकार के माध्यम से व्यवस्था कराई जाए जिससे कि वहां के लोगों को बचाया जा सके। पलामू और गड़वा जिले को भी हमने यह सूचना दी है वहां के लोगों को अविलम्ब दवा और खून जांच करने की मशीन भेज कर उस बीमारी को रोकने के लिए तत्काल कोई उपाय कराए जाएं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा है मेरे पास जितने नाम थे वे सब खत्म हो गए हैं। एक सप्ताह में एक बार एक व्यक्ति बोल सकता है। इस पर एतराज है वह दोबारा नहीं आएगा। दूसरा, जो स्टेट सबजैक्ट है वे भी अब डिसअलाऊड हो रहे हैं। ...**(व्यवधान)** ठीक है मैं आप चारों को अलाऊ कर देता हूं।

[अनुवाद]

श्री शिवानंद एम. कोजलगी (बेलगाम) : महोदय, कर्नाटक के बेलगाम जिले में गोकक में एक दूरदर्शन केन्द्र का निर्माण काफी पहले किया गया था लेकिन पदों या कर्मचारियों की मंजूरी नहीं होने के कारण दूरदर्शन केन्द्र अभी तक चालू नहीं हो पा रहा है। अतः अनुरोध है कि आवश्यक पद तत्काल मंजूर करके गोकक स्थित दूरदर्शन केन्द्र को शीघ्र शुरू किया जाए।

आप से यह भी अनुरोध है कि माननीय सूचना और प्रसाण मंत्री को इन पदों को तत्काल मंजूरी देने और दूरदर्शन के केन्द्र को यथाशीघ्र शुरू करने के निदेश दिए जाएं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से सरकार का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट करना चाहूंगा। हम लोगों ने पिछले दस वर्षों में पंजाब की बदहाली और आतंकवादी गतिविधियों को देखा है। पिछले इस वर्षों में हम लोगों ने जम्मू-कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को देखा है और यह पूरा मामला बदल कर नेपाल की सीमा से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश की खुली सीमा पर जिस प्रकार से आतंकवादियों के लिए वह केन्द्र बिन्दु बनता जा रहा है मैं समझता हूं कि इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अगले तीन से पांच वर्षों के भीतर पंजाब और जम्मू-कश्मीर से भी खराब हालत बिहार के उस खुले बार्डर के माध्यम से होगी, जो नेपाल से लगा हुआ है, क्योंकि जिनी आई एस आई की गतिविधियां हैं वह वहां से सीमित करके और जो हमारी नेपाल के साथ सीमा है जिससे हमें कितनी खबरें प्राप्त हुई। है। विशेषकर हमारे जो स्थानीय सांसद उस इलाके से आते हैं जो हमारे उस सीमावर्ती इलाकें के लोग हैं वहां से बार-बार यह समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि अत्याधुनिक हथियार और विदेशी घुंसपैठी उस इलाके से प्रवेश करके पूरे भारतवर्ष में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश से सटे इलाके जो नेपाल से जुडे हुए हैं; उन पर सतर्कता बरती जाए और विशेष रूप से बिहार सरकार को सूचित किया जाए कि इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखे और केन्द्रीय सरकार से भी मेरा आग्रह है कि इनकी गतिविधियों पर ध्यान रखे।

[अनुवाद]

श्री बादल चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, त्रिपुरा संसाधनों पर नियंत्रण सहित उग्रवादी गतिविधियों के कारण समस्याओं का सामना कर रहा है। उग्रवादियों की विद्रोही गतिविधियां हाल में बढ़ गई हैं। उग्रवादियों ने एके-47, एके-56 और एलएमजी जैसे अत्याधुनिक हथियार भी प्राप्त कर लिए हैं और उनका प्रयोग कर रहे हैं। कुछ गम्भीर घटनाओं में-6 नवम्बर, 1996 को सिधाई थाने के अंतर्गत बरखाथल के निकट दो तीएसएफ कार्मिकों पर घात लगाकर हमला और उनकी हत्या किया जाना; 11 नवम्बर, 1996 को बीरगंग थाने के अंतर्गत बरबरिया में पांच व्यक्तियों का अपहरण और बाद में उनके शव पाए जाना। 23 नवम्बर 1996 को त्रिपुरा में वन मंत्री के वाहन पर हमला और 25 नवम्बर 1996 को जिरेनिया थाने के अंतर्गत बागबारी में तीन सी आई एस एफ कार्मिकों पर घात लगाकर हमला व उनकी हत्या किया जाना शामिल है।

अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आन्तरिक क्षेत्रों में अनेक घटनाएं हुई हैं जिनमें उग्रवादियों द्वारा गैर आदिवासी व्यक्तियों की हत्याएं, उन्हें घायल किए जाने और उनका अपहरण किए जाने का पता लगता है। 6, नवम्बर 1996 से तीन सप्ताह के दौरान 20 से ज्यादा व्यक्तियों का अपहरण किया गया है। इससे क्षेत्र में जातीय तनाव और जन सामान्य में डर पैदा हो गया है। राज्य के विभिन्न भागों में खासकर उन भागों में जहां सभी जाति के लोग रहते हैं; जातीय हिंसा की संभावना को देखते हुए इस विद्यमान स्थिति की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

असम राइफल्स राज्य के इलाकों से भलीभांति परिचित है और स्थिति को प्रभावी रूप से संभाल रही है। यह बताया जा सकता है कि असम राइफल की जिन बटालियनों के त्रिपुरा राज्य में स्थाई मुख्यालय हैं वे इस प्रकार है; 22 बटालियनों का मुख्यालय अगरतला, 23 बटालियनों का मुख्यालय उदईपेड और 26 बटालियनों का मुख्यालय अगरतला।

यह समझा जाता है कि ये बल आजकल क्रमशः मणिपुर, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में तैनात हैं। अतः असम राइफल की इन तीन बटालियनों को जिनके मुख्यालय त्रिपुरा में है लेकिन उनकी तैनाती कहीं और की गई है। तुरन्त इसी राज्य को वापिस दिलाया जाए।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की साठ कम्पनियों को राज्य में तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए 15 कम्पनियां वापिस ले ली गई। उसमें से 10 कम्पनियों को अभी राज्य को वापिस दिया जाना है। इससे राज्य में सुरक्षा कार्य में कमी आई और फलस्वरूप

राज्य में उग्रवादी हिंसा की बाढ़ आ गई है। अतः केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 कम्पनियों को राज्य को तत्काल वापिस किया जाना चाहिए।

त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल की केवल सात बटालियन हैं जबकि इसके लिए 11 बटालियनें स्वीकार की गई हैं। जोकि त्रिपुरा के लम्बे सीमा क्षेत्र के लिए अपर्याप्त हैं। इसलिए त्रिपुरा-बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की अधिकृत संख्या में तत्काल तैनाती की जानी चाहिए और सीमा के पहचान किए गए उन क्षेत्रों में जिसका प्रयोग उग्रवादी बंगलादेश में घुस जाने के लिए करते हैं और बटालियनें स्थापित की जानी चाहिए।

इसलिए मेरा भारत सरकार से नम्र निवेदन है कि तत्काल आवश्यकता को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल की तीन बटानियनें, असम राइफल की तीन बटालियनें और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दस कम्पनियों, जो उत्तर प्रदेश के चुनावों और मणिपुर नागालैंड और जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वापस ले ली गई थी, पुनः तैनात किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

[हिन्दी]

डा. एम.पी. जायसवाल (बेतिया) : उपाध्यक्ष जी, भारत-नेपाल सीमा से सटे वीरगंज नेपाल में नया ट्रेफिक नियम लागू करके भारतीय रजिस्ट्रेशन नं. के वाहनों के नेपाल प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। इस नियम के मुताबिक भारतीय नं. के वाहनों को नेपाल में प्रवेश करने के लिए अस्थायी नेपाली नं. लेना होगा। बगैर नेपाली नं. प्राप्त किए भारतीय वाहनों के नेपाल में घूमते पकड़े जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। नेपाल में प्रवेश के पूर्व नेपाली सीमा शुल्क अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भारतीय वाहन से मनमाना टैक्स लिया जाता था, जिससे भारतीय वाहनों को नेपाल प्रवेश में भारी कठिनाई उठानी पड़ती थी। इस नये नियम से भारतीय वाहनों के प्रवेश के लिए प्रतिबंध ही लगा दिया गया है।

भारतीय-नेपाल मैत्री संधि के तहत यह तय था कि सीमा से जुडे दोनों मित्र राष्ट्र के नजदीकी शहरों के रेलवे स्टेशन, बस स्टाप, हवाई अड्डा और अस्पतालों के करीब 3 कि.मी. क्षेत्र में दोनों देश के नागरिक अपने-अपने देश के वाहनों को स्वतंत्र रूप से चला सकेंगे। इस निर्धारित सीमा क्षेत्र में उनके आगमन पर कोई बंदिश नहीं होगी, साथ ही उनसे कोई टैक्स भी नहीं वसूला जायेगा। इसी मैत्री संधि के तहत नेपाली नं. के वाहन भारतीय क्षेत्र के रक्सौल तथा अन्य शहरों में बगैर टैक्स किए सैंकड़ों की तादाद में प्रतिदिन भारतीय क्षेत्र में आते जाते हैं। परन्तु भारतीय वाहनों के नेपाल प्रवेश के नाम पर बतौर फार्म भराकर धड़ल्ले से टैक्स वसूली करते रहे हैं।

रक्सौल (भारत) मात्र डेढ़ कि.मी. दूर वीरगंज नेपाल शहर पहुंचने के लिए दो सौ रुपये से अधिक की राशि टैक्स के रूप में वसूली जाती है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि मैत्री संधि के नियमों का नेपाल सरकार पालन करे।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक अहम मामला उठाना चाहता हूं चूंकि माननीय प्रधानमंत्री के दो मंत्रिमंडलीय सहयोगी और सदन के नेता श्री राम विलास पासवान भी उपस्थित हैं, अतः मैं दोनों मंत्रियों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सभी केन्द्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और शपथ लेने के बाद उन्हें सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग आवंटित किए जाते हैं कि भारत की जनता की ओर से कौन किस मंत्रालय/विभाग का कार्य देखेगा और वे संसद के प्रति जबावदेह भी होंगे। यहां लोक सभा है।

जल संसाधन मंत्रालय एक मुख्य मंत्रालय है, जिसके मुखिया, मैं समझता हूं श्री जनेश्वर मिश्र हैं, जिन्हें देश के भीतर नदी जल विवादों और अन्य देशों के साथ नदी जल विवादों के मामलों में बातचीत करनी होती है। माननीय मंत्री को पूरा सम्मान देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, श्री ज्योति बसु फरक्का जल विवाद के मामले में बंगलादेश सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि वह किस हैसियत से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह एक आधिकारिक शिष्ट मंडल है जिसकी अध्यक्षता श्री ज्योति बसु कर रहे हैं और इसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली हुई है। यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि जल संसाधन मंत्री को इस बातचीत से अलग क्यों रखा गया?

महोदय, इस मामले को हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता है। यह पश्चिम बंगाल और बंगलादेश के बीच का मामला नहीं है। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है। एक राष्ट्र के रूप में हम सम्पूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दो देशों से सम्बन्धित इस प्रकार के मामले में किसी केन्द्रीय मंत्री जिसे कि भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है, की उपस्थिति के बिना बातचीत नहीं की जा सकती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस मुद्दे पर सदन के नेता को जो कि प्रधान मंत्री के वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय सहयोगी है, सभा को विश्वास में लेना होगा तथा समुचित उत्तर देना होगा। प्रधान मंत्री को भी सभा को विश्वास में लेना होगा और बताना होगा कि इस मामले में क्या हुआ है। देश में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह अन्तर्राष्ट्रीय मामला है। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा कैसे किया जा रहा है। श्री ज्योति बसु का केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने और बंगलादेश के साथ फरक्का नदी जल विवाद के मामले पर बातचीत करने का संवैधानिक औचित्य नहीं है। मैं यही मुद्दा उठाना चाहता था। मुझे आशा है कि सरकार इसका समुचित उत्तर देगी। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने दीजिये।

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, यह बात अब कार्यवाही वृतान्त में दर्ज है कि यह सांवैधानिक औचित्य का मामला है न कि राजनीति का। अतः मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसे एक गंभीर मामले के रूप मे लें। यह कल को विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों के लिए भी उदाहरण बन जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार यदि हमारे संविधान का चुपचाप अतिक्रमण करने की अनुमति देगी तो कल को इस पर रोक कैसे लगेगी। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस पर वाद-विवाद न करें।

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : महोदय, यहां दो कैबिनेट मंत्री उपस्थित हैं, उन्हें इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिये। ...**(व्यवधान)**

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय ये ऐसी शक्तियां नहीं हैं, जिनका हर कोई उपयोग कर सकता है ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मुझे कुछ कहने दीजिये।

मंत्री जी, क्या श्री दासमुंशी ने जो कहा है वह सही है। यह एक गम्भीर मामला है। कृपया इस पर ध्यान दें। सभा को सही स्थिति की जानकारी दी जाये।

श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या श्री फारूख अब्दुल्ला कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत कर सकते हैं?

अपराह्न 1.29 बजे

[अनुवाद]

आय कर (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम, 196। में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि आयकर अधिनियम, 196। में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 29.11.96 में प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 1.29 $^{1}/_{2}$ बजे

अध्यादेश के बारे में व्याख्यात्मक विवरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं आय कर (संशोधन) अध्यादेश 1996 द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एलटी-674/96)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.39 बजे

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.39 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 193 के अधीन चर्चा

उड़ीसा में सूखे की स्थिति

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, उड़ीसा में सूखे के मुद्दे पर कुछ और सदस्य बोलना चाहते हैं, मैं समझता हू इस पर सत्ता पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कौन-कौन बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : जी नीतीश कुमार बोलेंगे और उसके बाद मैं बोलूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आप 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर लीजिए।

अपराह्न 2.50 बजे

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में उड़ीसा में सूखे के चलते जो अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, उस पर चर्चा हो रही है। यह सवाल सिर्फ उड़ीसा का नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र का है। उड़ीसा के कुछ जिले बारबार सूखे की चपेट में आते हैं लेकिन इस बार वहां के बहुत बड़े भू-भाग में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उड़ीसा के सदस्यों ने इस सदन में उसकी चर्चा करते हुए जानकारी दी है वहां 30 में से 26 जिले सूखाग्रस्त हैं। यह भी बताया गया कि उड़ीसा की आधी आबादी सूखे से बुरी तरह प्रभावित है और 8 जिलों में दुर्भिक्ष जैसी स्थिति है, फैमीन लाइफ सिचुएशन है जिससे स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

एक प्रश्न के उत्तर में, इसी सदन में कृषि मंत्री जी ने जानकारी दी है कि आज वहां पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है और लोगों को नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जनवरी आते स्थिति इतनी गम्भीर हो जाएगी कि लागों को पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जब जनवरी में स्थिति इस कदर बिगड़ने वाली है तो सवाल आता है कि केन्द्र सरकार उसके लिए क्या कर रही है? राज्य की सरकार क्या कर सकती है और क्या करेगी - इस बारे में हर कोई जानता है। राज्य की सरकार धन की कमी का रोना रोती है। देश के पूर्वी इलाके, जिसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल के कुछ हिस्से शामिल हैं, अत्यन्त पिछड़े हैं जहां रिसोर्सेज या संसाधनों की कमी है, धन की कमी है लेकिन जमीन के अंदर रत्न भरे पड़े है। वह इलाका देश को धनधान्य से परिपूर्ण बनाता है लेकिन उसके पास लोगों को भरपेट भोजन कराने के लिए अनाज नहीं है।

ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार के पास कितना धन है - मैं राज्य सरकार के बारे में यहां कोई चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि आज जो परिस्थिति वहां उत्पन्न हुई है, उसका समाधान हमें राजनैतिक भेदभाव से ऊपर उठकर ढूंढना होगा। उससे कैसे निपटा जाए, इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार अगर कुछ नहीं कर रहा है तो उसकी चर्चा सदन में अवश्य होगी।

वहां की राज्य सरकार क्या कर रही है, इस बारे में हमारे उड़ीसा के साथियों ने बताया है कि राज्य में लिफ्ट इरीगेशन या सिंचाई पर जो टैक्स या सैस लगता है, अब उसे बढ़ाया जा रहा है। हमें यह जानकारी दी गई है कि 320 रुपए प्रति हैक्टेयर से बढ़ाकर अब उसे 620 रुपए प्रति हैक्टेयर किया जा रहा है। एक तरफ लोग पानी के बिना मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, दूसरी तरफ मालगुजारी बढ़ाई जा रही है, जिसे देने की स्थिति में लोग नहीं होंगे। पहले सिंचाई के लिए जिन किसानों को 320 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से सैस देना पड़ता था, अब उन्हें 620 रुपए प्रति हैक्टेयर सैस देना पड़ेगा। यह समझ में नहीं आता कि कैसी हकूमत वहां चल रही है, उसकी क्या सोच है, क्या दृष्टि है? जहां एक ओर अकाल की इतनी भयानक स्थिति है, वहीं पंचायतों के इलैक्शन कराये जा रहे हैं। हम भी पंचायती राज व्यवस्था के हिमायती हैं और चाहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। हम भी चाहते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जाए - यह बात अपनी जगह ठीक है लेकिन जब राज्य में दुर्भिक्ष जैसी स्थिति है, तब वहां पंचायतों के चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। इतने दिनों तक पंचायतों के चुनाव कराने की क्या उन्हें कोई चिन्ता नहीं थी? ऐसे समय चुनाव कराने का क्या मतलब है? जब राज्य में पंचायतों के चुनाव होंगे तो दुर्भिक्ष का मुकाबला कैसे होगा क्योंकि तमाम सरकारी मशीनरी चुनावों का इंतजाम करने में लग जाएगी। जितने वहां राजनैतिक दल या संस्थाएं हैं, उनका ध्यान चुनावों की तरफ चला जाएगा।

आज जरूरत इस बात की है कि दूसरे काम रोककर उड़ीसा में सिर्फ एकसूत्री कार्यक्रम होना चाहिए कि दुर्भिक्ष का कैसे मुकाबला करें। अभी सरकार की तरफ से कहा गया कि एक भी आदमी को भूख से मरने नहीं दिया जाएगा। यहां प्रधानमंत्री जी सदन में चर्चा का उत्तर देंगे लेकिन सिर्फ यह उद्घोष करने से काम नहीं चलेगा कि एक भी आदमी को भूख से मरने नहीं दिया जाएगा। वहां राजय सरकार क्या कर रही है? सबसे पहला काम उसे यह करना चाहिए कि प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक प्रखंड और प्रत्येक गांव में सुनिश्चित रोजगार योजना चलानी चाहिए, फूड फार वर्क कार्यक्रम चलाना चाहिए ताकि लोगों को काम के बदले अनाज मिल सके। जब 1977 में जनता सरकार केन्द्र में थी तो फूड फार वर्क कार्यक्रम चलता था। कई राज्य सरकारों ने भी फूड फार वर्क कार्यक्रम चलाया था।

फूड फार वर्क कार्यक्रम हमारे समय में बड़े पैमाने पर चलाया गया, लेकिन वह कार्यक्रम आप लोगों के समय में ठीक प्रकार से नहीं चला, जिसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है।...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महादेय, यह गलत है। इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा प्रोग्राम "गरीबी हटाओ" का था। इतिहास को भूलना नहीं चाहिए और ठीक से बताना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार : अब आप इसमें राजनीति लाना चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में मत बोलिए। मुझे नीतीश कुमार जी की आवाज के अलावा और किसी सदस्य की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, 1977 में बड़े पैमाने पर "फूड फार वर्क" कार्यक्रम चलाया था। उसी प्रकार से अब भी इसको चलाया जाए और हर आदमी को काम दिया जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी होगा। उड़ीसा जैसे इलाके में, बिहार जैसे इलाके में एलोकेशन कम जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति होगी और बड़े पैमाने पर काम होंगे, तो लोगों को अनाज मिलेगा। जो लोग काम नहीं कर सकते हैं, जो वृद्ध हैं, जो अपंग हैं, जो अक्षम हैं, उन लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब उड़ीसा से क्या व्यवस्था है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहां बिहार में तो ऐसे लोगों को एक लाल कार्ड दिया गया है जिसका मतलब है कि उसको खाने भर का राशन पंचायत से या ब्लाक से मिल जाता है। वहां पर लाल कार्ड की व्यवस्था है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : लाल कार्ड या "लालू कार्ड"?

श्री नीतीश कुमार : वह तो अब खत्म होने वाला है, लेकिन लाल कार्ड तो हमेशा रहने वाला है। मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था वहां की जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को वहां पर भूख से मरने नहीं दिया जाए। बूढ़े और विकलांग लोगों को पेंशन की स्कीम चलाई जानी चाहिए। सरकार ने घोषणा कर दी कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पेंशन देंगे, लेकिन वह नियमित रूप से नहीं दी जा रही है। 100 रुपए प्रति मास भी पेंशन हमारे यहां नहीं दी जा रही है।

अपराह्न 2.50 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जब यह घोषणा की गई कि 100 रुपए प्रति मास पेंशन केन्द्र सरकार की ओर से वृद्धों को दी जाएगी तब कहीं यहां से जानी वाली राशि रु. 75 पर लोग अपनी जान बचा रहे हैं। अब पता नहीं उड़ीसा में क्या स्थिति है। उड़ीसा में भी बड़े पैमाने पर केन्द्र सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन योजना को लागू किया जाना चाहिए। इसकी जो उम्र रखी गई है उसमें भी कुछ कमी की जानी चाहिए और 60 वर्ष रखी जाना चाहिए। यदि इस प्रकार से किया जाएगा, तो हम किसी आदमी को भूख से मरने नहीं देंगे। यह तभी संभव है जब इस प्रकार के कार्य युद्धस्तर पर किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर मांग की गई है कि जब पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी, तो रिग मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। जो जवाब सरकार ने दिया है उससे यही लगता है कि राज्य सरकार के पास केवल 26 रिग मशीनें ही इस कार्य के लिए उपलब्ध हो पाएंगी। उड़ीसा के एक सदस्य ने बताया कि जब यह कार्य वहां किया जाएगा, तो सैकड़ों की संख्या में मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। जिस प्रकार से उड़ीसा की भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुसार जब तक पर्याप्त संख्या में वहां पर रिग मशीनें नहीं पहुंचाई जाएंगी तब तक वहां पर पानी निकलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पानी बहुत गहराई पर है और वह पहाड़ी इलाका है और जमीन के नीचे चट्टानें हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर रिग मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सिर्फ उड़ीसा राज्य के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। बल्कि पूरे देश से इनको मुहैया कराने का प्रबन्ध करना चाहिए और इसी प्रकार की स्थिति जो क्षेत्र उड़ीसा के साथ लगते हैं, उनकी भी है।

उससे लगा हुआ जो मध्य प्रदेश का इलाका है वहां पर भी सूखे जैसी स्थिति है। इन तमाम जगहों पर जहां पर सूखा प्रबन्ध क्षेत्र है, उन सब जगहों पर एक विशेष इंतजाम होना चाहिए। आज जो इस देश में रिसोर्स की स्थिति है, जिस तरह से आंध्र प्रदेश के मामले में हुआ, आंध्र प्रदेश में जो साइक्लोन आया। वहां के लोगों के लिए केन्द्र सरकार ने जो अनुदान घोषित किया, उसके बारे में सरकार ने ठीक दावा किया। मैं इस मामले में सरकार के इस कथन को झुठलाऊंगा नहीं, इसको नकारूंगा नहीं। सरकार ने यह दावा किया है कि अब तक इतनी बड़ी राहत किसी भी राज्य के लिए मुहैया नहीं कराई गयी, यह ठीक है लेकिन क्या उतना ही पर्याप्त है? इस प्रकार से उड़ीसा की जो स्थिति है, जो कैलेमिटी रिलीफ फंड है, उसको झांके तो केलमिटी रिलीफ फंड से उड़ीसा का कल्याण नहीं हो सकता। इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाये। उड़ीसा में सूखे की जो स्थिति है, अगर उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जायेगा। आंध्र में साइक्लोन से जो नुकसान हुआ, उसकी जो स्थिति है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जायेगा तो किस चीज को राष्ट्रीय आपदा घोषित जायेगा? राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कोई मापदण्ड नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप हमें कुछ बोलने दीजिए। इस पर मेरी बोलने की इच्छा है। प्रधानमंत्री जी को आना था लेकिन वह नहीं आये। मैं खुद चाह रहा था कि इस पर अपनी बात रखूं। प्रधान मंत्री जी आ जायें।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी नहीं थे इसलिए फ्युचर प्रधानमंत्री को काम में लगा रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद श्री संतोष मोहन देव जी बोलें। इस पर चर्चा हो रही है। अगर प्रधान मंत्री जी को आने में विलम्ब हो रहा है तो यह खुद दुखद है। प्रधानमंत्री जी को बैठकर सुनना चाहिए था लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जवाब देंगे, यह अलग बात है। मैं कह रहा था कि नेशनल कैलेमिटी घोषित करने के लिए कोई मानदण्ड नहीं है। अगर कोई मापदण्ड नहीं है तो मापदण्ड का निर्धारण होना चाहिए। इस प्रकार हम लोग टेक्नीकल बहस में न उलझें। वहां की जो मानवता कराह रही है, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए, उसकी पीड़ा को हरने के लिए हम कोई इंतजाम करें तथा इसमें पैसा आड़े नहीं आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हम आपसे इस सदन के माध्यम से दरख्वास्त करेंगे कि सदन के सभी पक्षों के लोगों की भावना को देखते हुए आपकी तरफ से पूरे देश वासियों को यह संदेश जाना चाहिए कि उड़ीसा में जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, वहां के लोगों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर आगे आयें और उसमें अपनी मदद दें। सरकार की तरफ से जितना भी इंतजाम किया जायेगा। मात्र उसी से उड़ीसा की स्थिति या आंध्र प्रदेश की स्थिति का मुकाबला नहीं किया जा सकता है।

अंत में, एक बात पर जोर देना चाहूंगा कि आखिर यह स्थिति क्यें होती है? हम बिहार से आते हैं। उत्तरी बिहार के एक हिस्से में बाढ़ आती है। इसी तरह दक्षिण में, मध्य बिहार में भी बाढ़ आ जाती है और पूरे बिहार में कुछ न कुछ इलाके ऐसे रहते हैं जहां पर सूखाड़ की स्थिति रहती है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों रहती है? हमारे यहां पानी है, हमारी नदियां अन्तःस्रावी हैं। हमारे यहां जमीन के अंदर प्रचुर मात्रा में पानी है, इसके बावजूद ऐसी स्थिति क्यों आती है? चूंकि हमारे यहां अब तक प्रबन्ध के लिए कोई सम्यक नीति नहीं अपनाई गयी

है। हमारे पास बहुत पानी है लेकिन वह बेकार होकर समुद्र में चला जाता है। सारी नदियां गंगा में मिलती हैं और सारा पानी बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। नेपाल की तरफ से हिमालय की पहाड़ियों से जो नदियां निकलती हैं, वह उत्तर बिहार को तबाह और बरबाद करके गंगा से होते हुए समुद्र में चली जाती हैं। आज सदन में चर्चा हो रही है। कहीं पर यह सवाल उठाया गया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को वहां पर जो मामले हैं, उन पर चर्चा करने के लिए भेजा गया। मैं नहीं जानता कि इसमें कौन सा नियम, कौन सा कानून आड़े आता है। मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं लेकिन अगर नेपाल से बातचीत होती है और नेपाल में जो पानी है और वह पानी हमको बरबाद करके चला जाता है तो उस पानी को लेकर उससे पनबिजली का जलनेत्रीकरण किया जा सकता है तथा बिहार जैसे इलाके को बाढ़ से भी बचाया जा सकता है। उस पानी का इस्तेमाल हम नहरों के जरिये खेती में भी कर सकते हैं। आज ही नहीं काफी लम्बे समय से यह बात चल रही है कि एक स्थाई इंतजाम होना चाहिए। श्री के.एस. राव ने रिवर गारलैंडिंग स्कीम के तहत नदियों को जोड़ने की बात की है। जहां पर पानी कम है वहां पर पानी पहुंचायें। एक-एक नदी को लेकर विवाद होता है।

नदियों के विवाद एक नहीं कई राज्यों के बीच पैंडिंग हैं। सरकार इसपर एक राष्ट्रीय सहमति बनाकर राष्ट्रीय नीति घोषित नहीं करती है। सबसे बड़ी बात है कि आज बाढ़ से राहत के लिए कितना रुपया खर्च किया जा चुका है। इतने दिनों तक हमारी प्लान इकोनौमी का समय बीत गया। आठवीं योजना चल रही है, नवीं योजना में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में हमने राहत पर कितना पैसा खर्च किया है। हम तो अपने राज्य का अनुभव जानते हैं। 1947 से लेकर आज तक जितना पैसा राहत के नाम पर लिया है, चाहे बाढ़ से नुकसान हुआ हो चाहे सुखाड़ से हुआ हो, यदि उस पैसे का इस्तेमाल हमने पानी के प्रदर्शन के लिए किया होता तो आज ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यह सिर्फ प्राकृतिक विपदा नहीं है, प्रकृति का नियम है कहीं पानी ज्यादा पड़ेगा, कहीं कम पड़ेगा। जहां पानी कम पड़ रहा है उसके लिए हम सब जवाबदेह हैं। आज जंगल की कटाई होती जा रही है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। पहले पानी पड़ता था और लोग वर्षा पर आधारित रहते थे लेकिन आज जो लोग वर्षा पर आधारित हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है क्योंकि वहां वर्षा कम पड़ने लगी है। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने नहीं देना चाहिए वहां बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए और जो वृक्ष काटे जा रहे हैं, उनको रोका जाना चाहिए। हमारे पास जो जल है, उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिये। खेत के लिए नहर का पानी और जमीन में जो पानी है, उन दोनों का संतुलन होना चाहिए। यदि सिर्फ नहर का पानी दिया जाएगा तो भी जमीन में सैलीनिटी मिक्स कर जाती है। यदि हम जमीन के अंदर का पानी इस्तेमाल करते जाएं तो उससे भी परेशानी पैदा होती है। जमीन के अंदर का जलस्तर गिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब तक जल के प्रबंधन की नीति नहीं होगी तब तक लगातार बाढ़ से जो नुकसान होता है, जो सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, उससे निपटा नहीं जा सकता।

हर वर्ष जब मानसून सत्र होता है, हम बाढ़ से नुकसान की चर्चा करते हैं या ऐसी स्थिति में कभी-कभी सुखाड़ की भी चर्चा करते हैं। आज हम उड़ीसा के सुखाड़ को लेकर विशेष चर्चा कर रहे हैं। जहां यह स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, उससे निपटने के लिए स्थायी उपाय के बारे में भी सोचना चाहिए। हम रोज नई-नई मोटर गाड़ियों को देख रहे हैं। उपभोक्ता सामग्रियों के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियां चली आ रही हैं। कलम महंगी मिल रही है। बाजार में जो कलम दस रुपये में मिलती थी वह अब पचास रुपये में मिल रही है। विदेशी कम्पनियां इन क्षेत्रों में आ रही हैं लेकिन जो हमारे इन्फास्ट्रक्चर को विकसित करने के क्षेत्र हैं, उनपर कोई दिलचस्पी नहीं है। आज नेतृत्व में इच्छाशक्ति का अभाव है। जरूरत इस बात की है कि हम नेतांत्व में इच्छाशक्ति का परिचय दें और समस्याओं का समाधान करने के लिए सारे भेदभावों से ऊपर उठकर इस दिशा में कारगर पहल करें। यदि हम इस प्रकार का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। खासकर उड़ीसा के कमलाहांडी जैसे इलाके, जो ज्यादातर समय सूखे की चपेट में रहते हैं, उन इलाकों में विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम बनाना चाहिए। रेवाइन्स के डेवलपमेंट के लिए एक स्पैशल एरिया प्रोग्राम बन जाता है या फिर पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए बन जाता है लेकिन सूखा प्रबंधन इलाकों के लिए योजनाएं तो बनती हैं परन्तु वे प्रभावी नहीं हैं। उनमें और धन की जरूरत है। ऐसी स्थिति में हम यही आग्रह करेंगे कि एक तरफ जहां सरकार को स्थायी उपाय के लिए पहल करनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो तात्कालिक जरूरत है, उसे पूरा करने के लिए पहल करनी चाहिए। सरकार से जो भी बन पड़े, वह दिल खोलकर इस क्षेत्र में प्रयास करे।

अंत में मैं पुनः इस बात को दोहराकार आग्रह करूंगा कि पूरे सदन की तरफ से राष्ट्र को यह अपील जानी चाहिए कि इस स्थिति का सब मिलकर मुकाबला करें। स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आएं, धनवान लोग भी आगे आएं ताकि इस तरह की प्राकृतिक विपदा का मुकाबला कर सकें। एक भी भाई या बहन को भूख से मरने नहीं दें और प्यास से छटपटाने नहीं दें।

अपराह्न 3.00 बजे

इस संकल्प के साथ इस बहस को समाप्त करना चाहिए। अगर इस प्रकार का संकल्प अभिव्यक्त नहीं होता है और सिर्फ तर्क का जवाब तर्क से देकर बात समाप्त कर दी जाएगी तो यह अन्याय होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी इस दिशा में विशेष पहल करें। अब जमाना अपनी ताकत बढ़ाने का आ गया है। देश में जितनी संस्थाएं हैं, सब अपनी ताकत बढ़ा रही हैं, अब आप ही क्यों पीछे रहें, आप भी जरा अपनी ताकत को आगे बढ़ाइये। आप अध्यक्ष की ताकत को बढ़ाइये, इस हैसियत से कुछ कह दीजिए, निर्देश दीजिए। आपकी शक्ति अपार है, उस शक्ति का आप प्रयोग कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समयाभाव के बावजूद सूखे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सभी लोगों को चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। सरकार ने भी इस मामले को अति महत्वपर्ण राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में लिया है और कुछ ही मिनटों में, माननीय प्रधान मंत्री उड़ीसा में विद्यमान स्थिति पर सरकार की प्रतिक्रिया तथा की जाने वाली कार्यवाही के विषय में बताएंगे।

यह सच है कि सूखा, तूफान या बाढ़ पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह प्रकृति का निर्णय है। परंतु सरकार की तत्परता इन प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने से पहले सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सिद्ध होती है कि उसने किस प्रकार लोगों को चेतवनी देकर या सावधानियां बरतते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा परेशानियों से बचाया। सूखा कभी भी एक दिन में नहीं पड़ता है। इसका दौर कई महीनों तक रहता है। जल स्रोत धीरे-धीरे सूख रहे थे। यह समाचार समाचार पत्रों में भी था और संसद सदस्यों द्वारा इस मामले को सदन में और बाहर भी उठाया गया था। मेरे मित्र श्री नीतीश कुमार ने जो कहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह प्रश्न कांग्रेस या गैर-कांग्रेसी सरकार का नहीं है, बल्कि लोगों पर आने वाली आपदा का मुद्दा है और केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से इसका सामना करना चाहिए, ताकि लोगों को मुसीबतों से बचाया जा सके। विभिन्न दलों के सदस्यों ने कल, अपने अपने वायदों से हटकर, सरकार से आग्रह किया कि वह जल्द से जल्द उपचारात्मक कदम उठाए, ताकि लोग अपने घरों को वापस लौट सके, उन्हें भोजन और पानी की सुविधा प्राप्त हो, मौतें न हों और इस कारण से, चिकित्सा सहायता और सिंचाई सुविधाओं को भी मजबूत बनाया जाए।

लांबी में कोई कह रहे थे कि चूंकि श्री चतुरानन मिश्र नए मंत्री हैं, वह जो बातें कह रहे हैं, वैसा अन्य कोई अनुभवी मंत्री नहीं कहेगा। यद्यपि उनका नाम 'चतुरानन मिश्र' है, उन्होंने स्वयं उड़ीसा की स्थिति की तुलना की है। साथ ही साथ, उन्होंने कहा कि यदि इस बारे में हम कुछ कदम नहीं उठाते हैं, तो उड़ीसा दस अथवा पंद्रह वर्षों तक के लिए पिछड़ जाएगा। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। इंसान के रूप में, श्री चतुरानन मिश्र बहुत अच्छे-व्यक्ति हैं। मैं हमेशा उन्हें एक सफल सासंद मानता हूं और वह एक सफल मंत्री भी रहेगें। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वह ऐसा करने में सफल होंगे? क्या वह अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकेंगे? यह केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से उनको प्राप्त होने वाले सहयोग और राज्य द्वारा उचित रूप में उसके उपयोग पर निर्भर करता है। यह दो बातें हैं। हम एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, जहां बाढ़ एक वार्षिक घटना है।

एक बार हमारे मुख्यमंत्री जून के महीने में दौरे पर गए। एक जनसभा में एक ज्ञापन दिया गया कि: 'इस तथ्य को देखते हुए कि अभी बाढ़ नहीं है, हमें कोई ग्रेचुएटी या राहत सहायता नहीं प्राप्त हो रही है और ऐसी आशंका है कि बाढ़ नहीं आएगी। अतः बाढ़ के न होते हुए भी, हमें कुछ ग्रेचुएटी और राहत सहायता प्रदान करने की कृपा करें।' वार्षिक रूप से लोग राहत सहायता कैम्पों में जाते हैं और वहां से अपना राशन लेते हैं। वे अपने पूरे साल का बजट इसी प्रकार बनाते हैं। परंतु यह सच है कि आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तूफान तथा गुजरात, राजस्थान और इस ओर के कुछ क्षेत्रों में सूखा वार्षिक या द्विवार्षिक कार्यक्रम बनता जा रहा है। राजस्थान से भा.ज.पा. के एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि राजस्थान ने आज सिद्ध कर दिया है कि सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा के बावजूद, सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों में बदला जा सकता है जहां पानी उपलब्ध हो और लोगों की दुर्दशा इतनी अधिक न हो, जितनी की आज है।

तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने मुझे गुजरात में एक प्राकृतिक आपदा के दौरान दौरा करने भेजा था। मैंने वहां देखा कि कैसे लोगों ने अपनी दुर्दशा से उबरने के लिए कार्य किए हैं और जानवरों की समस्या को भी हल किया है। यह एक अन्य बात है। हमें केवल मानव जनसंख्या को ही नहीं देखना चाहिए। जानवरों को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वे भी बीमार होकर मर जाएंगे। सरकार द्वारा कल कुछ आंकड़े दिए गए थे। उस पर, हमारे अध्यक्ष श्री के.पी. सिंह देव ने भी कुछ आंकड़े दिए हैं। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री और हमारे दल के नेता ने कुछ बातों का सुझाव दिया और कहा कि पिछली सरकार द्वारा कुछ उपाय किए गए थे और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनका कार्यान्वयन पूरी तरह से नहीं किया गया था। परंतु अब हमें यह देखना है कि हम सभी के द्वारा एक संयुक्त प्रयास किया जाए ताकि आज उड़ीसा के लोगों की तंगहाली को इस प्रकार से दूर किया जा सके कि और मौतें न हो और लोग हताहत न हों, विशेषकर बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु न हो।

मैं नहीं जानता कि यह बात कहां तक सच है। परंतु मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने कहा है कि वह भुखमरी से हुई मौतों के संबंध में कुछ लोगों द्वारा दिए गए ज्ञापन को मानवाधिकार आयोग को भेजेंगे। अगर यह बात सच है, तो मैं समझता हूं कि ऐसा करना उचित नहीं है। इससे और समस्याएं पैदा होंगी। आपको इस समस्या को राजनीति रूप नहीं देना चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए, इसको राजनीति से हटकर देखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि किसी भी वाद को छोड़कर, सभी राजनैतिक दल सफलता से कार्य करेंगे और केन्द्र तथा राज्य सरकारें एकजुट होकर कार्य करेंगी, समस्या को पूरी तरह से समझेंगी और उसका निदान करेंगी।

आज प्रधान मंत्री जी इस चर्चा का जबाव दे रहे हैं। पिछले दिन उन्होंने आंध्र प्रदेश पर जबाव दिया था और मैं कहना चाहूंगा कि समस्या का बहुत अच्छे तरीके से निदान करके वह आन्ध्र प्रदेश के लोगों और राष्ट्र की सहायता करने में सफल रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आज भी, जब वह चर्चा का जबाव देंगे, वह ऐसा ही करेंगे ...**(व्यवधान)** श्री दासमुंशी, कृपया हस्तक्षेप न करें।

मैं कह रहा हूं कि मुझे आशा है कि आज जब वह जबाव देंगे, वह समस्या का निदान करेंगे। यद्यपि वह एक कांग्रेस शासित प्रदेश है, परंतु जैसा कि वह हमेशा कहते हैं: मेरी सेवा कांग्रेसी या गैर-कांग्रेसी राज्यों के लिए नहीं है, बल्कि मैं लोगों की सेवा करता हूं, मैं पिछले

स्तर के किसान परिवार से हूं।' वह ऐसा ही संदेश देंगे ताकि चर्चा में भाषण लेने वाले उड़ीसा के सभी सदस्य सप्ताहान्त पर घर जाते समय, माननीय प्रधान मंत्री से कुछ पैकेज लेकर जाएंगे।...**(व्यवधान)** श्री जेना, आप क्या कर रहे हैं? आप एक मंत्री हैं। क्या आपके सामने भी कोई समस्या है? आप भी माननीय प्रधान मंत्री से अच्छा पैकेज ले सकते हैं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री को शुभ कामनाएं देता और आशा करता हूं कि वह इस मुद्दे पर अच्छा ही बोलेंगे जिससे हमें कुछ अच्छा लाभ प्राप्त होगा।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से कुछ वरिष्ट सदस्यों, पूर्व प्रधान मंत्री और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री ने उड़ीसा में व्याप्त सूखे की स्थिति पर चर्चा में भाग लिया। सभी यही चाहते है कि सूखे की स्थिति का सामना पूरे जोर्-शोर से किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति नौकरी की खोज में उड़ीसा से अन्य राज्य को न जाए। यह पूर्व प्रधान मंत्री, जो कि सांसद के रूप में उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा दिए गए सुझावों में से एक सुझाव है।

महोदय, मैंने 14.11.96 को तीन जिलों का दौरा किया। मैं मुख्य मंत्री को भी अपने साथ ले गया था। वास्तव में, मैं सूखा ग्रस्त क्षेत्र का और थोड़ा पहले ही दौरा करना चाहता था। मेरे सहयोगी, श्री श्रीकान्त जेना ने मुझे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का सुझाव दिया था, परंतु उस समय मुख्यमंत्री राज्य में नहीं थे। वह कुछ कार्यवश विदेश गए हुए थे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह व्यर्थ ही विदेश गए थे। विभिन्न विश्वव्यापी निवेशकर्त्ताओं से संपर्क करने का उनका पहले से ही कार्यक्रम था, और देश छोडने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके वापस आने के पश्चात मैं राज्य का दौरा करूं। इसीलिए, मैंने अपना कार्यक्रम स्थगित किया था। अन्यथा, मैंने और पहले ही राज्य का दौरा किया होता। मेरे द्वारा क्षेत्र का दौरा करने के पश्चात केन्द्रीय दल वहां गया था। कृषि मंत्री ने भी मेरे जाने से पहले वहां का दौरा किया था।

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) : उन्होंने बाद में राज्य का दौरा किया था।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मुझे माफ करें, उन्होंने बाद में दौरा किया था। मैंने तीन जिलों का दौरा किया। महोदय, मैं किसी पर आक्षेप लगाना नहीं चाहता। पैसा मुद्दा नहीं है। निधियों को अपर्याप्त रूप से जारी किए जाने के कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और लोग रोजगार की खोज में उड़ीसा छोड़कर अन्य राज्यों को जा रहे हैं। पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों में से यह एक मुद्दा है। अतः मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उड़ीसा के पास उपलब्ध कुल संसाधन लगभग 461 करोड़ रुपये के हैं, इसे राशि 225.54 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। और अब तक किए गए कुल व्यय की राशि 187.67 करोड़ रुपये की है। दौरे के पश्चात् मैंने केवल ग्रामीण विकास के अंतर्गत लगभग 50 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी किये जाने की घोषणा की। मैं राज्य सरकार पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता, कि धनराशि का किस प्रकार उपयोग हुआ है अथवा किस प्रकार इसे दूसरे विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च किया गया है।

मैंने मुख्य मंत्री से स्पष्ट चर्चा की है। मैंने उनसे पूछा कि वे केन्द्र से कितनी राशि की सहायता चाहते हैं। बाद में उन्होंने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन की प्रति भी मेरे पास है। उनकी मांग लगभग 585 करोड़ रुपये की है। मैं ब्यौरा दे रहा हूं :—

कृषि विभाग	- 26.39 करोड़ रु.
सहकारिता विभाग	- 15.95 करोड़ रु.
मात्स्यिकी विभाग	- 2.97 करोड़ रु.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	- 4.97 करोड़ रु.
आवास विभाग	लगभग - 8.77 करोड़ रु.
पंचायती राज	- 371 करोड़ रु.
ग्रामीण विकास विभाग जिसमें पेय जल और ग्रामीण निर्माण कार्य शामिल है	लगभग 51.32 करोड़ रु.
जल संसाधन विभाग जिसमें बड़ी, मझोली लघु सिंचाई और लिफ्ट संचाई शामिल है	- 87.23 करोड़ रु.
ऊर्जा विभाग	- 10 करोड़ रु.
आपात-स्थिति के दौरान पूर्ति करने सम्बन्धी कार्यक्रम	- 7.20 करोड़ रु.
कुल मिलाकर लगभग 585 करोड़ रु. हुए	

महोदय, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं केवल ग्रामीण विकास के अंतर्गत ही उड़ीसा राज्य को लगभग 461 करोड़ रु. पाने का हकदार है। आठ प्रभावित जिलों में पहले तीन जिले थे और बाद में पांच नये जिले बने-जिसे के.बी.के. विशेष कार्यक्रम कहा जाता है अपने हवाई सर्वेक्षण के दौरान मैं उस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लगभग सभी तीनों जिलों में मैदानी भाग में लघु सिंचाई तालाब हैं। मैं इस सम्माननीय सभा के माननीय सदस्यों को अपना यह अनुभव बताना चाहता हूं कि लगभग सभी निचले क्षेत्रों में लघु सिंचाई तालाब हैं। हम वहां सर्वत्र हरियाली देख सकते हैं। जब हम कार में जा रहे थे तो, मैं वस्तुतः कार से उतरकर मुख्य मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ धान के खेत पर गया। उसी क्षेत्र में जहां कुछ नमी है, वहां कम नमी वाले क्षेत्र से अनाज की उपज अपेक्षाकृत अच्छी है। अधिकांश निचले क्षेत्रों में लघु सिंचाई तालाबों का निर्माण हो रहा था। पानी की कमी के कारण, फसलों की एक बार अथवा दो बार ही सिंचाई करने से अनाज का उत्पादन पूर्णतः संतोषजनक नहीं रहा है। मैं यह बात बताना चाहता हूं कि यदि जमीन एक बार या दो बार आर्द्र हो जाय, तो धान के सभी क्षेत्रों को बचाया जा सकता है। महोदय, मैंने मुख्य मंत्री से पूछा कि क्या हम भूमि जल प्राप्त नहीं कर सकते। वहां भूमि जल है? क्या वहां इसकी संभावना है? राज्य सरकार की क्या राय है? क्या आपने कोई सर्वेक्षण कराया है? महोदय, मुख्य मंत्री ने मुझे बताया कि यदि नलकूप लगा दिये जाएं तो एक या दो जिलों को

छोड़कर वहां पर्याप्त भूमि जल हैं और हम वर्षा की कमी अथवा सूखे के समय अथवा जो भी स्थिति उत्पन्न होती है उस भूमि जल का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम बड़े पैमाने पर नलकूप लगायें, तो मैं समझता हूं कि हम इसे विभिन्न अनुत्पादक कार्यों में खर्च न कर काफी पैसे की बचत कर सकते हैं। आज भी यदि कोई वहां हवाई सर्वेक्षण पर जाय, तो वह पायेगा कि वहां फसल अच्छी है। परन्तु जब वह वहां खेतों में जाएगा तो वह पायेगा कि वहां वह बात नहीं है।

एक या दो बार की सिंचाई के बिना फसलें नहीं उगायी जा सकीं। यह वास्तविक स्थिति है जो मैंने वहां देखी है। मैंने मुख्य मंत्री को बताया, "आप एक ऐसा विशेषज्ञ नियुक्त करें जो एक विख्यात भूविज्ञानी हो, और वह सर्वेक्षण करे। केन्द्र सरकार नलकूपों के लिये कोई भी धनराशि प्रदान करने के लिये तैयार है क्योंकि वहां आठ जिलों में जहां पहले तीन जिले थे, सूखे की स्थिति हर वर्ष उत्पन्न हो जाती है। मैं सोचता हूं कि जब श्री चन्द्रशेखर प्रधान मंत्री थे तो वे भी वहां गये थे। उस समय भी वहां अनेक मौतें होने की खबर थी। वहां अनेक प्रकार की रिपोर्टें थीं और स्थिति गंभीर थी।

कालाहांडी मामले पर भी संसद में चर्चा हुई थी।

मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राहत उपायों पर तो हम कोई भी धनराशि व्यय कर सकते हैं, परन्तु मेरा कहना यह है कि यह केवल अस्थायी उपाय है। उसके बदले, यदि हम कुछ स्थायी उपाय करें तो हम निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों की इस प्रकार की दुर्दशा दूर कर सकते हैं। मैं कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता क्योंकि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री यहां अभी आए हैं।

मुख्य मंत्री मेरे साथ उपस्थित थे। मैंने स्वयं एक-दो वृद्ध महिलाओं से पूछा कि क्या उन्हें कोई वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। चूंकि मैं उड़िया भाषा नहीं जानता, इसलिए मैंने अधिकारियों से कहा कि वृद्धा जो बात कह रही है, वह मुझे अनुवाद कर के बताए। वृद्धा ने कहा कि उसे कोई वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती। मैंने जिला कलक्टर से पूछा कि आप इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं। उन्होंने सरपंच को बुलाया परन्तु, सरपंच नहीं मिला। मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि हमारे एक माननीय सदस्य, जो यहां बैठे हुए हैं, भी वहां मौजूद थे। वहां सरपंच उपलब्ध नहीं था और जिला कलेक्टर भी सही उत्तर देने में थोड़ा झिझक रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वहां जो हुआ वह तो हुआ ही, अब वृद्धावस्था पेंशन अथवा रियायती दर पर खाद्यान्न अथवा ऐसा जो भी लाभ पहुचाया जाना है, उसके लिये उन्हें, निर्धनतम व्यक्ति का चयन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिये। मैंने उन्हें यह निर्देश दिया। उन्होंने मुझे बताया कि उड़ीसा हेतु निर्धारित कोटे अधिकतम सीमा कुछ भी हो के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन देने हेतु सरकार, 48,000 लोगों को चुना गया है, और यदि इस संख्या में रियायत दी जाती है, तो वह शेष कुछ और लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। मेरे समक्ष उन्होंने यह तथ्य प्रस्तुत किया। मैंने इसमें रियायत देने और उड़ीसा के सात-आठ जिलों के और पांच हजार लोगों तक यह लाभ पहुंचाये जाने का निर्णय लिया। अतः उन वृद्ध व्यक्तियों जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है, की पहचान की जाय और उन्हें यह सुविधा दी जाय। उन लोगों को यही निर्देश दिया गया था। उस दिन, मुख्य मंत्री की उपस्थित में मैंने घोषणा की कि हम लगभग 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने जा रहे हैं।

मैं इस सम्माननीय सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध धन का ही उल्लेख करूंगा। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, 162.67 करोड़ रुपये, इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 58.20 करोड़ रुपये, एम.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत 16.02 करोड़ रुपये, रोजगार सहायता योजना के अंतर्गत 111.45 करोड़ रुपये, समेकित ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत 30.21 करोड़ रुपये डी.डब्ल्यू.सी.आर. के अंतर्गत 1.28 करोड़ रुपये और टूल किट्स के अंतर्गत 1.17 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। जब पैसा उपलब्ध है और यदि लोग काम की खोज में बाहर जा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि यह पैसा अन्य क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है। राज्य सरकार की कोई समस्या हो सकती है, परन्तु उसने इसकी कोई साफ तस्वीर प्रस्तुत नहीं की हैं।

पैसा अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिये खर्च किया गया होगा। खैर, मैं अब वह बहाना नहीं सुनना चाहता और यह नहीं चाहता कि लोग कष्ट झेलें। भारत सरकार किसी भी कार्य हेतु धनराशि जारी करने के लिए तैयार है। मैं उड़ीसा से आये हुए माननीय सदस्यों को इतना आश्वासन अवश्य दूंगा। उन गांवों को रोजगार और आवश्यक पेय जल प्रदान करने के लिये मैं कोई भी धनराशि देने के लिये तैयार हूं। वे कह रहे हैं कि लगभग 26,000 गांव सूखा-पीड़ित हैं। यह राज्य सरकार की रिपोर्ट है। मैं पेय जल, पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिये धन देने के लिये तैयार हूं और वह राशि चाहे यह अनुदान हो-अथवा भविष्य में योजना आवंटन में से समंजित की जाने वाली हो, इस समय यह बहस का मुद्दा नहीं है। आइये, जैसा कि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कहा है, हम इस कार्य को युद्ध स्तर पर करें। जी हां, हम तैयार हैं। इसमें केन्द्र का और राज्यों का कितना-कितना हिस्सा है? इन सब बातों पर बाद में चर्चा हो सकती है। मैं एक स्पष्ट आश्वासन देने जा रहा हूं कि हम आवश्यक धन प्रदान करने के लिए तैयार हैं। किसी भी व्यक्ति को रोजगार की तलाश में अपने राज्यों से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। राज्य को रोजगार के अवसरों की जितनी चाहे जितनी भी आवश्यकता हो, वे कार्य आरम्भ करें और हम आवश्यक धन प्रदान करने के लिये तैयार हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता था।

आपदा राहत कोष के रूप में मैंने लगभग 37 करोड़ रुपये जारी किये हैं। पहले, ग्रामीण विकास के अंतर्गत कितना धन उपलब्ध कराया गया था, कितना धन जारी किया गया था और कितना धन खर्च नहीं किया गया था, वह भिन्न मामला जिसका उल्लेख मैंने इस सम्माननीय सभा में कर दिया है।

सिंचाई के लिये इस साल 800 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं। उसमें से हमने 46.03 करोड़ रुपये की राशि उड़ीसा को जारी की है। मुख्य मंत्री ने अपने ज्ञापन में लगभग 87.23 करोड़ रुपये की मांग की

है। उड़ीसा के लिये यह राशि लगभग 46.5 करोड़ रुपये है। वह किन्हीं लघु सिंचाई कार्यों अथवा जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य के लिये इस धन का पूरी तरह उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। वह एक अलग राशि है। यह राशि आपदा राहत कोष के अन्तर्गत नहीं आती है। यह धन आम बजट से आबंटित हुआ है। हमने बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं के लिये 800 करोड़ रुपये और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उनमें से हमने 46.5 करोड़ रुपये उड़ीसा राज्य के हिस्से के रूप में जारी किये हैं।

दूसरी बात बुनियादी न्यूनतम सेवा है और यह भी आपदा राहत कोष के अन्तर्गत नहीं आती। हमने 2,480 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उसमें से उड़ीसा को 79.26 करोड़ रुपये मिलेंगे। हम समूची धनराशि जारी करने के लिए तैयार हैं। वे खर्च करें। बुनियादी न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत पेय जल, ग्रामीण सड़कों और अन्य सभी सम्बन्धित कार्यों के लिये हम इसके कोटा और हिस्से के रूप में 2,480 करोड़ रुपये जारी करने के लिए तैयार हैं। उड़ीसा को 79 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। और वह भी पूरी राशि जारी करने के लिये हम तैयार हैं। इस राशि का उपयोग काम और रोजगार ढूंढने वाले व्यक्तियों के लिये आवश्यक रोजगार सृजन करने के प्रयोजन से किया जाय। परन्तु किसी पड़ोसी राज्य में जाकर प्रवास करने की आवश्यकता नहीं है।

हमने निर्धारित खाद्यान्न कोटे को 45.000 एम.टी. से बढ़ाकर अब 75,000 एम.टी. कर दिया है। अतः इस समस्या से निबटने के लिये धन की कमी का प्रश्न नहीं उठेगा। मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं कि यह राशि 600 करोड़ रुपये अथवा 500 करोड़ रुपये है अथवा यह 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार की अनुदान राशि है। हमें इस मामले पर तथा इसके साथ-साथ सूखे और बाढ़ से होने वाले नुकसान से निबटने हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों और मानदंडों पर विचार-विमर्श करना चाहिए और इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि केन्द्र और राज्यों के बीच धन का किस प्रकार बंटवारा किया जाय।

यहां ये सभी दिशा-निर्देश हैं। परन्तु मैं सिर्फ उड़ीसा के लिये यह आश्वासन नहीं दे सकता कि जो धन दिया जा रहा है वह पूरी तरह अनुदान के रूप में है। यह बात मैं अभी नहीं कह सकता। सिंचाई शीर्ष के अंतर्गत जारी 92.10 करोड़ रुपये की धनराशि अनुदान है। बुनियादी न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत, 79.26 करोड़ रुपये की राशि पूर्णतः अनुदान है। आपदा राहत कोष के अंतर्गत जारी की गयी 37 करोड़ रुपये की राशि पूर्णतः अनुदान है। अतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ग्रामीण विकास के विभिन्न वर्गों के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त 100 अथवा 180 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सिंचाई, बुनियादी न्यूनतम सेवा और आपदा राहत कोष के अंतर्गत दी गयी धनराशि अभी उपलब्ध है। राज्य सरकार को लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुसीबतों को झेल रही ग्रामीण जनता को पेय जल अथवा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

इसके अतिरिक्त, लगभग उन सभी ब्लॉकों को लिया गया है जिनमें रोजगार आश्वासन योजनाएं नहीं प्रत्येक ब्लाक के लिये हम रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपये जारी करने जा रहे हैं। उन जिलों के लिये पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गयी है। उन्होंने 8 जिलों के अतिरिक्त 26 जिलों के बारे में यह बात कही है। 30 में से 26 जिलों में इस बार कम वर्षा हुई है। मुख्य मंत्री ने मुझे यही बताया। रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किये गये लगभग सभी ब्लॉकों को इसमें शामिल किया गया है और जी. ओ. जारी किया गया है। हमने रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत प्रति ब्लॉक 20 लाख रुपये की राशि जारी करने का निर्देश भी दिया है।

श्री पिनाकी मिश्र : क्या माननीय प्रधान मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि इसमें "लगभग सभी ब्लॉक" शामिल है अथवा "सभी ब्लॉक" शामिल हैं। कुल 314 ब्लॉक हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : शेष सभी ब्लॉक हैं। इसका मैं आपको विवरण दूंगा। दरअसल मैं हर बात को पढ़ना नहीं चाहता। बोलंगीर और सोनपुर जिलों के उन सभी आठों प्रखण्डों में रोजगार आश्वासन योजना लागू की जानी चाहिए जिन्हें अभी तक इस योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। काम आरम्भ करने के लिये प्रति प्रखण्ड 20 लाख रुपये की राशि जारी की जायेगी। वर्ष के दौरान 30 से पहले पूरे उड़ीसा भर में 40 और अधिक प्रखण्ड शामिल किये जायेंगे और इस प्रकार यह योग 290 प्रखण्ड हो जाएगा। शेष प्रखण्ड को, यदि कोई हो, जिसे अकाल पीड़ित जिलों में शामिल नहीं किया गया है। हम इसके अन्तर्गत शामिल करना चाहते है। हम वर्ष 1997-98 तक पूरे देश में लगभग सभी प्रखण्डों को शामिल करना चाहते हैं और जो प्रखण्ड उक्त प्रभावित जिलों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें इसी वर्ष शामिल कर लिया जायेगा।

श्री पिनाकी मिश्र : महोदय, मैं केवल एक मिनट और समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हम गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आबंटित समय को भी इसी मुद्दे के अन्तर्गत लिए जा रहे हैं।

श्री पिनाकी मिश्र : यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय कृषि मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकार का 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' मूल रूप से रोजगार आश्वासन योजना पर आधारित होने जा रहा है। केवल 24 प्रखण्ड शेष रहते हैं। कल मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया था कि वे प्रधान मंत्री से अनुरोध करें कि चूंकि केवल 24 प्रखण्ड शेष रहते हैं, इसलिये इन शेष सभी 24 प्रखण्डों को 26 सूखाग्रस्त जिलों में शामिल किया जाय। माननीय प्रधान मंत्री आज सभापटल पर यह वचन क्यों नहीं देते कि इन 24 प्रखण्डों को भी रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया जायेगा। यदि वे ऐसा आज ही कर दें तो हमारे लिये और बेहतर होगा।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैंने मुख्य मंत्री को यही सुझाव दिया था कि उन प्रभावित जिलों के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रखण्डों को इसमें शामिल कर लिया जाए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सुझाव

दिया है और यदि 24 प्रखण्ड शेष रहते हैं, तो मैं इस पर विचार करने के लिये तैयार हूं और मैं यह प्रयास करूंगा कि इन प्रखण्डों को भी इसमें शामिल कर लिया जाय...(व्यवधान)

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : मैं माननीय प्रधान मंत्री से एक पंक्ति का प्रश्न पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें पहले ही देर हो गई है। यदि आप गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय स्थगित नहीं करेंगे तो यह संभव नहीं होगा। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं दो-तीन मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। लोअर इन्दिरा इरेगेशन प्रोजेक्ट और लोअर सुकटेल प्रोजेक्ट ऐसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, जहां कुछ समस्याएं हैं। कुछ लोग परियोजना आरम्भ करना चाहते हैं जबकि कुछ अन्य लोग भूमि आप्लावन के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने मुख्य मंत्री से इन दो परियोजनाओं को पेश करने को कहा और हम इसे नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने जा रहे हैं।

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : मुख्य मंत्री ने यह परियोजना पहले ही पेश कर चुके है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : हम राज्य सरकार से लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं। वस्तुतः परसों ही मैंने मंत्रिमंडल सचिव को कहा कि वे मुख्य मंत्री से सम्पर्क कर उनसे उन दो परियोजनाओं को पेश करने के लिये कहें। मैं आपको यह बता दूं कि किसी जानकारी को दबाने की कोई जरूरत नहीं है। वे अब सभी आवश्यक आंकड़े तैयार कर रहे हैं। मैं आपको यह आश्वासन दे चुका हूं कि ये दोनों परियोजनाएं नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल होने जा रही हैं जिन्हें आगामी दो या तीन माह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि और यहां भी मैं सभा पटल पर एक वचन देने जा रहा हूं। इससे एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा और यह स्वाभाविक है कि कुछ क्षेत्र जल आप्लावित होंगे। हमें उन विस्थापित लोगों को बसाना है। इनके पुनर्वास के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जा रहा है। वह बिलकुल अलग मामला है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्थायी समाधान के बारे में सुझाव दिया है। मैंने यह निर्णय इसलिये लिया है क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया है कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां हम राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार इन दो परियोजनाओं को आरम्भ कर स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय लोगों ने अन्य बातों का भी सुझाव दिया हैं। एक मझोली जोंक सिंचाई परियोजना हैं जिससे लगभग दस हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना है, बनायी गयी है। यह परियोजना पूरी की जाय। इस पर काम चल रहा है। यह अधूरी परियोजना है। हम इसके लिए लगातार पैसा दे रहे हैं।

श्री जगमोहन : कल मैंने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा आज अपराह्न स्वयं आपको सुना। यहां ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि यहां पर्याप्त धन है और इसके उपयोग के लिए अनेक योजनाएं हैं। वहां कोई कमजोर है तो वह प्रशासनिक तंत्र है जो वस्तुतः इन योजनाओं को कार्यान्वित कर सकता है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार की ऐसी आपात स्थिति में क्या मदद कर सकती है ताकि वहां एक ऐसा कारगर तंत्र कायम किया जा सके जो वास्तव में इन योजनाओं का कार्यान्वयन समय पर करे? क्या आप कृपया इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे कि ऐसे इस प्रकार के काम के लिए विशेष तौर पर उन लोगों-जिन्होंने महाराष्ट्र में पड़े अकाल के समय कार्य किया है और उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है, उन्हें इस प्रकार का अनुभव हो सकता है - कुछ विशेष आयुक्त हों, ताकि इन कार्यों के कार्यान्वयन की गति तेज हो सके।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।

श्री जगमोहन : यह एक प्रकार का सुझाव है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम सेवक की नियुक्ति हेतु राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूं। इसमें रिक्तियां हैं। मैं इस बात के हर पहलू के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि डाक्टरों के कितने पद नहीं भरे गए हैं। मैं इन सभी विषयों पर कोई मुद्दा नहीं बनाऊंगा। ये सभी ऐसे मामले हैं, जिन पर कि राज्य सरकार को ध्यान देना है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय प्रधानमंत्री जी, वहां पर 180 मौतें हो गयी हैं और राज्य सरकार कह रही है कि डायरिया से हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि लोगों के कल्याण के लिये क्या स्कीम बनायी गयी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का नौ मिनट का समय पहले ही ले लिया है। रावत जी, मैं, इसकी अनुमति नहीं दूंगा। प्रधान मंत्री, कृपया क्या अब अपनी बात समाप्त कर सकते हैं?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : वास्तव में, हरेक मुख्य मंत्री यही मांग करता रहा है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को और अधिक शक्तियां दी जायें। हमारी सभी मुख्य मंत्रियों के साथ हुई एक बैठक में, इस संबंध में सिफारिशें देने हेतु एक उप-समिति गठित की जा चुकी है। कल, हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने भी राज्यों को प्रशासन के संबंध में पूरी छूट दिए जाने के बारे में उल्लेख किया था, ताकि वे अपने-आप व्यवस्था कर सकें। आप भी यही कह रहे थे। मैं नहीं समझता कि इसमें धन संबंधी कोई मुद्दा है।

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : ऐसा कोई मुद्दा नहीं है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : इस संबंध में, मैं एक बात का उल्लेख करूंगा। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी ने निःशुल्क पोषण केन्द्र नामक योजना शुरू करने हेतु 8.10 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की थी। हम अपने क्षेत्र में इन्हें उन जिलों में पीड़ित

जनता के लिए पोषण के लिए गंजी केन्द्र कहते हैं। उन्होंने दिसम्बर, 1994 में इस प्रयोजन हेतु 8.10 करोड़ रुपए जारी किए थे तथा इस योजना के अतंर्गत मुश्किल से 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जा रही है। उन्होंने यह धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष से जारी की थी। इस संबंध में बहुत-सी बातों का वर्णन कह सकता हूं। मैं इन सभी बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं नहीं समझता कि इन सभी बातों का वर्णन करने के लिए आपके पास कोई समय हो।

श्री पी.वी. नरसिम्हा राव (बरहामपुर) : महोदय, इसमें दो बातें शामिल हैं। संक्षेप में, एक तो सूखे की स्थिति, जिस पर राज्य सरकार ने इस वर्ष काबू पाया है और दूसरी बात यह कि इस क्षेत्र विशेष-जिसमें आठ जिले हैं (अब इसमें तीन जिले हैं, मूल रूप से जिसे के.बी.के. कहा जाता है)- के लिए प्रधान मंत्री की स्थायी वचनबद्धता। अब यह कार्य समाप्त नहीं होगा अथवा राज्य सरकार अकेले ही इस कार्य को कारगर ढंग से पूरा नहीं कर पाएगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर सहायता देनी होगी और स्वंय प्रधान मंत्री को ध्यान देना होगा। कल मैंने यही मुद्दा उठाने की कोशिश की थी।

यदि वह मुझे के.बी.के. जो देश में अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र हुआ करता था - के बारे में ऐसा वचन देने की कृपा करें, तो मैं समझता हूं कि मेरा अनुरोध मान लिया जाएगा।

श्री बीजू पटनायक : श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। उन्होंने के.बी.के. के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था...**(व्यवधान)** मुझे अत्यंत खेद है ...**(व्यवधान)**... चाहे 10 अथवा 20 वर्ष लग जाएं, लेकिन इसे योजना के अंतर्गत आना ही चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव : उन्होनें ऐसा जनता के लिए किया है, न कि अपने लिए...**(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक : उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पटनायक जी, इतना ही काफी है।

श्री बीजू पटनायक : आप जो भी धनराशि देते हैं, उसकी निगरानी अवश्य की जानी चाहिए। मुझे यह मत बताइये कि आप राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आधा पैसा उनकी जेबों में जाएगा ...**(व्यवधान)** राजीव गांधी ने भी कहा था कि इस धनराशि का 80 प्रतिशत भाग दलालों की जेबों में जाता है ...**(व्यवधान)**

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : यह केवल आठ जिलों का ही सवाल नहीं है। प्रश्न उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने का है जो इस सूखे से प्रभावित हैं। ऐसा उड़ीसा की वजह से नहीं है। मैं इस विषय पर स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं। किसी को भी मेरे बारे में यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि मेरा ऐसा करने के पीछे कोई उद्देश्य है। इस वर्ष पहली बार सिंचाई के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि देने का उद्देश्य पिछले कई वर्षों से लम्बित कुछ परियोजनाओं की ओर ध्यान देना है। इन लम्बित परियोजनाओं को किसी की चिन्ता नहीं है।

हमने केन्द्र सरकार के बजट में 800 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान करने का निर्णय पहली बार लिया है। मेरी मंशा सिंचाई के लिए अधिक धनराशि प्रदान करने की है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी और ऐसे क्षेत्र प्रत्येक राज्य में हैं।

मैं भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी को यह आश्वासन देता हूं कि इस वर्ष दी गई 92.10 करोड़ रुपए की राशि में वृद्धि की जाएगी। यह अनुदान शतप्रतिशत भारत सरकार की ओर से है। इस संबंध में राज्य सरकार की वचनबद्धता का कोई प्रश्न नहीं है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस समस्या का सामना करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की जाए।

इस संबंध में मैंने मुख्य मंत्री को यह कहा है कि भूमिगत जल का आकलन करने का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक विशेषज्ञता प्राप्त भूवैज्ञानिक को लगाया जाए और इन इन सभी क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराया जाए। यदि जहां कहीं भूमिगत जल उपलब्ध भी है वहां बड़े पैमाने पर नलकूप लगाये जाते हैं, तो इससे निश्चित रूप उन लोगों की समस्या हल हो जाएगी जो अपर्याप्त वर्षा के कारण परेशान हैं। यह क्षेत्र अधिक वर्षा वाला है अथवा कम वर्षा वाला है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, भारत सरकार इस क्षेत्र के लिए कोई स्थायी समाधान खोजने को तैयार है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा तैयार की जा रही के.बी.के. योजना के संबंध में, मुझे यह चिन्ता नहीं है कि इसके लिए कितनी धनराशि जारी की जाती है। मैं इन सब बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा। हम चाहते हैं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कुछ स्थायी राहत दी जाये। हमने इस संबंध में निर्णय लिया है। आपने कल यह कहा है कि कावेरी नदी में पानी नहीं है; और गंगा ब्रहमपुत्र में काफी पानी है।

हम फालतू पानी वाले बेसिन से पानी की कमी वाले बेसिन को पानी दे सकते हैं अथवा नहीं, इस बात की जांच करने के लिए मैंने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। मैंने इस समिति को सभी ऐसे दिशानिर्देश दिए हैं कि उसे किन-किन क्षेत्रों में जांच करनी है।

श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा (रोहतक) : डा. के.एल. राव ने इस संबंध में काफी कार्य किया है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : उन्होंने यह कार्य केवल प्रायद्वीपीय नदी घाटी योजना पर किया है। मैंने भूतपूर्व जल संसाधन मंत्री श्री शुक्ल जी से एक प्रश्न पूछा था। इस संबंध में मैं संबंधित विभाग से पहले से ही सम्पर्क बनाए हुए हूं क्योंकि मैं भी सिंचाई के बारे में उतना ही चिन्तित हूं। मुझे किसानों और सिंचाई के लिए दिया गया अपना वचन याद है। मैं इस सम्बंध में विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैंने इसकी व्यवहारियता का पता लगाने के लिए पहले ही एक समिति गठित कर दी है। यह परियोजना आर्थिक और तकनीकी रूप से व्यवहार्य होनी चाहिए। फालतू पानी वाले बेसिन का पानी की कमी वाले बेसिन में सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसकी जांच की जाएगी। जैसे ही इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होगा, इसे कार्यान्वित करने से पूर्व, अंतिम आवंटन करने के लिए मैं सभा को इसकी जानकारी दूंगा ...**(व्यवधान)**

श्री जी.वी.के. राव ने खराब स्वास्थ्य के कारण मना कर दिया है। श्री हनुमनतय्या इस समिति के सभापति बनाए गए हैं। इसके लिए हमें धनराशि भी जुटानी है। यदि हम सभी एकत्रित होकर सामूहिक रूप से कार्य करें तो धनराशि जुटाई जा सकती है। मैं तो यही कह सकता हूं। व्यापक नलकूप कार्यक्रम हेतु हम इस योजना को केन्द्र से ही धनराशि प्रदान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस चर्चा हेतु आबंटित समय में वृद्धि के लिए सभा की सहमति लेनी पड़ेगी। हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आबंटित समय से भी 16 मिनट का समय ले चुके हैं। क्या सभा इस चर्चा हेतु समय बढाने के लिए सहमत है?

श्री पिनाकी मिश्र : यह एक राष्ट्रीय आपदा है। हम इस विषय के लिए केवल दस मिनट का समय और चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है। मैं तो केवल सभा की राय ले रहा हूं। मैं इसे रोकने नहीं जा रहा।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : कृपया, आप इसे दस मिनट तक बढ़ा दें।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : दस मिनट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उड़ीसा के सभी प्रतिनिधि सदस्यों से केवल यह कहता हूं कि वे इसे अपने मन में रखें। इसमें राजनीति को शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कांग्रेस शासित राज्य है। यहां ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सचेतक ने मजाकिया तौर पर इसका जिक्र किया है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मैंने कहा था कि आपका उत्तर ऐसा होना चाहिए जो हमें संतुष्ट कर सके।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : इस समस्या से निपटने के लिए जितनी धनराशि चाहिए, हम भारत सरकार से देने के लिए तैयार हैं। यह शत प्रतिशत अनुदान है अथवा इसे योजना में समायोजित किया जाएगा, ये सभी बातें अब संगत नहीं है। हमें इन आठ जिलों में इस समस्या से गंभीरता से निपटना चाहिए। उसके लिए आवश्यक धनराशि जारी की जाएगी। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं। यदि आप चाहें तो मैं अलग से एक बैठक बुलाने और इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

श्री पिनाकी मिश्र : ये आठ जिले नहीं है, 26 जिले हैं। केवल कालाहांडी, कोरापुट और बोलंगीर को प्रचार मिलने के कारण ही ये जिले प्रकाश में आए हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मुख्य मंत्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 में से 26 जिले प्रभावित हुए हैं। इन 26 जिलों में कुल 2600 गांव प्रभावित हुए हैं। उनकी रिपोर्ट में यह बताया गया है। इस रिपोर्ट में समस्त ब्यौरा दिया गया है। मैंने भी आवश्यक धनराशि का उल्लेख किया है। धनराशि कोई मुद्दा नहीं है। हम यह धन देने जा रहे हैं। राज्य सरकार को गंभीरतापूर्वक कार्य शुरू करना है।

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : महोदय, मेरा एक निवेदन हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम हर बार अपने ही नियमों को तोड़ रहे है।

श्री शरत पटनायक : हमें, 160 खंडों में 2 रुपये प्रति किलो की दर से चावल मिल रहा है। लेकिन 64 खंडों में अभी भी चावल 2 रुपये प्रति किलो की दर से नहीं मिल रहा है। मेरे जिले बोलंगीर में हमें कृषि कार्य के लिए केवल छः प्रतिशत मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका जिला सूखा ग्रस्त क्षेत्र में आता है। हम सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। हम आज पूरे राज्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।

श्री शरत पटनायक : यह सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। आपने इसमें इन 64 खंडों को शामिल नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया राज्य के सम्पूर्ण मुद्दे को इसमें मत लाइए। हम सूखे सम्बन्धी विशेष मुद्दे पर बात कर रहे हैं।

आप पूरे उड़ीसा के बारे में नहीं कह सकते।

(व्यवधान)

अपराह्न 3.50 बजे

अध्यक्ष महोदय अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेगी।

श्रीमती शीला गौतम।

अपराह्न 3.50 $^{1}/_{4}$ बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :.

> "कि यह सभा 27 नवम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 27 नवम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.51 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अपराह्न 3.51 $^{1}/_{4}$ बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के लिए समय के आवंटन के बारे में टिप्पणी

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसा कि आपको विदित है कि शुक्रवार को अन्तिम ढाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्पादन के लिए आवंटित किए जाते हैं। इन ढाई घंटों का उपयोग बारी-बारी से एक सप्ताह विधेयकों पर और दूसरे सप्ताह संकल्पों पर विचार हेतु किया जाता है। अतः गैर-सरकारी सदस्यों के प्रत्येक श्रेणी के कार्य के सम्पादन के लिए बहुत ही सीमित समय उपलब्ध होता है। बहुत से सदस्य विधेयकों और संकल्पों की सूचनाएं देते हैं। किसी वर्ग विशेष के कार्य के लिए नियत की गई बैठक में सभा द्वारा विचार हेतु बैलट के आधार पर क्रमशः चार विधेयकों और तीन संकल्पों का चयन किया जाता है। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसार किसी विधेयक या संकल्प के लिए सभा द्वारा दो घंटे आवंटित किए जाते हैं। तथापि यह देखा गया है कि इस दो घंटे की समय सीमा का सामान्यतया पालन नहीं किया जाता है और लगभग प्रत्येक मामले में सभा को समय बढ़ाना पड़ता है। समय बढ़ाने की इस प्रथा से न केवल वे सदस्य वंचित रह जाते हैं जो उस दिन की कार्यसूची में पूर्ववर्तिता के अगले क्रम में होते हैं अपितु इसके परिणामस्वरूप विधेयकों और संकल्पों का निपटान भी कम संख्या में होता है। उदाहरणार्थ दसवीं लोक सभा के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के 405 पुरःस्थापित विधेयकों में से केवल 20 विधेयक ही विचार के प्रक्रम तक पहुंच सके। गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के आंकड़े भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं है क्योंकि कुल गृहीत 98 संकल्पों में से केवल 15 संकल्पों पर ही सभा द्वारा विचार किया जा सका।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 296 में उपबंध है कि सभा द्वारा यथा अनुमोदित विधेयकों और संकल्पों के संबंध में समिति द्वारा अनुशंसित समय ऐसे लागू होगा जैसे कि वह सभा का आदेश हो।

समय-समय पर अनेक सदस्य यह अनुरोध करते रहे हैं कि इस नियम के उपबंधों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य में अधिक संख्या में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति द्वारा अनुशंसित और सभा द्वारा स्वीकृत समय को जहां तक संभव हो, बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान पहली लोक सभा की गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों संबंधी समिति द्वारा 9 दिसम्बर, 1953 और 9 अप्रैल, 1954 को लिए गए निर्णय की ओर भी दिलाना चाहता हूं। 9 अप्रैल, 1954 को समिति ने जो निर्णय किया था उसे मैं उद्धृत करता हूं :-

> "समिति की यह राय भी थी कि भविष्य मे संकल्पों पर चर्चा करने के लिए अधिकतम समय सीमा 4 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि जिन विधेयकों को सभा में पुरःस्थापित किया गया है और विचार के लिए लिया गया है, ऐसे विधेयकों पर विचार और उसके बाद प्रक्रमों के लिए समय का अधिकतम आवंटन केवल 4 घंटे होना चाहिए।

[हिन्दी]

अब यह आपके सामने है। बिल इम्पोर्टेंट होते हैं जो डिस्कशन में आ जाते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं वे शायद इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि फर्स्ट पार्लियामेंट की प्राइवेट मैम्बर्स बिल से संबंधित फर्स्ट कमेटी में जो डिसाइड हुआ, उसके अनुसार किया जाए। अव्वल तो दो घंटे में ही समाप्त हो जाए, तो अच्छा, लेकिन यदि यह संभव न हो तो मैक्सीमम चार घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे ज्यादा रिजोल्यूशन आ सके। अगर यह हाउस का फैसला हो, तो इसको मान लिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां। ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो यह फैसला सदन की अनुमति से माना गया। अभी जो प्रजेट रिजोल्यूशन है उस पर नौ घंटे डिस्कशन हो चुका है और 42 आनरेबल मैम्बर्स बोल चुके हैं। इसलिए इसके लिए अब और ज्यादा समय नहीं बढ़ाया जाएगा, हालांकि इसके लिए जो समय पहले ही नियत किया जा चुका है वह अवश्य दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे सदस्यों के रिजोल्यूशन लिए जाएंगे।

[अनुवाद]

अब मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस संकल्प पर बोलें।

अपराह्न 3.56 बजे

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

बेरोजगारी—जारी

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही रोचक संकल्प है।

जैसा कि आपने बताया है, बयालीस से ज्यादा माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। वास्तव में, वर्तमान बेराजेगारी की समस्या पर प्रकाश डालने के लिए मैं माननीय सदस्य श्री प्रभु दयाल कठेरिया का आभारी हूं। उनके अनुसार, बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने और रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देनी होगी। अधिकाधिक लघु उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए और उन्हें ऋण, विद्युत, विपणन आदि जैसी अधिकाधिक आधारभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि लघु उद्योगों के लिए उत्पादन के कुछ निश्चित क्षेत्र आरक्षित रखे जाने चाहिए।

महोदय, हम उनसे पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वास्तव में, लघु उद्योग आधुनिक भारत की प्रगति के प्रतीक हैं क्योंकि 95 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां लघु उद्योग क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्पादन होता है। ...**(व्यवधान)** निर्यात के क्षेत्र में जहां बड़ा उद्योग क्षेत्र असफल हो चुका है वहां लघु उद्योग क्षेत्र ने निर्यात को जारी रखा है क्योंकि कुल निर्यात का 35 प्रतिशत भाग लघु उद्योग क्षेत्र से आता है। इस क्षेत्र में आज लगभग 7500 वस्तुओं का उत्पादन होता है। ये उद्योग न केवल परम्परागत वस्तुओं जैसे चमड़ा, प्लास्टिक, होजरी और तैयार वस्त्रों का ही उत्पादन करते हैं बल्कि रंगीन टीवी, कम्प्यूटर असेम्बली यूनिटों और डिजीटल माप यूनिटों इत्यादि आधुनिक वस्तुओं का भी निर्माण करते हैं। इस उद्योग क्षेत्र का हमारी अर्थ-व्यवस्था में इतना महत्वपूर्ण है कि अब कोई भी लघु उद्योग क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर सकता।

मेरे सहयोगियों डा. सुब्बारामी रेड्डी, श्री दासमुंशी, श्री नीतीश कुमार, श्री वेणुगोपाल और अन्यों ने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण की समस्या को उठाया है। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। बैंकों द्वारा कुल ऋण का चालीस प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र दिया को जाता है। जिसमें से 18 प्रतिशत ऋण कृषि को जाता है और 16.91 प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र को जाता है।

अपराह्न 4.00 बजे

शेष ऋण निर्यात वृद्धि हेतु अन्य योजनाओं को जाता है। चूंकि यह क्षेत्र हमारे उद्योग क्षेत्र की रीढ़ है, इस क्षेत्र द्वारा पर्याप्त वित्त पोषण की और ध्यान दिया जा रहा है। यदि हमें कोई कमी नजर आती हैं तो उस ओर पूरा ध्यान दिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 995-96 में अब तक लघु उद्योग क्षेत्र को 29, 482 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने का यह निर्देश दिया गया है कि लघु उद्योगों को कुल उत्पादन के 20 प्रतिशत मूल्य राशि कार्यकारी पूंजी को रूप में दी जाए।

इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अतिरिक्त, राज्य वित्तीय निगम और अन्य बैंक हैं जो सांवधिक ऋण देते हैं। वाणिज्यिक बैंक मुख्यतः कार्य पूंजी देते हैं। एस.आई.डी.बी.आई. ने 1990 में अपनी स्थापना से 16,864 करोड़ रुपये दिए हैं। अतः इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों से यही बात कहना चाहता हूं।

जहां तक ब्याज दर का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि लघु उद्योग क्षेत्र को रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है। 25,000 रुपये तक के ऋण पर 12 प्रतिशत, 25,000 से 2,00,000 रुपये तक के ऋण पर 13.5 प्रतिशत ब्याज दर है और 2,00,000 रुपये या इससे अधिक के लिए ब्याज दर बाजार द्वारा तय की जाएगी।

माननीय सदस्यों ने नाइक समिति के बारे में प्रश्न उठाया है। नाइक समिति ने सुझाव दिया था कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष बैंक शाखाएं होनी चाहिए और लक्ष्य 100 प्रतिशत तय किया जाना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब इस क्षेत्र हेतु 107 विशेष बैंक शाखाएं कार्यरत हैं। ऋण की पर्याप्तता का पता लगाने के लिए नमूना सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं। बैंकों द्वारा भी जोनल और क्षेत्रीय स्तरों पर नियमित बैठकें की जा रही हैं। बैंक मैनेजरों को शीघ्र ऋण निपटान और ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

अन्य सहयोगियों ने लघु उद्योग क्षेत्र को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में कहा है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 836 उत्पाद आरक्षित हैं। उन्हें मूल्य में वरीयता भी दी जाती है, अर्थात उन्हें 15 प्रतिशत तक मूल्य वरीयता लाभ दिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत मूल्य वरीयतादाता या क्रेता संगठन द्वारा लघु उद्योग एककों की कोटेशन पर विचार किया जाता है, चाहे यह बडे उद्योग की न्यूनतम कोटेशन से 15 प्रतिशत अधिक ही क्यों न हो।

यहां खरीद प्राथमिकता संबंधी नीति भी है। खरीद प्राथमिकता लघु उद्योग क्षेत्र हेतु एक अन्य विपणन सहायता है। इसके अंतर्गत, सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सरकार द्वारा विशेष खरीद के लिए 409 वस्तुएं आरक्षित कर रखी हैं। इसलिए इसका भी ध्यान रखना है।

लघु उद्योग क्षेत्र की विपणन नीति और इसकी वित्तपोषण संबंधी व्यवस्था में सुधार करने के लिए वहां अनेक योजनाएं हैं। मैं इसका ब्यौरा देना नहीं चाहता।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के सम्बन्ध में माननीय सदस्य, श्री नीतीश कुमार, श्री रासा सिंह रावत और श्री नामग्याल ने इसके बारे में उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन में कुछ खामियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य करना है और मनोनीत सभापति इस समय उपस्थित नहीं हैं, अतः मैं श्री जोंस से सभा की अध्यक्षता करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 4.04 बजे

(श्री ए.सी.जोस पीठासीन हुए)

श्री मुरासोली मारान : हाल ही में लघु उद्योग सचिव ने दिए जा रहे ऋण (फ्लो ऑफ क्रेडिट) की समीक्षा और प्रधान मंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं पर चर्चा करने के लिए अगस्त 1996 के प्रथम सप्ताह में वाणिज्यिक बैंकों और राज्य वित्त निगमों के साथ एक बैठक की। मैंने इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक, एस.आई.डी.बी.आई. और अन्य के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उठाया है। हमने उन्हें बता दिया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए, बैंकों को समतुल्य प्रतिभूति की मांग नहीं करनी चाहिए और यदि वे समतुल्य प्रतिभूति की मांग करते हैं तो-हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया है—इसे अपराध माना जाएगा और हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : प्रश्न यह है कि जब योजनाओं की जिला स्तर की समितियों द्वारा संवीक्षा की जाती है तो पता लगता है कि बैंक उन्हें उक्त 1,00,000 रुपए की धनराशि नहीं दे रहे हैं। वे उन्हें लगभग 50,000 रुपए ही देंगे। इसलिए योजनाएं शुरू नहीं की जा सकीं। कुछ समय पश्चात् क्या होता है कि लाभार्थियों से राजस्व वसूली सम्बंधी कार्यवाही की जाती है।

माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे अर्थक्षम योजनाओं की संवीक्षा करने के लिए उन्हें विशिष्ट हिदायतें दें और उनकी संवीक्षा करने के पश्चात् बैंकों को चाहिए कि वे इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पूरी राशि दें। यही मुख्य समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं।

श्री मुरासोली मारान : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं, श्री चेन्नित्तला और मैं उन्हें आश्वासन देते हैं कि हमने इस सम्बन्ध में पहले ही कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, लघु उद्योग सचिव ने अगस्त, 1996 के प्रथम सप्ताह में वाणिज्यिक बैंकों और राज्य वित्त निगमों के साथ बैठक की है और मैंने इस मामले को 20 अगस्त 1996 को भारतीय रिजर्व बैंक, एस.आई.डी.बी.आई. और सम्बंधित सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उठाया है। इस प्रकार हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए और उन्हें किसी समतुल्य प्रतिभूति की मांग नहीं करनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 15 अक्तूबर, 1996 को समतुल्य प्रतिभूति न लेने के निदेश दिए थे। यह मुद्दा आपने पहले भी उठाया था। हम इसका ध्यान रखेंगे और कोई विशिष्ट शिकायतें मिलती हैं तो मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

संकल्प के माननीय प्रस्तावक ने फिरोजाबाद में कांच उद्योग के बारे में उल्लेख किया। भारत में, फिरोजाबाद और कांच बनाना एक दूसरे के पर्याय हैं। वहां के लोग मुगल काल से लगभग 300 वर्षों पहले से कांच की वस्तुओं के निर्माण सम्बंधी पारम्परिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वास्तव में, भारत में कांच उत्पादन का 70 प्रतिशत उत्पादन फिरोजाबाद में होता है। इस समय फिरोजाबाद में 300 से 350 प्राधिकृत एककः हैं जिनमें लगभग 1.50 लाख लोग कार्य करते हैं। वे चूंडियां बनाते हैं जो फिरोजाबाद का एकाधिकार है। मुझे बताया गया है कि इसने बहुत अच्छा निर्यात बाजार भी बना लिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि वे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ताज ट्रेपेजियम के अंतर्गत आ जाने के कारण 40 कि.मी. की परिधि के भीतर सभी कारखानों को प्रदूषण नियंत्रण का बहुत सख्ती से पालन करना होगा। इस प्रकार वे अब अपने ईंधन के रूप में गैस का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य हैं। अतः, गैस आधारित उत्पादन से पर्यावरण के अनुरूप होने के अतिरिक्त इससे कांच के सामान का अधिक उत्पादन करने में भी मदद मिलेगी जैसाकि हम केवल यूरोप में देख रहे हैं। इससे निश्चित रूप से हमारा स्तर सुधरेगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह कांच उद्योग के लिए वरदान है। वास्तव में, यू.पी. मैन्युफेक्चरर्स सिन्डीकेट के प्रेजीडेंट ने इसे क्रांति का सूत्रपात बताया है। इस प्रकार की क्रांति उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण हो रही है।

लेकिन यहां कांच विनिर्माताओं द्वारा कुछ कठिनाईयों का सामना किया जा रहा है। इन्हें संकल्प के प्रस्तावक द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, फिरोजाबाद में गैस का उत्पादन 5100 रुपए प्रति हजार स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर मूल्य पर होता है जबकि अन्य क्षेत्रों में यह कम मूल्य पर दी जाती है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। यदि यह एच वी जे मुख्य लाइन पर है तो इसकी कीमत कम है। लेकिन इस मामले में उन्हें गैस की आपूर्ति 92 कि.मी. की परिधि में करनी होती है।

अतः उन्हें 65 करोड़ रुपए की लागत पर लाइनें बिछानी होती हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें 65 करोड़ रुपए की लागत पर अलग-अलग वितरण लाइनें बिछानी पड़ती हैं। अतः लागत 130 करोड़ रुपए बढ़ गई। इसीलिए उन्हें थोड़ी सी अधिक कीमत का भुगतान करना होगा इसकी कीमत केवल 5100 रुपए आती है। मैं नहीं समझता कि यह कीमत अधिक है लेकिन मैं समझता हूं कि वे कुछ अन्य कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। उन्हें भट्टियों का नवीकरण करना पड़ेगा क्योंकि वे कोयले के प्रयोग हेतु भट्टी डिजाइन तैयार करते रहे हैं और अब वे गैस का प्रयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि वे प्रति भट्टी (फर्नेस) लगभग 15 से 25 लाख रुपए खर्च करना होगा।

यही असली कठिनाई है।

इसके साथ-साथ दीर्घावधिक लाभ को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए पॉट फर्नेस में प्रति एकक वास्तविक लागत 4050 रुपए आती थी। लेकिन अब गैस आधारित एकक में यह लागत केवल 2805 रुपए आएगी। इसका लाभ यह है। कोयले का प्रयोग करने से 4050 रुपए और अब व्यय किए जाने वाले केवल के बीच अन्तर देखिए जो कि प्रति एकक कांच पिघलाई की वास्तविक लागत 2805 रुपए है। इसका यह फायदा होगा।

इसके साथ ही, एक कठिनाई है। अब आपको भट्टी को आधुनिक बनाने में 15 से 25 लाख रुपए खर्च करने होंगे। यह भारत

के प्रमुख उद्योगों में से एक होने के कारण हमने एक योजना बनाई है। यह उद्योग एक पारम्परिक उद्योग है।

ऐसा 300 वर्षों से हो रहा है। उन्हें निर्यात हेतु बहुत ही अच्छा बाजार मिला है। हमें इस व्यापार से जुड़े लोगों की सहायता करनी होगी। अतः हमें भट्टी के आधुनिकीकरण हेतु धन की व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेना होगा। इसके लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा स्वयं अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ-साथ, हम इन लोगों को ब्याज पर कुछ राजसहायता प्रदान करने पर भी विचार करेंगे। लगभग 64 लोग इस सुझाव पर पहले ही सहमत हो चुके हैं। उन्होंने स्वयं इस भट्टी को कोयले से गैस में बदलने की बात कही है। मेरे विचार से अन्य लोग भी शीघ्र ही इनका अनुसरण करेंगे।

फिरोजाबाद में कांच उद्योग के विकास हेतु एक केन्द्र है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से चलाया जा रहा है। वे शीघ्र ही एक प्रोटोटाइप डिजाइन और एक प्रशिक्षण एकक की स्थापना करेंगे। मेरे विचार से इनकी स्थापना निकट भविष्य में ही हो जाएगी। इसमें प्रयोग करके दिखाने और स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु शीघ्र ही एक विदेशी परामर्शदाता आएंगे। अतः मैं माननीय सदस्य को इस संबंध में आश्वस्त करना चाहूंगा कि वे इस संबंध में चिंतित न हों। उनकी शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा। मैं, माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं।

कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि लघु उद्योगों के लिए निर्धारित की गई 65 लाख की वर्तमान अधिकतम सीमा बहुत कम है। अतः हमें इस सीमा में वृद्धि करनी होगी। सभी ने इसके लिए मांग की है। प्रायः सभी माननीय सदस्य इस संबंध में बोले हैं। निस्संदेह, यह बात बिल्कुल सच है। हमें मुद्रास्फीति, अवमूल्यन और विदेशी मुद्रा की तुलना में विनिमय दर में परिवर्तन के कारण रुपए के मूल्य में आई कमी को भी ध्यान में रखना है। पिछली बार यह सीमा पांच वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। इस दौरान रुपए के मूल्य में कमी आई है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि पूंजीगत माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भी वृद्धि हुई है। इसमें हमें शुल्क ढांचे में हुए परिवर्तन को भी ध्यान में रखना है।

हमें प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। हमें प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना है। अतः इस बात में कोई संशय नहीं है कि 60 लाख की इस अधिकतम सीमा में वृद्धि की जाए। किन्तु यह प्रश्न इतना आसान नहीं है। यह एक अत्यन्त कठिन समस्या है। इसलिए हमने डाक्टर आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है।

उन्होंने पहले हमें यह वचन दिया था कि वे अक्तूबर के अन्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। किन्तु अब वे कहते हैं कि रिपोर्ट दिसम्बर के अन्त तक दी जायेगी। हम उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अधिकतम सीमा अवश्य ही बढ़ाई जायेगी।

मदों के आरक्षण के सम्बन्ध में, उनके लिए 836 मदें आरक्षित की गई हैं। अतः इस बात पर विचार किया जाना है कि आरक्षित मदें 836 ही रहेंगी अथवा इस आंकड़े को बढ़ाया या घटाया जाए। यह भी एक बड़ी समस्या है। अतः हम उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

यदि हम लघु क्षेत्र के लिए अधिकतम सीमा बढ़ाते हैं, तो हमें 'टाइनी' क्षेत्र के लिए सीमा को भी उसके अनुपात में बढ़ाना होगा। अन्यथा असन्तुलन पैदा हो जायेगा। इसलिए मेरा इस संकल्प के माननीय प्रस्तावक तथा सभा से यह कहना है कि डा. आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हम लघु तथा 'टाइनी' क्षेत्रों के लिए एक बड़े प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करेंगे।

अतः, यह कार्य इस वर्ष के अन्त तक अथवा अगले वर्ष जनवरी तक कर दिया जायेगा।

महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि केवल लघु क्षेत्र ही बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सक्षम हैं। एक अध्ययन के अनुसार यदि हम लघु क्षेत्र में एक लाख रुपये निवेश करें तो दस व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा जबकि यदि हम इसी धनराशि को बड़े उद्योग में निवेश करते हैं तो उसमें बहुत कम व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना रहती है।

महोदय, हमें यह मालूम है कि लघु उद्योगों पर कितना बल देने की आवश्यकता है। हमें प्रौद्योगिकी को भी उन्नत बनाना है। इसीलिए हम कोरिया जैसे तथा अन्य देशों के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौते कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आज प्रातः इस सम्बन्ध में एक प्रश्न ही पूछा गया था। आन्ध्र प्रदेश संयुक्त उद्यम लगाने हेतु पहले ही इंडोनेशिया के साथ सम्पर्क में है। अतः यह कार्य हो रहा है।

अतः मैं समझता हूं कि इस आश्वासन से इस संकल्प के माननीय प्रस्तावक संतुष्ट हो जायेंगे। इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु मैं उन्हें एक बार पुनः धन्यवाद और बधाई देता हूं। अब, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संकल्प के लिए जोर न दें।

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, मुझे माननीय उद्योग मंत्री से एक प्रश्न पूछना है। माननीय मंत्री ने यह सही कहा है कि सरकार की नीति लघु क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक उत्पादन केन्द्र शुरू किए थे किन्तु उनमें से कुछ केन्द्र अब बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार में इन्हें 1952 में शुरू किया गया था। औद्योगिक उत्पादन केन्द्र लघु क्षेत्र को प्रशिक्षण तथा कुछ अन्य प्रयोजनों हेतु सहायता करने की दृष्टि से शुरू किए गये थे। उन्होंने कुछ उत्पादन भी शुरू किया था और उसे बाजार में बेचा भी गया था। आज उत्पादन केन्द्र बन्द होने के कगार पर हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश के विभिन्न भागों में स्थित औद्योगिक उत्पादन केन्द्रों यद्यपि वे पूर्णतया बन्द हैं, को पुनः शुरू करने सम्बन्धी कोई व्यापक योजना है अथवा क्या आप ऐसी कोई व्यापक योजना बनाने पर विचार करेंगे। उनमें लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को सहायता मिल सकती है, जो

बदले में वे बेरोजगारों को और अधिक रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री मुरासोली मारान : महोदय, औद्योगिक उत्पादन केन्द्रों के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये औद्योगिक केन्द्र बन्द नहीं हुए हैं। यदि माननीय सदस्य मेरी जानकारी में ऐसा कोई विशेष दृष्टान्त लाते हैं तो मैं इस पर अवश्य ध्यान दूंगा।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, माननीय मंत्री ने कुटीर उद्योगों के बारे में कुछ नहीं कहा है। कुटीर उद्योग रोजगार देने में, विशेषतौर पर ग्रामीण महिलाओं को सहायक हैं। उन्होने इनकी उपेक्षा की है। मैं माननीय मंत्री से इस बारे में कुछ जानना चाहता हूं।

श्री मुरासोली मारान : महोदय, मैंने 'टाइनी' क्षेत्र के उद्योगों का उल्लेख किया है। किन्तु वह विशेषरूप से कुटीर उद्योगों के बारे में पूछ रहे हैं। वास्तव में इस संकल्प के साथ समस्या यह है कि यद्यपि यह बेरोजगारी के बारे में है किन्तु इसमें कई विषय शामिल हैं। संकल्प में बेरोजगारी के बारे में कहा गया है जो श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित विषय हैं, संकल्प में लघु उद्योगों के बारे में कहा गया है जो मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित विषय हैं; इसमें हस्तशिल्प उद्योगों के बारे में कहा गया है जो वस्त्र मंत्रालय से सम्बन्धित विषय है।

जो भी है, मैं माननीय सदस्य को, ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में जो कुछ किया जा रहा है, उसके बारे में एक नोट भेज दूंगा।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, इस संकल्प में सरकार की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में युवाओं को रोजगार देने के बारे में बल दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बाधा बैंकों की भूमिका है। बैंकों को ऋण देना है और सरकार को राजसहायता देनी है। यदि अधिकाशं क्षेत्रों मे बैंकों का ऋण-जमा अनुपात देखा जाये तो यह स्पष्ट होता जाएगा कि बैंक बेरोजगार युवाओं को ऋण देने के लिए तैयार नहीं है जिससे कि वे अपने प्रयास से रोजगार पैदा करने में सक्षम हो सकें। यह भी सरकार की ही योजना है। माननीय मंत्री ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि वह ऋण जमा-अनुपात की समस्या का समाधान कैसे करने जा रहे हैं।

मेरे जिले हुगली में, जो कृषि और औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिला है, ऋण जमा अनुपात केवल 18-20 प्रतिशत है। वर्ष 1993 में, मेरे जिले के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1100 करोड़ रुपये जुटाए। ऋण कितना दिया गया? उन्होंने केवल 127 करोड़ रुपये के ऋण दिए थे। यह एक ऐसे जिले की बात है जिसे देश के विकसित जिलों में से एक माना जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे देश के कुछ अन्य भागों में ऋण-जमा अनुपात बहुत अधिक है। कुछ पूर्वी राज्यों में ऋण जमा अनुपात इतना कम है कि बैंकर परियोजनाओं, विशेष रूप से राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधान मंत्री रोजगार योजना जैसी परियोजनाओं का वित्त पोषण नहीं कर रहे हैं। अतः उन्हें बैंकों से वित्त प्राप्त करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के पास यह जानकारी है और यदि उनके पास यह जानकारी है तो वह इस सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करें।

श्री मुरासोली मारान : माननीय सदस्य का कहना सही है। जब हमने प्रधान मंत्री रोजगार योजना और अन्य छोटी रोजगार परियोजनाओं की समीक्षा की तो यह पता चला कि पश्चिम बंगाल में इस सम्बन्ध में अच्छा कार्य नहीं हो रहा है। वहां लीड बैंक यूनाइटेड कामर्शियल बैंक है। हमने पश्चिम बंगाल में इन कारणों का पता लगाने हेतु कहा है कि पश्चिम बंगाल और कुछ पूर्वी राज्यों में इस सम्बन्ध में अच्छा कार्य क्यों नहीं हो रहा है। हमने यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया है और वित्त मंत्रालय से भी आगे जांच कराने और समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति जी, सबसे पहले मैं इस बिल पर जो रिजोल्यूशन लेकर आया था, माननीय सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की है, उसके लिए मैं सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से घुल-मिलकर जवाब दिया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मूल प्रश्न मेरा यह था कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को किस प्रकार से खत्म किया जाए। दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि देश के अंदर लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों की स्पर्धा से किस प्रकार से बचाया जा सके। मेरा तीसरा प्रश्न यह था कि मार्केटिंग, बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्थाएं, लघु उद्योगों के क्षेत्र में किस प्रकार से की जाए। मेरा चौथा प्रश्न यह था कि कर्मकार कारीगर जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में मैंने बोला था, क्या ऐसे बैंकों की स्थापना भारत सरकार करेगी? मेरे चार-पांच मूल प्रश्न थे। जिस तरह से यूनाईटेड फ्रंट 13 दलों की मिली-जुली सरकार है, माननीय मंत्री जी ने उसी प्रकार से मिला-जुला जवाब अपनी भाषा में दे दिया है, मैं उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।

मेरा पहला प्रश्न यह था कि लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार से बचाया जाए। इस पर मंत्री महोदय ने टाल दिया कि श्रम मंत्रालय का मामला है। यदि श्रम मंत्रालय का मामला है तो श्रम मंत्री को यहां पर रहना चाहिए था। प्राइवेट मेम्बर्स बिल है, इस पर मेरा विशेष अधिकार है। श्रम मंत्री जी को यहां पर रहना चाहिए था। आपने तो यह कहकर टाल दिया कि इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, इस उत्तर से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं।

हमारे देश के अंदर पांच करोड़ बेरोजगार लोग सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं। भारत सरकार क्या कर रही है? 75 लाख बेरोजगार नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने रोजगार दफ्तरों में अपने नाम दर्ज करवा रखे हैं और मंत्री जी ने मिला-मुला जवाद दे दिया, मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। आखिर मैं बिल लेकर आया था। मुझे जवाब मिलना चाहिए था। श्रम मंत्री जी के ऊपर बात टाल कर रख दी, इसके लिए जवाब कौन देगा? आप जम्मू-कश्मीर की पोजीशन देखिए। जो बेरोजगार नौजवान हैं, वे बी.ए., एम.ए. करके डिग्री लेकर आते हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? इसके लिए हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि दुनिया भर में तमाम लोग हाथ में बंदूक लेकर घूम रहे हैं, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? प्रधान मंत्री जी कह रहे थे, मैं उनकी बात

से भी संतुष्ट नहीं हूं। पूर्व प्रधान मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने पांच साल तक सरकार को चलाया और इस देश के अंदर तमाम प्रधान मंत्री बने हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया भर की योजनाएं बनाकर करोड़ों-अरबों रुपया इस देश को दिया। क्या आप ऐसी कोई समिति नहीं बना सकते कि जिस राज्य सरकार को आपने बीस करोड़, बीस अरब रुपया दिया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस बात को कहा था कि 85 प्रतिशत पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है और केवल 15 प्रतिशत पैसा ही रह जाता है। क्या आप एक समिति नहीं बना सकते? आपको इसके लिए भी एक समिति बनानी चाहिए थी। अभी उड़ीसा के लिए आपने करोड़ों रुपया दिया हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं जानना चाहता हूं कि धारा 356 के लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदारी को क्यों टाल देते हैं? यह जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की है। धारा 356 के लिए तो आप तैयार हैं और जो करोड़ों रुपया भारत सरकार दे रही है और राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया कि जाइये और भ्रष्टाचार करिए।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : क्या वह संकल्प पर बोल रहे हैं? ...**(व्यवधान)** महोदय, यह क्या है? ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री कठेरिया, कृपया संकल्प पर बोलें।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : हां, मैं रिजोल्यूशन पर आ रहा हूं।

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : इससे बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। वह इसीलिए इस बात का उल्लेख कर रहे हैं।

सभापति महोदय : अनुच्छेद 356 से बेरोजगारी का कुछ लेना-देना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : जम्मू-कश्मीर की बात है, आन्ध्र प्रदेश की बात है, असम में भी यही हो रहा है। यह मेरा विशेषाधिकार है। आज मुझे बोलने का मौका दिया है, इसीलिए मैं कहता था कि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, कैसे काम होगा? मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट 20 लाख लोगों का रिप्रेजेन्टेशन करता है और देश की जनता उसकी ओर टकटकी लगाए हुए देख रही है कि इस सरकार में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं। एक जगह तो नाली में घी बह रहा है और एक जगह बेरोजगार लोग सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं, रोजी-रोटी के लिए तरस रहे हैं, केवल दाल का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। एक जगह अरबों रुपया घोटालों में जा रहा है और दुनिया भर के स्कैंडल हो रहे हैं और एक तरफ बेराजगार युवक सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की है। इस संबंध में 42 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनको सोचना चाहिए था और सोच-समझकर इस बिल पर अपना आश्वासन देते और अगर अभी नहीं तो अगले सैशन में बिल लेकर आते। लेकिन मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। पूरे देश के अंदर आज बेराजगारी बढ़ती जा रही है। अब वह समय आने वाला है कि अगर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी तो देश के बेरोजगार नौजवान हम लोगों को सड़कों पर खींच लेंगे।

यद्यपि हमारी तथा आपकी भावना एक ही है। ...**(व्यवधान)** अब मैं आपको बेरोजगारी की तरफ ही लेकर जा रहा हूं। हमने कहा था कि देश के अंदर संविधान में संशोधन करें और संशोधन करने के बाद सर्वसम्मति से रोजगारी को मौलिक अधिकार बनाया जाए। लेकिन उस संबंध में भी मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया।

मेरा प्रश्न यह भी था कि छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार से बचाया जाए। मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया।

आज मल्टी-नेशनल कम्पनियां हिन्दुस्तान के अंदर आ रही हैं। बीकानेरी भुजिया और चिप्स तक ये मल्टी-नेशनल कंम्पनियां बना रही हैं, बेचारे लघु उद्योग क्या करेंगे? ये लघु उद्योग किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा में इन बड़ी कम्पनियों से जीत पाएंगे जबकि ये सब चीजें हमारे देश के लघु उद्योग बना सकते हैं। जितने भी छोटे उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं, वे सब इन चीजों का उत्पादन कर सकते हैं।

आज आप बड़ी-बड़ी कंपनियों को मान्यतायें दे रहे हैं। मैं पूछता हूं, ये मान्यतायें आप क्यों दे रहे हैं? मैंने इस बात को पहले भी कहा था, जब तक सत्ता में बैठे लोगों के दिमाग में यह छवि नहीं बनेगी कि ये मान्यतायें गलत हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आज यही बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज इलैक्शन के दौरान एक दल को पांच करोड़ और दूसरे दल को दस करोड़ देती है। जब यह स्थिति है, तो आप भ्रष्टाचार को किस प्रकार रोक पायेंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार बच सकेंगे। इस बारे में मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं, आप लघु उद्योगों का आंकलन करें और एक समिति बना कर उसकी मोनिटरिंग करें तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में बड़े उद्योगों के प्रवेश पर निषेध लगायें। मैं समझता हूं कि जब यह स्थिति होगी, तब ही लघु उद्योग जीवित रह सकता है और अपना माल बना कर मार्केट में बेच सकता है। मैं पूछता हूं कि लघु उद्योग किस बात से कम हैं, इस बारे में भी मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है कि बड़े उद्योगों का प्रवेश लघु उद्योगों में नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लघु उद्योग देश के अन्दर 45 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है और उसका 65 प्रतिशत निर्यात कर रहा है। इतना होने पर भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे मित्र ने कहा कि जब कोई व्यक्ति लघु उद्योग लगाना चाहता है, तो लगाने के समय शुरू में उसका विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार दोहन किया जाता है। जब वह बैंक के पास जाता है, तो उसका दोहन किया जाता है। इसी प्रकार जब वह बिजली विभाग में

जाता है, तो उसका दोहन किया जाता है। मंत्री महोदय ने बताया था कि देश में 26 लाख लघु उद्योग है, जिनमें से तीन लाख लघु उद्योग आज बीमार पड़े हुए हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं कह रहा हूं। ये आंकड़े भारत सरकार के आंकड़े हैं और देश मे बेरोजगारी की फौज सड़कों पर मारी-मारी फिर रही है। मैं पूछता हूं, सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है? मैं भी स्टेंडिंग कमेटी में हूं, इस सवाल को मैंने वहां पर भी उठाया था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं कहता हूं कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर बेरोजगारी मिट सकती है और यह क्षेत्र 65 प्रतिशत निर्यात कर रहा है। जो क्षेत्र 20 प्रतिशत निवेश करता है, उसमें 95 प्रतिशत रोजगार मिलता है और जो क्षेत्र 95 प्रतिशत निवेश करता है, उसके अन्दर 20 प्रतिशत रोजगार मिलता है। इस समय सदन में भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी भी बैठे हैं, उन्होंने कहा था, जब तक देश के अन्दर लघु उद्योगों का जाल नहीं बिछाया जाएगा, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं यह पूछना चाहता हूं, इस बात पर कितना अमल किया गया? देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चल रही है, लेकिन इस योजना में भी काफी भ्रष्टाचार है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों को लाभार्थी होना चाहिए, उनको लाभ नहीं मिलता है। दुनिया भर का भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है। दो हजार या चार हजार जितना भी मिल जाए, कागज पास कर दिया जाता है और उसमें पचास प्रतिशत घूस ले लेते हैं। बैंक वाले अलग ले रहे हैं, बिजली विभाग के लोग अलग ले रहे हैं। जब यह स्थिति है, तो लघु उद्योग कैसे पनप सकता है।

महोदय, मैं जिस क्षेत्र से चुकर आया हूं, फिरोजाबाद हिन्दुस्तान के अन्दर ही नहीं बल्कि विश्व के अन्दर कांच और गिलास के काम से प्रसिद्ध है। जब मैंने उस क्षेत्र की एक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में 3500 रुपए प्रति घनमीटर के हिसाब से गैस दी जा रही है और हमको 500 रुपए प्रति घन-मीटर के हिसाब से गैस दी जा रही है, तो मुझे उसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मैं बताना चाहता हूं कि घर-घर में इस प्रकार का काम हो रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री कठेरिया, संकल्प पर चर्चा के लिए केवल 43 मिनट आवंटित हैं। हमने संकल्प पर पहले ही दस घंटे चर्चा कर ली है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना भाषण यथाशीघ्र समाप्त करें। आपको कितने अधिक समय की आवश्यकता है। आपको बोलने के लिए दिया गया समय समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : चेयर की मर्यादा और हाउस की मर्यादा को ध्यान मे रखकर मैं अपनी बात शीघ्र समाप्त करूंगा। अगर मेरे साथ न्याय किया गया होता तो मैं क्यों अपनी बात रखता। जब सारे देश में 35 सौ रुपये प्रति हजार घन मीटर गैस दी जा रही है तब फिरोजाबाद के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इस बात का जवाब पैट्रोलियम मिनिस्टर से हमें मिलना चाहिए था जो हमें नहीं मिला है।

सभापति महोदय, आज गांवों से जो पलायन शहरों की ओर हो रहा है उसका कारण बेरोजगारी है। गांव में अगर आज कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योग होते तो इतनी बड़ी मात्रा में गांवों से शहरों की ओर पलायन नहीं होता, न ही शहरों में इतना पोल्यूशन होता। आज दिल्ली का स्थान पोल्यूशन के मामले में तीसरा या चौथा है। दिल्ली में आज प्राणघातक बीमारियां क्यों पैदा हो रही हैं। इसका कारण यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और वे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांवों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, किसी चीज की भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए भारी मात्रा में पलायन हो रहा है। मेरे जो भी पॉइंट थे उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जिससे मुझे कुछ संतुष्टि हो सके, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। मंत्री महोदय मुझे अगर आश्वासन दें तो मैं चेयर के आदेश के अनुसार अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि आने वाले सेशन में भारत सरकार ऐसा बिल लेकर आए जिससे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। जिस क्षेत्र में लघु उद्योग हों उस क्षेत्र में बड़े उद्योगों का प्रवेश निषेध हो। ऐसा कोई आश्वासन अगर मंत्री जी देते हैं तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जितना कहा गया है उससे मुझे संतोष नहीं है। अब तक कागजों में अरबों रुपया सरकार इन कामों के लिए देती रही हैं लेकिन फिरोजाबाद में कुछ नहीं होता है।

श्री मुरासोली मारान : सभापति महोदय, इन बातों की ओर ध्यान दिलाने के लिए मैं माननीय सदस्य का एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। मैंने उन्हें फिरोजाबाद को गैस की आपूर्ति के बारे में स्पष्ट रूप से पहले ही बता दिया है। मैंने एक दम स्पष्ट कर दिया है कि यह उन लोगों के लिए सस्ती होगी क्योंकि अभी कोयला भट्ठा का प्रयोग करके कांच को पिघलाने में प्रति इकाई 4,050 रुपये खर्च आ रहा है और अगर वे गैस का प्रयोग करते हैं तो कांच को पिघलाने में प्रति इकाई वास्तविक खर्च केवल 2805 रुपये आएगा। अतः उन्हें अंततः फायदा ही होगा।

परंतु, मेरे विचार से, उनके सामने एक समस्या है कि उन्हें एक नई भट्ठी लगानी पड़ेगी। उन्हें कोयला भट्ठी की जगह गैस भटटी लगानी होगी। इसकी लागत करीब 15 लाख से 20 लाख रुपये तक होगी।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सभापति महोदय, भारत सरकार जब किसी चीज का फैसला करती है तो किसी विशेष उद्योग के लिए या किसी विशेष जिले के लिए वह नहीं होता है, वरन् वह सारे देश के लिए होता है, तो वह फिरोजाबाद के लिए लागू क्यों नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारान : मुझे खेद है कि मैं अपनी बात को अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया हूं। यदि यह क्षेत्र एच.बी.जे. मुख्य लाइन के रास्ते में आता है तो लागत कम आएगी। परन्तु अगर गैस को फिरोजाबाद ले जाना है तो हमें 92 कि.मी. का चक्कर लगाना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त उन्हें अलग-अलग वितरण लाइनों का भी निर्माण करना पड़ेगा। इनकी लागत करीब 130 करोड़ रुपये आएगी। इसीलिए, उन्हें अधिक प्रभार लगाना पड़ेगा।

अब प्रश्न कोयले की भट्टी की जगह गैस की भट्टी का उपयोग करने का है...

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, प्रश्न यह नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : मंत्री महोदय, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि पहले आप मेरे प्रश्न को समझ लें। भारत सरकार जो भी फैसला करती है वह सारे देश के लिए होता है, न कि किसी विशेष उद्योग के लिए होता है। 3500 रुपये प्रति हजार घन मीटर जब सारे देश में स्माल स्केल इंडस्ट्री को गैस मिल रही है तो फिरोजाबाद में साढ़े पांच हजार रुपये पर क्यों मिल रही है।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारान : मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यह मुख्य लाइन पर नहीं है। उन्हें 92 कि.मी. का चक्कर लगाना पड़ेगा। फिर उन्हें अलग-अलग लाइनें भी लेनी हैं। इसी वजह से यह महंगी पड़ेगी। अतः, यह एक समान नीति है।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : इसका क्लैरिफिकेशन कर दें।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : मंत्री महोदय, पहले आप इस सभा को स्पष्ट करें कि क्या सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या के बारे में चिंतित है?

श्री मुरासोली मारान : यह एक अलग मामला है।

श्री अनिल बसु : वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक विशेष समस्या के बारे में बोल रहे हैं। संकल्प क्या है? संकल्प देश की बेरोजगारी समस्या के बारे में है। अगर आप इसको स्पष्ट करें तो अच्छा होगा।

श्री मुरासोली मारान : जी हां, मैं इसको स्पष्ट करूंगा। मैंने अपने मुख्य उत्तर में भी स्पष्ट कर दिया है। फिर भी मैं स्पष्ट करूंगा। हमारे सामने बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। यह कोई नई समस्या नहीं है जो आज या कल पैदा हुई हो। महोदय, हमने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में एकदम स्पष्ट कर दिया था कि हमें सकल घरेलू उत्पाद के सात प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि दर का लक्ष्य रखना होगा और हमारी आगामी पंचवर्षीय योजना अर्थात नौवी पंचवर्षीय योजना में, जिसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है, रोजगार उपलब्ध कराने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इन्हीं बातों को मैं स्पष्ट करना चाहता था। इस मामले पर उनका किससे मतभेद है? इसमें कोई मतभेद नहीं है।

सभापति महोदय : उन्होंने सामान्य उत्तर दे दिया है, श्री कठेरिया।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : यह टालने वाली बात है। सदस्यों की यह भावना थी कि भारत सरकार इस पर विचार करे ...**(व्यवधान)** वह पीड़ा आप समझते हैं और आप मेरी बात से सहमत होंगे ...**(व्यवधान)**

इसमें एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 6 अगस्त 1991 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भावावेश में मनमोहन सिंह जी ने घोषणा की थी कि स्माल स्केल सैक्टर से इंसपैक्टर राज खत्म कर दिया जाएगा, जबकि वह अभी भी मौजूद है। लघु उद्योगों में इंसपैक्टर राज होने की बात से एक-एक माननीय सदस्य सहमत होगा। आज भी लघु उद्योगों पर इंसपैक्टर राज लागू है। उन्हें 63 इंसपैक्टरों से गुजरना पड़ता है। वहां 30 से 55 परसैंट घूसखोरी चलती है। बड़े-बड़े उद्योग तो खुलते जा रहे हैं लेकिन लघु उद्योगों की छाती पर इंसपैक्टर राज बिठा दिया गया है। ऐसे में लघु उद्योग कैसे प्रतियोगिता में खड़े हो पाएंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं, परंतु समय बहुत कम है।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भारत सरकार को देखना चाहिए। हमारे यहां कई स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। आज तीन लाख बीमा उद्योग हैं। मंत्री जी हमें यह आश्वासन दें कि वह उसे देखेंगे और लघु उद्योगों से इंस्पैक्टर राज को खत्म कर देंगे। उन्हें इनमें से किसी एक प्रश्न का जवाब देना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अपनी मुख्य बात कहें और समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अगर आप आदेश करेंगे तो मुझे आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा।

एक और आश्वासन मंत्री महोदय को देना चाहिए कि वह नैक्सट सैशन में बेरोजगारों के लिए एक बिल लाएगी। इसके सम्बन्ध में भारत सरकार क्या विचार कर रही है और बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है, सदन इस बारे में सर्वसम्मति से कुछ डिसाइड करे। यहां दुनिया भर की समस्याएं फैल रही हैं। वह उनसे उबर कर मैदान में आ सके जिससे हमारी अच्छी छवि बन सके, ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। देश का बेरोजगार नवयुवक हमारे ऊपर नजर लगाए बैठा है कि हम बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। वे बेरोजगारी की हालत में कैसे जी पाएंगे। सरकार इस बारे में कुछ आश्वासन दे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हां, काफी है। आपने समाप्त कर दिया है। आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया है। अतः, अब आप समाप्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मुझे इस बारे में कुछ तो आश्वासन मिल जाए। 5-6 क्वश्चन्स में से एक क्वशचन का तो जवाब मिलना चाहिए। तभी हमें संतुष्टि मिल पाएगी। आप हमें जो आदेश करेंगे, हम उसका पालन करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने आपकी समस्या, अर्थात कांच उद्योग को गैस की आपूर्ति के बारे में जवाब दे दिया है। उन्होंने कम से कम जिले के बारे में तो जवाब दे ही दिया है। वैसे उनका कहना है कि यह एक आम समस्या है।

श्री मुरासोली मारान : मैं आगामी बजट, जो कि फरवरी में आने वाला है, के बारे में कुछ नहीं कह सकता। लघु उद्योग क्षेत्र के बारे में, मैं एक आश्वासन दूंगा। हम डा. आबिद हुसैन समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक महीने के अंदर रिपोर्ट आने वाली है। अतः रिपोर्ट मिलने के पश्चात हम लघु उद्योग क्षेत्र और 'टाइनी' क्षेत्र के लिए एक बडे संवर्द्धनात्मक पैकेज की घोषणा करेंगे।

सभापति महोदय : जी नहीं, मंत्री महोदय। उनका निवेदन उचित और महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि लघु उद्योग क्षेत्र इंस्पेक्टर राज के क्षेत्र से गुजर रहा है। वह चाहते हैं कि इन सभी चीजों की जांच की जाए।

श्री मुरासोली मारान : हम इंस्पेक्टर राज की जांच कर रहे हैं। इसको समाप्त करना होगा। परंतु हम उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब हमने एक समिति का गठन किया है और अगर समिति उसकी जांच कर रही है तो फिर हम किस प्रकार टुकड़ों-टुकड़ों में उस कार्य को कर सकते है? हमें रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी होगी।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री कठेरिया, अब आप संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी समस्या को समझ लिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सभापति, महोदय, मैंने आपकी बात मान ली और मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूं लेकिन यह जरूर कहूंगा कि अगस्त, 199। में कांग्रेसी सरकार ने जो फैसला लिया था, उसको फाइनल जरूर कर देना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब उन्हें इसकी जानकारी हो गई है। कृपया आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री मुरासोली मारान : मैं उनसे संकल्प वापस लेने का अनुरोध करता हूं। यही सभा की आम राय है।

सभापति महोदय : श्री कठेरिया, क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सभापति महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि यहां इस सदन में माननीय सदस्य बैठे हुये हैं और मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि अगल सैशन तक इस आश्वासन का परिपालन होना चाहिये। इस उम्मीद के साथ मैं अपने संकल्प को वापिस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

संकल्प को, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अपराह्न 4.46 बजे

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

नई कृषि नीति

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह भारतीय कृषि और कृषकों के हितों की रक्षा करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई 'कृषि नीति' बनाये।"

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय कृषि मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृषि मंत्रालय में पशु पालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, यहां पर कृषि मंत्री जी नहीं हैं। उनको उपस्थित रहना चाहिए क्योंकि कृषि मे संबंधित न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी है।

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों के सुझाव सुनने के लिए, नोट करने के लिए और उत्तर देने के लिए मैं उपस्थिति हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध हैं। वह चर्चा का उत्तर देंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत : यह कृषि का ही एक भाग है।

श्री अनिल बसु : महोदय, दसवीं लोक सभा में नई कृषि नीति पर चर्चा हुई थी। उसकी घोषणा श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा की गई थी। वर्ष 1992 में नई कृषि नीति की घोषणा की गई थी जोकि नई आर्थिक नीति की ही उपज है। एक नई कृषि नीति तैयार करना क्यों आवश्यक था? यह प्रश्न सभा के विभिन्न वर्गों से पूछा जा सकता है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री बसु, हस्तक्षेप के लिए मुझे खेद है। संकल्प के लिए कुल दो घंटे का समय निर्धारित है। हमारे पास अभी पांच वक्ता और हैं और कुछ अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं। अतः, आप निर्धारित समय सीमा के अंदर ही बोलें।

श्री अनिल बसु : महोदय, यह समय गैर-सरकारी संकल्पों के लिए निर्धारित है। मैंने प्रस्ताव किया है। इस सभा में यह परम्परा रही है कि प्रस्तावक को अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाता है। मेरा यह निवेदन है कि यह हमारे देश और हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः यदि सभा के विभिन्न वर्गों से सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : हां, उन्हें अनुमति दी जाएगी।

श्री अनिल बसु : देश के विकास के संबंध में समय सीमा रूकावट नहीं होनी चाहिए। अध्यक्षपीठ से मेरा यह निवेदन है।

महोदय, श्री पी.वी. नरसिंह राव की सरकार द्वारा 1992 में नई कृषि नीति की घोषणा की गई थी। उस समय मैं भी दसवीं लोक सभा का सदस्य था। हमने उस नई कृषि नीति का पुरजोर विरोध किया था क्योंकि यह अधिकांश कृषकों, छोटे, सीमांत और मध्यम किसानों के हितों के विरुद्ध थी। नई कृषि नीति का मुख्य जोर भारतीय किसानों के एक बहुत छोटे भाग-कृषक वर्ग के उच्च स्तर - मुख्यतः जमींदारों और धनी किसानों के हितों की रक्षा करने पर था। अतः 1992 में घोषित नई कृषि नीति देश के हितों के लिए हानिकर थी। इसके अतिरिक्त, 'गैट' समझौते और विश्व व्यापार संगठन के गठन के पश्चात यह नीति भारतीय कृषि और भारतीय कृषकों को बहुराष्ट्रीय निगमों के तेज अभियान के विरुद्ध बचाने में असफल रही है। अतः उक्त कृषि नीति भारतीय किसानों के एक छोटे से वर्ग को अर्थात बड़े किसानों और जमीदारों को अस्थायी लाभ पहुंचाएगी, परंतु बाकी के किसान एकदम बरबाद हो जाएंगे। अधिकांशतः यही किसान खेतों में काम करने वाले होते हैं।

श्री पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा 1992 में घोषित यह नई कृषि हमने उस नई कृषि नीति का हमारे अनुसंधान प्रयासों और आत्म-निर्भरता के लक्ष्य में भी रूकावट डालेगी। अंततः, हम एक कर्जदार की स्थिति में पहुंच जाएंगे - बनाना रिपब्लिकों जैसे कर्जदार, जैसा कि हमें इतिहास से भी पता है। हमारे देश में केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होगा जिनकी विकसित देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों को कच्चे माल के रूप में आवश्यकता होगी और इसका उपयोग भी उसी देश के लोगों द्वारा किया जाएगा। हम केवल इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन ओर इन्हें उन देशों को कोड़ियों के भाव बेचने के लिए बाध्य होंगे। इससे हमारे देश में गरीबी बरकरार रहेगी और बाद में हमें अपनी आर्थिक और राजनैतिक प्रभुसत्ता के साथ समझौता भी करना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त, कैट समझौते से व्यापार और शुल्क नियंत्रण समाप्त हो जाएंगे तथा इसका कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से पूर्व सरकार की कृषि नीति उस सरकार द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति के अनुरूप तैयार की गई थी।

एक माननीय सदस्य : इससे हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है।

श्री अनिल बसु : यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। इससे हमारी कृषि के विकास, फसल ढांचे, निर्यात, आयात, निवेश आदि पर प्रभाव पड़ता अवश्यंभावी है।

विश्व व्यापार संगठन और गैट के चार महत्त्वपूर्ण पहलू या नये घटक नामतः (1) देशीय सहायता; (2) बाजार में प्रवेश; (3) निर्यात प्रतिस्पर्द्धा; और (4) बौद्धिक सम्पदा अधिकार। गैट के इन चारों पहलुओं से हमारी कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। 1992 की कृषि नीति गैट समझौते और विश्व व्यापार संगठन के गठन के बाद उभरे परिदृष्य के अनुरूप खरी उतरने में असफल रही है। अतः मैं इस सभा में यह पुरजोर सिफारिश करता हूं कि पूर्व कृषि नीति को पूरी तरह रद्द मानकर नई कृषि नीति तैयार की जाए और स्वीकार की जाए।

महोदय, मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह सभा में एक व्यापक नई कृषि नीति प्रस्तुत करें जो बहु-राष्ट्रों के आक्रमण के विपरीत भारतीय कृषि और कृषकों को सरंक्षण प्रदान करें। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह इस सभा के समक्ष ऐसी व्यापक कृषि नीति प्रस्तुत करे जिससे उत्पादन और उत्पादकता बढ़े, जो हमारे देश के अधिसंख्य किसानों में समृद्धि लाए और जिससे कृषि उद्योगों और कृषि-प्रस्संकरण एककों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा कर सके। किन्तु ये कृषि प्रसंस्करण एकक और कृषि उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ही न दिये जाएं जिससे कि वे हमारे कृषि क्षेत्र में घुसपैठ करके हमारी पूरी कृषि परिसम्पत्तियों और पूरे कृषि उत्पादक को न लूट सकें। ये कृषि उद्योग और कृषि प्रस्संकरण एकक, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जिनसे हमारे लाखों ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा, अतः इनमें सरकारी और सहकारी क्षेत्र द्वारा निवेश किया जाए जिससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

महोदय, जैसा कि आपने कहा भी है, अतः मैं अपनी बात संक्षेप में और इसी विषय तक सीमित रखूंगा। मैं प्रस्तावित नई कृषि नीति की केवल रूपरेखा के बारे में ही बात करूंगा। जैसा कि आप अच्छी

तरह जानते हैं, भूमि के अलावा कृषि का विकास सिंचाई और अन्य आदानों जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण ऋण, मूल्य और विपणन पर निर्भर करता है। ये सब महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनपर कृषि का विकास निर्भर करता है। लेकिन अब तक हमने क्या किया है?

मेरा प्रस्ताव यह है कि नई कृषि नीति का मुख्य दल भूमि से लेकर विपणन तक समाप्त होने वाले सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि हम अपने देश की खुशहाली चाहते हैं और भारत के करोड़ों ग्रामीण लोगों को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो हमें इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा।

भूमि के प्रश्न पर, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। स्वतन्त्रता से पूर्व, भूमि जमींदारों से संबद्ध थी। स्वतन्त्रता के संग्राम में, हमारे कृषक-वर्ग ने देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया और वे देश की आजादी के लिए अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध वीरता से लड़े। उस समय राष्ट्रीय नेताओं ने कृषक-वर्ग को आश्वासन दिलाया था कि जो उस समय के काश्तकार थे; उन्हें **जमीदारों** की जमीदारी प्रथा के बंधनों से मुक्त कर दिया जायेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? चालीस के दशक के बाद क्या हुआ, जब देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई विद्रोह हुए, विशेषतया कृषक वर्ग में विद्रोह हुए थे। महोदय, आपको याद होगा कि बंगाल में ऐतिहासिक कृषक विद्रोह हुआ था जो **तेभागा** आंदोलन के नाम से जाना गया था, जिसमें लाखों कृषक वर्ग ने 'उत्पादन में तीन-चौथाई हिस्सा' का नारा लगाया था। वे अपने खेतों, अपने क्षेत्रों में उपज बढ़ाना चाहते थे और वे उत्पादन का तीन-चौथाई हिस्सा चाहते थे। उस ऐतिहासिक संग्राम में लाखों कृषकों ने हिस्सा लिया था। मेरे जिले में भी पांच ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस की गोलियों का सामना किया था और इसके लिए अपने प्राणों का बलिदान किया।

वर्तमान आंध्र प्रदेश के तेलगांना क्षेत्र में निजाम शासन भी था।

अपराह्न 5.00 बजे

तेलगांना के कृषकों ने निजाम शासन के बंधनों से स्वयं को मुक्त कराने के लिए निजाम के कुशासन के विरुद्ध वीरता से संघर्ष लड़ा। महोदय, तेलगांना संघर्ष के इतिहास ने सिद्ध किया है कि भारतीय कृषक-वर्ग अपने अधिकारों के लिए लड़े, लेकिन उन्हें अधिकार देने से मना किया गया था। उन्हें उचित अधिकार देने की बजाए, उन्होंने गोलियों का सामना किया और जेल गए तथा उन्हें फांसी पर लटकाया गया। महोदय, स्वतन्त्रता के बाद महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश में सब जगह कृषकों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यह संघर्ष जमीदारों और उस समय के शासकों के विरुद्ध था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ है? उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि उनके द्वारा जोती जा रही भूमि पर उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ?

स्वतन्त्रता के बाद उस समय कांग्रेस सरकार द्वारा शासन चलाया जा रहा था। वे विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार संबंधी कानून लाए और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की; लेकिन उन कानूनों में इतनी अधिक खामियां थी कि सरकार कृषकों को, जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, कोई भी भूमि वितरित के लिए उपलब्ध नहीं करा सकी थी। यह केवल एक चालाकी थी। यह हमारे देश के कृषकों की आखों में धूल झोंक कर उनके सही अधिकार प्राप्त करने से रोकना था। जो हम देखते वह यह है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् तात्कालिक प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रसिद्ध सांख्यिकीविद् प्रशांतो महालानाबिस को अतिरिक्त भूमि की गणना करने हेतु नियुक्त किया, जिसको कि वितरण करने हेतु सरकार को उपलब्ध कराया जा सके। प्रशांतो महालानोबिस समिति रिपोर्ट ने क्या अध्ययन तथा सिफारिश की थी? समित ने सरकार से सिफारिश की थी कि छः करोड़ एकड़ भूमि सरकार को उपलब्ध कराई जा सकती है जो चकबन्दी कानून लागू करने के बाद फालतू थी। चंकबंदी कानून का अर्थ है कि भूमि की वह मात्रा जिसे जमींदार भूमिपति, मालिक अपने पास रख सकते हैं और वह अतिरिक्त भूमि मुआवजा देने के बाद सरकार द्वारा अधिकृत की जा सकती हो। अतः प्रशांतो महालानोबिस समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार भूमि की यह मात्रा को वितरित करने हेतु राज्य सरकारों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ? आज हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पचास वर्षों के बाद भी भूमि सुधार को अनदेखा किया गया है। कोई भी भूमि सुधार कानून को लागू करने में रूचि नहीं लेता है जबकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान आप इस बात का वचन दिया था। आपने अपनी बात से पीछे हट गये हैं और आपने अपना वायदा पूरा नही किया है। लोग दिल्ली से शासन चला रहे है और कांग्रेस शासित विभिन्न राज्य भूमि सुधार को लागू करने में रूचि नहीं ले रहे थे। इसीलिए भूमि सुधार कार्य आज तक पूरा नहीं किया गया है।

महोदय, आप जानते हैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के गठन के बाद न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में भूमि को कुछ महत्व दिया गया है।

लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि देश के विभिन्न भागों में भूमि सुधार राज्य में शासन कर रही राजनैतिक पार्टी की राजनैतिक इच्छा की कमी के कारण लागू नहीं हो सका। पश्चिम बंगाल में हमने भूमि सुधार को काफी लगन से लागू किया है। चूंकि सयुंक्त मोर्चा सरकार के गठन...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : हमने इसे केरल में काफी पहले लागू किया था।

श्री अनिल बसु : मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। 1958 में केरल में भी नाबूदरीयाद सरकार सत्ता में आई थी। इसलिए केरल का कुछ इतिहास और परम्परा है। महोदय, इन क्षेत्रों में जहां वामपंथी और समाजवादी पार्टियां सोच रही हैं यह दिशा परिवर्तन है। इसलिए इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि भूमि सुधार कार्य को गंभीरता से लागू किया गया है। पश्चिम बंगाल में हमने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जाति और कृषक-वर्ग के गरीब तबके को 13 लाख एकड़ भूमि वितरित की है।

लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ लाख एकड़ भूमि वितरित नहीं की जा सकी क्योंकि इस पर उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों ने रोक लगा रखी है। इस प्रकार भूमि सुधार केन्द्रीय कार्यसूची का मुद्दा है। यह कृषि नीति के लिए केन्द्रीय कार्यसूची का विषय होना चाहिए। लेकिन कृषि नीति 1992 में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है। भूमि सुधारों को अलविदा कर दिया गया है। सभी आ रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं और वे लोगों से कह रहे है; हमें भूमि दें, हम उस पर पौधरोपण, मत्स्यन, समुद्री उत्पाद खाद्य, झींगा मछली आदि का उत्पाद करेंगे। निवेश के नाम पर वे भारत के लाखों लोगों का जीवन और उनकी आजीविका छीन रहे हैं। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, लाखों मछुआरे अपनी आजीविका नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि अधिकांश तटीय क्षेत्र बड़ी कम्पनियों और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को पट्टे पर दे दिए गए हैं। परम्परागत मछुआरे को जो शताब्दियों से समुद्र के किनारे रह रहे हैं और अपनी आजीविका कमा रहे हैं। उन्हें अपने जीवनयापन और आजीविका से वंचित कर दिया गया है। इस तरह, भूमि सुधारों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। भूमि सुधारों से न केवल कुछ कृषकों को कुछ भूमि मिलती है बल्कि भूमि सुधार एक ऐसी प्रक्रिया भी है जिसके माध्यम से आप लोगों में क्रय शक्ति का भी सृजन कर सकते हैं। आप लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। आप उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। गत दो-तीन वर्षों में चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हुआ है। हमने पंजाब और हरियाणा को भी पछाड़ दिया हैं। क्यों? छोटे-छोटे जोत-क्षेत्र पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हैं। भूमि के लगभग 65 प्रतिशत पर उन किसानों का अधिकार है जिनके छोटे-छोटे जोत-क्षेत्र हैं। कुछ लोग और विशेषज्ञों का यह कहना है कि छोटे-छोटे जोत-क्षेत्र उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते और इनसे उत्पादकता में वृद्धि नहीं की जा सकती है। जबकि, हमने अपने अनुभव से पश्चिम बंगाल में यह देखा है कि धान और गन्ने के 70 लाख टन से, हमने इनका उत्पादन बढ़ाकर 1,20,000 टन तक कर दिया है। हमने लोगों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि की है।

महोदय, यह देश कांग्रेस पार्टी के कुशासन से पीड़ित है।

महोदय, आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय ऋण 3,50,000 करोड़ रुपए से भी आगे बढ़ गया है और हमें अपने राजस्व का 32 प्रतिशत इसके ब्याज के रूप में अदा करना पड़ता है। ऋण इक्विटी अनुपात 32 प्रतिशत है। जो सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत गंभीर स्थिति बन गयी है। हम इस ऋण के जाल में क्यों फसते जा रहे हैं? हमारे देश के लोगों की क्रय शक्ति इतनी कम क्यों है? इसका एक मुख्य कारक यह है कि परिश्रमी लोगों के पास भूमि नहीं है और इसलिए वे अपनी क्रय शक्ति नहीं बढ़ा सकते। किसी तरह हमने पश्चिम बंगाल में फालतू भूमि वितरित कर दी है और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। यहीं कारण है, हमे देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिकीकरण का वातावरण है। हम देखते हैं कि सम्पूर्ण देश में भूमि सुधारों की पिछले 15 वर्षों से उपेक्षा होती रही है और इनकी आज भी उपेक्षा हो रही है। अतः नई कृषि नीति का एक मुख्य बल भूमि सुधार लाने पर होना चाहिए।

अगला प्रश्न सिंचाई का आता है। आंकड़ों के अनुसार यदि आप एक एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकते हैं तो आप पूरे वर्ष यह सौ लोगों को रोजगार के लिए अवसर सृजित कर सकते हैं। अतः सिंचाई का अभिप्राय केवल उत्पादन नहीं है। एक फसल से आप तीन से चार फसल तक बढ़ा सकते हैं और इससे भी उसी तरह रोजगार सृजित होगा। अतः यदि आप इस देश में कृषि का विकास करना चाहते हैं तो सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। हमारे पास बड़ी-बड़ी नदियां हैं, और सतही जल हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस प्रकार का प्रचुर मात्रा में सतही जल विश्व में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यूरोप और अमरीका में, वर्ष में एक समय ऐसा आता है जब सम्पूर्ण भूमि बर्फ से ढकी होती है, और वहां आप कुछ भी नहीं उगा सकते। भारत एक विशाल देश है। हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, बड़े पर्वत, बड़ी नदियां, बड़ा सतही जल और भूमिगत जल है। लेकिन देश के विकास के लिए उचित परिप्रेक्ष्य में इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने और इन्हें अपने उपयोग में लाने के लिए समुचित आयोजना नहीं बनाई गई है।

आजकल क्या हो रहा है? यह नई आर्थिक नीति है जिसके श्री चेन्नितला बड़े चैम्पियन हैं...(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला : आप श्री ज्योति बसु के बारे में बात क्यों नहीं करते? वे इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं।

श्री अनिल बसु : मैं बाद में श्री ज्योति बसु के बारे में बोलूंगा। हम 'रिपब्लिक आफ वेस्ट बंगाल' नहीं हैं।

अब क्या हो रहा है? जल देश का प्राकृतिक संसाधन है और यह किसी एक व्यक्ति का संसाधन नहीं है। जब हम भूमि के स्वामित्व के बारे में बात करते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम जल के बारे में बात करते हैं तो यह सकरे देश का प्राकृतिक संसाधन है। अब क्या हो रहा है? यदि आपके पास धन है तो आप उस संसाधन का अपनी इच्छानुसार दोहन कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने आधा घंटा ले लिया है। मैं केवल आपको स्मरण करा रहा हूं।

श्री अनिल बसु : यह मेरा दूसरा मुद्दा है और मेरे पास अनेक मुद्दे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल आपको स्मरण कोरा रहा हूं। बस इतना ही।

श्री अनिल बसु : मेरा आपसे नम्र निवेदन है, महोदय, जो आप निर्णय करेंगे मैं उसका पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल आपको स्मरण करा रहा हूं। कृपया बोलते रहिए।

श्री अनिल बसु : सादर, महोदय, जो निदेश देंगे मैं उनका पालन करूंगा।

जहां तक सिंचाई के संसाधनों के उपयोग का सम्बध है जिसमें सतही जल और अवमृदा जल दोनों शामिल है, कृषि नीति 1992 तथा नई आर्थिक नीति का क्या प्रभाव है अथवा क्या जोर है।

यदि आपके पास पूंजी है और यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा से हमारे देश के सम्पूर्ण राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। यह खतरनाक स्थिति है। अवमृदा जल किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं है। यह सम्पूर्ण देश की सम्पत्ति है। यदि किसी व्यक्ति के पास धन है, यदि उसे अवमृदा सम्पत्ति का दोहन करने दिया जाता है तो यह स्वाभाविक है कि इससे अन्य क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न होंगी। इससे उन क्षेत्रों में समस्या उत्पन्न होगी जहां पीने का पानी आवश्यक है। अवमृदा सम्पत्ति के दीर्घकालिक दोहन से उन क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न होंगी। इस मामले को कौन उठा रहा है? क्योंकि नई आर्थिक नीति और नई कृषि नीति 1992, के कारण केवल एक दिशा बनी है। यदि आपके पास धन है, यदि चाहे तो आप इसे निवेश कर सकते हैं। इसलिए सिंचाई और सतही जल तथा अवमृदा जल का उपयोग की योजना इस प्रकार बनाई जाए कि इसका सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास हेतु, न कि किसी एक व्यक्ति के लिए, कारगर ढंग से उपयोग किया जा सके।

पश्चिम बंगाल में भी इन दिनों हमने देखा है कि किसी ने शक्तिमय लघु डी.टी.डब्ल्यू. संयंत्र लगाया है और वह अवमृदा और इससे लगे क्षेत्रों से जल निकाल रहा है। यहां पीने के पानी का संकट है लेकिन वह इस बात की परवाह नहीं करता। वह दूसरों को जल बेचता है और अन्य छोटे-छोटे कृषकों को पानी बेचता है। उनके पास निवेश करने के लिए धन नहीं है, वे क्या करेंगे? वे अपनी भूमि इन धनाढ्य व्यक्तियों को पट्टे पर दे देंगे। यदि आपके पास धन है और आपके पास कुछ भूमि है तो आप जाएं और एक मिनी टी.डी.डब्ल्यू. संयंत्र लगाएं या टयूबवैल खोदें। सम्पूर्ण भूमिगत जल का दोहन कर और इसे बेचें। और यदि अन्य व्यक्ति आपके जल को शेयर करना चाहते हैं तो आप उन्हें अपनी भूमि पट्टे पर देने के लिए मजबूर करें, इस प्रक्रिया में, विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब प्रवृत्ति इसके विपरीत है। भूमि का सम्पूर्ण केन्द्रीकरण फिर से हो रहा है। अतः नई आर्थिक नीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अवमृदा और सतही जल की समुचित आयोजना और प्रबंधन पर बल देना होना चाहिए।

मेरा तीसरा मुद्दा विज्ञान और प्रौद्यागिकी के विकास का है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में असीम विकास हुआ है। लेकिन हमें इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग अपने लोगों के लाभ के लिए करना है और कृषि क्षेत्र में, लाभ का जोर छोटे, सीमांत और मध्यम दर्जे के किसानों को देने पर होना चाहिए। हमारी नीति इस दृष्टिकोण के दायरे में होनी चाहिए। 75 प्रतिशत से अधिक कृषक-वर्ग, उनको किस तरह लाभान्वित किया जाएगा, उस पर हमारी नीति का जोर होना चाहिए। लेकिन नई आर्थिक नीति और कृषि नीति 1992 का बल किस पर है? वे लोगों का ध्यान किए बिना प्रौद्योगिकी और निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं; इस प्रक्रिया से सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र, लघु; सीमांत और मध्यम कृषक-वर्ग बरबाद हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक बेरोजगारी है। इसीलिए इस सभा से मेरा अनुरोध है कि ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाई जानी चाहिए जिसे छोटे, सीमान्त और मध्यम दर्जे का कृषक-वर्ग इसे अपना सके।

यह कम लागत वाली प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। यह श्रम प्रधान प्रोद्योगिकी होनी चाहिए। हमारे कृषि संबंधी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्रम प्रधान, कम लागत वाली क्षेत्र विशेष प्रौद्योगिकी पर हमें बल देना चाहिए।

अगला मुद्दा सहकारी और सेवा समिति की स्थापना के बारे में है। इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए चूंकि यदि कृषक वर्ग के अधिकतर हिस्से को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को, निजी बड़े औद्योगिक घरानों से मुकाबला करना पड़ेगा, तो किस प्रकार होगा? वे प्रतियोगिता करने में कैसे सक्षम हो पायेंगे? अतः सहकारी समितियां है; और सेवा समितियां ही उनका मुकाबला कर सकती हैं। यदि छोटे, मध्यम और सीमान्त किसान को अपनी जोतों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो इससे इस कार्य में सहायता मिलेगी। चकबंदी एक अन्य बात है। गरीब, छोटे और सीमान्त किसानों की भूमि की चकबंदी उनकी इच्छा से होनी चाहिए। यदि वे सहकारी समितिया और सेवा समितियां बनाते हैं और यदि सरकार उन्हें ऋण तथा अन्य आदान, जिसमें बिजली आदि भी शामिल है; की सहायता प्रदान करती है तो ये समितियां देश के अधिकतम किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है। हमारे किसान, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तथा बड़े औद्योगिक घरानों, जो कृषि क्षेत्र में अपने पांव जमा रहे करते हैं, का मुकाबला कर सकते हैं।

मेरा अगला मुद्दा विपणन और प्रसंस्करण सुविधाओं से संबंधित है। ये सुविधाएं होनी चाहिए...(व्यवधान) विपणन और प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए और सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में विपणन और प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए।

अगला मुद्दा कृषि के सम्बंध में जैव-प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्रौद्यागिकियों के विकास के बारे में है और ये प्रौद्योगिकयां किसानों को कैसे दी जा सकती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम तो किसानों का हो और ये प्रौद्योगिकियां दे दी जाए समृद्ध कृषकों या भू-मालिकों को। लेकिन ये प्रौद्योगिकियां छोटे, मध्यम और गरीब कृषकों को दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अतः निजी निवेश के बजाय सरकारी निवेश किया जाना चाहिए।

महोदय, सभा में सूखा और बाढ़ पर चर्चा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने भी कुछ घोषणा की थीं। लेकिन मेरे विचार से उसे उस पर एक व्यापक दृष्टिकोण और व्यापाक विचार किया जाना चाहिए। व्यपाक स्तर पर एक नई कृषि नीति बनाई जानी चाहिए।

ऋण एक अन्य समस्या है; यदि आप कृषि को बढ़ावा देना चाहते है तो कृषकों को ऋण उपलब्ध किया जाना चाहिए। लेकिन बैंक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए, जिसमें कृषि क्षेत्र

शामिल है, कुल ऋण का केवल 20 प्रतिशत कृषि के लिए निर्धारित किया गया है।

कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में कमी आ रही है। निवेश कम हो रहा है। यहां तक कि ऋण भी नहीं दिया जाता है। आजकल, बिना ऋण के एक कृषक के लिए फसल उगाना असंभव है चूंकि प्रत्येक फसल के लिए उच्च निवेश अनिवार्य है। सयुक्त मोर्चा सरकार ने बहुत साहसी कदम उठाया है। उन्होंने उर्वरक पर राजसहायता देना फिर शुरू किया है जो कि नरसिम्हा राव सरकार ने बन्द कर दिया था। आठवीं योजना मध्यावधि मूल्याकंन रिपोर्ट में आप देखेंगे कि यह हमारा दस्तावेज नहीं है, यह पूर्व सरकार के दस्तावेज हैं। हुआ यह था यूरिया का मूल्य बहुत कम था, राजसहायता वापिस लेने के बाद यूरिया, पोटाशियम तथा फास्फेटिक उर्वरक का उपयोग कम हुआ जिसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में काफी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई। अब रूख बदल गया है। संयुक्त मोर्चे की सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्होनें उर्वरकों पर राजसहायता की घोषणा की। उन्होंने उर्वरकों पर फिर से राजसहायता शुरू कर दी है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता है।

आप कृषि में जो कुछ भी विकास लाना चाहते हैं, उसके लिए निवेश की आवश्यकता है। अतः निवेश राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकार के सुनियोजित निवेश से किया जाना चाहिए। इस मामले में दिशा उल्टी है। श्री नरसिम्हा राव के समय के दौरान मंत्रियों द्वारा और सरकार में ऊंचे पदों पर असीन लोगों द्वारा हजारों करोड़ रुपये का दुरूपयोग तथा गबन कर लिया। वे सब एक दुसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी देश और गरीब लोगों के विकास पर ध्यान नहीं देता। केवल कह दिया जाता है परन्तु किया कुछ नहीं जाता। ये मुख्य क्षेत्र हैं जिनपर बल दिया जाना चाहिए। ये वे क्षेत्र हैं जिनकी 1992 की कृषि संबंधी नीति में अनदेखी कर दी गयी थी। यदि इस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो मुझे डर है कि भविष्य में यह देश एक 'बनाना रिपब्लिक' बन जायेगा। बासमती चावल या अन्य समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात से हमें क्या मिलता है, इसमें क्या सच्चाई है? 1994 में, हमने 184 मिलियन टन के खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन किया था। यदि कृषि क्षेत्र में औसत विकास दो प्रतिशत है, जैसा कि योजना आयोग और विशेषज्ञों ने बताया है, तो शताब्दी के अन्त तक खाद्यान्नों के सम्बंध में हमारी आवश्यकता लगभग 210 मिलियन टन होगी। हमारा उत्पादन 196 मिलियन टन होगा। शताब्दी के अन्त तक 14 मिलियन टन खाद्यान्नों की कमी हो जाएगी। हमें इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर उचित ध्यान देना होगा। इस सदन और सरकार को एक व्यापक नई कृषि नीति सभा के समक्ष लाने की मेरी सिफारिश है, जिससे देश के कृषि वर्ग के अधिकतम भाग को लाभ हो, जिसमें छोटे, सीमान्त और मध्यम कृषकों को लाभ हो। जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हो, जिससे करोड़ों ग्रामीण लोगों की समृद्धि हो, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हों, जिससे देश की कृषि को बढ़ावा मिले और जिससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हमले के विरुद्ध भारतीय कृषकों की रक्षा हो सके।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :-

> "कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह भारतीय कृषि और कृषकों के हितों की रक्षा करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई "कृषि नीति" बनाये।"

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : सभापति जी, अभी जो बसु साहब ने आधुनिक कृषि नीति की बात की है, वह समय के हिसाब से उचित है। पिछली सरकार में भी इस कृषि नीत पर चर्चा चली थी। उसको लागू करने की बात की गई थी परंतु पिछली सरकार ने केवल देश को धोखे में रखने का काम किया है। कृषि नीति पर कोई भी कारगर कदम उठाने का काम नहीं किया। अभी मेरे भाई बसु साहब भूमि-सुधार संबंधी मामलों के बारे में बात कर रहे थे। यह सही है कि अभी भी इस देश में पचास साल की आजादी के बाद भी भूमि सुधारों को लागू नहीं किया गया। सीलिंग एक्ट जो लागू किया गया है, केवल छोटे किसानों तक ही लागू किया गया है। यदि आप उत्तर प्रदेश में तराई में जाएं या बिहार में जाएं या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में आप जाएं तो देखेंगे कि लोगों के पास कई-कई हजार एकड़ के फार्म उपलब्ध हैं। उन्होंने बेनामी जमीनों पर अपने फार्म बना रखें हैं। उनके ऊपर कोई सीलिंग एक्ट लागू नहीं किया जा रहा है और छोटे किसान जो केवल अपने हाथ से खेती करते हैं, वह दिन-प्रतिदिन और छोटे होते जा रहे हैं। खेती ही किसान की आजीविका का साधन है और वह उसके बेटों में बंटती जा रही है जिससे वहांल बेराजगारी और बढ़ती जा रही है। अभी इस बिल से पहले बेरोजगारी के बिल पर चर्चा हो रही थी। सही मायनों में बेराजगारी को दूर किया जा सकता है अगर इस देश में सीलिंग एक्ट के बाद फालतू पड़ी भूमि को और वेस्ट-लैंड को सही मायने में बेराजगार लोगों में बांट दिया जाए। इससे भी एक बहुत बड़ा बेरोजगार तबका है, उसको हम रोजगार दे सकते हैं, यह मेरा मत है। अभी इस देश का दुर्भाग्य है कि 82 प्रतिशत किसानों के पास केवल पचास प्रतिशत भूमि है और 18 प्रतिशत किसानों के पास पचास प्रतिशत भूमि है। इस देश के जो बहुसंख्या मे किसान हैं, उनके पास केवल पचास प्रतिशत भूमि है और जो भूमि के नाम पर यहां पूंजीपति इकट्ठे हो गए हैं, उन पर केवल 18 प्रतिशत हैं और उनके पास इस देश की कृषि योग्य भमि मं से पचास प्रतिशत भूमि है। आज जो टोटल क्षेत्रफल हमारे देश का है, उसमें से केवल 32 प्रतिशत भूमि पर हम खेती कर पा रहे हैं और उसमें से भी केवल 14 प्रतिशत भूमि हमारे पास सिंचित भूमि के नाम पर है और बाकी भूमि पर असिंचित खेती हो रही है। भगवान के नाम पर हम खेती कर रहे हैं। हम अभी इस देश के किसान को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। इस देश में सही मायने में सरकार ने कैनाल सिस्टम उपलब्ध कराया है। शारदा से, दूसरी नहरों से और भाखड़ा से उसके द्वारा सिंचाई होती है और किसानों ने जो अपना ट्यूब-वैल्स का निजी तरीका डैवलप किया है, उसके द्वारा खेती होती है परंतु सीलिंग की जो सीमा है, दोनों ही सिंचाई की भूमि पर बराबर है, इसके बारे में भी आने वाली कृषि नीति में कहीं न कहीं विचार किया जाना चाहिए कि जो किसान अपने निजी साधनों से सिंचाई कर रहे हैं और जो किसान सरकारी साधनों से सिचाई कर रहे हैं, उसके सीलिंग एक्ट में कहीं न कहीं अंतर रखना चाहिए।

दूसरे, यह देश साधनों से भरा पड़ा है। यहां पर कितना सारा बारिश का पानी बाढ़ के नाम पर लोगों का विनाश करके समुद्र में चला जाता है लेकिन हम इस देश की भूखी-प्यासी जमीन को पिला नहीं पाते हैं क्योंकि उस पानी को बारिश के दिनों में हमने संचय करने का कोई प्रबंध नहीं किया है। इस देश में सरकारें आईं और गईं, किसानों के नाम पर लोगों ने नारे दिए परंतु किसानों का भला किसी भी सरकार में नहीं हुआ। मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि इस माननीय सदन में ज्यादातर सदस्य किसानों के वोट तो लेकर आते हैं परंतु किसानों की बात यहां करना भूल जाते हैं।

लोकसभा में जितने सदस्य चुनकर आए हैं, उनमें से पांच प्रतिशत ऐसे हैं, जो शहरी क्षेत्रों से हैं और बाकी 95 प्रतिशत किसान के क्षेत्र से होंगे। इतना होने पर भी आज तक किसानों के लिए लाभकारी योजनायें नहीं बनाई गई।

जहां तक बीज का प्रश्न है, किसानों को बहुत अच्छे बीज नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं और अगर अच्छे बीज दिए जाते हैं, तो ऊंचे मूल्य पर दिए जाते हैं। देश में मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, जो बैंगन और टमाटर के बीज उपलब्ध करा रही हैं और उनकी कीमत सुनकर आपको अचम्भा होगा, उनकी कीमत दो हजार रुपए किलो, चार हजार रुपए किलो है। यहां तक सुनने में आया है, कीमत 5-6 हजार रुपए से लेकर 18 हजार रुपए तक भी है। उसमें भी यह है कि वे बीज दोबारा किसान अपने खेत में नहीं बो सकता है। हर बार उसको नया बीज खरीदना पड़ेगा। इस क्षेत्र में भी हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कोई अच्छा बीज हमको नहीं दिया है। पहले कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से देश में हरित क्रान्ति आई थी, परन्तु हरित क्रान्ति के बाद इस देश में उस क्षेत्र में बहुत उन्नति नहीं की गई है।

अभी माननीय सदस्य, श्री बसु, फर्टिलाइजर की बात कह रहे थे। आज भी देश में पोटाश 100 रुपए मंहगा इम्पोर्ट किया जाता है। सुपर फास्फेट 90 प्रतिशत इम्पोर्ट किया जाता है और केवल 10 प्रतिशत इस देश में खपत ही अपने कारखानों में पैदा की जाती है। नैपथा यूरिया के लिए बेसिक आइटम है, इसको भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। सही मायनों में देखा जाए, तो हम अभी तक फर्टिलाइजर के क्षेत्र में स्वावलम्बी नहीं हो पाए हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी अपने आपको किसानों का मसीहा बताते हैं। सही मायनों में उन्होंने घोषणा की कि हर कट्टे पर 100 रुपए डी.ए.पी. में कम कर रहे हैं, लेकिन 50 रुपए ही किसानों को लाभ हुआ। इस देश के किसानों को सौ रुपए का लाभ नहीं हुआ और हमारे प्रधान मंत्री जी की घोषणा धरी की धरी रह गई और वे इस देश के ट्रेडर के सामने झुक गए। इस देश का ट्रेडर इस देश के किसानों को लूट रहा है। स्थिति यह भी हो रही है, फर्टिलाइजर में ऐसे तत्व मिला दिए जाते हैं, जिनमें कृषि को कोई फायदा नहीं होता है। मिलावटी खाद किसानों को दी जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि नीति में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, जो मिलावटी खाद देने वाले को सजा दे सके या उसकी फर्म बन्द कर दी गई हो या उसकी फैक्ट्री बन्द कर दी गई हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाली कृषि नीति में निश्चित रूप से इसका प्रावधान होना चाहिए।

जहां तक किसानों की फसल का मामला है किसानों की फसल आपदाओं में खत्म हो जाती है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। अभी आन्ध्र प्रदेश में तूफान आया, चक्रवात आया, वहां धान की फसल चली गई, लेकिन उसको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर मुआवजा मिलेगा भी, तो सौ रुपए एकड़ या दो सौ रुपए एकड़ मिलेगा, इससे जयादा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो राजस्व नियम बनाए गए हैं, उनमें भी मेरे विचार से सुधार किया जाना चाहिए। इसलिए इस देश में फसल मारी जाती है, तो उसको पूरी फसल का मूल्य मिलना चाहिए। इसलिए इस देश में फसल बीमा योजना लागू करना बहुत आवश्यक है, अगर फसल बीमा योजना लागू की गई होती, तो आज आन्ध्र प्रदेश के किसानों के साथ न्याय होता और उनको निश्चित रूप से फसल का दाम मिल गया होता।

जहां तक कृषि की उपज के मूल्य का मामला है, इसके बारे में तो इससे ज्यादा अन्याय मेरे विचार से किसी क्षेत्र में नहीं किया जाता है। कृषि मूल्य में आज तक किसानों को पिछले 50 सालों में न्याय नहीं मिला है। जब कोई चीज कहीं पर उत्पादित होती है, तो हम उसका लागत मूल्य और उसका बेसिक मूल्य नहीं लगाते हैं, जबकि कारखाने में उसकी कैपिटल मनी और रनिंग मनी को गिना जाता है। अगर हम किसान की कैपटिल मानें उसकी भूमि को, लेकिन उसका ब्याज नहीं लगाया जाता है। किसानो के केस में रनिंग लागत आता है और यदि उसका टोटल लगाया जाए, तो आज तक कोई भी सरकार किसान को नौकरी का दाम भी नहीं दे पाई है।

अभी गन्ने के मूल्य के बारे में बात कही गई, इस देश में आज तक ऐसी कोई नीति नहीं बनी हैं, जो मिल-मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कर सके, जो उनकी फसलें लेकर पैसा नहीं देते हैं। इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बैंक नहीं हैं, जो बिना ब्याज से पैसा देता हो।

किसान को अपनी फसल देने के 6 महीने तक और कभी साल-दो साल तक भी ब्याज की तो बात ही क्या मूलधन भी नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं कि कृषि नीति में यह भी शामिल किया जाए कि अगर कोई उद्योगपति या मिल-मालिक जो भी किसान की फसल लेता है और दाम एक महीने के अंदर या समय-सीमा के अंदर नहीं देता है तो किसान को बैंक की दर पर ब्याज मिलना चाहिए। यह भी प्रावधान कृषि नीति में होना चाहिए।

अब मैं कृषि ऋण की बात करूंगा। कृषि ऋण किसान को बहुत कम मिलता है। हमारे नेशनलाइज्ड बैंक कृषि क्षेत्र में केवल 16 प्रतिशत ऋण देते हैं बाकी का 84 प्रतिशत ऋण या तो शहरी क्षेत्रों में देते रहे हैं या उद्योगों को देते रहे हैं और बात हम कर रहे हैं कि इस देश के किसानों का उत्थान कैसे किया जाए। अगर कोई फैक्टरी मालिक ऋण लेकर फैक्टरी लगाना चाहता है तो उसकी केवल मशीनें ही गिरवी रखी जाती हैं जबकि किसान को ऋण दिया जाता है तो उसका ट्रैक्टर ही नहीं उसकी भूमि भी गिरवी रखी जाती है और अगर वह ऋण अदा नहीं कर पाता है तो उसका ट्रैक्टर तहसील में खींच कर लाया जाता है। इस तरह का अन्याय किसान के साथ हो रहा है।

ट्रैक्टर का चैसिस मोर्टगेज या गिरवी नहीं रखा जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो अन्याय किसान के साथ हो रहा है आने वाली कृषि नीति में गुणदोष के आधार पर सरकार को उस पर भी विचार करना चाहिए।

बागवानी इस देश में ऐसा साधन है जिससे किसान के जीवन-स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। बागवानी के क्षेत्र में सरकार किसान को लाना तो चाहती है लेकिन ऐसी कोई सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है जो उसे इस क्षेत्र की ओर आकृष्ट कर सके। एक बागवानी बोर्ड बना था लेकन उसका दफ्तर हरियाणा में बना दिया गया क्योंकि उस समय जाखड़ साहब मंत्री थे। किसानों को उस बोर्ड के बारे में पता ही नहीं है कि इस तरह को कोई बोर्ड भी है जो उनके हितों के लिए कार्य कर रहा है। किसानों का उस बोर्ड के साथ कोई सम्पर्क ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि उस बोर्ड का, उसके कार्यों का प्रचार भी होना चाहिए जिससे किसानों को बोर्ड की योजनाओं के बारे में पता चल सके।

दिल्ली की मंडियों में किसानों द्वारा उत्पादित फल और सब्जियां कैसे पहुंचे, उनका निर्यात किसान बाहर कैसे करे, इसके तरीके भी किसान को बताए जाने चाहिएं। आम, अमरूद या चीकू की फसल जब बाजार में ती है होती किसान की लुटाई शुरू हो जाती है। दिल्ली की मंडियों में जब आम आता है तो किसान को तो 10 रुपये किलो पर मिलते हैं लेकिन खरीदार से 30 रुपये किलो लिये जाते है। दो रुपये किलो का चीकू 20 रुपये किलों कबता है। बीच में सब बिचौलिये खा जाते हैं और किसान को सही दाम नहीं मिलते हैं। नयी कृषि नीति में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस दाम पर किसान का उत्पादन कंज्यूमर को मिल रहा है उसका 85 प्रतिशत दाम किसान को मिले। ट्रेडर जो तीन गुना, चार गुना, दस गुना दाम बना रहा है नयी नीति में उसको रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए।

कृषि उपज की बिक्री में बड़ा दोष है। मैंने दिल्ली की मंडियों में देखा है कि किसान भाड़े पर ट्रेक्टर लेकर आलू या कृषि उपज लाता है या प्याज लाता है तो व्यापारी जो उसको खरीदते हैं वे एक अंडर-हैंड रखते हैं और किसानों को कहते हैं कि तुम्हारी कृषि उपज इस भाव बिक रही है।

उसको पता ही नहीं होता क्योंकि मंडी में बोली हुई नहीं। इस सरकार की नाक के नीचे यह सब हो रहा है। बड़े शर्म की बात यह है कि आजादपुर मंडी जो कि उत्तर भारत की प्रमुख मंडियों में से है, सबसे बड़ी लूट का घर किसान का यह है। इसमें सुधार होना चाहिए। अगर यहां कृषि मंत्री होते और ये सब नोट करते तो इन कमियों को दूर किया जा सकता था।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हम इसे दूर कर रहे हैं।

श्री छत्रपाल सिंह : धन्यवाद, आप इसे दूर कर रहे हैं।

आज हम चावल का निर्यात कर रहे हैं। हम कृषि नीति की बात कर रहे हैं लेकिन कृषि निर्यात के बारे में किसानों को कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। आज चावल किसान निर्यात नहीं कर रहा है, केवल ट्रेडर्स कर रहे है। किसान से खरीदा हुआ चावल प्रोसैस करने के बाद चांद मार्का, ताजमहल मार्का और लाल किला ब्रांड का नाम उसे दिया जाता है। हमने किसान के नाम का कोई ब्रांड नहीं सुना है। किसान कही लाइसेंस मांगने जाता है तो यहां के ब्यूरोक्रैट्स किसानों का लाइसेंस देने का काम नहीं करते। किसानों की सोसायटियों को लाइसेंस मिले और किसान सीधे अपनी उपज को निर्यात करने का लाइसेंस मांगे तो वह उसे असानी से मिल जाए, ऐसी व्यवस्था भी कहीं कृषि नीति में होनी चाहिए।

मैं इसके साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। अभी इस देश में बहुत से प्रान्तों में चकबंदी नहीं हुई। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां चकबंदी हुई। चकबंदी करने के बाद किसान की भूमि एक जगह आई तो उसने अपने सिंचाई के साधन खड़े किए और उसे असानी हो गई। उसे 10 खेतों में नहीं जाना पड़ा। अगर पूरे देश में चकबंदी का काम सुचारू रूप से और जल्दी हो सकेगा तो इस देश में निश्चित रूप से कृषि भूमि का सुधार होगा और उपज बढ़ेगी।

दूसरा एक बड़ा सैक्टर बेरोजगारी का है। देश में वेस्ट लैंड पड़ी हुई है। कभी ट्रेन से गुजरे तो आपको 10 किलो मीटर के टुकड़े बेकार पड़े मिलेंगे। उनमें खेती नहीं हो रही है। उसे कोई करने वाला नहीं है। हांलाकि यह स्टेट सबजैक्ट है अगर इसे सम्मिलित करेंगे, बेरोजगारों को 10 या 15 एकड़ भूमि एलॉट कर देंगे और पांच साल तक सहायता के रूप में कुछ और पैसा देंगे तो उनको दोहरा लाभ होगा। इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और युगों से कृषि योग्य भूमि जो कि यूं ही बेकार पड़ी है जहां उपज नहीं हो रही है, वहा उपज होने लगेगी और पर्यावरण जो कि खराब हो रहा है, उसमें भी सुधार होगा।

बसु साहब परचेज कैपेसिटी के बारे में जिक्र कर रहे थे। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जब तक गांव के लोगों की खरीद की शक्ति नहीं बढ़ेगी, इस देश में कोई भी इंडस्ट्री नहीं बढ़ सकती। गांव में हर चीज का उपभोग होता है। हैवी इंडस्ट्रीज को आप छोड़ दीजिए। लघु उद्योगों में जो चीजें बन रही हैं जैसे कि साइकिल, स्कूटर, कपड़ा, साबुन, ब्लेड और दूसरी जो चीजें बन रही हैं, उनका ज्यादातर उपयोग देहात में होता है। इसलिए देहात के आदमी की जब तक परचेज कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी ये इंडस्ट्रीज आगे नहीं चल पाएंगी। अगर इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो गांव के लोगों की परचेज कैपेसिटी बढ़ाइए। वह तब बढ़ेगी जब कृषि की उन्नति होगी और किसानों को अपनी उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उसको समय पर बीज, खाद और पानी मिलेगा तथा सही मायने में शोषण रूकेगा।

मैं ये सुझाव देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बसु साहब ने कृषि नीति को समय के अनुसार दिया है। उसमें अपनी बात को सम्मिलित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्निथला : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस सभा के समक्ष इस महत्त्वपूर्ण विषय को लाने के लिये अपने विशिष्ट एवं माननीय मित्र श्री बसु को धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है। अभी भी कृषि भारत की दो-तिहाई आबादी के लिये रोजगार और आमदनी का साधन बनी हुई है। हम कृषि के विकास के बिना वास्तविक आर्थिक विकास प्राप्त नहीं कर सकते। लोगों का जीवन-स्तर सुधारने और गरीबी दूर करने के लिए कृषि का विकास अत्यन्त आवश्यक है। यदि आप खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इसमें कृषि विकास एक महत्त्वपूर्ण कारक है। यदि भारत के निर्यातों का ब्यौरा देखें तो हम पायेंगे कि भारत का कृषि निर्यात हाल के वर्षों में निश्चित रूप से बढ़ा है।

आप चीन को देखिये जिसकी जनता कृषि पर आधारित है और कृषि प्रधान देश यहां गत सात या आठ वर्षों में उद्योग और निर्यात का काफी विस्तार हुआ है। ऐसा कृषि में क्रांति के कारण हुआ है। इसलिए कृषि पर आधारित हर अर्थव्यवस्था को कार्य निष्पादन अच्छा होना चाहिये। कृषि विकास के बिना हम सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास प्राप्त नहीं कर सकते।

भारत अभी उदारीकृत अर्थव्यवस्था के दौर में है। हमें विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था कायम करनी है। हमने उदार अर्थव्यवस्था अपना ली है। बाजार में अपनी पहुंच हो, इसके लिये हमें निश्चित रूप से रणनीति बनानी चाहिये। सरकार को और अधिक निर्यातोन्मुखी कार्यक्रम अपनाने चाहिये जो भारतीय कृषकों को अधिक उपज हासिल करने में सहायक हों और इससे व्यापक आधार पर कृषि के विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह भारतीय अर्थ-व्यवस्था की विकास-दर बढ़ाने हेतु आवश्यक है।

मुझे यह नोट करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि खाद्यान्न के बारे में भारत आत्म-निर्भर हो गया है। इसके पहले अधिकांश पीएल-480 और अन्य वस्तुओं पर निर्भर थे। हम कई विकसित देशों की दया पर निर्भर थे। मेरे मित्र श्री बसु कुछ भी कहें, भारत कांग्रेस सरकार द्वारा अपनायी गयी नीतियों एवं कार्यक्रमों के कारण ही खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हुआ है। बेशक, भारत में गरीबी है। मैं इससे सहमत हूं। हमारी जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ रही है। भारत ने कृषि के विकास के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है। अब हम विकसित देशों की मेहरबानी पर निर्भर नहीं है। हम आत्म-निर्भर हैं। इसके लिये मेहनतकश जनता और भारतीय किसानों की प्रशंसा की जानी चाहिये। उन्होंने बहुत कार्य किया है और उन्हें बधाई दी जानी चाहिये।

चीन का कुल कृषि उत्पादन 450 मिलियन टन है जबकि उसके पास भार की तुलना में कृषि योग्य भूमि कम है। भारत का कुल कृषि उत्पादन केवल 196 मिलियन टन है। परन्तु हमारे पास अपने उत्पादन में वृद्धि की काफी गुंजाइश है। जो भूमि कृषि योग्य नहीं है, हमें उसे कृषि योग्य बनाना होगा। हम अपने उत्पादन में और वृद्धि कर सकते हैं। आने वाले वर्षों में अपने अधिक प्रयास से हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। इसके लिये हमें और प्रयास करना होगा।

भारतीय कृषि युगों पुरानी प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अब आधुनिकीकरण आवश्यक हो गया है और आधुनिकीकरण के बिना हम उत्पादकता नहीं बढ़ा सकते। भारतीय किसानों की दशा अत्यन्त दयनीय है। भारतीय कृषक मुख्यतः मानसून पर निर्भर रहता है। मानसून के बारे में जानकारी देने हेतु आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं। परन्तु गांवों में अत्यन्त दयनीय स्थिति में रहने वाले किसान आधुनिक सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

यदि किसानों को मौसम की भविष्यवाणी और अन्य जानकारी उपलब्ध करायी जाय, तो उनका कार्य निष्पादन विश्व के किसी भी कृषक समुदाय के कार्य निष्पादन के समान ही होगा।

हाल में आयी बाढ़, सूखे की स्थिति और प्राकृतिक विपदाएं किसानों को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। अतः ठोस उपाय किये जाने चाहिए और भारतीय कृषक समुदाय को मौसम की अग्रिम जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकें।

मेरे मित्र श्री अनिल बसु कृषि में निवेश के बारे में विस्तार से बता रहे थे। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में कृषि में निवेश घटा रहा है। आर्थिक सुधारों के स्वरूप और भारतीय कृषि के पुनर्संगठन के विषय में मैं प्रो. हनुमन्त राव को उद्धृत करना चाहूंगा।

"...वर्धित सार्वजनिक निवेश और संस्थानों के पुनर्गठन के माध्यम से क्षमता वृद्धि की ओर उन्मुख होना चाहिये ताकि विनियमन समाप्त करने और बाजारीकरण के माध्यम से, जैसा कि प्रयास चीन में किया गया है, मूलतः उपलब्ध क्षमताओं के उन्नत उपयोग की दिशा में अधिक निजी निवेश और संबंधित प्रयास को प्रोत्साहन मिले।

कृषि क्षेत्र में और अधिक निवेश—निजी और सार्वजनिक—दोनों तरह का निवेश होना चाहिए। हम तभी अपने कृषक समुदाय को आधुनिक बना सकते हैं तथा इसे आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान कर सकते हैं। बेशक कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु सरकार ने काफी प्रयास किये हैं परन्तु इस क्षेत्र में अभी भी और प्रयास और निवेश होने चाहियें।

कृषि निर्यात में भी वृद्धि हुई है। जैसा कि श्री बसु ने ठीक ही कहा कि हम अब बदली हुई स्थिति में रह रहे हैं।

उरूग्वे सम्मेलन, गैट समझौता और विश्व व्यापार संगठन के बाद उदारीकरण का परिदृश्य काफी कुछ बदल गया है। अब तो विश्वव्यापीकरण की स्थिति है। अधिक बाजार उपलब्ध हैं। प्रतिस्पर्द्धा है। अब भारतीय कृषक समुदाय को विश्व-बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी । जब हम उत्पादन बढ़ा रहे है तो हमें इसे बेचना भी होगा। विपण्यता हमारे रास्ते की सबसे महत्त्वपूर्ण बाधा बनकर आ रही है। अतः हमें बाजार तलाशना होगा। श्री बसु गैट. समझौता, विश्व व्यापार संगठन आदि की आलोचना कर रहे थे। इसमें कुछ शंकाएं हैं। वे शंकाएं क्या हैं? एक शंका यह थी कि इससे राजसहायता में कटौती होगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी, कृषि आयातों को अनिवार्य रूप से खेला जायेगा और बीजों को रखने तथा उनके विनिमय के लिये किसानों के पारम्परिक अधिकार में कटौती होगी। हमारा व्यावहारिक अनुभव यह है कि विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने के बाद ये शंकाऐं गलत साबित हुई हैं। वे शंकाएं अब नहीं हैं। मैं राज-सहायता के बारे में, सार्वजनिक

वितरण प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किये जाने के बारे में बात कर रहा हूं। संसद द्वारा अपने आप में इस अनोखे अधिनियम को पारित करने से बीजों को रखने और उनके विनिमय के सम्बन्ध में किसानों के पारम्परिक अधिकार को समाप्त किये जाने का हमपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः ये शंकाए सही नहीं हैं। हमें विश्व व्यापार संगठन के सकारात्मक बिन्दुओं को देखना तथा उनसे सहमत होना होगा।

भारतीय कृषि प्रगति पर है। हम अपने खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। जब हम कृषि-उत्पाद बढ़ा रहे हों, तो उनका विपणन भी होना चाहिये। इस गैट समझौते और विश्व व्यापार संगठन के द्वारा हम विभिन्न बाजार तक पहुंच सकते हैं और वहां अपने उत्पाद बेज सकते हैं। अब हमारे लिये बाजार खुले हुए हैं और हम बाजार में प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं। प्रतिस्पर्द्धा आवश्यक है और गुणवत्ता भी बनी रहनी चाहिये।

आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में कह रहे हैं। यह राजनीतिक मामला है और मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। परन्तु प्रत्येक राज्य उदारीकृत नीतियां अपना रहा है। सभी दल पहले ही आर्थिक सुधार स्वीकार कर चुके हैं और लगभग सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में निवेश हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित कर रही हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश कर रही हैं। अब विश्व इसे स्वीकार कर रहा है। हम म्यानमार की तरह बिलकुल अलग नहीं रह सकते। म्यानमार और चीन की अर्थव्यवस्था 'बंद-अर्थव्यवस्था' थी।

अपराह्न 6.00 बजे

हम चीन और म्यानमार के रास्ते पर नहीं चल सकते। एक दिलचस्प बात यह भी है कि चीन ने गैट की सदस्यता के लिये आवेदन किया हैं। यह अच्छी बात है। चीन ने आर्थिक उदारीकरण के अपने द्वार खोल दिये हैं। वस्तुतः वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अन्य विदेशी एजेन्सियों को अपने देश में निवेश हेतु आमंत्रित कर रहा है। विश्व की अर्थ-व्यवस्था में एक व्यापक बदलाव देखा जा सकता है।

मैं यह नहीं समझ पाता कि क्यों श्री बसु तथा मेरे अन्य मार्क्सवादी मित्र कम्युनिष्ट पार्टी के सदस्य संसद में उदार अर्थव्यवस्था और आर्थिक सुधारों की हमेशा आलोचना करते रहे हैं। परन्तु, यर्थात में वे इसके पक्ष में हैं और इसे अपना रहे हैं।

श्री अनिल बसु : देश में भुगतान संतुलन के संकट के कारण ही हमें यह अवसर मिल रहा है। परन्तु यह केवल दो या तीन वर्षों के लिये है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मेरा मुद्दा अलग है। हमारे देश में हर राजनीतिक दल इसे स्वीकार कर रहा है। विश्व की मौजूदा परिस्थिति की भी यही मांग है।

सभापति महोदय : श्री चेन्नित्तला, इस समय अपराह्न के छः बजे हैं। चूंकि आप अभी बोल रहे हैं, आप अगली बार भी बोल सकते हैं।

अब सभा सोमवार, 2 दिसम्बर, 1996 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.01 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा सोमवार, 2 दिसम्बर, 1996/11 अग्रहायण, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।